खण्ड-282, अंक-3
गुरूवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1892
(7 मई, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 282 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२४७–२५१
प्रश्नोत्तर	२५१–२८३
भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवराम पांडेय के निधन पर शोकोद्गार	२८३–२८५
सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु सम्बन्धी सूचना तुरन्त सदन तथा शासन को देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को आदेश देने की प्रार्थना ..	२८५
प्रश्नोत्तर काल में नियम ३८(३) के निलम्बन तथा प्रश्नों के जनहित में उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	२८५–२९६
श्री प्यारे लाल के अनशन को समाप्त कराने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	२९६–२९८
आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद के गांव नगला भगौली में अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२९८–२९९
उत्तर प्रदेश सरकार हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, १९६६ पर चर्चा	२९९–३२६
रठ तथा बुलन्दशहर जिलों में खोये, क्रीम और खोये की मिठाई बनाने पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	३२६–३२७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	३२७–३२९
उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथी/उग्रपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३३०–३४१
चीनी मिलों द्वारा गन्ना न खरीदे एवं गन्ने की कीमत गिर जाने के कारण प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब-दिन बिगड़ने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	३४२–३६९
नत्थियां	३७०–३८६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ७ मई, १९७०

बिधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३४८

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनबार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गुँदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादूर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला, सिंह श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बदनसिंह, श्री

बबी प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री

रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
बिजयकुमार त्रिपाठी, राजा
बिजय बहादुर सिंह, श्री
बिजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र बिक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री

सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्स सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ७ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवों के स्थानान्तरण

**१—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल, ७० में राज्य सरकार के कितने सचिव जिलाधिकारी बनाकर किस-किस तारीख को सचिवालय से किस-किस जिले को स्थानान्तरित किये गये ?

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मार्च, अप्रैल, १९७० में २ सचिवों के स्थानान्तरित करने क आदेश दिये गए। एक को जिला अधिकारी, गाजीपुर के पद पर २-४-१९७० को स्थानान्तरित किया गया परन्तु पुनर्विचार के पश्चात् यह आदेश निरस्त कर दिये गए। दूसरे सचिव का जिला अधिकारी, लखनऊ के पद पर २८-४-१९७० को स्थानान्तरण किया गया।

**२—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश—

क्या मुख्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त सचिवों में से कितने फिर सचिवालय कब और क्यों वापस बुलाये गये और उनमें से कितनों ने २१ अप्रैल, ७० तक अपना कार्यभार नहीं संभाला ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उपरोक्त सचिवों में से कोई भी सचिवालय वापस नहीं बुलाये गए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इन दोनों सचिवों का नाम क्या था, स्थानान्तरण के पहले यहां पर किन विभागों के सचिव थे तथा उनका रैंक क्या था, कमिश्नर रैंक के थे या डिप्टी कमिश्नर रैंक के ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एक तो मिस्टर तिवारी थे जो सिंचाई विभाग के सचिव थे और दूसरे मिस्टर बातल थ, यह मुख्य मत्री जी के सचिव थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

रैंक नहीं बताया ।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

श्री जे० एन० तिवारी कमिश्नर रैंक के थे और मिस्टर वातल कलेक्टर रैंक के थे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह सही है कि सिंचाई मंत्री ने कतिपय इंजीनियरों के विरुद्ध अवध रूप से फैसले कर दिये थे जिस पर श्री तिवारी ने एतराज किया था और इसी कारण उनका रैंक घटा कर जिलाधिकारी बना दिया गया ?

श्री चरणसिंह—

अवैध वगैरह का इल्जाम तो मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । यह ठीक है कि उनको रिवर्ट कर दिया गया था ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्री जे० एन० तिवारी की गाजीपुर जिले में पोस्टिंग हुई थी । तो किस आधार पर उनकी पोस्टिंग समाप्त कर दी गयी ?

श्री चरणसिंह—

वह छुट्टी पर चले गये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कमिश्नर से उनकी साधारण डिप्टी कमिश्नर के पद पर अवनति किन कारणों से की गयी ?

श्री चरणसिंह (जिला बस्ती)—

पब्लिक इंटरेस्ट में यह कारण बताना जरूरी नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्री वातल जी का सचिवालय से बाहर जिले में क्यों तबादला किया गया ?

श्री चरणसिंह—

किसी अफसर का कहां तबादला होता है इसमें बहुत से रीजन्स होते हैं । अधिकतर ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ही होते हैं । और कोई खास बात नहीं है इसमें बताने की ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्री जे० एन० तिवारी की पोस्टिंग गाजीपुर में इसलिये नहीं हो पायी क्योंकि वह छुट्टी पर चले गये । तो क्या उनका रिवर्जन कायम है या समाप्त हो गया?

श्री चरणसिंह—

रिवर्जन कायम है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, किन कारणों से यह रिवर्जन हुआ मुख्य मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूं कि कम से कम विधान सभा में सरकार किस आधार पर काम करती है यह मालूम तो होना चाहिये। तो आप कृपा करके उसका जवाब दिलवा दें मुख्य मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने कहा है कि यह बताना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें कौन-सा पब्लिक इन्टरेस्ट है। सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं तो किसी आधार पर लिये होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस निर्णय का आधार क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि यह उनका अधिकार है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप भी तो देखें कि जनहित में है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जवाब देने का उनका काम है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

रिवर्शन जो हुए उसके कारण संबंधित अधिकारी को बताये गय या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

आपने फर्ज कर लिया कि एक से अधिक रिवर्शन हुए। रिवर्शन तो एक ही हुआ है, बातल साहब का नहीं हुआ और उसका मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

एक ही हुआ तो कारण संबंधित अधिकारी को बताये गये या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

रिवर्शन के कारण बताना जरूरी नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह नहीं पूछा कि बताना जरूरी है या नहीं, मैंने केवल यह पूछा कि उनको कारण बताये गये या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

नहीं बताया गया। रिवर्शन में नहीं बताया जाता।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्री जे० एन० तिवारी आई० ए० एस० कमिश्नर रैंक के आफिसर थे और ऐज कमिश्नर उनका अप्वाइन्टमेंट हो चुका था। तो जहां तक मुझे मालूम है आई० सी० एस० या कमिश्नर रैंक के आफिसर्स की पदोन्नति या पदावनति करते समय गवर्नमेंट आफ इंडिया की सहमति भी उसमें होनी चाहिए। तो क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि श्री जे० एन० तिवारी जो कि कमिश्नर रैंक के थे उनकी पदावनति करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि साधारण रैंक का आई० ए० एस० आफिसर है वह उनको बनाया गया तो उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया के गृह मंत्रालय से सहमति प्राप्त कर ली थी?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है—गवर्नमेंट आफ इंडिया से।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि रिवर्शन को वे पनिशमेंट ट्रीट करते हैं या नहीं? क्या उनको इस बात का आभास है या नहीं कि सरकारी निर्णयों के अनुसार रिवर्शन पनिशमेंट है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसी अफसर की पदोन्नति या स्थानान्तरण नियमों के तहत होता है। अगर नहीं होता है तो हम उसकी जानकारी के लिए विधान सभा में सवाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे सवालों का सन्तोषजनक उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं दे रहे हैं कि कहीं यह पता न चल सके कि अनियमितता या किसी और मोटिव से ऐसा किया गया। तो वह चीज जो कि सदन के सामने आनी चाहिए वह आ नहीं रही है। तब फिर जब हम उनसे सजेस्ट करते हैं कि क्या इन कारणों से तो ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्य मंत्री जी को बताना चाहिए कि पुनर्विचार किस आधार पर किया गया और स्थानान्तरण की तारीख के कितने दिनों बाद?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, दो बार इन्होंने कहा कि क्या रिश्वत से किया गया, मैं जानना चाहता हूं? वह सवाल तो उन्होंने कर दिया और मुझ पर इल्जाम लगा दिया और आप उनसे वापस नहीं लिवाते हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मुख्य मंत्री का इस तरह से डांटना ठीक नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब एक प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछा जाता है और आप उसका अलाऊ करते हैं और उस पर मुख्य मंत्री जी का यह कहना कि यह आक्षेप करते हैं, अगर मुख्य मंत्री जी इस तरह का बिहैवियर करेंगे तो सदन कैसे चलेगा।

श्री चरणसिंह—

आप मुझ पर चार्ज लगाएं और चाहते हैं कि हम बोलें नहीं।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आप तमीज से बात करना सीखें।

श्री वंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी गलत परंपरा है। मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं और संभवतः उनको बहुमत प्राप्त है, लेकिन यह बराबर देखा जाता है कि मुख्य मंत्री जी अपनी सीट पर बैठ कर हमेशा आपके आदेशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मैं परसों से देख रहा हूं। जब विधान सभा में पर्चे गिराये गये और उस पर अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दिया तो उन्होंने डांट दिया। यदि इस प्रकार से मुख्य मंत्री जी करते हैं तो यह गलत बात है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम सवाल करते हैं तो उनका सही उत्तर मिलना चाहिये। मुख्य मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। ऐसे में हम लोगों का क्या कर्त्तव्य रह जाता है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

चूंकि मुख्य मंत्री जी ने सदन को डांटा है, इसमें आपका अपमान है। आप अपने को अपमानित समझें या न समझें, लेकिन मैं अपने को अपमानित समझता हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से उन शब्दों को वापस कराएं।

पंचायती राज मंत्री श्री जगन प्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कि जो इस प्रकार से सदन में गड़बड़ी हो जाती है उसकी शुरुआत.....।

श्री कृष्णानन्द राय—

उसकी शुरुआत मुख्य मंत्री द्वारा की गई है।

श्री जगन प्रसाद रावत—

यह जो सदन में इस प्रकार का संघर्ष होता है उसका मुख्य कारण यह है कि कुछ हमारे माननीय सदस्य जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों के प्रयोग में भूल जाते हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग करना किसी की मानोपाली नहीं हो सकती। अगर कोई माननीय सदस्य किसी के प्रति आक्षेप करेंगे तो दूसरी तरफ से उसका उत्तर अवश्य मिलेगा और फिर इस पर संघर्ष बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि जो चाहे प्रश्न पूछे या कहे लेकिन कोई भी माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य पर आक्षेप न करें जिससे कि उसे ठेस पहुंचे।

(व्यवधान)

श्री वंशीधर पांडेय—

यह तो आचार संहिता बता रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, यह ११ बजे से १२ बजे तक का समय मुख्यतया हम विरोधी दल के लोगों का होता है और उसमें जो हमारे सप्लीमेन्ट्री सवाल होते हैं उसके जज होने की हैसियत पर आप विराजमान है। मगर मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपने सवाल सुनकर उसको उचित समझकर उसको मान लिया और उसके उत्तर देने के लिये मुख्य मंत्री जी या किसी

भी मंत्री को कह दिया और फिर व कह दे कि जनहित में नहीं है जब वह किसी चीज को एवाइड करना चाहे तो आप इसकी व्यवस्था करें कि हमारे सवाल को डिसाइड करने का अधिकार आपका है और जब आप उसको एलाऊ कर दें तो फिर उसका वह जवाब दें और उनका तौर-तरीका यह नहीं होना चाहिये जो आज रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है कि यह उत्तर हो सकता है ...

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

हम लोगों को कह लेने दें फिर आप नियम बतला दीजिएगा ।.... (व्यवधान) .... माननीय मुख्य मंत्री जी जब गुस्से में उत्तर देते हैं और गुस्से में बैठ जाते हैं तो हम लोगों का भी शरीर हाड़-मांस का बना है और हमें भी तकलीफ होती है । मैं हमेशा ज्ञान की बात करता हूं लेकिन अज्ञानी लोगों के समझ में नहीं आती ।

श्री अध्यक्ष--

नियम बिलकुल साफ है । आप ३८(३) नियम को देखें उसमें मंत्री को यह अधिकार है .....(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

मंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह आपको डांटे ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे अपने उत्तर से संबंधित कि कुछ नाराज्गी उनसे थी या कुछ उनकी त्रुटि थी, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर किया गया ?

श्री चरणसिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आफिसरों का रिवर्सन, प्रमोशन या ट्रांसफर अथवा एफीशियेन्सी बार को क्रास करना अथवा नहीं करना आदि जो सवाल है जिनको हाउस जानना चाहता है और सदस्य जानना चाहते हैं उनको मैं जनहित में बताना उपयुक्त नहीं समझता हूं जिसका जवाब मैं दे चुका हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को रिप्रेजन्ट करने के लिये यहां पर आये हैं । यहां पर किसानों के, मजदूरों के और सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं । मैं यह समझ नहीं पाया कि जनहित में नहीं बताया जायगा । इसको मैं समझ नहीं पाया । इस प्रकार का उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैं बड़ी देर से खड़ा हूं पर बोल नहीं पाया । क्या जो बहुत ज्यादा जोर से बोल सकता है उसी को यह अवसर मिलेगा । मैं व्यवस्था की बात कर रहा था कि जनहित में क्या है और नहीं है इसका निर्णय तो आप देंगे । लेकिन दूसरी बात यह

है कि जो घटना इस समय हुई वह बड़ी ही अशोभनीय है। यह बात तो दूसरी है कि पहले किसने की लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न किया गया और यदि उस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति उनकी तरफ से थी तो नियमानुसार उस पर कार्यवाही हो सकती थी। लेकिन माननीय नेता सदन को यह कहना नहीं चाहिये था कि श्रीमान ने ऐसा क्यों किया। अध्यक्ष महोदय को वह डिक्टेट करना चाहते हैं। उनका जो रुख यहां पर प्रकट हुआ है और वह जो सामने वाली बेन्चेज के साथ युद्ध करना चाहते थे वह सदन में शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूं कि यदि एक साधारण सदस्य होता तो वह ऐसी बात कहता यद्यपि वह भी उचित नहीं थी परन्तु माननीय नेता सदन ने बिना आपके माध्यम के ऐसे शब्दों को कहा जिससे रोष प्रकट होता था। मैं माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें। इस प्रकार से कैसे काम चल सकता है। यहां पर बहुत से लोग इस प्रकार की बातें करेंगे लेकिन उसको हंस कर उसको टाल देना चाहिये था। आज जो घटना यहां पर हुई अध्यक्ष महोदय उस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

माननीय अध्यक्ष महोदय नियम ३८ के १ व २ में यह दिया हुआ है कि (१) प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे।

(२) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रश्न लोक सभा में भी आ चुका है। माननीय ढिल्लन साहब ने जो निर्णय दिया है वह मैं आपको बताऊं कि जिसमें यह आ जाता है कि लोकहित में है या नहीं और अन्त में मैजिस्ट्रेट या कोर्ट तय करता है कि लोकहित में है या नहीं। ढिल्लन साहब ने कहा कि अंतिम रूप से अध्यक्ष को तय करना चाहिये कि लोकहित में है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि दीज आन्सर्स आर अनसैटिसफैक्टरी। श्रीमन्, आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे क्षमा करे, आप सबके हितों को देखने के लिये हैं। हम लोग यह सुनते-सुनते थकते जाते हैं कि अमुक उत्तर नहीं दिया जायगा क्योंकि लोकहित में नहीं है। हर रोज अगर यही जवाब दिया जाना है तो हम लोग चले जाएं। श्री तिवारी माननीय कमलापति जी के साथ कार्य करते थे। उनके समय में उनको अधिक से अधिक बुद्धिमान किस्म का अफसर समझा जाता था। और एक दिन, जैसा कि किसी तानाशाही में होता है, मालूम हुआ कि कि वह गए। आज एक अफसर बहुत अच्छा है और सवेरा हुआ तो वह अफसर खत्म। यह क्या तरीका है? अगर इस बात को सदन नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? यह सदन भी प्रभुता संपन्न है और आप भी प्रभुतासंपन्न हैं। सरकार का अपना कार्यक्षेत्र है लेकिन यह नहीं है कि जिस तरह चाहा किसी भी अफसर के लिये कुछ भी कर दिया। मैंने एक सवाल पूछा था पनिशमेंट के बारे में। मान्यवर ने वह सवाल परमिट नहीं किया। श्रीमन्, मैं इसके लिये लिखकर भी दूंगा। आप कृपया हमको नियम ५३ के अन्तर्गत समय दें।

श्री अध्यक्ष---

निमय ३८(३) का आपने हवाला दिया। ढिल्लन साहब का फैसला अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। उसे आप मेरे कमरे में बता दें। मैं ओपन टु करेक्शन हो सकता हूं। अगर मुझे यकीन हो जाय कि यह निर्णय मुझे करना है कि जनहित में है या नहीं, अगर ऐसा इन्टरप्रिटेशन हो सकता है, तो मैं उसका उपयोग करूंगा। लेकिन जहां तक सदन का नियम है उसमें यह कहीं नहीं है। मैंने भी ढिल्लन साहब की राय प्रिसाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेंस

[श्री अध्यक्ष]

में सुनी है और मैं अभी भी इसी मत का हूं कि इस तरह का उत्तर दिया जा सकता है। अगर यह निर्णय करने का अधिकार मुझको हो जाय कि जनहित में है या नहीं तो इसका मतलब है कि सब फाइल मैं देखूं। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका क्या असर हो सकता है उसको मंत्री जी समझ सकते हैं। इसलिये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इस तरह के उत्तर ज्यादातर आते हैं। शान्ति से उस बात को लेना चाहिये, शोर करने या नाराज होने की जरूरत नहीं है, न इधर से और न उधर से। कल एक बात कही थी। ८–१० लोग इधर से खड़े हो गये, ४–५ उधर से खड़े हो गये, इससे बड़ी दिक्कत होती है। शान्ति के साथ बहस होनी चाहिये इसकी मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। मैंने फैसला ले लिया कि ऐसे शब्द जो प्रयोग में लाये गए उनको मैं छपने नहीं दूंगा। अब यह मामला समाप्त हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

श्रीमन्, मैं कम से कम पांच बार खड़ा हुआ, मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां। श्रीमन्, किसी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है, समुचित उत्तर पाने का अधिकार भी है, लेकिन क्या किसी पर लांछन लगाने का भी अधिकार है कि फलां अफसर का ट्रांसफर इसलिये रुक गया या पुनर्विचार किया गया कि उससे कोई रिश्वत ली गयी या कोई इस तरह की चीज की गयी तो क्या इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर पूछा है तो क्या मनाही उसकी की गयी है और उसके बावजूद उन शब्दों को वापस लिया गया है या नहीं, यह व्यवस्था मैं चाहता हूं। ..... (व्यवधान)

(बहुत से सदस्य एक साथ बोले जो सुना नहीं जा सका।)

श्री बंशीधर पांडेय—

इस तरह से अफसरों का ट्रांसफर होगा ..(व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात एक मिनट में आप सुन लें,..

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

इस तरह से अफसरों के ट्रांसफर मनमाने ढंग से किये जाते हैं यह जबरदस्ती नहीं तो और क्या है ? ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, बाद में कहियेगा पहले मैं उनका उत्तर दे दूं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मुझे श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में कहना है, आप मेरी बात पहले सुन लें. . . .(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने आप से प्रश्न पूछा कि उन्होंने शब्द वापस लिये या नहीं, मैंने ३ चीजें पूछी हैं. .

श्री अध्यक्ष--

मैंने उस चीज की इजाजत नहीं दी कि प्रश्न पूछें और फिर दोबारा कोशिश की गई और कहा गया कि क्या आपने रिश्वत लेकर प्रश्न पूछे हैं, उस पर मैंने कहा कि यह दोनों ही ठीक नहीं है और मैं इन दोनों को ही नहीं छपने दूंगा। मैंने उन की वापसी की बात नहीं कही, मैंने कहा कि वह दोनों ही छपेंगे नहीं और इस तरह से बात खत्म हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि रोज ऐसे शब्द आयें और यहां जिद्द हो और सदन का समय लगे कि वापस हों या न हों, बजट सेशन आ रहा है, रोज गर्मागर्मी न हो, कोई गड़बड़ न हो, मैं चाहता हूं कि यहां शांति से काम हो। इसीलिये मैंने कहा कि उनको छपने नहीं दूंगा, दोनों ही के बारे में यह रहेगा कि जैसे वे पूछे ही नहीं गये। वापसी की बात मैंने इसीलिये नहीं की कि फिर उस पर घंटा आधा घंटा लग जायगा और तब वह वापस होंगे, इसलिये मैंने उसको समाप्त कर दिया।

श्री रामधारी शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट आपका समय लूंगा। यह ठीक है कि आपके जो आदेश हो गये और आपकी राय मालूम हो गई कि जनहित में प्रश्न को टाला जा सकता है लेकिन मैं नम्रता पूर्वक आप से निवेदन करूंगा कि जब कोई ऐसा स्पष्ट प्रश्न किया जाय और उसका उत्तर न देकर हर बार जनहित की बात कहकर टाला जायगा तो कसे सदस्यों को जानकारी हो सकेगी? इसके साथ ही एक मौलिक प्रश्न यह भी है कि यह सदन सुप्रीम है या यह एग्जिक्यूटिव, यह सरकार और उसके सहायक सर्वश्रेष्ठ हैं? अगर यह सदन सर्वश्रेष्ठ है तो उस दशा में यह तय करना कि कौन उत्तर का दिया जाना जनहित में है या नहीं है यह जिम्मेदारी आपकी है। जब तक यह तय नहीं होता, मैं आग्रहपूर्वक आप से निवेदन करूंगा कि उस हालत में तो उनको खुली छूट होगी और वह मनमानी स्वेच्छाचारिता बरतेंगे। परन्तु आप अगर इसको रोकना चाहते हैं और जनतंत्र में हमारे और सदन के भी कुछ अधिकार हैं तो आप हमें स्पष्ट उत्तर दिलायें। हमें उत्तर मिलने चाहिये। अगर वह नहीं मिलते तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यही होगा कि कोई ऐसी गलत बात है, गलत आधार पर कार्य किया गया है जिसे कहने में उन्हे शर्म आती है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर आप कोई भी कनक्लूजन ड्रा कर सकते हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस समय प्रश्नों के समय में जिस तरह से कार्यवाही चल रही है उसमें एक साथ कितने व्यवस्था के प्रश्न किये जा सकते हैं। एक ही प्वाइन्ट और समय पर जब कि कार्यवाही जारी है तो कितने व्यवस्था के प्रश्न आ सकते हैं? यहां देखा यह जा रहा है कि अनेक व्यवस्था के प्रश्न एक ही समय में लगातार किये जा रहे हैं और आप उनको इजाजत दिये जा रहे हैं क्या यह नियमानुकूल है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

उनका यह कहना ठीक है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, क्या इस सदन का अख्तियार नहीं है कि वह सरकार से उत्तर ले सकें और यह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है। यदि है, तो क्या इस सदन को अधिकार है कि वह मालूम करे कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को किन कारणों से पदावनति तथा स्थानान्तरण किया गया है और वह आदेश क्यों निरस्त हुआ, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, इस प्रश्न पर मैं नियमों का हवाला देना चाहता हूं :

श्री अध्यक्ष—

यह सही है कि सदन के माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन उत्तर देने का जो काम है, सरकार नियमों से बंधी हुई है। प्रश्न पूछने वाले भी नियमों से बंधे हुए हैं। अगर सदन के माननीय सदस्य इस बात के लिये अधिकृत हैं कि वे प्रश्न पूछ सकते हैं तो उत्तर देने में वे भी सदन द्वारा बनाए गये नियमों से बंधे हैं। जो भी नियम हैं, वे सदन द्वारा बनाये गये हैं और उसके द्वारा पास भी हैं। यदि इन नियमों के विरुद्ध कोई बात होती है तो मैं उसको जरूर रोक सकता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४२ की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिसमें अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में लिखा हुआ है। इनके बारे में यह लिखा हुआ है कि नियम ३१ के अन्तर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न अथवा उत्तर के संबंध में चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

इस नियम के उपखण्ड (२) में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय संबंधी तथ्यों पर अग्रेतर स्पष्टीकरण के हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे।

परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भंग होते हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सरकार से प्राप्त हो गये हैं और उनसे जो अनुपूरक प्रश्न पैदा होंगे, वे आपकी आज्ञा से पूछे जा सकेंगे। इसमें केवल एक ही परन्तुक है और वह यह है कि "परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भंग होते हैं"। यह अधिकार, श्रीमन्, आपका है। यदि हम कोई बात कहें तो आपको अधिकार है आप हमारे अनुपूरक प्रश्नों को अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन जिन अनुपूरक प्रश्नों की आप अनुज्ञा दे देते हैं, उन पर सरकार को यह कहने का औचित्य नहीं है कि ऐसा बताना जनहित में नहीं है। आप देखें, श्रीमन्, यह अधिकार सिर्फ आपका है। इस संबंध में मैं आपके कक्ष में भी मिल लूंगा और आपसे बात कर लूंगा लेकिन इस समय इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

इस समय प्रश्नों का समय है। मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से चाहूंगा कि वे अब प्रश्नों पर उत्तर आने दें।

(श्री कृष्ण स्वरूप का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न आपने एलाऊ किया है। मैंने पूछा था कि उनका स्थानान्तरण निरस्त कब किया गया।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, बदायूं के खिलाफ जांच

*१—सर्वश्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं), राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर) तथा मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं के जिलाधीश एवं पुलिस कप्तान को दिनांक २८ जनवरी, १९७० की रात्रि को सरकार की ओर से २४ घन्टे के अन्दर चार्ज देने तथा अवकाश पर जाने का आदेश किन कारण से दिया गया है? क्या उनके विरुद्ध किसी जांच का भी आदेश हुआ है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक बदायूं के विरुद्ध एक शिकायत २७ फरवरी, १९७० को प्राप्त हुई जिसकी जांच आयुक्त, रुहेलखण्ड मण्डल से कराने का निर्णय लिया गया। जांच के दौरान इन अधिकारियों का पदासीन रहना उचित नहीं होता, अतएव उन्हें १ मार्च, १९७० से छुट्टी पर भेज दिया गया ।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह शिकायत क्या है? शिकायत किसने की है? यदि कोई शिकायत थी तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिये कौन मुकर्रर हुआ था? यदि शिकायत थी तो जिलाधीश और एस० पी० का किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो जाता? जबरदस्ती उनसे चार्ज दिलवाकर अधिकारियों में आतंक फैलाया गया है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

शिकायत श्री केशवराम, एम० एल० ए०, की थी।

श्री कृष्णस्वरूप —

क्या शिकायत थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह शिकायत बताना जनहित में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जवाब देने जा रहे थे तो मुख्य मंत्री ने कहा कि यह कह दिया जाय कि यह जनहित में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह सरकार रहने काबिल नहीं है । इसको बरखास्त कर दिया जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३८/३ को आज ससपेन्ड कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं राय ले लेता हूं ।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में किसी को कुछ कहना है?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

प्रश्नोत्तर काल में कोई डिवीजन नहीं माना जा सकता है । माननीय आचार्य जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह प्रश्नोत्तर काल के बाद लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

अब वह परिस्थिति आ गई है जब सदन यह महसूस करता है कि आप ईमानदारी से सदन नहीं चलाना चाहते हैं । जब प्रस्ताव हो गया तो आप सदन के सामने रख दें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैंने जो प्रस्ताव रक्खा है उसको रख दीजिए ।

श्री बन्शीधर पांडेय—

यह प्रस्ताव डिस्कस तो होगा नहीं । आप इसको रख दीजिए ।

श्री जगन प्रसाद रावत—

अभी प्रस्ताव के बावत आपने कहा । हमको यह पता चले.....

श्री बंशीधर पांडेय—

शासक दल के सदस्यों को आप इतना तो बता दें कि अध्यक्ष की इतनी बड़ी कुर्सी है । आप उसका अपमान कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाय । मैं क्लोजर मूव करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं विवाद के अन्त के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

क्लोजर इनके बाद होगा ।

श्री जगन प्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, हमें यह न पता चला कि किस संबंध में प्रस्ताव है और किस विषय पर प्रस्ताव है । पहले तो यह पता चलना चाहिये कि क्या प्रस्ताव है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको समाप्त किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप सरकार को बचाने के लिये मौका दे रहे हैं ।

(इस समय सदन में काफी शोर हो रहा था ।)

श्री कृष्णानन्द राय---

आप सरकार को बचाने के लिये समय दे रहे हैं । यह सरकार अल्पमत में हो गई है ।

(विरोधी पक्ष से मेजें थपथपाई गयीं ।)

कई सदस्य---

आप इस कुर्सी की गरिमा घटा रहे हैं, आप बेइमानी कर रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह सरकार अल्पमत में हो गई है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

आप टाइम गेन करने के लिये यह कर रहे हैं । यह आपका पक्षपात पूर्ण रवैया है । आप प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखें ।

श्री शिवराज सिंह---

आपके समक्ष, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ही एक रूलिंग पढ़ कर सुनाना चाहता हूं . . .

(अत्यन्त शोर)

श्री बंशीधर पांडेय---

आप जानबूझकर समय दे रहे हैं । सरकार को बचाने के लिये आप समय दे रहे हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह क्यों अब बोल रहे हैं . . . . (शोर)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर व्यवधान करने लगे)

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । माननीय आचार्य जी ने एक प्रस्ताव एक नियम को ससपेन्ड करने का आपके समक्ष रखा । यह आपका अधिकार था कि आप उस प्रस्ताव को तुरन्त सदन के समक्ष रख देते । फिर जब विवाद के लिये खड़े हुए तो हम लोगों की तरफ से क्लोजर भी मूव हुआ । उस वक्त ट्रेजरी बेन्चेज के लोग माइनारिटी में थे । लेकिन आपने मौका दे दिया । यह ट्रेजरी बेन्चेज वाले वही लोग हैं, जब ये इधर बैठते थे, इन्होंने कहा था कि यह सदन नहीं चल सकता और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी की तरफ से आपके ऊपर जूता फेंका गया था . . . . . (अत्यन्त शोर) इस तरह से सदन नहीं चल सकता । . . . . (शोर)

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने क्लोजर मूव किया है आप उस पर वोट कराइए। आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं ? आप उनको बचाने का मौका क्यों दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं····

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, सवाल यह है कि·····

श्री अध्यक्ष—

रावत जी खड़े हो गये, उनको मैंने बोल लेने दिया·····

श्री बंशीधर पांडेय—

लेकिन आपने फिर शिवराज सिंह को क्यों बोलने का मौका दिया ? आप तो जान बूझकर समय बिता रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

आप सरकार की मनचाही बात कर रहे हैं। आप बिलकुल इस हाउस को नहीं चला सकते आप पक्षपात करते हैं। आप उपाध्यक्ष जी से पूछकर काम चलाइए। आप बुड्ढे हो चुके हैं आप चले जाइए। आप हाउस नहीं चला पायेंगे। आप छुट्टी ले लीजिये। हम लोग चाहते हैं कि आप छुट्टी ले लीजिए। आज ही आप छुट्टी ले लीजिए और घर बैठिए।

श्री अध्यक्ष—

देखिए नियम यह है इस संबंध में·····

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार बिलकुल हार चुकी है, यह इसमें बैठने के काबिल नहीं है। आपने घंटा भर लगाकर ट्रेजरी बेन्चेज को भरने का मौका दे दिया है। आज की यह कार्यवाही सदन की मर्यादा और अध्यक्ष की गरिमा के बिलकुल विरुद्ध हुई है।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह प्रस्ताव आपका पारित भी हो जाता तो नियमों में यह है कि—नियम ३११ में दिया हुआ है—"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मत्ति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना, निलंबित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलंबित कर दिया जायगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा वह, अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" तो निलम्बित कर देने से कोई सरकार गिरती नहीं है, तो यह सवाल है·····

श्री बंशीधर पांडेय—

लेकिन गिरती या न गिरती। आपको तो अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहिये था, वह आपने नहीं करके स्पष्ट पक्षपात किया है। यह साफ है कि उस समय सरकार अल्पमत में थी, लेकिन आपने तुरन्त वोटिंग न कराकर उन्हें मौका दिया है, यह मौका आपको नहीं देना चाहिये था।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इसका मतलब यह है कि उस समय आपको भी मालूम था कि सरकार गिरने वाली है, तभी तो आपने यह उदाहरण पेश किया है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं बड़ी नम्रता से आज यह बात कहना चाहता हूं कि सदन का कार्य इस प्रकार से चले कि तीन-तीन सज्जनों को हरनरायन जी बाधा उपस्थित करने के लिये उकसायें जिससे हम लोग अपनी बात न कह सकें, तो इस तरह से यह सदन कैसे चलेगा ? ये सब कार्यवाहियां बहुत अनुचित हैं। (शोर)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय शिवराज सिंह हमारे उधर के भाइयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं (शोर) मंत्री होकर माननीय शिवराज सिंह उधर के भाइयों को गुमराह कर रहे हैं । मंत्रिपद का दुरुपयोग कर रहे हैं । (शोर)

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

इन्हें बिठाइये । माननीय अध्यक्ष जी, इन्हें बिठाइये । माननीय अध्यक्ष जी इन्हें बिठाइये ।

(सदन में अत्यधिक शोर होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आ जायं। बातचीत कर लें। मैं सदन को १५ मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय ११ बजकर ५८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १२ बजकर १३ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

केराकत थानाध्यक्ष, तेजप्रताप सिंह के विरुद्ध शिकायत

*२—श्री राम सागर (जिला जौनपुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर) श्री त्रिवेणी सहाय, श्री कृष्णस्वरूप तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के केराकत थाने के वर्तमान थानाध्यक्ष, श्री तेज प्रताप सिंह के द्वारा माह अगस्त, १९६९ में उसी थाने के तत्कालीन नायब दरोगा की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोई सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

जिला जौनपुर के कराकत थाने के इंचार्ज, श्री तेज प्रताप सिंह क विरुद्ध जुलाई, १९६९ म उसी थाने के नायब दारोगा की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी । इस संबंध में जांच कराई गई जिसमें शिकायत सही नहीं पाई गई ।

सूरजपुर तहसील कोसी में बिजली के नाजायज इस्तेमाल की जांच

*३—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार जांच कराकर बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सूरजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में कुछ व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से आटे की चक्की के पावर कनेक्शन से अपने घरों तक

---

*तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

तार खींच कर गत दो वर्षों से घरेलू कार्य के लिए बिजली का प्रयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत् मंत्री (श्री रामलखन)---

ग्राम सूरजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में दिनांक ३१ मार्च, १९७० को पूरी जांच की गई और वहां पर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से पावर कनेक्शन से घरों में बिजली का प्रयोग नहीं कर रहा है । अतएव किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

आरकेयोलाजिकल आफिसर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध जांच

*४---श्री रामधारी शास्त्री---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आरकेयोलाजिकल आफिसर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी सरकार ने कोई जांच हाल में कराई है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें सही पाई गईं तथा जांच रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सूचना मंत्री(श्री गेंदा सिंह)---

जी हां, जांच अभी जारी है।

५८ वर्ष के ऊपर सेवारत अधिकारी

*५---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या इस समय प्रदेश में ऐसे भी अधिकारी व पदाधिकारी हैं जो ५८ वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त भी सेवारत हैं ? यदि हां, तो उनके नाम व पद क्या हैं ? क्या सरकार का विचार प्रदेश की सेवाओं में सेवा निवृत्ति की आयु ५५ वर्ष तक करने का है?

श्री चरण सिंह---

जी हां ।

५८ वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त भी सेवारत अधिकारियों/पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

जी नहीं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७०-३७३ पर)

असोहा थाने में बृजमोहन की हत्या की रिपोर्ट

*६---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव), श्री रामचन्द्र बिकल (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला के थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम काथा में मार्च, १९७० में पंडित यशोदानन्दन के पुत्र की दिन दहाड़े गोली से मार कर हत्या कर दी गई है और जब हत्यारे जबरदस्ती लाश को उठा कर फूंके दे रहे थे तो थाने की पुलिस ने आकर अधजली लाश बरामद की ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह---

थाना असोहा पर दिनांक ४-३-७० को, एक बृजमोहन उर्फ बाबू पुत्र, यशोदानन्दन को सायंकाल लगभग ४ बजे गोली मार कर हत्या कर दिये जाने और उसकी लाश उठा कर ले जाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । इस सूचना पर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अधजली लाश बरामद की ।

इस घटना के बारे में थाने पर एक मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है ।

सचिवालय के आशुलिपिक

*७---श्री जगदीश गांधी, श्री कल्यान सिंह, श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ) तथा श्री शुकरू (जिला हरदोई)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६३-६४ में सचिवालय ने कुछ आशुलिपिक (अब वैयक्तिक सहायक) लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आधार पर भरती किये गये थे, जो तबसे लगातार कार्य कर रहे हैं किन्तु उनमें कुछ को उनकी नियुक्ति की तिथियों से समस्त वार्षिक वेतन वृद्धियां मय बकाया के इसलिये दे दी गयी हैं क्योंकि तबसे आयोग की नियुक्ति की शर्तानुसार और कोई परीक्षा नहीं हो पायी किन्तु कुछेक वैयक्तिक सहायकों की वेतन वृद्धियां तथा बकाया रोक रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री चरणसिंह---

यह सही है कि सन् १९६४ में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा के आधार पर सचिवालय में कुछ आशुलिपिक नियुक्त किये गये थे । लोक सेवा आयोग की सहमति से इन तमाम लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धियां दे दी गईं । ऐसे लोग जिनकी वेतन वृद्धियां दक्षता रोक पर रुकी हैं उनके मामले शासन के विचाराधीन हैं और उनमें शीघ्र ही निर्णय लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

*८---श्री जगदीश गांधी, श्री कल्यान सिंह, श्री आशा राम इन्दु तथा श्री शुकरू---

क्या यह भी सही है कि १९६३-६४ तथा उसके बाद कुछ आशुलिपिक (अब वैयक्तिक सहायक) सचिवालय में सीधे भरती किये गये, जिन्होंने आयोग को अभी तक कोई परीक्षा पास नहीं की है किन्तु उन्हें नियुक्ति की तिथि से समस्त वेतन वृद्धियां दी जा रही हैं उन्हें दक्षता रोक तक पार करने दिया गया है? क्या यह भी सही है कि इस श्रेणी के लोग उपरोक्त प्रश्न के आशुलिपिकों के साथ ही परीक्षा में बैठे थे किन्तु अनुत्तीर्ण रहे ? यदि हां, तो प्रश्न १ तथा २ के लोगों में इस आपसी भेद-भाव के औचित्य का आधार क्या है ?

श्री चरणसिंह--

जो आशुलिपिक (आज वैयक्तिक सहायक) तदर्थ रूप से भरती हैं, उनको वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमानुसार मिल रही हैं परन्तु दक्षता रोक पार करने की अनुमति केवल ऐसे वैयक्तिक सहायकों को ही दी जाती है जो इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं । फिर भी शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि दोनों प्रकार के वैयक्तिक सहायकों के संबंध में एक ही प्रकार का मापदंड दक्षता रोक पार करने के हेतु रखा जाय ।

किशाऊ बांध योजना

*९---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि कि किशाऊ बांध योजना के संबंध में उन्होंने दिनांक ८ मार्च, १९७० को हरियाणा प्रांत के मुख्य मंत्री से बातें की हैं ? यदि हां, तो दोनों सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के बीच उपरोक्त योजना को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने की क्या-क्या शर्तें निश्चित की गई हैं ?

श्री राम लखन---

८ मार्च, १९७० को हरियाणा के मुख्य मंत्री से किशाऊबांध योजना के संबंध में बात हुई थी । इस बातचीत में भारत सरकार सम्मिलित नहीं थी और अभी योजना को चालू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह निश्चय हुआ था कि योजना को उत्तर प्रदेश सरकार यथाशीघ्र अंतिम रूप देगी ।

राजपत्रित अधिकारियों के निलम्बन एवं स्थानान्तरण

*१०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि १७ फरवरी, सन् १९७० से ६ मार्च, सन् १९७० तक कितने गजटेड अधिकारियों के तबादले किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस अवधि में कुल १५६ राज पत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

*११—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मुख्य मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त अवधि में कितने गजटेड अधिकारी मोअत्तिल किये गये हैं और कितनों को छुट्टी लेने के लिए बाध्य किया गया है और किन कारणों से ?

श्री चरणसिंह—

इस अवधि में ७ अधिकारियों को निलम्बित किया गया था जिनमें से ३ को ६-४-७० से पुनः बहाल कर दिया गया । किसी अधिकारी को छुट्टी पर जाने को बाध्य नहीं किया गया ।

जिला अधिकारियों का सम्मेलन

*१२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उन्होंने ६,७ मार्च, १९७० में जिलाधीशों का कोई सम्मेलन लखनऊ में बुलाया था ? यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय जन-कल्याण के लिए किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—

*६-७ मार्च को जिला अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था । उसमें कानून एवं व्यवस्था, कृषि एवं नियोजन भ्रष्टाचार उन्मूलन, प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के विषय में और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के विषय में विचार विमर्श हुआ था ।

[दिनांक ७ मई, १९७० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[५ मई, १९७० को प्र० सं० १४-१५ के अन्तर्गत उत्तरित]

*३—श्री इन्द्रलाल—

(२० मार्च, १९७० को प्र० सं० २६ के अन्तर्गत उत्तरित)

खटीमा थाने में हत्याओं की रिपोर्ट

*४—श्री इन्द्रलाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९६९ के अंतिम सप्ताह में जिला ननीताल के थाना खटीमा में ७ व्यक्तियों की हत्या की कोई सूचना दर्ज हुई है? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है?

श्री चरणसिंह—

मई, ६९ के अंतिम सप्ताह में ७ व्यक्तियों की हत्या की कोई रिपोर्ट थाना खटीमा में दर्ज नहीं हुई ।

*५-६—श्री रियासत हुसैन—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० १६-१७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[५ वें सोमवार के प्र० सं० ४ क अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८-६—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

ऐंटी बायटिक फैक्टरी, ऋषिकेश में उपद्रव

*१०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २६/३० जन, १६६६ को ऐंटी बाइटिक के १०० कर्मचारियों को पी० ए० सी० के ट्रकों में भर कर देहरादून लाया गया और बाद में छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक २६/३० जून को नहीं किन्तु, दिनांक ३० मई, ६६ को ऐंटी बायटिक के ७५-८० कर्मचारी पुलिस की ट्रकों द्वारा देहरादून गये थे । संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि दिनांक २८ मई, १६६६ को ऐंटी बायटिक फैक्टरी में कुछ उपद्रव हो गया था । उस संबंध में पुलिस कुछ गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को ऋषीकेश से देहरादून ले जा रही थी तो फैक्टरी के कर्मचारियों के एक समूह ने आग्रह किया कि वे भी गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ जायेंगे । उनकी बात न मानने पर स्थिति बिगड़ने की आशंका थी । अतः उन्हें भी पुलिस की ट्रकों में चढ़ कर देहरादून तक जाने दिया गया । वहां पर गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेज दिये जाने पर ये अन्य लोग इधर उधर चले गये ।

*११-१२—श्री जगदीश गांधी—

[६ ठे मंगलवार के प्र० सं० ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रुद्रपुर थाने में टांडा सेक्शन के फारेस्ट गार्ड के लापता होने की रिपोर्ट

*१३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मई, १६६६ में थाना रुद्रपुर, जिला नैनीताल में फारेस्ट गार्ड फारेस्ट चौकी नम्बर ४५ टांडा रेंज प्लान्टेशन डिवीजन हल्द्वानी के मारे जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ?

श्री चरणसिंह—

मई, १६६६ में किसी फारेस्ट गार्ड के मारे जाने की रिपोर्ट थाना रुद्रपुर में प्राप्त नहीं हुई । ३०-५-६६ को सेक्शन आफिसर, टांडा सेक्शन वृक्षारोपण बन खंड, हल्द्वानी ने थाना रुद्रपुर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट भेजी कि टांडा सेक्शन का एक फारेस्ट गार्ड पृथ्वीधर दिनांक २१-५-६६ की शाम से अपनी चौकी पर नहीं पहुंचा है ।

*१४—श्री शिवानन्द नौटियाल—

यदि हां, तो उस फारेस्ट गार्ड के मारे जाने के संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की कौन सी धाराओं के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को दिनांक १५ सितम्बर, १६६६ तक गिरफ्तार किया गया है?

श्री चरणसिंह—

फारेस्ट गार्ड के गायब होने के संबंध में अभी तक की जांच से किसी अपराध के होने की पुष्टि नहीं हुई है। अतः कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी के संबंध में मथुरा कांग्रेस कमेटी का कथित पत्र

*१५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्राचीन मूर्तियों की चोरी तस्कर व्यापार के संबंध में दिनांक १५ जुलाई, १९६९ को जिला कांग्रेस कमेटी, मथुरा के कतिपय पदाधिकारियों ने उनकी सेवा में कोई प्रार्थना-पत्र भेजा था और क्या इस संबंध में सितम्बर, १९६९ में भी उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार उन प्रार्थना-पत्रों को पटल पर रखेगी ?

श्री चरणसिंह—

प्राचीन मूर्तियों की चोरी तस्कर व्यापार के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी, मथुरा के किसी पदाधिकारी का दिनांक १५-७-६९ का प्रार्थना-पत्र अथवा इसी बारे में सितम्बर, १९६९ का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है।

*१६—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

बलिया कोतवाली में शेरग्राम वासी, महेशसिंह के कत्ल की रिपोर्ट

*१७—श्री शम्भूनाभ चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शेरग्राम में स्थित पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर दिनांक १७ जुलाई, १९६९ को सायंकाल महेश नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई तथा इस घटना की प्रथम सूचना उसी दिन कोतवाली पुलिस में लिखा दी गई है ? क्या यह सत्य है कि उक्त चौकी इस हत्या के कथित प्रमुख अभियुक्त के निवास स्थान पर कायम है ?

श्री चरणसिंह—

बलिया कोतवाली में दिनांक १७-७-६९ को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसी दिन सायंकाल शेर ग्राम में महेश सिंह नामक व्यक्ति की हत्या गोली मार कर की गई । घटनास्थल पुलिस चौकी से ३ फर्लांग की दूरी पर है, परन्तु चौकी हत्या के कथित प्रमुख अभियुक्त के निवास स्थान पर नहीं कायम है ।

*१८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त हत्या के कतिपय प्रमुख अभियुक्त के भाई को इसी वर्ष बलिया कोतवाली के कोतवाल की सिफारिश पर बन्दूक का लाइसेंस प्राप्त हुआ है ?

श्री चरणसिंह—

मुकदमें के एक अभियुक्त को, जो एक अन्य अभियुक्त का भाई है, १९६९ में बन्दूक का लाइसेंस दिया गया था जो घटना के बाद निलम्बित कर दिया गया है ।

*१९-२०—श्री रामगोपाल संड—

[५ मई, १९७० के अन्त तक उत्तरित ।]

प्रतापगढ़ जिले में मसौली गांव के निकट युवती की हत्या

*२१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत रानीगंज थाने में ग्राम मसौली के बीच ८–९ अक्तूबर की रात में एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई और उसका रुपया एवं आभूषण लूट लिया गया ? यदि हां, तो आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ? कितने, कहां के और कौन अभियुक्त अभी तक पकड़े गये हैं और फरार हैं ?

श्री चरण सिंह—

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम मसौली की सरहद में ७ अक्तूबर, १९६९ की रात्रि में एक युवती की हत्या किये जाने की रिपोर्ट थाना रानीगंज पर प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। विवेचना से पता चला कि अभियुक्त मृतक के २००० रु० तथा एक जोड़ी चांदी के कड़े लेकर भाग गये थे। इस सम्बन्ध में (१) शिव मूरत सिंह निवासी सराय गनई, पुलिस स्टेशन कन्धई, जिला प्रतापगढ़ गिरफ्तार हुआ और (२) बिन्दा सिंह, निवासी, सराय गनई, पुलिस स्टेशन कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दोनों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई है।

कंधई थाने में कत्ल व डकैतियां

*२२—श्री रामदेव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत कंधई थाने में सितम्बर, १९६९ ई० के बीच कितनी डकैतियां पड़ीं एवं कितनी हत्यायें हुइं, कितने लोग और कहां के नामजद अभियुक्त हैं, और कौन-कौन से अभी तक पकड़े गये हैं और कौन फरार हैं ?

श्री चरणसिंह—

प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत कंधई थाना क्षेत्र में माह सितम्बर, १९६९ के बीच ४ डकैतियां पड़ने की सूचना थान पर प्राप्त हुई जिन में से एक में एक व्यक्ति की हत्या हुई। इसके अतिरिक्त इस अवधि में हत्या की कोई घटना नहीं हुई। डकैती की केवल एक घटना की रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद किये गये थे। चारों डकैतियों के अभियुक्तों के बारे में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७४-३७७ पर)

कुंडा थाने के दारोगा द्वारा विधायक को पिटवाने की कथित धमकी

*२३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस कप्तान, प्रतापगढ़ को दिनांक २७ सितम्बर, १९६९ को प्रतापगढ़ के कुछ विधायकों ने यह शिकायती-पत्र दिया कि पुलिस थाना कुन्डा के दरोगा ने एक विधायक को बदमाशों से हाथ पैर तुड़वाने की धमकी दी ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २७–९–६९ को जिले की शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, द्वारा आयोजित एक मीटिंग में एक विधायक ने यह शिकायत की थी कि उन्हें सूचना मिली है कि थाना कुण्डा के अफसर दोयम ने बदमाशों द्वारा उनके हाथ पैर तुड़वाने की धमकी दी है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं जांच की और सम्बन्धित विधायक से

इस बारे में ठोस प्रमाण मांगे। विधायक महोदय को पुलिस सब-इन्सपेक्टर, कुण्डा की इस धमकी की सूचना एक अन्य व्यक्ति से मिली थी, परन्तु इस व्यक्ति एवं पुलिस सब-इन्स्पेक्टर से पूंछ तांछ पर इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस अधीक्षक और विधायक महोदय में इस सम्बन्ध में बात भी हो चुकी है।

*२४—श्री नौनिहाल सिंह—

[६ मई, १९७० को प्र० सं० १६–१७ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२५—श्री नौनिहाल सिंह—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*२६–२७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*२८—श्री महो लाल—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० १८ के अन्तर्गत उत्तरित]

*२९—श्री महो लाल—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० १९ के अन्तर्गत उत्तरित]

श्री वासदेवसिंह, ग्राम परसिया भीखम, जिला देवरिया के घर डकैती

*३०—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना बरहज के अन्तर्गत ग्राम परसिया भीखम में गत ११/१२, अगस्त, १९६९ की रात में श्री वासुदेव सिंह, सरपंच के घर एक सशस्त्र डकैती पड़ी ? यदि हां, तो कितने रुपये का सामान लूटा गया तथा कितने नामजद मुल्जिम हैं ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ११/१२, अगस्त, १९६९ की राति में श्री वासुदेव सिंह, निवासी ग्राम परसिया-भीखम, जिला देवरिया के घर एक सशस्त्र डकती पड़ने की सूचना थाना बरहज पर प्राप्त हुई थी। जिस माल के लूटे जाने की सूचना वादी द्वारा दी गई उसकी कीमत रु० ४३८९ आंकी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में बारह अभियुक्त नामांकित किये गये।

*३१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त डकैती के सिलसिले में नामजद मुल्जिमों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो उसका कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

नामांकित अभियुक्तों में से ४ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, २ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तथा २ अभी फरार हैं। शेष चार नामांकित अभियुक्तों की नामजदगी जांच से सही नहीं पाई गई है।

*३२—श्री शिव कैलाश—

[४ मई, १९७० को प्र० सं० २० के अन्तर्गत उत्तारित]

*३३–३४—श्रीमती मसाली देवी—

[२ मार्च, १९७० को प्र० सं० २७–२८ के अन्तर्गत उत्तरित]

राजभवन, नैनीताल में अग्निकांड

*३५--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री राम चन्द्र विकल--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि नैनीताल राज भवन में ३ जनवरी अथवा ५ जनवरी को भयानक आग लगी जिसमें १ करोड़ रुपये की हानि हुई ? यदि हां, तो आग लगने के कारण क्या थे ?

श्री चरण सिंह--

कथित आग नैनीताल स्थित राज भवन के डाइनिंग हाल में ५ जनवरी, १९७० को लगी थी। इसके परिणामस्वरूप २,८६,४०० रु० के मूल्य की क्षति का अनुमान लगाया गया है। आग लगने के कारण का अनुमान इलेक्ट्रिक फिटिंग में शार्ट सर्किट का होना लगाया गया है।

*३६--श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि उपरोक्त अग्निकांड में कुछ नक्सलियों एवं विदेशियों का भी हाथ था ?

श्री चरण सिंह--

ऐसी कोई बात जानने में नहीं आई।

डाक्टरों और इंजीनियरों की सेवाओं को गठित करने का प्रयास

*३७--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में अखिल भारतीय वन सेवा (आल इंडिया फारेस्ट सर्विस) की भांति डाक्टरों और इंजीनियरों की भी अखिल भारतीय सेवा (आल इंडिया सर्विस) गठित करने की सिफारिस केन्द्रीय सरकार से की गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री चरणसिंह--

भारत सरकार ने राज्य सरकार से इन दोनों सेवाओं को गठित करने के विषय में राय मांगी थी। राज्य सरकार ने उक्त सेवाओं के गठन के लिये अपनी सहमति दे दी है। अब यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों तथा पम्पिग सेटों के लिए बिजली दर

*३८--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सरकार श्री मुमताज मुहम्मद खां के पंचम विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६९ के दूसरे मंगलवार के लिये विधान सभा की कार्य सूची में निर्धारित तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को ज्ञात है कि बुलन्दशहर की हाईडिल डिवीजन (उत्तरी) तथा हाईडिल डिवीजन (दक्षिण) में विद्युतीकरण किये हुये ग्रामों में या नगरों के ट्रान्सफारमर्स से किसानों को जो बिजली नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये विद्युत परिषद् द्वारा दी गई है, उसमें समस्त लागत किसानों से १०० फिट लाइन की लागत को छोड़कर ली गई है जब कि उनको एक फर्लांग लाइन की लागत की छूट प्रति ढाई हार्स पावर पर तदनुसार १० हार्स पावर या अधिक पर ४ फर्लांग की छूट लागत में मिलनी चाहिये ?

श्री राम लखन--

२४ अप्रैल, १९६९ तक निजी नलकूपों तथा पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ५ हार्स पावर तक २ फर्लांग और ७ १/२ हार्स पावर या उससे अधिक पर

३ फर्लांग फ़्री लाइन की छूट थी। नगरी क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं थी। परिषद् के २४ अप्रैल, १९६९ के आदेशानुसार १० हार्स पावर पर चार फर्लांग के हिसाब से फ़्री लाइन की छूट दी गई जिसकी अधिकतम सीमा चार फर्लांग है। यह छूट बाद में ९-६-६९ से नगरी व देहाती दोनों ही क्षेत्रों में लागू की गई।

*३९—श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कृषकों को जिन्होंने अपने नलकूपों का विद्युतीकरण ऐसे ग्रामों या नगरों के ट्रान्सफार्मर्स से करवाया है जिनका विद्युतीकरण हो चुका है और उनसे उपरोक्त दोनों हाईडिल डिवीजनों ने १०० फिट लाइन की लागत को छोड़कर तमाम खर्चा जमा करवा लिया है, तो क्या उनसे ली गई धनराशि को डिपाजिट स्कीम में परिवर्तित कर वापस दिया जायगा ? क्या ऐसी धनराशि को कृषकों के बिलों में मुजरा कर दिया जावेगा ?

श्री राम लखन—

परिषद् ने आदेश दे दिये हैं कि यदि परिषद् के आदेश दिनांक ९-६-६९ के बाद आदेशों के विरुद्ध कोई खर्च की रकम जमा कराई गई है तो उसको उपभोक्ता के हिसाब में मुजरा (ऐडजस्ट) कर दिया जाय।

बदायूं जिले में विद्युतीकरण

*४०—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के कितने ग्रामों में ३१ मार्च, १९६९ तक बिजली का प्रबन्ध किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में चालू वर्ष में प्रबन्ध करने का इरादा है ?

श्री राम लखन—

जिला बदायूं में ३१ मार्च, १९६९ तक १७९ ग्रामों में बिजली का प्रबन्ध किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले में वर्ष १९६९-७० में २० ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और चालू वित्तीय वर्ष में १३० ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है।

जल विद्युत् विभाग द्वारा सबार्डिनेट एलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा

*४१—श्री जगदीश गांधी तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६६ में मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत् विभाग द्वारा सबार्डिनेट एलेक्ट्रिकिल तथा मेकेनिकल इन्जीनियरिंग सर्विस की परीक्षा ली गई थी ? अगर हां, तो उसमें उत्तीर्ण हुये कर्मचारियों का परीक्षा फल, प्रायोगिक तथा मौखिक परीक्षा के बाद घोषित किया गया तथा कुछ कर्मचारियों का परीक्षाफल ५ वर्ष का कार्यकाल पूरा न होने के कारण रोक लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अविलम्ब घोषित करेगी ?

श्री राम लखन—

जी हां। इस परीक्षा में बैठने वाले जो कर्मचारी ५ वर्ष के सेवा काल की शर्त पूर्ण नहीं करते थे उनका परीक्षाफल रोका नहीं गया बल्कि उनका चुनाव नहीं किया गया। ऐसे कर्मचारियों का परीक्षाफल घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सीतापुर जिले में कत्ल की घटनाओं की जांच

*४२—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६९ में सीतापुर जिले में कितने कत्ल की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं जिनको नामजद किया गया हो तथा वे किन-किन थानों से सम्बन्धित हैं ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६९ में जिला सीतापुर में हुई हत्या की ७८ घटनायें ऐसी हैं जिनमें नामजद रिपोर्ट की गई । घटनायें किन-किन थानों से सम्बन्धित हैं इसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

*४३—श्री रामलाल राही—

क्या साल १९६९ के रिपोर्ट पर आधारित कुछ कत्ल के ऐसे भी केस हैं जिनकी जांच सी० आई० डी० पुलिस से करानी पड़ी ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और किन-किन थानों से सम्बन्धित हैं ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६९ में हुई हत्या की तीन घटनाओं की जांच सी० आई० डी० को सौंपी गई । ये घटनायें थाना कोतवाली, थाना हरगांव और थाना महोली से सम्बन्धित हैं ।

*४४—श्री कृष्ण चन्द्र—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मंत्रियों पर व्यय

*४५—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६९ के तृतीय सप्ताह में अहमदाबाद में हुये कांग्रेस अधिवेशन में प्रदेशीय सरकार के मुख्य मन्त्री के अतिरिक्त किन-किन मन्त्रियों ने भाग लिया और प्रत्येक के साथ अलग-अलग कितना-कितना सरकारी स्टाफ गया और उन पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७९–३८० पर)

ग्राम छलेरा, जिला बुलन्दशहर में पलेज उखड़वा देने की शिकायत

*४६—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छलेरा, थाना बिसरख, जिला बुलन्दशहर के किसानों की पलेज (तरबूज, खरबूजे) थाना बिसरख की पुलिस द्वारा उखड़वा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और इससे किसानों की कितनी आर्थिक क्षति हुई है ?

श्री चरण सिंह—

यह सही नहीं है कि ग्राम छलेरा, थाना बिसरख, जिला बुलन्दशहर के किसानों की पलेज (तरबूज, खरबूजे) थाना बिसरख की पुलिस द्वारा उखड़वा दी गई है । जिस भूमि पर पलेज बोई गई है वह विवाद ग्रस्त है और यह झगड़ा खण्ड मण्डलाधीश, सिकन्दराबाद की जांच-पड़ताल में है ।

*४७-४८—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[चुनाव अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

मेरठ जिले में ब्रजघाट चौकी को थाने में बदलने की मांग

*४९—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट (जिला मेरठ) एक स्थायी तीर्थ-स्थान के रूप में विकसित हो गया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ब्रजघाट के इस तीर्थ-स्थान के महत्व को देखते हुये वहां पुलिस का एक स्थायी थाना खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

ब्रजघाट एक तीर्थस्थान में विकसित हो गया है। वहां पर एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। चूंकि ब्रजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर से केवल चार मील की दूरी पर स्थित है, वहां पर स्थापित चौकी को थाने में परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के दौरे पर व्यय

*५०—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६९ से १५ जनवरी, १९७० तक प्रतिमास मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के दौरे पर कितना खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

सितम्बर, १९६९ में रु० १६,६६८.६२ पैसे,
अक्तूबर, १९६९ में रु० १९,००७.०७ पैसे,
नवम्बर, १९६९ में रु० १९,५७८.३२ पैसे,
दिसम्बर, १९६९ में रु० २९,०८८.९१ पैसे,
जनवरी १९७० । १५ जनवरी तक)
रु० १७,९३५.४८ पैसे ।

बदायूं कोतवाली के अन्तर्गत डकैतियां

*५१—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं कोतवाली के अन्तर्गत १ दिसम्बर, सन् १९६९ से १५ जनवरी, सन् १९७० तक कितनी डकैती की घटनायें हुईं एवं उनमें से कितनी वारदातों के मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—

इस अवधि में थाना कोतवाली बदायूं के अन्तर्गत डकैती की केवल एक घटना हुई। इस मामले में ५ अभियुक्त गिरफ्तार अथवा हाजिर अदालत हुए थे।

पेंशन तथा सहायता के लिए राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*५२—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक पीड़ितों के कितने प्रार्थना-पत्र पेन्शन तथा सहायता के लिये १९६९ में किस-किस महीने में आये ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दे दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

*५३—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६९ से १५ जनवरी, १९७० तक कितने प्रार्थना-पत्र राजनैतिक पेन्शन के विभाग में पड़े हैं जो जांच के लिये अभी तक जिलों में नहीं भेजे गये तथा कितने ऐसे राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र हैं जिनको बिना जिला अधिकारियों की जांच कराये ही पेन्शन राज्य सरकार ने स्वीकृत कर दी है ?

श्री चरण सिंह—

१ अप्रैल, १९६९ से १५ जनवरी १९७० तक विभाग में प्राप्त ऐसे कोई प्रार्थना-पत्र राजनैतिक पेंशन विभाग में नहीं पड़े हैं जो जांच के लिये जिला मजिस्ट्रेटों को नहीं भेजे गये हैं। लगभग ३८४ प्रार्थना-पत्रों में बिना जिला अधिकारियों से जांच कराये पेंशन स्वीकृत की गयी ।

थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में दफा २५ के अन्तर्गत चालान

*५४—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला बरेली में थाना हाफिजगंज की पुलिस ने माह दिसम्बर, १९६९ में कितने लोगों का चालान दफा २५ के अन्तर्गत (आर्म्स ऐक्ट) किया ? तथा उन चालान होने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने कहां-कहां से पकड़ा ?

श्री चरण सिंह—

माह दिसम्बर, १९६९ में थाना हाफिजगंज, जिला बरेली की पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों का चालान आर्म्स ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत किया गया । इन व्यक्तियों को बरली जिले के निम्न ग्रामों से पकड़ा गया :—

ज्योती जागीर,

भड़सल, तथा

बकैनिया ।

सिकन्दराराऊ प्रदर्शनी में मनोरंजन गृहों से आय

*५५—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि १ जनवरी, सन् १९६७ से २० जनवरी, सन् १९७० तक प्रति वर्ष सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की प्रदर्शनी में कितने अस्थाई मनोरंजन गृहों को लगाने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई तथा उन अस्थाई मनोरंजन गृहों से सरकार को कितनी धनराशि मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त हुई ?

श्री चरण सिंह—

१ जनवरी, १९६७ से २० जनवरी, १९७० तक, प्रत्येक वर्ष में, जिन अस्थायी मनोरंजन गृहों को सिकन्दराराऊ प्रदर्शनी में लगाने की अनुमति दी गई थी और जो धनराशि मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त हुई थी उनका विवरण संलग्नक में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

कानपुर जिले में डकैतियां

*५६—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में १ जनवरी, १९७० से २५ जनवरी, १९७० तक कितनी डकैती किस थाने में पड़ी ? क्या सही है कि कानपुर जिले में इस बीच, डकैतियों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो उसे रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

कानपुर जिले १-१-७० से २५-१-७० तक जिन थानों के अन्तर्गत जितनी डकैतियां पड़ीं उनकी वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बीच कानपुर जिले में २ डकैतियां अधिक पड़ी । डकैतियों को रोकने के लिये डकैत विरोधी विभाग स्थापित किया गया है तथा जिन क्षेत्रों में डकैती पड़ी अथवा पड़ने की सम्भावना पाई गई वहां पर पी० ए० सी० और जिला पुलिस की सशस्त्र गार्दों से गश्त कराया जा रहा है । पिकेट स्थापित किये गये हैं । कुख्यात डकैतों की तत्परता से खोज कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

डेरापुर तहसील में नलकूपों को बिजली देने के लिये प्रार्थना-पत्र

*५७—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत जो विद्युत लाइन रूरा से किशोरा होते हुए झींझक एवं रसूलाबाद गई है उस पर सिंचाई के वास्ते कितने किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन प्राप्त करने के आवेदन-पत्र दिसम्बर, १९६८ से २५ जनवरी, १९७० तक दिये हैं, उनमें कितनों को कनेक्शन दिये गये हैं ? ट्यूबवेल के लिये मांगे गये शेष कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

श्री रामलखन—

कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत जो विद्युत् लाइन रूरा से किशोरा होते हुये झींझक एवं रसूलाबाद को गई है उस पर माह दिसम्बर, १९६८ से २५ जनवरी, १९७० तक १०२ उपभोक्ताओं के आवेदन-पत्र नलकूप कनेक्शन हेतु प्राप्त हुये जिनकी स्थिति इस प्रकार है :

३२ उपभोक्ताओं को बिजली स्वीकृत की जा चुकी है, इनमें से ७ को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा १६ को कनेक्शन लेने की शर्तें व नियम के कागज भेजे जा चुके हैं, बाकी ९ लाइनों से काफी दूर हैं ।

७० उपभोक्ताओं ने अभी बोरिंग के पूर्ण प्रमाण-पत्र नहीं दिया है ।

सीतापुर जिले से राजनीतिक पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र

*५८—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के पास सीतापुर जिले के नागरिकों के कितने आवेदन पत्र राजनीतिक पेन्शन प्राप्त करने के लिये विचाराधीन हैं तथा उन पर कब तक निर्णय हो जावेगा ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ३१–३–७० तक प्राप्त पचास राजनीतिक पेंशन के आवेदन-पत्र शासन के विचाराधीन हैं उन पर जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट आने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर का प्रोमोशन

***५६—श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर)—**

क्या गृह मंत्री कृपया बतालायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत पब्लिक प्रासीक्यूशन ब्रांच के सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर का प्रमोशन भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के पदों पर किया जाय ? यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं ।

जौनपुर जिले में नक्सलपंथियों की गतिविधियां

***६०—श्री रामगोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद) तथा श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—**

प्रदेश में नक्सलपंथी उपद्रवों को रोकने के लिये विशेष कर पीलीभीत, बहराइच, खीरी आदि जिलों में राज्य सरकार कौन-कौन से पग उठा रही है ?

श्री चरण सिंह—

प्रदेश में नक्सलपंथी उपद्रवों की कोई ऐसी घटनायें नहीं हुईं जिनसे शांति और व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा हो अतएवं कोई विशेष कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई। फिर भी इस प्रकार की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

***६१—श्री रामगोपाल संड तथा श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर नगर तथा जिले में १ तथा २ जनवरी, सन् १९७० को नक्सलपंथियों के लाल सलाम नामक पोस्टर चिपकाये गये और वितरित किये गये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

इस प्रकार के पोस्टर जौनपुर में चिपके हुए पाये गये थे। इस संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा १२४–ए के अन्तर्गत पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिस में जांच अभी जारी है ।

जी० आर० पी० थाना गोंडा में श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा चोरी की रिपोर्ट

***६२—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—**

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक २२ दिसम्बर, १९६९ ई० को १० बजे दिन को बढ़गांव रेलवे स्टेशन, जिला गोन्डा में जी० आर० पी० के थाने में कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो सदन की मेज पर पूरी रिपोर्ट रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, दिनांक २२–१२–६९ को १०–३० बजे दिन में श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम सिसई, जिला गोंडा ने जी० आर० पी० थाना गोंडा पर चोरी की एक रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८४ पर)

*६३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त रिपोर्ट पर कुछ लोग जलूस बनाकर गये थे और ईंटा ढेला भी चलाये? यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुये और कितने गिरफ्तार किये गये?

श्री चरण सिंह—

कुछ व्यक्ति एक जलूस बना कर जी० आर० पी० थाना गोंडा पर गए थे। किसी ने ईंटा ढेला नहीं चलाया न कोई व्यक्ति घायल हुआ और न जुलूस का कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ।

*६४–६५—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६६—श्री जगन्नाथ राव—

[प्रश्नकर्ता के सदस्यता से हट जाने के कारण अपास्त]

फरेंदा तहसील में गांवों को बिजली

*६७—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेन्दा तहसील के धानी ब्लाक व लक्ष्मीपुर ब्लाक के किन-किन ग्रामों में बिजली लगने जा रही है?

श्री राम लखन—

चालू वित्तीय वर्ष में गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत फरेन्दा तहसील के धानी ब्लाक व लक्ष्मीपुर ब्लाक के निम्नलिखित ग्रामों में बिजली लग जाने की सम्भावना है :—

ब्लाक धानी	ब्लाक लक्ष्मीपुर
१—रिधौली	१—लक्ष्मीपुर—कैथोलिया
	२—महेशपुर—मेहदिया
	३—समरघिरा
	४—चौतरहा
	५—हरैया रघुवीर
	६—करेलिया
	७—बरवलिया।

इलाहाबाद के बिजली कर्मचारियों की बोनस के लिये मांग

*६८—श्री रामगोपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद के बिजलीघर के कर्मचारियों ने विद्युत् मंत्री को अगस्त, १९६९ में, १९६६–६७, १९६८–६९ के बोनस के सम्बन्ध में मांग-पत्र दिया था ? यदि हां, तो सरकार इन कर्मचारियों को बोनस दिलाने के विषय में कौन से पग उठा रही है ?

श्री राम लखन—

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया। परिषद् का कहना है कि उनके कर्मचारियों पर पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट, १९६५ लागू नहीं होताहै फिर भी परिषद् ने, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की दृष्टि से, अपने समस्त अराज्यपत्रित कर्मचारियों को सन् १९६७–६८ और १९६८–६९ में उनके उपार्जित कुल वेतन के चार प्रतिशत की दर से अनुग्रह भुगतान (एक्स ग्रेशिया पेमेन्ट) दिया है ।

निजी नलकूपों से पानी बेंचने का प्रबन्ध हटाना

*६९—श्री कल्यान सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजली द्वारा चलने वाली निजी नलकूपों से राजकीय सिंचाई साधनों के कमांड क्षेत्र में पानी बेचने पर बिजली देने की शर्तों में शामिल प्रतिबन्ध को सरकार ने समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो उपरोक्त प्रतिबन्ध कब तक समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री राम लखन—

जी हां । ४ अगस्त, १९६९ से निजी नलकूपों से राजकीय सिंचाई साधनों के क्षेत्र के अन्दर पानी बेचने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ।

*७०—श्री वासुदेव सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

सरपंच साधन सहकारी समिति, खलीलपुर द्वारा गबन की रिपोर्ट

*७१—श्री शफीक अहमद (जिला बरेली) तथा श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, खलीलपुर बहुदनपुर (तहसील बहेड़ी, जिला बरेली) के सरपंच ने पुलिस कप्तान बरेली को दिनांक १०जून, १९६९ को एक गम्भीर गबन केस की रिपोर्ट दर्ज करके जांच करने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

जी हां । साधन सहकारी समिति, खलीलपुर-बहुदनपुर, विकास खण्ड बहेड़ी, जिला बरेली के सरपंच का, उक्त समिति में गबन की शिकायत से सम्बन्धित एक पत्र दिनांक १०–६–६९ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्राप्त हुआ था । इस विषय में एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से भी प्राप्त हुई थी । इस सम्बन्ध में एक मुक़दमा थाना बहेड़ी पर धारा ४०९ भा० द० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया जिसमें जांच हो रही है ?

*७२–७३—श्री गोविन्द सिंह—

[दिनांक २८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ६२–६३ के अन्तर्गत उत्तरित]

रामबृक्ष लोहार की रिपोर्ट पर खाम्पार के दरोगा के विरुद्ध जांच

*७४--श्री भाभी (जिला आजमगढ़), श्री हरिवंश सहाय, श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री शिव कैलाश--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया,थाना खाम्पार के अन्तर्गत ग्राम धर्मखोर दूबे में गत २२-२३ नवम्बर, १९६९ की घटना के सिलसिले में स्थानीय दारोगा ने रामवृक्ष लोहार से ५३५ रु० तथा गांव के प्रत्येक परिवार से १०रु० से लगायत ४० रु० वसूल किया है?

*७५--क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उक्त मामले के सम्बन्ध में श्री राम वृक्ष लोहार का एक आवेदन पत्र दिनांक ४ फरवरी, १९७० को क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिह--

२२-२३ नवम्बर, १९६९ को नहीं बल्कि २१-२२ नवम्बर, १९६९ की रात्रि में ग्राम धर्मवीर दुबे थाना खाम्पार, जिला देवरिया में एक मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना के सम्बन्ध में श्री राम वृक्ष का एक शिकायती पत्र दिनांक २४-१-७० श्री हरिवंश सहाय विधायक के पत्र दिनांक ४-२-७० के साथ शासन को प्राप्त हुआ था। जिसमें शिकायत की गई थी कि थाना खाम्पार की पुलिस ने श्री रामवृक्ष से ५३५ रु० तथा गांव के प्रत्येक परिवार से १०रु० से लेकर ४० रु० तक वसूला तथा लोगों को डरा धमका रही है। इस शिकायत की जांच हो रही है।

केराकत थाने पर जुडीशल अफसर द्वारा भेजी गयी दरख्वास्तें

*७६--श्री राम सागर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की केराकत तहसील के जुडीशियल अफसर के न्यायालय से कितनी दरख्वास्तें केराकत थाने में गत माह जुलाई, १९६९ से अब तक जांच करने के निमित्त भेजी गई। और उनमें से कितनी जांच होकर वापस आई हैं और शेष हैं तथा शेष रहने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में केराकत तहसील के जुडीशियल अफसर के न्यायालय से ३२ दरख्वास्तें थाना केराकत पर जांच के निमित्त भेजी गईं। इनमें से दो के सम्बन्ध में मुकदमे कायम कराके जांच की गई जिसके उपरान्त एक में चार्जशीट तथा दूसरे में फाइनल रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई। शेष तीस दरख्वास्तों पर कार्यवाही होना बाकी है। इन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इस बारे में जांच की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

बांसगांव तहसील की चकबन्दी अदालतों में मारपीट

१--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के बांस गांव तहसील में चकबन्दी अधिकारी, बांसगांव एवं चकबन्दी अधिकारी, कौड़ीराम तथा चकबन्दी अधिकारी, माझीगांव के कार्यालय पर कितनी मारपीट की घटनायें १ मार्च,१९६९ से १५ जनवरी, १९७० तक घटीं?

२—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चकबन्दी अधिकारियों के कार्यालयों पर घटी मारपीट की घटनाओं के सम्बन्ध में कितने मुकदमे चल रहे हैं ? कितने की तफतीश हो रही है एवं कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चरण सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सचिवालय में अधीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों के कार्य का मापदण्ड

३—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अगस्त, १९६३ में उत्तर प्रदेश सचिवालय में ३५०-५५० रु० के वेतन क्रम में सहायक अधीक्षक के एक कैडर का निर्माण किया गया था और दिसम्बर, १९६६ से इन पदों को राजपत्रित घोषित किया गया है ?

श्री चरण सिंह—

जी हां ।

४—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या शासन ने सचिवालय के अधीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों के कामों के लिये कोई माप निश्चित किया है ? यदि किया है तो इन दोनों अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन का इस समय क्या आधार है ? यदि नहीं किया है, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

अधीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों के कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित मापदण्ड निश्चित किया गया है :—

(१) ऐसे विभागों में, जिनमें ६५ प्रवर वर्ग सहायक होंगे, एक अधीक्षक दिया जायगा ।

(२) जिन विभागों में प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या ६ से ९ तक होगी उनमें अधीक्षक के अतिरिक्त एक सहायक अधीक्षक भी दिया जायगा ।

(३) ऐसे विभाग, जिनमें प्रवर वर्ग सहायकों की संख्या ९ से अधिक होगी, वह दो विभागों में बांट दिये जायेंगे और प्रत्येक विभाग में एक अधीक्षक रहेगा ।

अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के बीच कार्य विभाजन सेक्रेटेरियट मैनुअल के प्रस्तर २६-२९ के अनुसार होता है । उक्त प्रस्तरों की प्रतिलिपि अनुलग्नक में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३८५-३८६ पर)

भूतपूर्व सदस्य, श्री शिवराम पांडेय के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष—

श्री शिव राम पांडेय की मृत्यु हो गई है। नेता सदन शोक प्रस्ताव पेश करेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

माननीय सदस्य शिवराम जी पांडेय का निधन २९ अप्रैल को हो गया। वे कानपुर के रहने वाले थे। गांव में उनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता-संग्राम में वह कई बार जेल गये थे और सन् ५२ से ६२ तक इस सदन के माननीय सदस्य भी रहे हैं। उनका अधिकतर समय जन-सेवा में बीता। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं तथा शिक्षा संस्थाओं में उन्होंने दिलचस्पी ली। इस सदन की ओर से उनके परिवार के प्रति जो हमदर्दी हमारी है उसे पहुंचा दें। मैं प्रार्थना करता हूं दिवगंत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

नेता सदन ने, अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराम जी के सम्बन्ध में जो सन् ५२ से ६२ तक इस सदन के सदस्य रहे अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने पूरे दल को सम्बद्ध करता हूं। साथ ही यह भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांन्ति दे तथा उनके दुखी परिवार को संतोष दे। इस प्रस्ताव के साथ मेरी तथा मेरे दल की भावनाओं को भी सम्बद्ध करके आप हमारी संवदना उनके परिवार को भिजवा दें।

श्री त्रियानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

जो भावनायें नेता सदन ने दिवंगत आत्मा के प्रति प्रकट की हैं उनसे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। वह देश के स्वतंत्रता-संग्राम में बड़े कर्मठ सेनानी रहे है। उन्होंने अपने जीवन-काल में एक नहीं अनेक बार संघर्ष मय इतिहास का निर्माण किया है। विधान सभा में वह प्रभावी सदस्यों में रहे हैं। मैं उनके दुखद निधन पर अपने को तथा अपने दल को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मैं नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने मृतक के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना आप मृतक के परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं के साथ दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मृतक के परिवार के प्रति अपने तथा अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। आपसे निवेदन है कि हमारी भावनायें मृतक के परिवार तक पहुंचा दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि यहां अर्पित की गयी है उसमें अपने तथा अपने दल को मैं सम्बद्ध करता हूं और आप मेरे दल की हमदर्दी दुखित परिवार तक पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष--

श्री शिवराम पांडेय का निधन २९ अप्रैल, ७० को हुआ। वह पुराने कार्यकर्त्ता रहे हैं और स्वतंत्रता-संग्राम में कई दफा जेल गये और देश आजाद हुआ उसके बाद भी उन्होंने किसी तरह की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थकावट महसूस नहीं की। सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र में वह काम करते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने ५२ से ६२ तक सेवा की है। नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने अपने-अपने दल की तरफ से जो भावनायें यहां व्यक्त की हैं उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनके दुखी परिवार को मैं सदन की संवेदना भेज दूंगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हम लोग खड़े होकर दो मिनट के लिये उनकी आत्मा के लिये शान्ति की प्रार्थना करते हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु संबंधी सूचना तुरन्त सदन तथा शासन को देने के संबंध में जिलाधिकारियों को आदेश देने की प्रार्थना

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपने इस सदन को सूचना दी कि २६ अप्रैल को इस सदन के भूतपूर्व एक माननीय सदस्य श्री पांडेय जी का देहान्त हुआ और आज ७ तारीख है और उनका देहान्त हुये आज १० रोज हो गये हैं तो मैं चाहता हूं कि संविधान में कोई ऐसा प्राविधान है या नहीं कि जब इस आदरणीय सदन के किसी माननीय सदस्य का देहान्त हो जाय तो जिलाधिकारी तत्काल शासन को यह सूचना दें और उस सम्बन्ध में इस सदन को भी शीघ्र जानकारी हो सके?

श्री अध्यक्ष—

अभी तक उनको इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। अगर सदन यह चाहता है तो मैं नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बलिया का जो सुझाव है वह मुझे स्वीकार है और मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अवश्य व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं खुद माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि वे ऐसे आदेश जारी कर दें कि जो पुराने कार्यकर्ता हों, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो जेल भी गये हों और जिन्होंने देश सेवा की हो उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में स्थानीय जिलाधिकारी आप को वे सूचना दे सकें।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इस प्रकार के आदेश जारी हो जायेंगे।

प्रश्नोत्तर-काल में नियम ३८(३) के निलम्बन तथा प्रश्नों के जनहित में उत्तर न देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी आपके सम्मुख इस प्रक्रिया नियमावली के नियम ३८ (३) को स्थगित करने का प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष---

वह तो अब समाप्त हो गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, वह समाप्त कैसे हो जायेगा ? वह इस सदन की बनाई हुई नियमावली है और इस नियमावली के किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य कैसे समाप्त कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रक्रिया नियमावली के नियम ३११ को पढ़ें, उसमें लिखा है---कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय । और चूंकि अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है अब वह प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, शोर बहुत हो रहा है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक दफे एक ही माननीय सदस्य बोला करें । कुछ समझ में नहीं आता है कि सदन में किस बात पर चर्चा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

प्रक्रियालीके नियमावली ३११ जिसका हवाला आपने दिया है और जहां तक उसकी अवस्था का ताल्लुक है, उत्तर से सम्बन्धित विषयों पर इस सदन मेंयस अवस्था पैदा हुई और माननीय सदस्यों ने यह समझा कि यह उचित नहीं है । ऐसीअवस्था एकागे भी आ सकती है । सलिये एक प्रस्ताव आपके सम्मुख लाया गया । श्रीमन्, प्रस्ताव यह अ कि यह निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

क्या हमेशा के लिये इसे रद्द कर दिया जाय ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह नहीं लिखा है । मैंने आपसे जैसे कहा कि यह नियम निलम्बित कर दिया जाय सदन में यह प्रश्न आया कि आप इस सदन की राय इस सिलसिले में लें ....

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया था कि इसके ऊपर मुझे राय लेनी पड़ेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जब आपने यह कहा तो फिर आपने इसके ऊपर बहस भी शुरू करवा दी । श्रीमन् आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन के एक सक्षम अधिकारी है ।

आप इस पर बहस कराना चाहते हैं तो बहस करा लें लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि आज जो प्रस्ताव आया है उसको आप लें और उसके बाद इस प्रस्ताव के निस्तारण पर पहुंचे तब आगे का कार्यक्रम उठायें यही मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह एक सर्वविदित बात है कि न केवल न्याय होना चाहिये बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिये कि न्याय हो रहा है । यहां पर जो आपकी रूलिंग होती हैं उनको हम लोग मानते हैं लेकिन यहां पर जो एक घटना हुई उसके अन्दर आप भी यह मानेंगे कि हर प्रश्न में अगर यह बतला दिया जाय कि यह जनहित में बताना उचित नहीं है तो इधर के लोगों में उत्तेजना पैदा होना स्वाभाविक बात है । उस उत्तेजना का निराकरण भी आप करेंगे । आपने एक निर्णय लिया और कहा कि यदि आपको सन्तुष्ट कर दिया जायगा तो अपनी रूलिंग को आप बदल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने उचित बात कही थी । हमारी लोक सभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं । वहां पर अगर इस तरह की बात कही गई है तो वह मेरे कमरे में आकर मुझको बता दें । अगर वह बात मेरी समझ में आ जाती है तो जो मैंने निर्णय किया है उसको मैं संशोधित कर सकता हूं । यह मैंने कहा था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह तो हमको मालूम है कि हर मौके पर आप विचार करने के लिये तैयार रहते हैं । कई बार ऐसे अवसर पैदा होते हैं कि जो शोभनीय नहीं होते यह आप भी मानते हैं और प्रत्येक सदस्य मानता है कि ऐसा होता है, होता क्यों है ? वह होता इस कारण से है कि कुछ गलतफहमी पदा हो जाती है तब शोर हो जाता है । कई लोग तब अनावश्यक बोलने लगते हैं । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इससे सदन की मर्यादा नहीं रहती है । इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरती है । हम लोग जनता की निगाह में गिरते चले जाते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी एक विषय पर विवादान्त प्रस्ताव आ गया । उसके बाद केवल ५ मिनट का समय रह गया था वह प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो जाता । इस अवसर पर मुझे एक बात याद आ गई कि एक चूड़ी वाला जा रहा था । उसने गठरी में चूड़ियां बान्ध रखी थी । एक चुंगी वाले आदमी ने उसकी गठरी में डंडा मार कर कहा कि इसके अन्दर क्या है । उसने जवाब दिया कि अभी तक तो इसमें चूड़ियां थीं लेकिन अब कुछ नहीं रहा । इसलिये मैं कह रहा था कि ५ मिनट की बात थी । वह ५ मिनट निकल गये तो कुछ भी समय नहीं रह गया ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मेरे मित्र को यह याद नहीं रहा लेकिन वह इस तरह से था कि उस मनियार की गठरी में उस आदमी ने एक लाठी मार दी तो उस चूड़ी वाले ने कहा कि एक लाठी और मार दो और बस कुछ भी नहीं रहा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मुझे इतना ही याद था लेकिन मेरे मित्र उस समय वहां मौजूद रहे होंगे तो उनको याद है । तो जिस विषय पर आपत्ति उठाई गई वह निर्णय होते-होते समाप्त हो जायगा तो फिर उस निर्णय से लाभ क्या होगा ? उसी दौरान में प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया और सदन के अन्दर शान्ति हो गई । लेकिन उसी समय आप दरवाजा बन्द करा देते और मत ले लिया जाता तो उस समय इधर के लोगों को शंका नहीं थी । यह हम जानते हैं कि इस सवाल पर यह सरकार गिरती नहीं । सरकार को गिराने की बात हो तो बजट पर गिरा सकते हैं लेकिन इस मौके

[श्री नित्या ग्व स्वामी]

पर सरकार की ओर से दो वरिष्ठ मन्त्री खड़े हो गये वह कुछ कहने लगे। तो इस तरह से उस समय को समाप्त करना यह उचित नहीं हुआ है। इस तरह से जब यहां हुआ तो इस ओर के सदस्यों को ऐसा लगा कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय का प्रयत्न आप करते रहे और करते हैं लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि आप कोई गोष्ठी बुलायें और यह तय करें कि कब डिवीजन काल होगा, कितने समय तक वह होगा, कितने समय तक लोग अपना सवाल लेकर खड़े रहेंगे, कितने समय तक दरवाजे खुले रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह डिवीजन का परपज ही डिफीट हो जायगा। इस पर आप अपना निर्णय दें।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न सदन के अन्दर आया कि शासन की तरफ से यह कहा गया कि पब्लिक इन्टरेस्ट में बताना आवश्यक नहीं है तो इसके कुछ कारण भी हैं। यह सही है कि यह निर्णय करना आपका काम है...

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, बात जरा सुनाई नहीं पड़ रही है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राज मंगल पांडेय से) आप जरा जोर से बोलें।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि जब हम आपको इस बात के लिये निश्चित करा दें कि हमने जो जवाब दिया है वह उचित है तब उसके लिये कोई प्रश्न नहीं उठता। दो सवाल पूछे गये। एक बदायूं के बारे में था। उसमें यही चीज हुई कि अगर कोई कांफीडेन्शल इन्क्वायरी चल रही है तो क्या हम बतायें कि वह क्या है, किस के माध्यम से करायी जा रही है? हम यही कहेंगे कि यह बताना जनहित में नहीं है। हम हाउस का कोई अवमान करना चाहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी भी मजबूरियां हैं। आप अगर इसको देखें तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो उत्तर दिया गया है वह उचित है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब इस प्रश्न को बन्द कर के आगे की कार्यवाही को शुरू करें।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३११ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस नियमावली में केवल यही एक नियम है और दूसरा कोई नियम नहीं है कि जिसके अन्तर्गत नियमों का निलम्बन किया जा सकता हो और वह केवल एक ही अवस्था है कि जिसमें नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव किया जा सकता है, दूसरी अवस्था नहीं है और वह अवस्था यह है कि कुछ प्रस्ताव विशेष जब पेश किये जायं उनके सम्बन्ध में पेश करने के जो नियम हैं अगर हम यह समझें कि उनका निलम्बन करना जनहित में है तब वह निलम्बित किये जायंगे। मैं आपका ध्यान इस नियमावली के अध्याय १३ की ओर आकृष्ट करूंगा। उसमें प्रस्ताव करने का नियम है कि यदि आवश्यक हो तो उन नियमों का निलम्बन किया जाय किसी प्रस्ताव विशेष के पेश करने के सम्बन्ध में। तो उसका निलम्बन करने की व्यवस्था है। नियम ११३ में किसी भी नियम को किसी भी समय जब सदन की कार्यवाही चल रही हो तो निलम्बित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अधिकार यह है कि किसी प्रस्ताव विशेष के सम्बन्ध में नियम निलम्बित करने का। जब चाहें तब निलम्बित करने का अधिकार आपको नहीं है और न सदन को ही है। और वह निलम्बन कुछ काल के लिये ही होगा, सर्वदा के लिये नहीं होगा। इसको मैं पढ़ कर सुना दूं:

"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव

स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायगी।"

तो यह कहना कि इस नियमावली का फलां नियम निलम्बित कर दिया जाय इस तरह का कोई प्राविधान इस नियमावली में नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय लक्ष्मी रमण जी आचार्य ने पेश किया था वह इस नियमावली के अनुकूल नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहना थी कि "अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन" के पृष्ठ १६८ की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें स्पष्ट रूलिंग यह है कि जिस प्रश्न को उत्तर देना जनहित के विरुद्ध है उसके ऊपर अनुपूरक प्रश्न अथवा विवाद नहीं हो सकेगा। मान्यवर, एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया कि "इसका उत्तर देना जनहित में नहीं है"। तो स्पष्ट है कि इस रूलिंग के अनुसार न उस पर अनुपूरक प्रश्न हो सकते हैं और न उस पर विवाद की आज्ञा देनी चाहिए। यह मैं आपके समक्ष दो बातें रखना चाहता हूं और इस प्रकार जो प्रस्ताव दिया गया है वह नियमानुकूलन हीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिन नियमों के अन्तर्गत यह आता है ३११ नहीं है। वह तो ११० में है—"बिना सूचना के प्रस्ताव", "निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे"। इसमें श्रीमन्, किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव और आठवां है "किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव"। तो यह ११० के (८) के अन्तर्गत प्रस्ताव है कि यह नियम निलंबित कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि इस प्रक्रिया नियमावली में कोई नियम ही नहीं है। इसीलिए मैंने श्रीमन्, आपका और मंत्री जी का ध्यान इधर आकृष्ट किया। मंत्री जी बड़े हैं, बड़ा दावा है, बड़ा गुस्सा आता है। हम लोग छोटे आदमी हैं, यह बात सही है। श्रीमन्, यह भी डर है कि उनको कहीं इस बात पर भी गुस्सा न आ जाय कि मैंने उनके विचार के खिलाफ कोई नियम पेश कर दिया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मेरा यह विश्वास कि हमारे मित्र ने जो विस्तार से बातें कहीं उन पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाय। ३११ का उन्होंने जिक्र किया। हम तो इसके आदी रहे हैं कि जो नियम में हो उसके आगे कोई चीज न पढ़ें। उन्होंने बार-बार यह कह दिया—उनका भाषण श्रीमन्, देख लें कि किसी प्रस्ताव के पेश होने के विषय में....। कहां है, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी इच्छा है कि जो चाहें वह पढ़ें। इसमें केवल यह है कि "किसी प्रस्ताव के विषय में"।

एक सदस्य—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय आचार्य जी बोल रहे हैं। उनको बीच में श्री कल्पनाथ संकेत कर रहे हैं और छींटाकशी कर रहे हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

छींटा कशी न करें। वातावरण को गर्म न करें। इस समय यह ठंडा हो गया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

तो मैं यह कह रहा था कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्ताव कर सकेंगे कि "किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाय", "प्रस्ताव के पेश होने पर" नहीं, बल्कि "प्रस्ताव पर"। तो ३८ (३) पर जो प्रस्ताव है उस पर निलंबित करने की आज्ञा श्रीमन् ने दी। फिर नियम ३१३ पढ़ लें—

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश करे"

मान्यवर, यदि इसकी कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं है, जो प्रश्न यहां चला और मुख्य मंत्री जी बारबार यह कहते थे कि "यह पब्लिक पालिसी के हित में नहीं है"। तो इसपर इधर कुछ रोष था कि यह गलत है, फिर तो यह सदन समाप्त कर दीजिए, और मैंने कहा कि इस नियम को ही निलंबित कर दीजिए। श्रीमन् ने भी एक बार कहा था कि यह सदन सक्षम है और चाहे तो नियम को निलंबित कर दे। उसी के अनुरूप मैंने यह प्रस्ताव रखा। तो यह प्रस्ताव ३११ में नहीं, बल्कि श्रीमन् की आज्ञा से ३१३ में भी रखा गया और ३१३ में रखने के बाद आज्ञा हो गयी कि मैं इस पर राय लूंगा, मत लूंगा यानी श्रीमन् ने ३१३ में इसको स्वीकार कर लिया ३११ के अतिरिक्त।

यही नहीं, ११० भी हमारे मित्र ने उठाया था और कहा था कि निलंबन का किसी समय भी प्रस्ताव किया जा सकता है, यह नहीं कि प्रस्ताव वाली जो प्रक्रिया है ग्राह्यता आदि वह सब आये और उसके बाद स्वीकार हो। तो ११० के अन्तर्गत यह निश्चित है कि यह किसी समय भी आ सकता है, कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

तो मान्यवर, यह बिल्कुल ठीक था। एक बात मैं यह कहना चाहता था और श्रीमन् ने भी उसको स्वीकार किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे नियमों को आज ही समाप्त कर दें लेकिन एक नियम जिसके अन्तर्गत बार-बार कहा जाय, मुझे स्मरण है कि यह अखबार में भी आया है जिसमें श्री ढिल्लो ने मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार से कोई मंत्री अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकता है। और उन्होंने बार-बार यह कहा है कि हाउस नीड्स बेटर रिप्लाई। मान्यवर, यह सदन समस्त प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपने संरक्षण के लिए कहां जायं। श्रीमन्, यदि इस रवैये को देखें कि एक प्रश्न चल रहा था तिवारी जी के संबंध में और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि बताना जनहित में नहीं है कि उनका पद क्यों नीचा किया गया। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न आया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर भी कह दिया कि बताना जनहित में नहीं है। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि बताना जनहित में नहीं है। तो यह सदन क्या करेगा ? तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करता हूं कि श्रीमन् ने ठीक स्वीकार किया था। यदि श्रीमन् उचित समझें तो इस पर मत लें लें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, इस समय सदन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है कि नियमों के निलम्बन के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया होनी चाहिये और जो माननीय सदस्यों ने कहा है वह कहां तक इस पृष्ठ भूमि में ठीक है। श्रीमन्, इन नियमों के सम्बन्ध में पहले भी सदन में विचार हो चुका है। ४ जुलाई, १९६७ को जब संयुक्त विधायक दल की सरकार थी उस समय माननीय सहकारिता मंत्री जो हरदोई से चुने गये थे और यदि मुझे ठीक याद पड़ता है तो वह जनसंघ के थे तो उनके विरुद्ध कांग्रेस दल के सदस्य श्री नेकराम शर्मा ने प्रस्ताव उठाया था। श्रीमन्, जो रूलिंग दी गई वह पृष्ठ ११९ पर ८९ को देखें। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि सदन के नियमों का निलम्बन सर्वसम्मति से ही हो सकता है। इसमें अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है:

"मैं माननीय नेकराम जी ने जो प्रश्न उठाया है अगर उनकी मंशा यह है कि नियमों को निलम्बित करके मैं इस पर चर्चा करा दूं तो उसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा सदन उसके पक्ष में नहीं हो सकता। इसलिए वे निलम्बित तब तक नहीं हो सकते जब तक कि एक सदस्य भी इसके विरुद्ध हो।"

दूसरी रूलिंग भी श्रीमन् उसी में है जो पृष्ठ ६२ पर है। वह इस प्रकार है—

"अध्यक्ष सदन में एकमत को देखते हुये नियमों को निलम्बित करके किसी अस्वीकृत असरकारी प्रस्ताव को किसी अन्य दिन भी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।"

श्रीमन्, जो परम्परा सदन में चली आ रही है, उस से एक कन्वेन्शन बन गया है। माननीय मदन मोहन वर्मा दुर्भाग्य से इस समय नहीं हैं।

तो श्रीमन् इससे यह निकलता है और दूसरे यह पद्धति रही है कि नियमों का निलम्बन साधारण बात नहीं है। विधान सभा ने ७ दिसम्बर, १९६६ को नियम बनाये। उसके पहले हाउस की सर्वदलीय समिति बनी और उसने महीनों बैठ कर विचार किया कि कौन से नियम बनने चाहिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इस समय यहां पर यह विवाद नहीं है। विवाद तो यह है कि जो प्रस्ताव रखा गया वह प्रस्ताव रखा जा सकता था या नहीं। इस समय यह कहां प्रश्न है कि कितने मतों से होना चाहिये। निलम्बन किन परिस्थितियों में होना चाहिये यह प्रश्न इस समय नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं सदस्य मथुरा के कला-कौशल की और उनके पार्लियामेन्ट्री ज्ञान का आदर करता हूं, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो तर्क रखे हैं वह विषय से परे नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमों का निलम्बन साधारण बात नहीं है। ७ दिसम्बर, १९६६ को यह नियम सर्वसम्मत से पारित हुआ है और फिर श्रीमन्, यह आपकी अनुज्ञा पर निर्भर करता है चाहे वह नियम ११० हो जिसे माननीय सदस्य, गोरखपुर ने बतलाया या नियम ११३ हो जिसे माननीय सदस्य मथुरा ने बतलाया। इनमें यह है कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा और सम्मति से हो और आज्ञा या सम्मति तभी होती है जब कि एक मत हो सदन। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो परिपाटी सदन में चलती आ रही है उस परिपाटी को स्वीकार करें और इस विवाद को कृपा कर के समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

एक ही प्रश्न पर आप रोज व्यवस्था बदल देते हैं तो किसको माना जायगा। यह माननीय तिवारी जी बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह १९६७ की बात है जब मैं अध्यक्ष नहीं था। यह मेरी व्यवस्था नहीं है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह प्रस्ताव उस विवशता में उपस्थित हुआ जब माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके सहायक उप मुख्य मंत्री ने सरकारी अधिकारियों के बारे में मामूली प्रश्नों में यह कहा कि सार्वजनिक हित में नहीं बताए जा सकते। ऐसे सवाल हमेशा आते रहे हैं और सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक हित से ही संबंध रखते हैं। माननीय सदस्य और आप सार्वजनिक हित को समझते हैं। अगर मंत्रियों को यह फैसला करना पड़ गया कि यह सार्वजनिक हित में है या नहीं है तो कुछ दिनों में यह सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए परम्परा बन जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जिन दिनों वह नेता विरोधी दल थे उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि दरोगा से लेकर सेक्रेटेरिएट के तमाम अफसर क्यों बदले गये। बदले की भावना से बदले गये। श्रीमन्, उनका चार घन्टे का सदन का भाषण उस वक्त का मौजूद है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उन दिनों आप इन्हीं सवालों को उठाते थे। तो यह प्रश्न ऐसा नहीं कि जिसका उत्तर सार्वजनिक हित में न बताया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

इससे प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। दूसरे सार्वजनिक हित के हैं या नहीं हैं यह केवल मंत्रियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप इजाजत देते ह तो मंत्री को उत्तर देना ही होगा। हम कोई चीन और पाकिस्तान के राज पूछे तो आप न बतावें। हमको भी भगवान ने इतनी बुद्धि दी है ऐसा नहीं है कि केवल मंत्रियों में ही बुद्धि का विकास होता है। जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं सभी लोग थोड़ा बहुत देशहित और प्रदेश हित जानते हैं। तो सार्वजनिक हित क्या है यह अध्यक्ष महोदय आपको तय करना होगा और जब आप यह तय कर देंगे तो मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप ऐसा नियम बदल कर बनादें तो मैं खुश हो जाऊं।

श्री राम चन्द्र विकल—

श्रीमन्, जो नियम रोजमर्रा के कामों में बाधक है उनको बदलना होगा। उसके लिए आप नियम समिति बुला लें। हम बैठने के लिए तैयार हैं। श्रीमन्, नियम काम चलाने के लिए होते हैं। नियम कोई काम रोकने के लिए नहीं होता है वरन् काम को चलाने के लिए होता है। अगर कोई नियम बाधक है या सरकार उसके बहाने से उत्तर न दे यह अनुपयुक्त है। समय-समय पर आपने स्वयं इसी कारण से नियमावली बदली है। यदि आप यह निर्णय करना चाहें कि सार्वजनिक हित क्या है तो इसके लिए आप शीघ्र ही लोगों को बुला लें। परन्तु मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक हित क्या है इसको आपको ही तय करना है और अगर मंत्रियों पर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर सदन चल नहीं सकेगा और ऐसी दशा में फिर सदन की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि यह विवाद की जगह नहीं है। जब मुख्य मंत्री जी आवेश में आ जायेंगे, मैं उनका बहुत अदब करता हूं मेरा उनसे निजी संबंध है, तब सदन में किस प्रकार से व्यवस्था कायम रह सकेगी। वह पंत जी के सहयोगी रहे हैं। राजनारायण जी ऐसा विरोधी नेता आज तक सदन में नहीं हुआ है परन्तु वह भी सदन में जब कोई ऐसी बात हो जाती थी तब हंसकर उसको टाल दिया करते थे और इस प्रकार से लोगों के मन पर किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं लगती थी और वे लोग हंसकर लोगों को खिलाया करते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं फलदार पेड़ ही नीचे झुकता है। आप नेता सदन हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और आपको यही शोभा देता है। आपको अपने उत्तर से अन्य सदस्यों को संतुष्ट करना चाहिये, यदि कोई मंत्री भी इसकी उपेक्षा करे तब भी आप हमको जवाब दें। जन हित के लिए ही इतना रुपया खर्च हो रहा है।

अगर सरकारी कर्मचारियों का तबादला, ट्रांसफर अथवा पदोन्नति होती है तो वह पक्षपात में नहीं होनी चाहिये। २४ घंटे के अन्दर ही तबादला हो गया। अधिकांश तबादले फरवरी महीने में हुये जब कि लड़कों की एजूकेशन चल रही थी और ऐसा होने से उन कर्मचारियों को कितनी परेशानी हुई। यहां पर लोगों की यही भावना है कि यह जो कुछ हुआ है वह बदले की भावना से हुआ है और अब अगर हम उसको पूछते हैं तो वह कह देते हैं कि जन हित में हुआ है। वह सार्वजनिक हित की बात उठा रहे हैं। जब माननीय चौधरी साहब अपोजीशन में थे तब वह स्वयं ही इन प्रश्नों को उठाया करते थे और अब अगर हम उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं, उठाते हैं तब वे उसका उत्तर जन हित कह कर नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से

माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने पर ही सदन की व्यवस्था रह सकेगी अन्यथा नहीं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपनी यह भावना उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की परम्परा आज हुई क्या उसी प्रकार से इस तरफ से भी हुई ? जब मैं इस सदन में सदस्य बन कर आया और जब माननीय गुप्ता जी ने मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया उस समय सबसे पहले यदि उन्होंने अपनी कलम से कोई काम किया था तो यह किया था कि मेरे ऊपर आतंक जमाने के लिए मुजफ्फरनगर के डी० एम० और एस० पी० का तबादला रातो-रात किया था और मैंने सवाल पूछा तो कहा कि जनहित में नहीं है जवाब देना । तो खुदरा फजीहते दीगरा नसीहत । इसलिये मेरा निवेदन है कि सब लोग मिल-जुल कर इसके संबंध में फैसला करें ताकि कोई भी इसका शिकार न हो ।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय सदर साहब, मजबूर होकर मुझे आज आपसे व्यवस्था के लिए कहना ही पड़ेगा, मान्यवर, उत्तर प्रदेश की बाकी जनता को तो न्याय मिल ही नहीं रहा है लेकिन हम लोग जो यहां पर चुनकर आते हैं और जिनका बराबरी का दर्जा है अगर किसी वजह से कोई मुख्य मंत्री या मंत्री बन गया तो उसको यह अधिकार कहां है कि अन्य सदस्यों को घूंसा या आंख दिखलाये जबकि एक साधारण आदमी को, रिक्शे वाले को भी घूंसा या आंख नहीं दिखलानी चाहिये । जहां महात्मा गांधी की बात की जाती है-महात्मा गांधी ही नहीं हमारे यहां भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और आजाद भी हुये हैं वहां मुख्य मंत्री जी ने कल प्यारेलाल जी के संबंध में कह दिया, जो उन्हीं के बराबर के सदस्य हैं, हो सकता है उनसे ज्यादा हैसियत हो क्योंकि उन्होंने वोट डंड के द्वारा नहीं डलवाये, वह भूख हड़ताल करना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मामूली बात है । श्रीमन्, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी को ऐसी सलाह दें कि आंख न निकाले । उन्होंने आंख भी निकालीं और बांह भी चढ़ायीं, जैसे कि कोई मामूली अदना आदमी सड़क पर भी नहीं चढ़ा सकता । उन्होंने बांह चढ़ाकर डाटा । आप कृपया उनको सलाह दे कि वह इस हरकत को छोड़ दें । श्रीमन्, यू० पी० बंगाल भी बन सकता है और उसका श्रेय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह जी को होगा ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आचार्य जी ने नियम ३११ के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा है जिसमें इमरजेंसी के अन्दर किसी रूल को निलम्बित करने का प्राविधान है। जिस रूल को निलम्बित करने के लिए प्रस्ताव है उस रूल ३८ (३) में मुख्य चीज यह है कि सरकारी पक्ष को किसी भी सवाल का जवाब देने में इस बात की इजाजत दी गयी है कि यदि वह समझें कि जनहित में नहीं है तो जवाब न दें । श्रीमन्, जनहित क्या चीज है? जब गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे तो जनहित कुछ और था । आज जब यहां चौधरी चरण सिंह जी चीफ मिनिस्टर हैं तो जनहित कुछ और है यानी जनहित ऐसा होता जा रहा है कि वह पार्टीहित बनता जा रहा है। मेरा कहना है कि जो नियम ३११ में खास चीज है वह यह है कि आप की स्वीकृति होती है या नहीं और जो ३८ (८) में है वह एक चीज है निलम्बित करने के लिए, उस में नोटिस की जरूरत नहीं है बल्कि आप अपने ही विवेक से यह तय करेंगे कि ३११ नियम के मातहत आप को स्वीकृति देना चाहिये या नहीं, और कोई बात इसमें नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सप्लीमेंटरी प्रश्न करने का अधिकार हम को है, वह सवाल गलत या सही सब तरह के हो सकते हैं, अपने अपने विवेक के अनुसार माननीय सदस्य यहां सवाल करते हैं लेकिन इस का अधिकार आपको है कि सवाल उचित है या अनुचित है। आप अगर अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करके सरकारी पक्ष के मंत्रियों से कहते हैं कि उत्तर दें तो सदन और हम समझते हैं कि हमारा सवाल उचित है और आप ने उचित समझकर ही उसका उत्तर देने को कहा है। लकिन जब मंत्री जी की ओर से नियम ३८ (३) की आड़ ली जाती है और कहा जाता है कि उत्तर देना जनहित में नहीं है तो इसका मतलब होता है कि एमरजेंसी की बात है और उस को निलम्बित कर दिया जाय तो वह स्वयं समाप्त होगा, जैसी कि आचार्य जी की मांग है। लेकिन जो रोज देखन में आ रहा है उसक मान यह नहीं हैं कि आगे इस की जरूरत नहीं होगी, उस की जरूरत रोज हो सकती है अगर मंत्रिगण जनहित की आड़ लेकर तथ्यों को छिपायेंगे जबकि सदन और आप समझते हैं कि उसका उत्तर आना चाहिये। यह सीधा टकराव है।३८(३) के अन्तर्गत जो मंत्रिपरिषद् की सुरक्षा की बात है उसमें और दफा ३११ में जिस में सदन को अधिकार है और पूरा सदन समझता है कि जनहितमें उत्तर आना चाहिये तो किसी भी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव बिना किसी नोटिस और विवाद के आ सकता है, आप तय करेंगे कि आज्ञा देना चाहिये या नहीं।

आचार्य जी ने जैसे ही स्वीकृति मांगी और महीलाल जी खड़े हुए कि अभी नहीं होना चाहिये इसका मतलब यह था कि आपने अनुज्ञा दे दी। उसी समय रावत जी खड़े हो गये और ३११ में वादविवाद नहीं हुआ। तो थोड़े समय के लिए वह चीज लागू होती है उसमें अगर एक चीज यह थी कि अगर सदन चाहता है कि प्रश्नों की स्वीकृति में या उत्तर मिलने में नियम ३८(३) बाधा डाल रहा है और जब तक उस का निलम्बन नहीं करेंगे तब तक सफाई नहीं हो सकती, इसीलिये उसको लाना पड़ा। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अगर सदन से पास कर देते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी। जो ३११ में लिखा है उसके अनुसार तो आप ही तय करेंगे कि प्रक्रिया क्या होगी, रूलिंग आप की होनी थी लेकिन उस की तो नौबत ही नहीं आई, एक भी माननीय सदस्य अगर मुखालफत करता तो आप निलम्बित नियम को करते या न करते यह तो बाद की चीज थी जिसका कि तिवारी जी ने हवाला दिया। इसलिये आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि अनुपूरक प्रश्न के निर्णय की जिम्मेदारी उसके उचित या अनुचित होने की आप की ही है और आप ही यहां हमारे हकूक में संरक्षक हैं और आपने इस पर ध्यान अगर नहीं दिया तो अन्देशा है कि उधर से हर बात पर जनहित की आड़ ली जाय (व्यवधान)

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अभी इस संबंध में माननीय रियासत हुसैन बोले हैं। परम्परा यह है कि एक माननीय सदस्य इधर से बोलें तो एक उधर से। ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस चर्चा को अभी और चलाना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, इस विषय पर उधर से ३ लोग बोल चुके हैं, इस पर मही लाल जी बोल चुके हैं, रावत जी को आप अवसर दे चुके हैं और नारायणदत्त जी भी बोल चुके हैं। तो श्रीमन्, आप यहां पर रोज बरोज व्यवस्था बदलते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप गलत बात करते हैं। जैसे ही वह खड़े हुए उन्होंने कहा कि विवाद समाप्त किया जाय। वे तो बोलना ही नहीं चाहते थे।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, लोक सभा में.....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि इस पर आप समय निश्चित कर दें कि वादविवाद कितन समय तक चलेगा । खाना खाने का भी समय हो गया है और हम लोगों को खाने के लिए जाना भी है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम लोग पीछे बैठे रह जाते हैं । आप हमें समय ही नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आपको भी समय देंगे । इसका मतलब यह है कि अभी भी कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । तो अगर इस पर विवाद करना है तो ३ बजे तक कर लिया जाय ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

आज की कार्य सूची में आइटम ७ में ६ साल पुरानी उत्तर प्रदेश सरकार हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, १९६६ पर विवाद होना है । वह ऐसा कार्य है जिसमें किसी को मतभेद नहीं होना चाहिये । और इस कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिये । अतः मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रश्न को अब समाप्त किया जाय ।

श्री रामकिशोर शास्त्री (जिला देवरिया)---

अगर इसको बन्द कर दिया जायगा तो फिर अव्यवस्था रहेगी।

श्री मैनेजर सिंह---

विवाद तो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके कारण ही झगड़ा हो रहा है। आप यहां पर बैठने की शक्ल में नहीं हैं । आप छुट्टी ले लें । माननीय उपाध्यक्ष सब निर्णय लेंगे और विवाद समाप्त हो जायगा । अब एक बजकर १० मिनट हो गये हैं । आप आराम करें । आप सुबह से परेशान हैं । अब माननीय उपाध्यक्ष जी को यहां पर बठा दें ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

इस विषय पर माननीय मंत्री जी (श्री रावत जी) बोल चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष---

यह नया शुरू हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम---

श्रीमन्, आपने यह व्यवस्था दी है कि ३ बजे तक इस पर वाद-विवाद चलेगा । फिर महीलाल जी ने कहा कि विवाद समाप्त किया जाय । तो क्या आपकी व्यवस्था पूर्ण है और इस पर ३ बजे तक वाद-विवाद चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

हां, ३ बजे तक चलेगा।

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

जिस नियम ३८(३) के बारे में विवाद चल रहा है कि किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है। उसके पीछे कुछ कारण हैं और कारण यह है कि सदन के समक्ष ऐसे विषय कभी-कभी आ जाते हैं जिनको सारा सदन चाहता है कि वे जल्दी...

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री बंशीधर पांडेय---

आपसे उपाध्यक्ष जी, तो संबंधित कोई मामला है नहीं। वह तो अध्यक्ष का मामला था। अध्यक्ष जी जब बैठेंगे तब विवाद करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। सवाल नियम का है। मैं इस नियम के बारे में विरोध पक्ष के नेताओं से कहूंगा कि अगर आप बहुमत के आधार पर निलम्बन की बात को जल्दी-जल्दी मानेंगे तो यह चीज आपके पक्ष में हमेशा नहीं रहेगी। यह बहुत विवाद का प्रश्न नहीं है। मैं स्वयं तय करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

जैसे आप मुस्कराकर व्यवस्था देते हैं वैसे ही माननीय मुख्य मंत्री भी मुस्करा कर उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं जो व्यवस्था दूंगा, मुझे आशा है, उसे माननीय सदस्य भी मानेंगे और मुख्य मंत्री भी मानेंगे।

श्री प्यारेलाल के अनशन को समाप्त कराने के प्रयत्नों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि माननीय प्यारेलाल जो अनशन कर रहे हैं विधान सभा के सामने, उस संबंध में वे प्रयत्न करेंगे। उन्होंने प्रयत्न किया परन्तु वह अनशन खत्म नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी भारी लू में जिसमें आदमी झुलस रहा है, प्यारेलाल जी सड़क पर पड़े हुये हैं। उन्हें तीन दिन अनशन करते हुए हो गये परन्तु सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हुआ। मेरा निवेदन यह है कि अगर इसी तरह अनशन चलता रहा तो उनके प्राणों को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मैंने भी श्रीमन्, जाड़ों में १४ दिन तक अनशन किया है परन्तु दूसरी बार जब गरमी में अनशन किया तो चार दिन में ही मेरी हालत खराब हो गई। माननीय प्यारेलाल जी की हालत खराब है। किसी भी समय कोई बात हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के कार्य को रोक कर इस प्रश्न पर विचार किया जाय और यह बताया जाय कि अगर किसी मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी का कोई रुख नहीं है तो अपना निर्णय दें। यह भी बताना चाहता हूं कि मैं माननीय शिवराजसिंह जी के साथ मुख्य मंत्री के पास गया और मैंने उनसे निवेदन किया कि माननीय प्यारेलाल जी के अनशन को खत्म कराने के लिए वे सहानुभूति पूर्ण तरीके से

बातचीच करें या सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें । जहां तक मेरा सवाल है मैंने तो एक बात ही कही है । मैं उन बातों को नहीं मानता...

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न आपने थोड़ा बिलम्ब से क्यों उठाया ? माननीय अध्यक्ष ने कल इस संबंध में जरूर कहा था । उन्होंने क्या प्रयास कल इस संबंध में किया, मैं नहीं बता सकता । मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था । आपको मिलने के लिए कहा गया था । आपने कहा था कि आज मिलेंगे परन्तु आप स्वयं नहीं मिले । इसलिये अब आप समाप्त करें ।

(राजस्व मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, आपने आइटम ६ ले लिये हैं और आइटम ४ पर जो विशेषाधिकार से संबंधित है उसको छोड़ दिया है । हमारा विशेषाधिकार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस पर माननीय अध्यक्ष ने आज अपना निर्णय देने के लिए कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है, मगर उन प्रस्तावों पर अभी अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं । उनका निर्णय मेरे समक्ष तो आया नहीं । अध्यक्ष ही इस पर निर्णय लेते हैं । मेरे समक्ष उनका कोई निर्णय नहीं है । इसलिये मैंने आइटम ६ लिया ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, प्यारेलाल जी की देखभाल के लिए अभी तक कोई डाक्टर तक नहीं भेजा गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर तुरन्त निर्णय लें और उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर माननीय अध्यक्ष स्वयं प्रयत्नशील हैं । मैं समझता हूं कि वे कुछ कर रहे होंगे । मेरे समक्ष तो यह मामला आया नहीं, मैं उसमें क्या कर सकता हूं । आप अध्यक्ष महोदय से ही बात कर लीजिये ।

श्री सुखपाल पांडेय—

प्रयत्न के बाद भी डाक्टर नहीं पहुंचा है ।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

मैं एक छोटा सा व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । नियम यह है कि जब आप किसी माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा दें, आपकी दृष्टि उस पर पड़े, तभी उसको बोलना चाहिये । बिना आपकी आज्ञा के बोलना अनुचित है और इस से अव्यवस्था पैदा होती है । जो नियम है उनका पालन हो यह मैं चाहता हूं । बिना आपकी आज्ञा के कोई न बोले ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वैसा ही करता हूं । लेकिन व्यवस्था के बारे में जब तक मैं माननीय सदस्य की बात को सुन न लूं तब तक कैसे कहूं कि प्रश्न व्यवस्था का है या नहीं । लोक सभा में भी यही नियम है । यद्यपि व्यवस्था के नाम पर कभी दुरुपयोग होता है लेकिन जो गरमी का वातावरण कभी हो जाता है उसमें थोड़ा सा वक्त माननीय सदस्य ले ही लेते हैं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

मैं व्यवस्था के प्रश्नों के बारे में नहीं कहता।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, यह बड़ा गलत है कि मंत्रि परिषद् के लोग आप पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपस में यह छींटाकशी नहीं होनी चाहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि आप मेरी व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान दे दें तो इस सदन का कार्य बड़ी शांतिपूर्वक चला करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मेरे सामने नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, होता यह है कि आपकी जो कुर्सी है, उस पर चाहे जो बैठा हो, वह सर्वमान्य कुर्सी है। किन्तु यहां पर मंत्री लोगों की आदत पड़ गई है कि वे आप लोगों को उपदेश देने लगते हैं, जिससे हाउस गर्म हो जाता है। यदि ये उपदेश देना बन्द कर दें तो यह हाउस शांति से काम कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं किसी के उपदेश पर नहीं चलता हूं और न किसी का उपदेश ग्रहण करता हूं। मैं तो नियमों को ग्रहण करता हूं और उन्हीं के अनुसार सदन का कार्य चलाता हूं ।

आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद के गांव नगला भगौली में अग्निकांड के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री रामकिंकर)---

श्री हुकुम सिंह परिहार ने आगरा जिले की तहसील फतेहाबाद के गांव नगला भोगोली में २५ अप्रैल, १९७० को अग्निकांड की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है । जिलाधिकारी आगरा से इस अग्निकांड के संबंध में सूचना प्राप्त की गई जो संक्षेप में इस प्रकार है :---

उक्त ग्राम नगला भोगोली में गत २४ अप्रैल को आग लगी । अग्निकांड की सूचना मिलने पर संबंधित परगना अधिकारी व तहसीलदार घटना-स्थल पर पहुंचे । अग्निकांड से तीन घर पूर्णतः तथा २ घर अंशतः जल गये । अग्नि में एक आदमी और एक लड़की जल कर मर गये, अन्य ६ व्यक्ति घायलावस्था में अस्पताल में दाखिल किये गये । इनकी दशा में सुधार हो रहा है । गल्ला और पशुओं की कोई हानि नहीं हुई ।

प्रभावित लोगों को सहायता के लिए ५,००० रुपये आपदा तकावी तथा ४०० रुपये गृह निर्माण अनुदान स्वीकृत किया गया जिसमें से रिपोर्ट प्राप्त होने तक १,४०० रुपये आपदा तकावी तथा ४०० रुपये अनुदान बांटा जा चुका था । प्रभावित व्यक्तियों के सामने भुखमरी की समस्या नहीं है।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

मैं आगरा जिले से आता हूं, मेरे क्षेत्र की घटना है, इसको मैंने उठाया था । जो स्टेट मिनिस्टर प्रकाश नारायण गुप्ता हैं उनके साथ मैं उस गांव में गया था । मैंने देखा ६ घर जले हैं । जबकि इसमें ५ घर लिखा है जो कि पूर्ण रूप से जल गये हैं । वहां पर गल्ला भी जला है । इसमें लिखा हुआ है कि गल्ले का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो कि बिलकुल झूठ है । जो घर जले हैं, उनमें अवश्य गल्ला रहा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो बात आप मान कर चल रहे हैं कि रहा होगा । तो आपको इसके लिए 'झूठ' शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिये । आपको सत्य से परे कहना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह परिवहार---

मैं खुद गया हूं और देखा है। गल्ला जला है और रुपया भी जला है। उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है कि उनके लिये भुखमरी की कोई बात नहीं है । वह लोग भुखमरी के शिकार हैं । सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये । जो सहायता की गई है वह अपर्याप्त है। इससे उनको कोई राहत नहीं मिल सकती है । मेरा निवेदन यह है कि इस संबंध में उनका लगान माफ होना चाहिये, उनको घर बनाने के लिए अनुदान दिया जाना चाहिये । प्रति घर १०० रुपया जो उनको दिया गया है उससे घास-फूस की झोपड़ी भी नहीं बन सकती है । कम से कम एक हजार रुपया प्रति घर के हिसाब से उनको अनुदान मिलना चाहिये । उन्हें तत्काल तकावी और दूसरी सहायता मिलनी चाहिये । आशा है राजस्व मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे और जनता को आवश्यक सहायता देने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपने अतिरिक्त सूचना दी है, उसकी वह जांच करायेंगे । वक्तव्य तो उन्होंने दे दिया, इसके अतिरिक्त जो भी आपने कहा है उसे लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

यह वक्तव्य तो केवल सूचना मात्र है, इसमें यह भी होना चाहिये कि सरकार क्या करने जा रही है । सूचना तो मैंने ही दे दी थी । वक्तव्य में सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि सरकार उनकी क्या सहायता करेगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, १९६६ पर चर्चा

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन, १९६६ पर चर्चा आरम्भ करना चाहता हूं ।

यह मूल्यांकन समिति ३० जून, १९६४ को आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी और इसमें कई माननीय सदस्य भी मेम्बर थे, कई अधिकारी मेम्बर थे । इस समिति ने बड़े परिश्रम के साथ ३१ मार्च, १९६६ को सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। मान्यवर, इसमें कई तरह के बड़े ही अच्छे सुझाव हैं। इन सुझावों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे प्रदेश में १९६१ की जन गणना के अनुसार जन संख्या ७ करोड़ ३७ लाख रही है और उसमें अनुसूचित जातियों की संख्या एक करोड़ ६० लाख के करीब रही है। इस प्रकार कैसे कुल जन संख्या में २१ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की रही है । इन के प्रति-

[श्री माता प्रसाद]

रिक्त अनुसूचित जन जातियां, गैर अनुसूचित जन जातियां, विमुक्त जातियों और पिछड़ी जातियां भी जोड़ दी जाये तो इन की जन संख्या ५ करोड़ के करीब हो जाती है। इस तरह से इस रिपोर्ट का बड़ा महत्व है। मान्यवर, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों को हमारे देश की आत्मा कहा जा सकता है। ये जातियां हमेशा से शोषित-पीड़ित रही हैं। इनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का शोषण हुआ है।

जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमारे देश में संविधान बना और बालिग मताधिकार दिया गया और इन जातियों के सामाजिक आधिकार के संरक्षण की व्यवस्था की गयी तो इन जातियों में भावना पैदा हुई कि युगों-युगों से जो हम सताये हुये थे हमारे सुख का भाग्य उदय होगा और जो काली घटायें हमारे ऊपर छायी हुई हैं वह छिन्न-भिन्न होंगी। लेकिन २२ वर्षों में हम बहुत अंश तक सफल नहीं हुए। उनको जो संरक्षण दिया गया, अधिकारियों ने उनको काट कर दी। जिस प्रकार गुलामी के काल में अंग्रेजों के समय में भारतवासियों को अंग्रेज यह कह कर आजादी नहीं देते थे कि हिन्दुस्तान के लोग अयोग्य हैं। इनके हाथ में जब सत्ता जायगी तो देश के शासन को नहीं चला पायेंगे। ठीक वही दशा आपके अधिकारियों की है। यह कह कर कि स्टेबिल नहीं है हमारा संरक्षण किसी तरह से पूरा नहीं होने देते हैं, वह उनकी काट किया करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जब सरकार ने हमें ये संरक्षण दिये हैं तो मैं केवल यह चाहता हूं कि इनका कार्यान्वयन होना चाहिये। १९३७ से ले कर अब तक बहुत से संरक्षणों के विषय में सरकारी आदेश निकले हुए हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि उन आदेशों का पालन किसी रूप में नहीं हो रहा है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कई तरह की समस्यायें हैं। सबसे पहले मैं हरिजन जातियों के छात्रों की समस्याओं के संबंध में कहना चहता हूं। सरकार ने शिक्षा के संबंध में सुविधायें दी लेकिन प्रवेश के समय बहुत सी टैक्निकल संस्थाओं में, जैसे मेडिकल या कृषि इंजीनियरिंग, या दूसरी तरह की संस्थायें हैं उनमें संरक्षण न होने से हरिजन जातियों का प्रवेश नहीं हो सकता है। सरकार से मैं चाहूंगा कि वह इस तरह की व्यवस्था करे। इन संस्थाओं में भी इनका प्रवेश हो सके।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है इन हरिजन छात्रों के सम्बन्ध में कि उनको छात्रवृत्तियां समय से नहीं मिल पाती हैं। इसमें ज्यादा निदेशालय का दोष तो नहीं होता है। छात्रों के आवेदन पत्र या तो समय से नहीं मिल पाते हैं या अधूरे रह जाते हैं जिससे पूरा-पूरा लाभ उन छात्रों को नहीं मिल पाता है। इस विषय में सरकार को कदम उठाना चाहिये। इसके अलावा जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं जैसे जिला परिषद् या अन्य लोकल बाडीज उनकी ओर से भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। जिले में जो हरिजन कल्याण समिति होती है उसके द्वारा इन छात्रवृत्तियों का वितरण होना चाहिये। १५ साल पहले की एक निश्चित दर के अनुसार ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मेरा निवेदन है कि छात्र पहले से कई गुना बढ़ गये हैं लिहाजा मेरा निवेदन है कि छात्रवृत्तियों में भी वृद्धि होना चाहिये जैसा कि इस रिपोर्ट में पृष्ठ ४४ से ४६ तक समिति ने भी सिफारिश की है कि किन-किन कक्षाओं में कितनी छात्रवृत्तियों की वृद्धि होनी चाहिये।

मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि १०वीं कक्षा के नीचे यह व्यवस्था रही है कि जिन अभिभावकों की आय २५० रुपये से ऊपर है उनके बच्चों की फीस लगती है। भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिये यह सीमा ४०० रुपये है। इसमें भी कम से कम १०वीं कक्षा के नीचे सीमा ३०० रुपये होनी चाहिये और ५०० रुपये की सीमा होनी चाहिये उन छात्रों के लिये जो भारत सरकार की छात्रवृत्ति पाते हैं। हरिजन छात्रावास कई संस्थाओं के जरिये से चलाये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि संस्थाओं की ओर से छात्रावास न चला कर सरकार की ओर से चलाये जांय और इसके लिये समिति ने बड़ी अच्छी सिफारिश की है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जन जातियों के विषय में या उनके लिये रोजगार के विषय में । सबसे पहले मैं नौकरियों के विषय में कहना चाहता हूं । २० साल के प्रयास के बावजूद चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी की जगहों पर भी उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका है । फर्स्ट क्लास और सैकिंड क्लास की पोस्ट्स तो जाने दीजिये । सरकार को चाहिये कि जितने भी जी० ओ० इस विषय में निकले हैं उनको पुस्तक के रूप में संकलित कर छपवा दे और विभाध्यक्ष, कमिश्नर, जिलाधीश तथा सभी लोगों के पास यह राजाज्ञा भिजवा दे उनको कार्यान्वित करने के लिये.....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

व्यवस्था का प्रश्न है । जिस विषय पर चर्चा हो रही है क्या इसकी रिपोर्ट सदस्यों में वितरित की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह चर्चा हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन, १९६६ पर है ।

श्री सुखपाल पांडेय--

इस समिति का प्रतिवेदन सदस्यों में वितरित नहीं किया गया है । जब तक वह वितरित न हो जाय तब तक उस पर विचार सदन में नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे सचिवालय की सूचना है कि यह बंटी है । किसी माननीय सदस्य के पास न हो तो उनको दे दी जायगी । माता प्रसाद जी के भाषण के बाद मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसके बारे में विशद व्याख्या कर दें । बड़ी लम्बी रिपोर्ट है । फिर उसके बाद माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि जब यह रिपोर्ट १९६६ में सदन में पेश कर दी गई थी । तो इसमें प्रतिवेदन में जो सिफारिशें समिति ने की थीं उसमें से कितनी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है, कितनी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और कितनी सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना है और उसके कारण बताये हैं इन सब बातों को यदि वे एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सदन में दे दें तो उससे इस सदन को सुविधा मिलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात का खुलासा रख दें ताकि जिन माननीय सदस्यों को किताब न मिली हो उनको भी सुविधा हो सके ।

श्री माता प्रसाद---

श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था वे १३ मार्च, १९७० को माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री इन्द्रलाल के प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि हमारे प्रदेश में आई० ए० एस० की कुल २९१ की संख्या में २१, आई० पी० एस० में २३३ में १२, पी० सी० एस० में ५२९ में, ५७ भूगर्भ खनिज में ३५ में शून्य, विलेज एण्ड टाउन प्लानिंग में प्रथम १३ व द्वितीय श्रेणी के १९ में शून्य, अर्थ एवं संख्या में ६९ में शून्य, सूचना विभाग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में ४, ३, ४५ में शून्य, अन्य सिंचाई अभियन्ता प्रथम ६३ व द्वितीय १० में शून्य, जिला पूर्ति अधिकारी २५ में शून्य, राशनिंग में ५१ में शून्य, मारकेटिंग में ४७ में शून्य, उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में ४३ में शून्य, निजी

[श्री माता प्रसाद]

सचिव सेवा में २५ में शून्य, परिवहन एवं पर्यटन में ४ प्रथम व ६ द्वितीय में शून्य, सहायक परिवहन अधिकारी १४ में शून्य, सहायक विद्युत् निरीक्षक १९ में शून्य ।

मान्यवर, ये आंकड़े हैं जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिये थे । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक आदेश दिया था कि चतुर्थ श्रेणी में ४५ फीसदी रिजर्वेशन कर दिया गया है और तृतीय श्रेणी में २५ फीसदी रिजर्वेशन कर दिया है । किन्तु मान्यवर, रिजर्वेशन कर देने से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, इससे इन जातियों का कल्याण होने वाला नहीं है । अगर उस आदेश का पालन नहीं होता है, उस आदेश का कार्यान्वयन नहीं होता है तो फिर वह रिजर्वेशन हमारे कोई काम का नहीं है । मान्यवर, मैं सरकार से चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन के आदेश हैं उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हरिजन जाति के अधिकारी होते हैं उनके लिये प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिये ।

एक बार मद्रास सरकार ने इसको किया था । वहां की सरकार ने परमोशन में रिजर्वेशन दिया था । उसका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ उस समय चीफ जस्टिस माननीय गजेन्द्रगडकर थे । उन्होंने यह व्वयस्था दी थी कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है और हरिजनों को परमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिये । तो मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परमोशन के समय भी हरिजनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिये । जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन है और उसी प्रकार से बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं, लोकल बाडीज हैं या अर्द्धसरकारी संस्थायें हैं जिनको सरकार अनुदान या ऋण देती है, जिनको सरकार मान्यता देती है उन सभी के लिये श्रीमन् यह नियम लागू होना चाहिये । जो संस्थायें किसी भी रूप से सरकार से सम्बद्ध हैं और नियम का पालन नहीं करती हैं तो सरकार ने जो नियम उनके लिये बनाये हैं उन नियमों को नहीं पालन करते सरकार को उनका रिकगनेशन या अनुदान छीन लेना चाहिये । इसी तरह से मैं आपकी सेवा में यह कहना चाहता हूं कि हरिजन अधिकारियों की करेक्टर रोल में इस प्रकार की एन्ट्रीज दी जाती हैं, किसी द्वेषवश जिससे वे आगे प्रमोट नहीं हो पाते । मैं चाहूंगा कि हरिजन अधिकारियों के प्रति जो द्वेष और घृणावश प्रविष्टियां की जातीं हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देकर कार्यवाही करनी चाहिये ।

११ अगस्त, १९६९ को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को हमारे इसी सदन के ३६ कांग्रेसी हरिजन विधायकों ने आवेदन पत्र दिया था तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ मांगे भी की थीं कि हरिजनों का जो रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है, उस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया जाय । उसके बारे में क्या हुआ, यह तो मालूम नहीं उस रिजर्वेशन का पालन होना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी को जो और सुझाव दिये थे वह इस प्रकार थे कि जो भी कमिश्नर, विभागाध्यक्ष अथवा जिलाधीश आदि सम्बन्धित अधिकारी हैं, जिन जिन के विभागों में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा हो जाय उनको गुड़ ऐन्ट्री दी जाय और जो रिजर्वेशन अपने विभागों में पूरा न कर सकें, उनको बैड ऐन्ट्री दी जाय । इससे रिजर्वेशन के नियम का बहुत अंशों तक पालन होने लगेगा ।

दूसरा सुझाव हमारा यह था कि जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का सृजन किया जाय जिसमें हरिजन विधायक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता तथा डिप्टी कलेक्टर भी हों । वे छानबीन करें कि पूरे जिले में कहां-कहां नियुक्ति होती हैं और उनमें हरिजन क्यों नहीं रखे जाते । वह कमेटी उन कारणों को देखकर उसके बारे में कार्यवाही करे । इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में प्रदेश में एक कमेटी बनायी जाय जिसमें एक हरिजन डिप्टी सेक्रेटरी रखा जाय और जिसका सम्बन्ध सीधे मुख्य मन्त्रीजी से हो । वह हर विभाग से आंकड़े मंगाये और हर तीसरे महीने एक रिपोर्ट तैयार करे । वह देखे कि किस प्रकार से सरकार के इस आर्डर का पालन किस विभाग में नहीं किया जाता है । अगर कहीं नहीं हो रहा है तो उस विषय

में विभागों को अपने सुझाव दे । संसद में साल में एक बार शिड्यूल कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होती है । मैं चाहता हूं कि उसी प्रकर से एक वर्ष में एक बार इस कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पेश होनी चाहिये और उस पर विचार-विमर्श किया जाय । इस वर्ष की जो भारत सरकार के शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट थी, उसके लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे हैं ।

इसी सिलसिले में भूमि समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । रिपोर्ट के पृष्ठ १६२–१६३ पर यह स्वीकार किया गया है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५२ की धारा १९८ में यह दिया हुआ है कि गांव सभाओं की परती, बंजर भूमि को किस प्रकार से बांटा जायगा । उसमें जो प्राथमिकता दी हुई है उसमें पशुओं के चारागाहों को सबसे पहले रखा है । यह कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य को पशु के बराबर भी स्थान नहीं दिया गया । लेकिन उस प्राथमिकता का भी पालन नहीं हुआ । हाउस में यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि हरिजनों और भूमिहीनों को वह जमीन नहीं मिल पायी । लोग तिकड़म करके अपने परिवार वालों को भूमिहीन बना देते हैं और उनके नाम पट्टे करा लेते हैं । क्योंकि उसमें केवल शब्द भूमिहीन है जिसके परिवार में ५० एकड़ जमीन भी है और उसके लड़के के नाम में अगर जमीन नहीं है तो उसको भी लोग भूमिहीन दिखा देते हैं । अगर भूमिहीन खेतिहर शब्द उसमें रहे होते तो यह बात न हो पाती । इसलिये सरकार को यह देखना चाहिये केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ही यह जमीन मिले और जिन्होंने तिकड़म से अपने नाम फर्जी पट्टे करा लिये हैं उनके पट्टे रद्द कर दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी की धारा ८(२) (अ) में यह दिया हुआ है कि हरिजनों की आबादी के लिये जमीन रखी जायगी और उनको भूमि आबादी के पास ही दी जायगी । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्याओं पर नये सिरे से विचार किया जाय । हरिजनों की समस्याओं को सुलझाने के लिये उनको भली प्रकार से इसकी समीक्षा करनी होगी कि किस प्रकार से उनका कल्याण हो सकता है ।

अभी हमने अखबारों में पढ़ा है कि हरियाने में एक हरिजन कारपोरेशन बनाया गया है जिसके द्वारा हरिजनों को मकान बनाने के लिये, रोजगार में लगाने के लिये, दूकानदारी के लिये, छोटे-मोटे उद्योग–धंधे लगाने के लिये बिना सूद या नामिनल सूद पर लम्बी अवधि का ऋण दिया जाता है । ऐसा ही अपने यहां भी किया जाना चाहिये । क्योंकि यहां पर जो मकान आदि के लिये हरिजनों को अनुदान दिया जाता है, उससे एक तो हरिजनों में हीन भावना पैदा होती है दूसरे लोगों में इस प्रकार भी भावना पैदा होती है कि हरिजनों को बहुत रुपया दिया जाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां पर भी इसी प्रकार के कारपोरेशन की स्थापना की जाय ।

इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ११९ पर माननीय नारायण दत्त जी का एक सुझाव है वह इस प्रकार है—"श्री नारायण दत्त तिवारी, उपाध्यक्ष, राज्य मूल्यांकन परिषद् ने ३० सितम्बर, १९६५ को इस सम्बन्ध में समिति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया । उनका विचार था कि राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद् और जिला स्तर की सलाहकार समितियों के पास हरिजन कल्याण कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये वांछित अधिकार, बल एवं क्षमता नहीं है । अतएव वर्तमान परामर्शदात्री परिषद् व समितियों के स्थान पर संबंधित (स्टेटुटरी) परिषद् व समितियां होनी चाहिये । यह परिषद् यथासम्भव स्वायत्तशासी (आटोनामस) हों ताकि हरिजन कल्याण के लिये शासन द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति करने में यह समर्थ हो सके । इस परिषद् को ऐसे अधिकार दिये जायें कि वह उसे सौंपे गये कार्यों को सुचारुरूप से पूर्ण करने के लिये आवश्यक संयंत्र (मशीनरी) की व्यवस्था स्वयं करे, इन कार्यों के लिये धन इकट्ठा कर सके, भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति जुटाये और साथ ही औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों से भी

[श्री माता प्रसाद]

ऐसे अनुबन्ध कर सके कि समाज के इन कमजोर वर्गों के पुनर्वास तथा प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध हो जाय। जिला स्तर की समितियां इस स्वायत्त शासी परिषद् का एक अंग हों और परिषद् द्वारा स्थापित संयंत्र के माध्यम द्वारा जिलों में हरिजन कल्याण कार्य को प्रभावशाली ढंग से सम्पादित कर सकें।"

मान्यवर, जैसा कि मैंने सुझाव दिया, सरकार को एक कारपोरेशन इस प्रकार का बनाना चाहिये। वे चाहें तो अनुदान न दें, थोड़ा बहुत देना चाहते हों तो भले ही दे दें। लेकिन उससे कुछ अधिक भला हरिजनों का होने वाला नहीं है। सही रूप में अगर आप हरिजनों का कल्याण चाहते हैं तो इस प्रकार के निगम की स्थापना अवश्य ही होनी चाहिये। भला इस तरह से क्या हरिजनों का कल्याण हो सकेगा कि किसी जिले में ४ किसी में ६ और किसी में एक मकान बनाने के लिये अनुदान दे दिया गया।

गांधी शताब्दि अभी-अभी मनायी गयी थी। कितने दुख की बात है कि हरिजनों के लिये पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यह हमारे लिये और समाज के लिये कितनी लज्जा की बात है। हरिजनों की आर्थिक दशा जैसी भयंकर अंग्रेजों के जमाने में थी वैसी ही भयंकर आज भी बनी हुई है। मान्यवर, अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश में बड़ी परेशानी की स्थिति पैदा होगी। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिये सरकार कदम उठाये। मान्यवर, अगर इस तरफ कदम नहीं उठाया जाता तो इतिहास माफ नहीं करेगा।

जिलों के अन्दर जो हरिजन कल्याण अधिकारी विभाग की तरफ से रखे जाते हैं उसके विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हरिजनों के कल्याण के लिये हरिजन कल्याण अधिकारी जिलों में रखे गये हैं। यह हरिजन कल्याण अधिकारी जो होते हैं इनका ग्रेड २५० से ५०० तक होता है। एक जिले के अन्दर ५०, ६० इन्टरमीडिएट कालेज होते हैं। हरिजन कल्याण अधिकारी हर एक इन्टरमीडिएट कालेज के प्रिन्सिपल के पास जाकर रिकार्ड देखना चाहता है कि कितने हरिजन विद्यार्थी वहां पर हैं। इसी तरह से बी० डी० ओ० उनसे ज्यादा तनख्वाह पाता है। ये स्कूलों के प्रिन्सिपल भी उनसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। जिले का हरिजन कल्याण अधिकारी कम तनख्वाह पाता है। इस हरिजन कल्याण अधिकारी की भी वही दशा है जो समाज के अन्दर हरिजनों की है और जो कर्मचारियों में हरिजन कर्मचारी की दशा है। शुरू में जिलों के अन्दर जो हरिजन कल्याण अधिकारी बनाये गये हैं वे दूसरे जिले के स्तर पर जो अधिकारी थे उनके समान ही उनका वेतन भी था। एग्रीकल्चर अफसर, स्टेटिस्टिक्स अफसर, निबन्धक आदि जो इस तरह के अधिकारी थे जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो सभी का एक ग्रेड रखा गया था। अब इन अफसरों का तो ग्रेड ३०० से ९०० कर दिया गया है। इन हरिजन कल्याण अधिकारियों का ग्रेड भी इन अफसरों के समान ही कर दिया जाय जिससे वह कालेजों में जाकर या दूसरी जगह जाकर कामों की देख-रेख कर सकें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एजूकेशन कोड में भी संशोधन किया जाना चाहिये और इन हरिजन कल्याण अधिकारियों को निरीक्षक की तरह से अधिकार दिया जाय ताकि वह हरएक शिक्षा संस्था में जाकर निरीक्षण कर सकें। कभी-कभी हरिजन कल्याण अधिकारी जाते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर प्रिन्सिपल साहब की कृपा हुई तो स्कूल का रिकार्ड देख सकते हैं लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब नाराज हुये तो वह उनको रिकार्ड नहीं दिखाते हैं। हमारे जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस तरह से झगड़े हुये हैं। दो कालेजों का मामला चल रहा है जिन्होंने फर्जी रुपया झूठे लड़कों के नाम पर ले लिया था। दो कालेजों पर मुकदमें चल रहे हैं लेकिन यह हरिजन कल्याण अधिकारी असहाय हो जाता है। इसलिये हरिजन कल्याण अधिकारी के हाथ में इस तरह के अधिकार दिये जायं कि जब शिक्षा संस्थाओं को ग्रान्ट दी जाती है वह ग्रान्ट उस समय तक न दी जाय जब तक कि हरिजन कल्याण अधिकारी उसकी सिफारिश न करे कि अमुक शिक्षा संस्था में हरिजन बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया है। जब यह सिफारिश कर दे तब उन संस्थाओं को ग्रान्ट

दी जानी चाहिये । इसी तरह की समस्या छुआछूत की है । यह कानून भी सन् १९५५ का बना हुआ है । ऐसा छूआछूत करने वाला दंडनीय है लेकिन एक भी मामला हामरे प्रदेश में छूआ-छूत का नहीं चलाया गया । मैं चाहता हूं कि सरकार हरिजन कल्याण अधिकारी के हाथ में मैंजीस्टीरियल पावर दे । उसको समरी ट्रायल का अधिकार दे तो तब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं ।

इसी तरह का एक और सुझाव देना चाहता हूं । इस कमेटी की रिपोर्ट के आखिर में है । हरिजन कल्याण अधिकारी के पास एक तरह से समुचित धन की व्यवस्था होनी चाहिये । अगर कहीं पर आग लग जाय, कहीं पर बाढ़ आ जाय या कोई आपत्ति किसी तरह से हरिजनों के ऊपर आ जाय तो वह तत्काल सहायता उनको दे सके । तो सरकार एक मुश्त रकम उनके पास रखे । इसी तरह से हरिजन विभाग में सुपरवाइजर होते हैं । वह एक लाख की आबादी पर रखे जाते हैं । एक लाख की आबादी पर एक सुपराइजर रहता है । १ करोड़ ६० लाख जो हरिजन हैं । बाकी अनुसूचित जाति और दूसरी जातियां हैं । १७६ सुपरावइजर कुल आपने रखे हैं । जब एक लाख की आबादी पर एक आदमी काम करता है तो १७६ सुपरवाइजर इतनी बढ़ी संख्या पर कैसे काम कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि कम से कम हर तहसील में एक हरिजन सुपरवाइजर रखा जाय । सुपरवाइजरों की दो श्रेणियां हैं । इनको खत्म कर के सभी को कम से कम ग्राम सेवक का तो वेतन दिया जाय । ५ या १० गांवों का एक ग्राम सेवक होता है जबकि हरिजन कल्याण सुपरवाइजर डेढ़ या दो तहसीलों को देखता है । तनख्वाह उसकी बहुत थोड़ी है । उसका निश्चित भत्ता १५ या २० रुपये है । एक लाख हरिजनों को देखने के लिये कोई दूसरा उसके पास साधन नहीं है । तो कम से कम इनको ग्राम सेवक के इतना वेतन तो दिया ही जाना चाहिये ।

इसी तरह से जिला स्तर पर जो कर्मचारी हैं स्कालरशिप, रिइम्बर्समेंट और दूसरे कामों के लिये उनकी संख्या आज भी उतनी ही है जितनी कि आज से १५ साल पहले थी जबकि आज उनके काम में कई गुना वृद्धि हो गयी है । हरिजन कल्याण विभाग के लिपिकों के बारे में रिपोर्ट में है कि हर जिले में एक ज्येष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक तथा एकाउन्टेन्ट हो । तो जब तक जरूरत के मुताबिक कर्मचारी नहीं रखेंगे हमारा काम नहीं हो सकता ।

इसी तरह से निदेशालय के स्तर पर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में जब समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का समन्वय किया गया था तो एक निदेशक बनाया गया था लेकिन आज भी हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों का कैडर अलग है । समाज कल्याण के कर्मचारी निदेशालय में ज्यादा वेतन पाते हैं और हरिजन कल्याण के कर्मचारी कम वेतन पाते हैं । हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों की जो स्थिति १५ साल पहले थी वही आज भी है जबकि उनका काम कई गुना बढ़ गया है । तो निदेशालय में भी असिस्टेंट्स की संख्या बढाई जाय और जो इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों के वेतन में असमानता है वह दूर की जाय । हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों का समाज कल्याण विभाग में प्रोमोशन नहीं हो सकता है । इन कारणों से हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारियों में बड़ा असंतोष फैल रहा है ।

इसी तरह से मैं निदेशालय के स्टेटस के विषय में कहना चाहता हूं । जिस तरह से आज हरिजनों की दशा है उसी तरह से अन्य निदेशालयों के मुकाबले में हमारे निदेशालय की भी दशा है । इसके स्टेट्स में वृद्धि होनी चाहिये । आई० ए० एस० अफसर तो ठीक है कि डायरेक्टर हो, एक वहां अतिरिक्त निदेशक भी होना चाहिये काम को देखते हुये । आजकल प्रथा यह चल रही है कि पी० सी० एस० या दूसरे अधिकारी भी निदेशक या सहायक निदेशक के पद पर रख दिये जाते हैं । मैं चाहता हूं कि जो बहुत दिनों से सहायक निदेशक या असिस्टेंट निदेशक के पद पर काम कर रहे हों और जिनका काम अच्छा हो उनको प्रोमोशन दे कर उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाय । इससे जिला स्तर और निदेशालय स्तर पर हमारे काम में बहुत सुधार होगा ।

[श्री माता प्रसाद]

मैं आपकी सेवा में पुनः दोहराना चाहता हूं कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३६,५८,९१६ व्यक्ति लाभान्वित हुये यानी १८,७२६ परिवारों को लाभ मिला। ४०,१६३ परियोजनायें चलायी गयीं। और १४,२७९ मकान बनाये गये, १३,२९८ कुयें बने और ४,८८० हैन्ड पाइप लगे। इस प्रकार इस काम के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह समुद्र में बूंद के समान होता है और इससे हरिजनों का उत्थान नहीं होता। एक दिक्कत और होती है, जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों सरकार की ओर से चार मकानों के लिये एक जिले में अनुदान दिया गया जिसकी जनसंख्या साढ़े तीन लाख है और ४ मकान ४ गांव में। अगर आप इन मकानों की ग्रान्ट बन्द कर दें और एक हरिजन छात्रावास बनायें, तो रिजरवेशन तो थोड़े समय में खत्म होने वाला है, तो इसके बजाय कि जिले भर में १०-५ लोगों की सहायता की जाय उससे अच्छा है कि छात्रावास में गरीब लड़के तो पढ़ेंगे। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इन जातियों में बड़ा ही असंतोष बढ़ रहा है, गरीबी काफी बढ़ रही है। इन वर्गों में शिक्षितों की संख्या काफी बढ़ रही है। वैसे मैं सरकार को बधाई दूंगा कि इनके प्रयत्न से शिक्षा काफी बढ़ी है, लेकिन हरिजनों का अधिकांश वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, जो पढ़ लेते है उन्हें नौकरी नहीं मिलतीं घरेलू काम नहीं कर पाते हैं और हलवाहे या मजदूरी का काम भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव है कि सर्वेक्षण कराया जाय खासकर पूर्वी जिलों में कि जिन लोगों के पास खेती नहीं है, नौकरी में परिवार में से कोई न हो, जीवन निर्वाह का साधन न हो तो उस परिवार में कम से कम एक नौकर तो हो, चाहे उसे चतुर्थ श्रेणी की ही नौकरी क्यों न मिले। वरना आज नक्सलवादी प्रवृत्तियां उभर रही हैं। भूमिहीन को जमीन नहीं मिल पाती। किसी किसी के पास तो ४-४, ५-५ व्यवसाय के साधन हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे रोजी का कोई धंधा नहीं है (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री माता प्रसाद--

तो मरता क्या न करता, "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्"। आज बंगाल, बिहार में, दूसरे प्रदेशों में भयानक स्थिति पैदा हो रही है। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको नक्सलवादी कहते है वह ऐसे ही भूमिहीन और व्यवसायहीन लोगों में स्थान जमाते हैं। हमारे प्रदेश में तराई के हिस्से में बहराइच में ये प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पता लगाया तो वहां एक व्यक्ति के पास ४-४ सौ, दो-दो हजार एकड़ खेती है। जो गरीब बहुत दिनों से आबाद थे या जोत रहे थे उनको हटा दिया गया। तो सरकार को सोचना चाहिये कि प्रदेश के और हिस्सों में जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं वह प्रदेश के लिये ही नहीं, देश के लिये और जनतंत्र के लिये बड़ी खतरनाक है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्राविधान होना चाहिये जिससे हर परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम एक काम मिल जाय। जिनके पास खेती या निर्वाह जीवन के साधन ह उनकी अपेक्षा ऐसे लोगों को जिनके पास कोई जरियामाश नहीं है, वे चाहे किसी जाति के हों, उन गरीबों को मान्यवर एक नौकरी जरियेमास के लिये दी जानी चाहिये। इसके लिये सरकार को सर्वेक्षण कराना चाहिये। अन्त में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हरिजन हमारे समाज के एक बड़े कमजोर से अंग हैं और उनके हित के लिये ही सरकार ने संविधान में व्यवस्था की है। प्रतिवेदन के पृष्ठ २० पर उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार एक दीर्घकालीन रोगग्रस्त और पर्याप्त पोषण के अभाव से पीड़ित व्यक्ति को रोग से मुक्ति और पुनः शक्ति संचित करने के लिये तब तक विशेष चिकित्सा और परिचर्या की आवश्यकता होती है जब तक वह समाज

के सामान्य लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के योग्य न हो जाय, इसी प्रकार का दृष्टि-कोण हरिजन कल्याण सम्बन्धी विशेष योजनाओं के लिये भी होना चाहिये ।

तो मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सर्विसेज में संरक्षण किया गया है हमारे बहुत से भाई उसका विरोध करते हैं । श्रीमन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह समाज युगों से पीड़ित रहा है । अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो कम से कम जियो और जीने दो इस तरह की चीज करनी चाहिये । यह जो संरक्षण दिया गया है उसका कड़ाई के साथ पालन होना चाहिये । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सर्विसेज के सम्बन्ध में जो आदेश दिये गये है उनका कड़ाई से पालन हो और जो अधिकारी उनका पालन न करें उनको दंडित किया जाय और इसी तरह स भूमि देने के सम्बन्ध में जो १९५२ का भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन कानून है या चकबन्दी और अधिकतम जोत सीमा अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है वह लागू होनी चाहिये। इसमें १६१–१६२ में लिखा है कि जो हरिजन है, जो भूमिहीन है उनको मान्यवर जमीन दी चानी चाहिये । मान्यवर, जब यह कानून बना तो उस समय हमें यह आशा थी कि हमें जमीन काफी मिलेगी १४ लाख एकड़ की बात थी, लेकन यह चीज कागज पर ही रह गई । डेढ़ लाख एकड़ भूमि बंटी और उसमें भी हरिजनों को नहीं मिली ।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब सदन में घोषणा की गई कि बिल आने वाला है जिसमें भूमि की अधिक सीमा ३० एकड़ रखी जायगी तो मान्य-वर हमने उनका स्वागत किया था । सरकार को अपने वचन से अब पीछे नहीं हटना चाहिये । विधायकों ने तो यहां तक कहा था कि इसकी सीमा २० एकड़ होनी चाहिये । हम चाहते है कि यह अधिकतम जोत सीमा बिल आना चाहिये, सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिये । हर पार्टी के विधायकों में हमारी बात हुई थी उसमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो इसकी खिलाफत करते हों । और अधिकांश सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों चाहे जिस भी दल के हों सभी चाहते है कि यह सीलिंग आये । तो मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बिल को जरूर लाना चाहिये और उससे जो जमीन बचे उसे वास्तव में जो भूमिहीन है, खेतिहर मजदूर है, जो गरीब हैं उनको मिलनी चाहिये और ऐसे लोग जिन्होंने, मान्यवर, अनधिकृत रूप से यह अवधानिक रूप से जमीनों पर कब्जा कर रखा है या गलत ढंग से पट्टे करवा रखे हैं उनके पट्टों को कैंसिल किया जाय ।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं । इसी सदन में श्री श्रीपति जी जो हमारे राजस्व मंत्री थे उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत मिली कि कुछ भूमिहीनों के जो पट्टे हो गये थे जब सरकार से आदेश गये तो उनको भी कैंसिल कर दिया गया । अगर कहीं खेतिहर मजदूर को पट्टा दिया गया है तो उसको खारिज न किया जाय लेकिन ऐसे पट्टे जो भूमि वालों ने तिकड़म करके अपने नाम करा लिये है उनको जरूर खारिज किया जाय । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार एक निगम की स्थापना करे जो नये सिरे से हरिजनों के कल्याण के लिये योजनायें चालू करे । जो हरिजन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार होता ह उस पर विचार करे । श्रीमन् हमारे बहुत से अधिकारी हैं उनके प्रोमोशन के बारे में कह दिया जाता है है कि उसके लिये नियम नहीं है लेकिन जब सुपरसेशन की बात होती है तो हरिजनों को ज्यादा सुपरसीड किया जाता है । मान्यवर ६०० से १,२५० के स्केल में पी० सी० एस० के जो अधिकारी थे उसमें २४१ अधिकारी सीनियारिटी के लिये चुने गये । उसमें २६ हरिजन अधिकारी थे जिनमें से १० को सुपरसीड कर दिया गया । जब सुपरसेशन की बात आती है तो उनको ४० प्रतिशत से ज्यादा सुपरसीड कर दिया जाता है और प्रोमोशन नहीं हो पाता ।

मेरा निवेदन है कि इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे और खासतौर से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बात मैं कहना चाहता हूं । और पदों के लिये तो कह दिया जाता है कि सूटेबुल कैन्डीडेट नहीं आये । आज वह पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालीफाई कर रहे हैं और आप उन्हें सुटेबुल के नाम पर भले निकाल दें किन्तु श्रीमन् चपरासी में कौन सी योग्यता

[श्री माता प्रसाद]

चाहिये। इसमें सबसे बड़ी योग्यता यह है कि कर्मचारी और अधिकारी यह चाहते हैं कि ऐसा चपरासी उनको मिले और वह उसके घर का खाना बना सके, पानी भर सके, कपड़ा कचार सकें और बर्तन मांज सके। इस तरह के चपरासी को अफसर पसन्द करता है। मान्यवर, इसका परिणाम यह होता है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस पद पर भी नहीं रखा जाता और अगर रखा भी गया तो किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे वह कर्मचारी हों, अधिकारी हों उनके साथ अन्याय होता है, राजनीति में भी अन्याय होता है और सर्वत्र हरिजनों के साथ अन्याय होता है। इसके लिये यह जरूरी है कि जो व्यवस्थायें हरिजनों के लिये है उन पर सरकार ठंडे दिल से विचार करे और इनकी समस्याओं पर नये सिरे से विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन चर्चा के लिये आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे माननीय सदस्य माता प्रसाद और अन्य सदस्यों न चाहा था। जैसा कि अभी आपने सुझाव दिया कि दो खंड में प्रतिवेदन है जिसमें ३७६ संस्तुतियां है, १७ परिशिष्ट है तो जैसा माननीय राम सिंह जी ने सुझाव दिया कि सरकारी पक्ष की ओर से भी उनकी संस्तुतियों को कहां तक अमल में लाया गया और कौन सी व्यवहार में नहीं आ पाई है पर प्रकाश डालने के लिये कहूं और उसके बाद चर्चा हो। यह मुझे भी सुविधाजनक ढंग से चर्चा का लगा है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, इस प्रतिवेदन को जो मैं पढ़ पाया हूं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो विचाराधीन है उससे वह काम ले रहे हैं या नहीं? इसका आश्वासन तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये ही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समिति का प्रतिवेदन बंट चुका है और उसी के आधार पर आपने चर्चा की मांग की है। जिन सदस्यों को उसकी प्रति नहीं मिल सकी है उनको दे दी जायेगी यद्यपि यह पहले ही बांट दी गई है। यदि आप अपने कागजों में इसको देखें तो यह आपको अवश्य वहां मिल जायेगी।

*पशुपालन उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री राम सिंह जी ने कहा इस प्रतिवेदन में ३७५ संस्तुतियां हैं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, सरकारी पक्ष से तो कहा जा चुका है अब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

१३ सदस्यों के द्वारा चर्चा की मांग की गई है। अब सरकारी दृष्टिकोण से सदन को अवगत कराने के लिये मैंने कहा है।

श्री गुलाब सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि यह जो मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट है, यह सही है कि उसमें संस्तुतियां की गई हैं जो ३७५ हैं, और काफी है। मान्यवर, इसमें शासन

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

की ओर से सरकार की ओर से जो कार्यवाही की गई है वह संक्षेप में आपके माध्यम से सदस्यों के सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर शासन की ओर से जो सिफारिशें कार्यान्वित हो रही हैं वह ७३ हैं और जिन पर आंशिक रूप से कार्यवाही हो रही हैं वह २५ हैं और जो विचाराधीन हैं वह २२४ हैं और सिफारिशें जिन पर अभी कार्यवाही नहीं की जा सकी हैं वह ५३ हैं। मान्यवर, यह समिति ३० जून को गठित हुई थी और इस समिति ने १९ सितम्बर से ३ मई, ६५ तक ७४ बैठकें कीं और १० जिलों का भ्रमण किया। उसके बाद एक उपसमिति गठित की गई जिसने १९ जिलों का भ्रमण किया, ५३८ व्यक्तियों का साक्ष्य लिया और ५१२ व्यक्तियों परामर्श किया। इसकी पांच उप-समितियां थीं।

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि संस्तुतियां संख्या २, १५, २७, २८, ३०, ३२, ३७, ३८, ४२, ४३, ४९, ५३, ६१, ६२, १०४, १०५, १०६, ११७, १५६, १८८, २१७, २३३, ३३३, ३३४ हैं। यह नहीं है कि शासन इन पर कार्यवाही नहीं करना चाहता है परन्तु धन के अभाव के कारण इन पर विचार नहीं हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री विकल जी ने कहा कि हर बात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये रखी गई है यह तो, श्रीमन्, आप जानते हैं और विकल जी भी जानते हैं कि जो भी कार्य होता है वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ७२० लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। ३७५ लाख रुपया केन्द्र द्वारा निर्धारित योजनाओं के लिये है। इसके साथ-साथ हर वर्ष जो व्यय करना पड़ता है वह साढ़े चार करोड़ रुपये का है। अगर सब को मिलाकर देखें तो प्रति वर्ष हरिजनों के उत्थान के लिये सात करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है।

मान्यवर, कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिनको शासन की ओर से अविलम्ब कार्यान्वित किया गया। जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को जिन संस्थाओं को विभागीय अनुदान मिलता है उनका निरीक्षण करने के अधिकार दे दिये हैं। इस किस्म के आदेश चले गये हैं। बहुत सी सिफारिशें निदेशालय में विचाराधीन हैं। कुछ चीजें मैं और बतला देना चाहता हूं। विदेशों में हमारे हरिजन विद्यार्थी जाते हैं उनके लिये सरकार की ओर से पांच हजार रुपया खर्च के लिये दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी जो टैक्नीनिकल एजूकेशन या इन्जीनियरिंग वाले हैं उनके लिये ३०० रु० से ५०० रु० तक पुस्तकों के लिये अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा कुटीर उद्योग के लिये भी अनुदान दिया जाता है। ५०० रु० प्रति व्यक्ति और ५,००० रु० प्रति सोसायटी दिया जाता है। जमीन खरीदने के लिये, मकान बनाने के लिये, पहले केवल ३०० रुपया दिया जाता था अब इस सिफारिश के बाद इसको बढ़ा कर ७५० रु० कर दिया है। आश्रम पद्धति के स्कूलों की जहां तक बात है, दो हाई स्कूल लड़कों के और एक लड़कियों का, खोले गये हैं और जैसे-जैसे धन मिलेगा आगे विचार करेंगे और खोलेंगे।

छात्रवृत्ति की बात कही जाती है कि समय पर नहीं मिलती और कुछ भ्रष्टाचार भी है। इस सम्बन्ध में समिति की संस्तुति थी कि इसका वितरण मनीआर्डर द्वारा किया जाय। जब इसको देखा गया तो मालूम हुआ कि अगर मनीआर्डर के द्वारा इसका वितरण किया जाय तो कम से कम ६ लाख रुपया खर्च होगा। यह न तो विभाग के लिये ही ठीक था और न विद्यार्थी के लिये ही। लेकिन निदेशालय से ऐसे आदेश जा चुके हैं कि ऐसी स्कीम बनायें जिससे विद्यार्थियों को ठीक समय पर वजीफा मिल सके और कोई कठिनाई न हो। मोटे तौर पर, जैसा मैंने बताया, कार्यवाही हुई है। अब जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे, बाद में उनका उत्तर दिया जायगा।

श्री राम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक सूचना देना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सूचना का समय नहीं है ।

*श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह प्रतिवेदन सन् १९६६ में शासन को प्राप्त हुआ था और जैसा कि अभी माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि इसकी ७३ सिफारिशें ऐसी हैं जिनको शासन ने पूरे तौर से स्वीकार किया है और कुछ सिफारिशें ऐसी हैं कि जिन पर शासन विचार कर रही है। और बहुत थोड़ी सी सिफारिशें ऐसी हैं कि जिन पर शासन ने अभी विचार करना आरम्भ नहीं किया है । मैं महसूस करता हूं कि इस विभाग को प्राय: बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और इसकी पुष्टि में मैं कई उदाहरण भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । सबसे पहला उदाहरण तो यह है कि आम तौर से विभाग हमेशा ही एक ऐसे कबिनेट रेन्क के मिनिस्टर के पास रहता है जिस का सम्बन्ध उस जाति से नहीं रहता है जिन जातियों से सम्बन्धित यह विभाग है ।

मैं मंत्री जी के सम्मान के प्रति कोई ऐसी भावना रखते हुय नहीं कह रहा है बल्कि जैसे कि एक कहावत है कि "वह क्या जाने पीर पराई जिसकें पैर न पड़ी बिवाई" जो व्यक्ति इस विभाग के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी नहीं रखते हैं और यदि उसको सीधी जानकारी न हो, जो इस का कभी शिकार नहीं हुआ है उस को कभी सीधी जानकारी नहीं हो सकती कि वास्तविक परेशानी किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है । इसलिये है कि यह विभाग किसी हरिजन मंत्री के ही अधीन रहना चाहिये जो कार्यकुशलता, मेहनत और अपने व्यक्तिगत सुझाव के बल पर उस को सुचारु-रूप से चला सके । आज ५ कैबिनट स्तर के मंत्री हरिजन हैं, उस में से वह किसी एक सज्जन को देना चाहिये ताकि वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव के आधार पर और दिलचस्पी लेकर विभाग में परिवर्तन ला सके और जो निष्क्रयता और उपेक्षा का दृष्टिकोण लोगों के दिमाग में विभाग के प्रति है उसको दूर किया जा सके ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जब कभी भी इस प्रतिवेदन पर इस सदन में विचार हुआ है तो हरिजन विभाग के उच्च अधिकारी यहां की बहस को सुनने के लिये गैलरी में उपस्थित होते हैं लेकिन आज आफिशियल गैलरी में न तो सम्बन्धित सचिव महोदय हैं, न निदेशक महोदय हैं । जहां तक मैं जानता हूं वह इस समय गैलरी में नहीं हैं, इससे ज्यादा उपेक्षा की बात और क्या हो सकती है कि जिन की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, जिन की रिपोर्ट को देखना है, अमल में लाने की बात सोचना है उन में से कोई भी उपस्थित न हो, यह एक उदाहरण उपेक्षा का मैं आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं । अभी श्री माननीय उपमंत्री जी ने हमारे सामने बजट के आंकड़े उपस्थित किये इस विभाग के सम्बन्ध में । मैं केवल २ वर्ष के ही आंकड़े प्रस्तुत करूंगा । सन् ६४ में पूरे प्रदेश का बजट ४ अरब ४६ करोड़ का था और उस में से इस विभाग का था ३ करोड़ ५० लाख का और इस तरह से पूरे अनुदानों का १.१४ प्रतिशत ही इस विभाग पर खर्च किया गया ।

इसी तरह से सन् '६५ में पूरा बजट लगभग ६ अरब का था और उसमें से ३ करोड़ ५६ लाख रुपया इस विभाग पर व्यय हुआ । अब जनसंख्या के हिसाब से भी आप देखें । इस विभाग से लाभान्वित जातियां ४ कैटेगरीज की हैं, पहला वर्ग तो अनुसूचित जातियों का है जिनकी तादाद ६६ है और सन् ५१ की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी १,५५,९९,८०० है, दूसरा वर्ग विमुक्त जातियों का है जिनकी आबादी १८ लाख की है और तीसारा वर्ग अनुसूचित जनजातियों का है जिनकी आबादी १ लाख ७४ हजार के करीब है और चौथा वर्ग है अन्य पिछड़ी हुई जातियों का जिनकी आबादी २ करोड़ ७० लाख है । इस तरह से पूरे प्रदेश में इन जातियों की जनसंख्या ५,०७,७३,८०० है जिनमें हरिजन और पिछड़ी हुई जातियां सम्मिलित हैं । पूरे प्रदेश के लिये ४ करोड़ का प्रविधान हो तो उससे इनका कैसे कल्याण हो सकता है । कितनी ही समितियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने सिफारिशें की हैं कि पूरे प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुये और हरिजनों के पिछड़ेपन और उन की जनसंख्या को देखते हुये इस विभाग का बजट बहुत कम रखा जाता है और उसे हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए इसमें बजट का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए और जहां-जहां कमियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए।

इस विभाग के कार्यकलापों पर जब आप विचार करें तो इसे ३ श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी शिक्षा से सम्बन्धित है जिसमें कई बुनियादी संशोधन की और बुनियादी तरमीमों की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी स्कीमें चलती हैं, उनके लिए अनुदान बांट देना या लोगों को अनुदान देने से हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है बल्कि उनकी देख-भाल करने से और उनकी रखवाली करने से ही कल्याण हो सकता है। अभी माननीय माताप्रसाद जी ने कहा कि इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल्स में जो क्षति पूर्ति के रूप में आप अनुदान देते हैं, हरिजनों विद्यार्थियों के लिए उसमें बड़ी भारी गड़बड़ी है। उसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक की है। लेकिन उसके पास इसना समय नहीं होता है कि वह इन सभी समस्याओं का स्वयं निरीक्षण कर सकें। तो अगर उसके पास समय नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह अधिकार जो जिले के हरिजन विभाग के अधिकारी हैं, उनको दे दिया जाय। ताकि वे किसी भी इन्टरमीडिएट कालिज या हायर सेकेन्डरी स्कूल्स या किसी स्वायत्त शासन की इकाई के अन्तर्गत चलने वाली जैसे नगर पालिका, के स्कूल, जिला परिषद् के स्कूल, टाउन एरिया के स्कूल या हरिजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य स्कूलों के सम्बन्ध में, का निरीक्षण कर सके और अपनी टिप्पणी दे सके और अगर वह सही पायी जाय तो उसके कार्यन्वयन का भी अधिकार उसको होना चाहिए। आज क्या स्थिति है ?

हरिजन कल्याण अधिकारी की जो आज स्थिति है उससे अच्छी स्थितियां प्लानिंग विभाग के एक लेखक की है। इस अधिकारी को नियोजन कार्यालय में एक ऐसी कोठरी मिली हुयी है जिसमें न हवा का और न रोशनी का ही प्रबन्ध है। उसके लिए किसी जीप का भी प्राविधान नहीं किया गया है। वह अगर किसी विभाग से प्लानिंग वगैरह से पुरानी जीप का प्रबन्ध भी कर लेता है तो उसके पास पैट्रोल का प्राविधान नहीं है। न उसके पास टेलीफोन की ही व्यवस्था हैं। इतनी संस्थाओं का अगर उसको निरीक्षण करना हो तो एक माह में अधिकाधिक १० का निरीक्षण वह कर सकता है। जिले में बहुत से स्कूल होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं छात्रावास होते हैं, आश्रम टाइप स्कूल चलते हैं और जिले में अन्य आर्थिक योजनाएं होती हैं, जैसे मुर्गी पालन, कुएं खुदवाना उन सब को देखने की जिम्मेदारी हरिजन सहायक अधिकारी की होती है। उसकी स्थिति क्या है। जैसा कि मैंने अभी कहा उससे बेहतर प्लानिंग विभाग के दफ्तर के एक क्लर्क की स्थिति अच्छी होती है। बार-बार इस बात की मांग की जाती है कि कम से कम उसे द्वितीय श्रेणी का अधिकारी घोषित कर दिया जाय ताकि जिले के अन्य अधिकारी यह हसूस कर सकें कि उसका भी कुछ स्तर है और उसको काम करने की गुंजाइश मिले और अपने क्षेत्र में निरीक्षण का मौका मिले।

दूसरे मुझे यह भी कहना है कि निरीक्षण सम्बन्धी जो स्टाफ है वह ज्यादा से ज्यादा ३ सुपर-वाइजर और कम से कम २ हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस जिले में १६ ब्लाक हों और ५-५ और ६-६ नगरपालिकाएं हों, तो किस प्रकार से कार्य चल सकता है। दूसरे इन सुपरवाइजर्स को १५-२० रुपया फिक्सड यात्रा भत्ता मिलता है। अगर मान लिया जाय कि महीने में वे १० दिन ही दौरा करते हैं तो वे किस प्रकार से इस यात्रा भत्ते में ईमानदारी से भ्रमण कर सकते हैं। ये सारी समस्यायें हैं, जिन्हें हम छोटी कहते हैं। शासन की ओर से उनके प्रति लिनियेंट व्यू होना चाहिए और सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये।

छात्रावास की आज क्या स्थिति है। वहां पर जो भोजन बनाने वाला है, उसका वेतन ३५ रुपये है कोई भी व्यक्ति आज के समय में किसी एक व्यक्ति का भी खाना बनाये

[श्री रामसिंह]

तो क्या ३५ रुपये में गुजर कर सकता है। जहां पर ३५–४० छात्र रहते हों, किसी छात्रावास में, वहां पर खाना बनाने वाले को केवल ३५ रुपये प्रति माह वेतन मिलता हो तो वह कितने दिन ईमानदारी से काम कर सकता है। सरकार के सामने क्या दिक्कत है कि अगर एक मामूली से चपरासी को जो तनख्वाह मिलती है, उसका वेतन उसके बराबर कर दिया जाय जो छात्रावास में भोजन बनाता है। तो ये सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं। इनको महसूस करना चाहिये। एक बात मैं और शासन के सम्मुख इनकी शिक्षा से सम्बन्धित कहना चाहता हूं। हालांकि मैं समझता हूं कि उस बात से कुछ व्यक्तियों को शायद कुछ नाराजगी होगी। परन्तु जो स्पष्ट स्थिति है उसे मैं सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। कक्षा १ से ५ तक का जो पुस्तकीय अनुदान और छात्रवृत्ति का अनुदान है, मैं समझता हूं उसका उपयोग पूरे तरीके से नहीं होता। अधिकतर पैसा वेस्टेज होता है। अगर सरकार विचार करे कि कक्षा १ से लेकर ५ तक को समाप्त कर कक्षा ६ से १० तक छात्रवृत्तियों को परिवर्तन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा १–२ में बारह आने, कक्षा ३ में एक रुपया, कक्षा ४–५ में दो रुपये छात्रवृत्तियां मिलती हैं। कोई भी छात्र जिसको बारह आने मिलते होंगे वह अपना कार्य इसमें नहीं चला सकता है।

अगर आज की स्थिति में कोई बारह आने में पढ़ भी लेगा और उसका गुजारा हो जायेगा तो इसको मैं मुनासिब नहीं समझता। इसका परिणाम क्या होता है। हमारे जो स्वायत्त-शासी निकाय हैं, उनके अधिकारी उस पैसे को वहां से लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं और छात्रों तक वह पैसे नहीं पहुंचाते। मेरा यह अनुभव है कि अगर इस बात पर सरकार विचार करे कि जो धन कक्षा १ से लेकर ५ तक बचेगा उस धन को कक्षा ६ से लेकर १० कक्षा के अनुदानों में परिवर्तित कर देगी। क्योंकि कक्षा १ से लेकर ५ तक जो रेट्स हैं वे बहुत कम हैं। अगर छठीं कक्षा की पुस्तकें खरीदनी होंगी तो पचास-साठ तक नहीं मिल सकती हैं। ६ रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति है तो ९६ रुपये पूरे माह की छात्रवृत्ति मिली। ६० रुपये तो किताबें ही खरीदने के लिये चाहिये। शेष रुपयों से उसका गुजारा कैसे चल सकता है। कक्षा ६ से लेकर कक्षा १० तक छात्रवृत्तियों का जो अनुदान है और जो मासिक रेट है उसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये ताकि छात्र एक सुविधा के साथ और आसानी के साथ अपनी शिक्षा को पूरी कर सके।

इसके अलावा भूमि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। बार-बार दुहाई दी जाती है और राजस्व मंत्री बयान देते हैं कि इतने लाख एकड़ जमीन भूमिहीन हरिजनों को देंगे। माननीय चतुर्भुज शर्मा जब गुप्ता मिनिस्ट्री में थे तो उन्होंने कई बयानात निकाले कि इतने लाख एकड़ जमीन भूमिहीन हरिजनों को देंगे। परन्तु जब असेम्बली में उत्तर हुआ तो मा० श्रीपति मिश्र ने यह कहा कि ४६ लाख पट्टा में से ५ लाख पट्टे ही केवल हरिजनों को दिये गये। तो यह दृष्टिकोण बनाया गया है। हरिजन को किसी भी तरीके से सुविधा न पहुंचे क्योंकि हर आदमी यह समझता है कि अगर हरिजनों को सुविधा पहुंचेगी तो काश्तकार का हल कौन चलायेगा। इसलिये किसी दशा में किसी हरिजन को इस लायक न होने दिया जाय कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो किसी भी समाज में इस तरह की बात हो तो वह समाज कैसे उन्नति कर सकता है। अगर यही दृष्टिकोण है तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं।

अब मैं पट्टे के अलाटमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं विशेष रूप से राजस्व मंत्री जी से कि पट्टों के सिलसिले में जो कानूनी परिभाषा है वह डिफैक्टिव है। उसका लाभ जो असामाजिक तत्व हैं वे उठाते हैं। मैं कहता हूं कि पट्टा अलाट करने के पहले परिभाषा कर दें कि पट्टे की जमीन किसको दी जा सकती है। श्रेणी विभाजित कर दें। पट्टे की जमीन उसको नहीं दी जा सकती जिसके स्वयं के पास या जिसकी स्त्री के पास जमीन हो। जिसके लड़के या लड़के की बहू के पास जमीन हो जिसके भाई या भाई की बहू के पास जमीन हो। इस तरह से परिभाषा कर दें तो उस भाषा का कोई अधिकारी फायदा नहीं उठा सकता। मान लीजिये मैं काश्तकार

हूं। मेरे पांच लड़के नौजवान हैं। सारी जमीन मेरे नाम है। प्रधान भी मेरी पार्टी का आदमी है। मेरे लड़कों के नाम पांच-पांच पट्टों का अलाटमेन्ट हो जाता है क्योंकि कानून में वह परिभाषा डिफैक्टिव है। इससे समाज को नुकसना होता है और जो वास्तविक अधिकारी हैं उस तक बात नहीं पहुंचती है। आप उसमें इस तरह की परिभाषा करें कि ऐसे व्यक्तियों को उस जमीन को दिया जा सकता है तो उसमें काफी गुंजाइश इस बात की कम हो जायेगी कि कहीं लोग बेईमानी कर सकें।

जैसे सीलिंग की जमीन जो हमारे प्रदेश में निकली वह भी हरिजनों को नहीं मिल पायी। यदि आप सर्वे करायें तो आपको इसकी जानकारी हो जायेगी कि हरिजनों को नाममात्र की भी जमीन नहीं मिल पायी है। आबादी की समस्या भी बड़ी भयंकर है। अगर किसी के पास फालतू जमीन है तो वह क्यों किसी को देगा? पहले जमींदार लोग तो क्योंकि उनसे कुछ सेवा आदि लेते थे जमीन दे दिया करते थे। इसके लिये आपको लैंड एक्वीजीनशन ऐक्ट में तरमीम करनी चाहिये और इस प्रकार के आदेश होने चाहिये कि हरिजनों को कम से कम उनकी झोपड़ी के लिये तो जमीन उनको मिल सके। एक झोपड़ी में ही आप जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि उसका सारा परिवार ही नहीं यदि जानवर हैं तो वह भी उसी में रहते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि वे बड़ी भारी तरक्की कर गये हैं, मैं समझता हूं कि वे धोखे में हैं। हरिजनों की जो दशा है वह आज किसी से छिपी हुई नहीं है। जितना परिवर्तन आप महसूस करते हैं उतना नहीं हुआ है। आज भी उनके साथ अन्याय और जुल्म होता है, उनको न्याय मिलना चाहिये और भूमि संबंधित जो असंगतियां हैं उनको दूर करना चाहिये।

एक निवेदन मैं आफिसर्स के बारे में करना चाहता हूं। इस विभाग के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें आज आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। इस विभाग के दो हिस्से हैं एक हरिजन कल्याण विभाग तथा दूसरा समाज कल्याण विभाग। दोनों विभागों के अधिकारियों के ग्रेडों में भी अन्तर रखा गया है। इसके अलावा जन जातियों के उद्धार के लिये जो स्पेशल आफिसर की नियुक्ति की गयी है उसका ग्रेड हरिजन कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर से अधिक रखा गया है। उसका नतीजा यह होता है कि वह इन लोगों की बात को नहीं सुनता है। वह इनको छोटा आफिसर मानता है। मैं पूछता हूं कि इस तरह से अलग-अलग आफिसर्स नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है। जब मैं प्राक्कलन समिति में इस समिति का संयोजक था तो मैंने एक रिपोर्ट भी इसके सम्बन्ध में तैयार की थी। इसी प्रकार आप देखें कि यदि जिला हरिजन अधिकारी आश्रम नीति विद्यालय के बारे में कोई बात कहना चाहे तो आश्रम नीति विद्यालय का सुपरिन्टेन्डेन्ट उसके आदेशों को नहीं मानता है क्योंकि उसका ग्रेड जिला हरिजन अधिकारी से ऊंचा है और वह अपने को उससे बड़ा अफसर समझता है। जब उसका ग्रेड उससे ऊंचा होगा तो वह क्यों उसकी परवाह करेगा। तो जितनी भी स्कीमें हैं इस विभाग की उन सब पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपस में कोआर्डिनेशन रहे ताकि कुशलता के साथ कार्य हो सके। मुझे आशा है जिन महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे।

एक बात मैं रेजर्वेशन के बारे में भी और कहूंगा। मैं समझता हूं कि इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि रेजर्वेशन में बढ़ोत्तरी हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि रेजर्वेशन है वही पूरा नहीं हो रहा है। इसकी पूर्ति के लिये मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो यह कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को यह अधिकार होना चाहिये कि जब किसी सेवा के लिये या किसी नौकरी के लिये किसी विभाग से नाम मांगे जायं कि इतनी पोस्ट्स के लिये नाम भेजिये तो वह उसकी एक प्रतिलिपि जिले में हरिजन कल्याण अधिकारी को भेज दे कि हमारे यहां इतने स्थान खाली हैं जिनमें से इतने स्थान जनरल सीट्स के हैं और इतने सुरक्षित सीट्स के हैं। उसके बाद जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को अधिकार

[श्री रामसिंह]

होना चाहिये कि वह सेवायोजन कार्यालय में जाकर देख सके कि क्या उस योग्यता के हरिजन अभ्यर्थी वहां उपलब्ध हैं या नहीं। होता यह है कि वांछित योग्यता के व्यक्ति रिजर्व सीट्स के लिये उपलब्ध होते हुये भी अधिकारी उनका नाम नहीं भेजते हैं और यह होता है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से कम अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाते हैं।

इसका कारण यह है कि कम अभ्यर्थियों को भेजने से जो भेजे जाते हैं उन्हीं में से ले लिए जाते हैं, जो उनके अपने लोग होते हैं। जो सोर्सफुल लोग होते हैं वे ही इस तरह से नौकरियों में ले लिये जाते हैं और कहा यह जाता है कि योग्य व्यक्ति सुरक्षित सीटों के लिए उपलब्ध ही नहीं हैं। तो जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को जांच करने का अधिकार हो और जहां वह गड़बड़ देखे वह जिलाधीश से कहा करे, जिला नियोजन अधिकारी से कहा करे कि इस पद के लिये योग्य आदमी होते हुए भी नहीं भेजे गये हैं और वे उन्हें भिजवाया करें। तो वहां रोजगार अधिकारी पर उसका हक होना चाहिए, उसको निरीक्षण का हक प्राप्त होना चाहिये और उसे यह भी अधिकार होना चाहिए कि जो सम्बन्धित अधिकारी है जिसकी नियुक्तियां करनी हैं, उसको भी वह अपनी राय दे सके। इस प्रकार से रोजगार की समस्या कुछ हल हो सकती है।

दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि जो हरिजन कमेटी आपने नियुक्त की हैं, उसके सचिव पद पर डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त करने का आपने जी० ओ० निकाला है। यह बात सिद्धान्ततः गलत है। आज किसी भी डिप्टी कलेक्टर को इतना समय नहीं है कि वह आपकी इन बेकार की कमेटियों में काम करे। वह कतई इस बेकार के काम में अपना मगजपच्ची करना पसन्द नहीं करेगा। आप ऐसा करके हरिजन अधिकारी की स्थिति को हास्यास्पद बनाते हैं। आप हरिजन अधिकारी को विवश करते हैं कि वह फाइलें दबाये डिप्टी कलेक्टर के पास खड़ा रहा करे और जब उसे फुर्सत मिले तो वह उससे बातचीत करे। डिप्टी कलेक्टर को उसका सचिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उससे काम में देर होगी और काम भी नहीं हो पाएगा, उसका सचिव हरिजन कल्याण अधिकारी को ही बनाया जाना चाहिये। हां, लैन्ड के एलाटमेंट के सिलसिले में डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त करना आवश्यक हो तो आप उसमें उसे बना दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु हरिजन कल्याण के कार्य में उसकी नियुक्ति मैं कोई उचित नहीं समझता।

जब पहले विद्यावती राठौर जी इसकी मंत्री थीं तो मैंने यह कहा था और फिर कहता हूं कि हमारे साथ यह अन्याय किया गया कि जिले की समितियों में आपने गैर हरिजनों को चेयरमैन बनाया, जिस पर मेरा विरोध था। मैं आज फिर उस चीज का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि आपकी कबिनेट में जब ५–५ हरिजन मंत्री हैं तो क्या कारण है कि हरिजन कल्याण का विभाग एक हरिजन मंत्री को न देकर नान हरिजन को दिया गया है? मैं समझता हूं कि इसके पीछे आपका दिल साफ नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है जब ग्रान्ट लेने वाला हरिजन है, देने वाला और बांटने वाला हरिजन है तो डिप्टी कलेक्टर उसमें क्या करेगा? उसके पास समय का अत्यन्त अभाव है, उसे विभाग की कोई जानकारी नहीं है।

अब एक बात यह है कि आपने कमेटियों में फौज भर्ती कर दी है। मैं इस सिलसिले में सहारनपुर की बात कहना चाहता हूं, वहां की हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, जिसमें दो मकानों के लिए ग्रान्ट दिया गया किन्तु उसमें २५–३० सदस्य हैं। उस विभाग में ग्रान्ट देने के भी कोई डिफिनेट रूल्स नहीं हैं कि किस प्रकार से व्यक्तियों को ग्रान्ट्स दी जाएंगी। आप इसके लिए कोई स्ट्रैन्डर्ड बना देते तो अधिकारियों को भी सुविधा हो सकती थी कि वे जांच करके लोगों को ग्रान्ट दें कि फलां-फलां व्यक्ति ग्रान्ट का अधिकारी है।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं जिन्हें सरकार छोटी चीजें कहती है, ध्यान दे और उनको मान कर कार्यान्वित करने की कोशिश करे

जितनी सिफारिशें इस प्रतिवेदन के अन्दर की गयी हैं मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी के साथ ५० प्रतिशत सिफारिशें भी लागू कर दें तो हरिजनों का बड़ा भारी कल्याण हो सकता है। लेकिन उन सिफारिशों को केवल यह कहने से कि आपने उन पर आदेश प्रेषित कर दिये काम नहीं चलता। आपने आदेश प्रेषित कर दिये, आदेश का पालन नहीं हुआ तो सिफारिश किस काम की। सिफारिशों पर आदेश हों और आदेशों का पालन हो तो इस विभाग ने कुछ किया, यह कह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय हरिजन कल्याण मूल्यांकन समिति के उपर चर्चा हो रही है। समिति कई कारणों से बैठी थी। कब बैठी थी और जो सिफारिशें की हैं उन पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, जब हमारा देश आजाद हुआ, और संविधान बना, तो इस बात की तरफ ध्यान गया कि हमारे देश और समाज के अन्दर बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से, सब तरह से पद दलित और शोषित हैं, और उनकी उपेक्षा हो रही है। संविधान में इस बात की व्यवस्था की गयी, इस बात का संरक्षण दिया गया कि ऐसे वर्ग जिनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा खराब है, समाज में उनके सामने कुछ विषमतायें हैं, और उनका जीवन नारकीय जीवन है, पशु तुल्य है, तो उनके लिये संरक्षण किया गया। यहां तक, देश के आजाद होने से पहले हमारे देश के अन्दर बहुत सी जातियां थी जिन्हें अपराधशील जातियां कानून की निगाह में कहा जाता था।

लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद सभी कानन के सामने समान और सभ्य जातियां मानी गयीं। उस वक्त भी थारू, हबूड़ा और कंजड़, बहुत सी जातियों को बसाने के लिये, उनके कल्याण के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति संभालने के लिये उनको बहुत सी जगह बसाया गया। उनके रोजगार का और बच्चों की तालीम का इन्तजाम किया गया। लखीमपुर-खीरी जिले में मुआबोझ, भटवापुर, कुसमी, कई कालोनी ऐसी बसायी गयीं जिनमें पुरानी अपराधशील जातियों के लोग बसाये गये। उनको बहुत सी जमीनें अलाट की गयीं ताकि वह उस जमीन पर काम करें और अपनी रोजी कमायें और ईमानदारी से काम करें। लेकिन जमीन की हालत क्या है? जब से कालोनी बसायी गयी, जमीन दी गयी, सिंचाई का कोई साधन नहीं दिया गया। जो कुछ बीज और हल बैल के लिये सरकार ने उनको दिया वह उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक साफ कर दिया। जमीन सूखी पड़ी है। कोई पैदावार नहीं है। शासन इस ओर ध्यान दे। जमीन का टाइटिल उन कालोनी वालों के नाम नहीं है इसलिये शायद सरकार ने नहीं दिया कि वे पहिले अपराधशील रहे हैं, कहीं वे जमीन न बेच लें। शासन वहां अपनी तरफ से सिंचाई की व्यवस्था कर दे, ट्यूबवेल स्टेट लेविल पर, सरकार की तरफ से हों, किसी प्रकार सिंचाई का साधन कर दें ताकि कुछ पैदावार हो। तो उनका पुनर्वास हो सकता है नहीं तो यह स्कीम जो लाखों रुपया लगा कर चलायी गयी है, और तमाम प्रदेश में जो भूतपूर्व अपराधशीलों पर लाखों रुपया खर्च किया गया वह बेकार हो जायगा। वहां सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय, जमीन का टाइटिल खतौनी में उन लोगों के नाम किया जाय ताकि वह विकास ऋण ले सकें।

दूसरी तरफ मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि शासन की नीयत और इरादा समाज कल्याण का है और वह चाहता है कि समाज के पिछड़े लोग जो हैं वह समान स्तर पर आयें। इसलिये सरकार ने समाज कल्याण के लिये समाज के अन्दर फैली हुई विषमताओं को अपराध करार दिया। सन् ५५ का अधिनियम बना उसके लिये लेकिन उस पर अमलदरामद नहीं हुआ। सन् ५५ के अधिनियम का मूल्य केवल साहित्यिक रह गया है। लिहाजा मेरा सुझाव है कि हरिजन कल्याण अधिकारी को शासन की तरफ से पावर्स दी जायं तफतीश करने की जिस प्रकार कि खांडसारी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर को पावर्स दी गयी हैं, जो मकदमा कायम कर

[श्री छेदालाल चौधरी]

देते हैं। पुलिस विभाग जो है उसने कतई इस ओर ध्यान नहीं दिया है और यह कागज पर कानून रह गया। सरकार का इरादा अगर समाज के अन्दर अपराधों को मिनिमाइज करने का है और छुआछूत का मुकदमा कायम हो तो उस रिफरेंस में तीन बातों का हवाला दिया जायगा। चौथी बात यह जोड़ दी जाय कि छुआछूत का मुकदमा अगर कायम हो तो कमीशन द्वारा उसकी जांच हो।

हरिजनों अथवा शोषित लोगों के साथ अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके ऊपर हम कोई झूठा मुकदमा कायम न करें। जितने भी सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जो जिलों से आते हैं उन्होंने व्यवहार में देखा होगा कि जिलों के अन्दर और पुलिस विभाग के अन्दर एक पुराना दकियानूसी कानून चला आ रहा है। हर जिले के अन्दर एक पखवारा अपराधों का मनाया जाता है। उसके सारे शिकार गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा निर्बल लोग हैं जिनका शिकार जबरदस्त लोग इसलिये करना चाहते हैं कि उनको सस्ते नौकर मिल जायं, उनके वोट मिल जायं या महाजनी करने का उनका इरादा हो और इस प्रकार कसदन उनको दफा १०९, ११० और दफा २५ के मातहत उनको बन्द कराया जाता है और फर्जी मुकदमें उन पर चलाये जाते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती इसलिये कि वे निर्बल तथा असहाय हैं। उन्हें पुलिस बुला कर कहती है देखो भाई तुम सरकार से लड़ नहीं पाओगे। हमारी राय मानो माफी मांग लो, मुकदमा खत्म हो जायगा। मेरा निवेदन है कि शासन अगर कुछ भी उनको नहीं दे सकती तो कम से कम जिला हरिजन कल्याण अधिकारी जो है उसे यह अधिकार दे दिये जायं कि जब उसकी नोटिस में यह बात आये तो जिला स्तर पर वह जिलाधीश अथवा पुलिस कप्तान से बातचीत कर लें ताकि जो झूठा मुकदमा चलाया गया हो उसे खत्म किया जा सके।

बहुत से दोस्तों ने इस बात का भी जिक्र किया है। हमारे जिला लखीमपुर-खीरी में खनजरनगर, पिरा तथा गोला गोकरनाथ चीनी मिल के फार्म हैं। हजारों एकड़ जमीन आराजी और जोत सीमा आरोपण में निकली है। नैनीताल, पीलीभीत आदि जिलों में बड़ी-बड़ी चीनी मिलों के फार्म्स हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यदि उदारतापूर्वक इन गरीब हरिजनों का कल्याण करना चाहती है तो वह उन्हें जमीन दे ताकि उनका भला हो सके। इसके अलावा कुछ भाइयों ने बताया है कि जो बचत की जमीन है, जो चकबन्दी की जमीन है या जंगलात की फरजी जमीन पड़ी है उसे यदि इन गरीबों को दिया जाय तो उनकी हालत सुधर सकती है, वे सम्हल सकते हैं और उनका भला हो सकता है।

इसके अलावा कानूनी मामलों में जिलास्तर पर उनकी यह हालत है कि उन्हें कानूनी मदद नहीं मिलती है। इससे वे तंग हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिला स्तर तर उन्हें कानूनी राय दी जाय। इस तरीके से उनका काम चल सकता है। इस तरह से मैं चाहता हूं कि समिति ने जो रिपोर्ट दी है तथा सरकार ने यह समिति इसीलिये बनाई थी कि वह हरिजनों की समस्याओं के बारे में अपना प्रतिवेदन दे। १९६४-६५ में यह समिति बनी थी और ६६ में उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। कई वर्ष इस समिति ने लगाये और उसके बाद यह रिपोर्ट आई है। मैं समझता हूं कि इसको एक व्यापक रूप दिया जाय। तभी हरिजनों का कल्याण हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है। इस शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि काफी लोग इस विषय पर बोलने वाले हैं इसलिये इसमें समय बांटना पड़ेगा। क्योंकि इसी प्रकार की एक दूसरी भी रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा होनी है। इसको ४ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। इसे तो संविधान का संरक्षण प्राप्त है ही किन्तु देखा यह गया है कि हरिजनों की प्रगति केवल नाम मात्र ही हुई है। जब संविधान में उनके लिये संरक्षण प्राप्त है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार भी चाहती है कि उनकी उन्नति हो, उनकी तरक्की हो। किन्तु फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उनकी जो हालत, पहले थी वही आज भी बनी हुई है। जो संविधान में उनके लिये नियम बनाये गये थे तो उन नियमों का सख्ती के साथ पालन नहीं हो रहा है। संविधान में हरिजन छात्रों को जो सुविधायें प्रदत्त की गई हैं उन्हें वे नहीं मिल पाती हैं। शायद इसीलिये उनका पठन-पाठन भी रुका हुआ है। विद्यालयों में हरिजन छात्रों को समुचित रूप से प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

(इस समय ३ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उनके लिये एक कोटा निश्चित किया जाय और जो बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा हेतु जाने वाले हों उनके लिये कम से कम १० छात्रवृत्तियां तथा तकनीकी शिक्षा के लिये जो विदेश में जाने वाले छात्र हों उनमें कम से कम ४ छात्रवृत्तियां सरकार को सुरक्षित कर देनी चाहिये। ताकि वे इससे अपने देश और प्रदेश का भला कर सकें। कुछ विद्यालयों में थीसिस के टंकण के लिये जो १०० रु० का अनुदान देने की सुविधा दी गई है वह उनके लिये बहुत कम है, वह कम से कम ३०० रु० से लेकर ५०० रु० तक होनी चाहिए। विद्यालयों में प्रवेश पाते समय विद्यार्थियों से जो गेम्स फी, यातायात व पंखों के लिये जो पैसा लिया जाता है उससे हरिजन विद्यार्थी बहुत परेशान रहते हैं। उनकी शिक्षा बिलकुल निःशुल्क होनी चाहिये। विद्यालयों में पुस्तकालय और वाचनालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे इन चीजों का प्रबन्ध कर सकें और अपना विकास कर सकें। तथा इन वाचनालयों और पुस्तकालयों में जाकर हरिजन विद्यार्थी सारे संसार की परिस्थितियों से परिचित हो सकें।

अब हरिजनों के रोजगार की समस्या है। हरिजनों और पिछड़ी जाति में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? जब कि गवर्नमेंट इस विषय में सुविधा दे रही है फिर भी उनका निर्धारित अनुपात क्यों नहीं है? चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में भले ही कुछ हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हों लेकिन बड़ी श्रेणी आई० सी० एस० या पी० सी० एस० में उनका कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है।

हरिजनों को आवास की सुविधा भी दी जानी चाहिये। विमुक्त जातियों में अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खानाबदोश की भांति इधर से उधर घूमते हैं। उनको निवास की सुविधा दी जानी चाहिये। मुसहर जाति के लोग अब भी इधर-उधर घूमते हैं। सरकारी यह आदेश है कि आश्रम पद्धति स्कूलों में विमुक्त जाति के लोगों को सुविधायें दी जायंगी। लेकिन हम देखते हैं विशेष स्कूलों में एक भी छात्र अनुसूचित जाति का नहीं है। वहां पर हरिजन छात्रों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इस प्रकार का एक विद्यालय मिर्जापुर में है। वहां पर और लोगों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह हरिजनों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती हैं। उनको जो पैसा भी दिया जाता है वह भी उनको नहीं मिल पाता है। बीच में लोग उसको खा जाते हैं। इसलिये सरकार को यह भी देखना चाहिये कि विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं।

[श्री सूबेदार प्रसाद]

इसके अलावा हरिजनों की सबसे बड़ी समस्या भूमि की है। अधिकतर हरिजन लोग भूमिहीन हैं। उनके लिये यह आदेश हैं कि गांव समाजों की परती और बंजर भूमि उनको मिलनी चाहिये। लेकिन वह नहीं मिल पाती है। यही नहीं, मिर्जापुर में दुद्धी और राबर्ट्सगंज क्षेत्रों में आदिवासियों की पुश्तैनी भूमि छीन कर वन विभाग को दी जा रही है। सरकार को वह जमीन उनको लौटा देनी चाहिय और परती भूमि को उनको दे दिया जाना चाहिये। बहुत से ऐसे स्थान भी हैं वहां पर हरिजनों की काश्त में बहुत सी जमीन है लेकिन सिकमीदारी प्रथा के अनुसार लोग गलत तौर पर उन जमीनों को अपने नाम करा रहे हैं और उनको परेशान कर रहें हैं उनको इस अन्याय से बचाना चाहिये। इसके अलावा मुकदमा लड़ने के लिये उन लोगों को सरकार पैसा दे जिसे वह अपने खातों को वापस ले सकें।

इसके अतिरिक्त वे अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकें, उनके लिये दवाइयों का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि ऐसे लोग जो समाज में अपंग बन कर बैठे हुये हैं, उनकी सहायता करे। उनको रोग मुक्त करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

हमारे मेहतरों की समस्या भी बहुत गम्भीर है। समाज का यह एक ऐसा अंग है जो हमारी सफाई करता है। जो आदमी ऐसा पवित्र कार्य करे उसकी जानमाल की तो विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिये। लेकिन हम दखते हैं कि इन लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है। उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैले की सफाई के लिये नये ढंग के तरीके अपनाये जाने चाहिये। उसके लिये नये ढंग के शौचालय बनाये जांय ताकि मानवता के हकों की रक्षा हो सके। यह एक अमानुषिक कार्य है, इसको तुरन्त ही बन्द किया जाना चाहिये। जगह-जगह पर नये किस्म के शौचालय बनाये जायं।

इसके अलाव जो हरिजन सहायक विभाग हैं। उन विभागों में सरकार को खासतौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उस विभाग के अधिकारी और सहायक हरिजन लोग ही हों ताकि सरकार को इन लोगों का कार्य करने में आसानी हो सके। और हरिजनों के लिये सुझाव दिया जा सके। बहुत सी जातियां ऐसी हरिजनों में और पिछड़ी जातियों में रह गई हैं जिनको अनुसूचित जाति के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि उनको भी उसमें शामिल किया जाय। जिससे उनको भी वे सुविधा दी जा सकें, जिससे उनको भी सहायता मिल सकें। अगर एक समिति इसके लिये बन जाय जो इस बात को देखे तो अच्छा है।

इसी तरह से छुआछूत की समस्या है। इसको सरकार ने अपराध घोषित करके नियम बना दिया है लेकिन उसका पालन अभी तक समुचित रूप से नहीं हो रहा है। जहां भी आप देखें आपको छुआछूत की समस्या दिखाई देती है। इस समस्या से सब लोग वाकिफ हैं। लोग घृणा करते हैं। अलग उनसे रहने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाय। नियम में हरिजन कल्याण अधिकारी को अधिकार दिया जाय वह वहां जाकर देखे और जिले के अधिकारी उस पर अमल कर सकें इस तरह का नियम होना चाहिये। इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि हरिजन कल्याण अधिकारी के लिये प्रमोशन की सुविधा होनी चाहिये। ग्रेजुयेट तथा डबल पोस्ट ग्रेजुयेट वे होते हैं तो उनको तरक्की दी जाय ताकि वे हरिजनों की समस्या को सही रूप से हल कर सकें। यदि वह सरकार हरिजनों का समुचित रूप से उत्थान करना चाहती हैं तो इस नियम का जरूर संशोधन किया जाय। उसके अनुसार हरिजन समितियां बनाई जांय तभी हरिजनों का उत्थान हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर में हरिजनों की समस्या बहुत गम्भीर है वहां पर ध्यान देकर उनकी समस्या को हल करने का जरूर प्रयत्न किया जाय।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सदन के अन्दर हरिजनों के उत्थान के लिये पिछले ४,५ साल पहले जो एक आयोग नियुक्त किया गया था उसके प्रदिवेदन पर विचार करने के लिये हम सब यहां पर एकत्रित हैं। उस आयोग के प्रतिवेदन के विषय में कोई दो राय नहीं हैं। हमारे इस माननीय सदन के सदस्य उसके सदस्य थे और उन्होंने तमाम जिलों में जाकर भ्रमण किया। वहां के तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करके एक प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया। अभी एक भाई माननीय सदस्य हरिजनों की समस्याओं के बारे में अपने सुझाव दे रहे थे कि क्या-क्या कमियां हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि सदन का कौन सा ऐसा माननीय सदस्य है जो हरिजनों की इन समस्याओं से वाकिफ न हो। उन समस्याओं को हमेशा यहां पर गिना देते हैं कि उनके पास जमीन नहीं हैं, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं है, उनके ऊपर समाज अत्याचार करता है, उनके पास मकान नहीं हैं, उनको वजीफे नहीं मिल पाते हैं। उनके लिये पीने के पानी की सुविधा नहीं है ये जितनी भी समस्यायें हैं ऐसा कोई भी माननीय सदस्य नहीं है जो इनको न जानता हो फिर भी हमारे माननीय सदस्य खासतौर से हरिजन समाज से सम्बन्ध रखने वाले सदस्य इस सदन में आकर उन समस्याओं को दोहरा देते हैं और यह समझकर सन्तोष कर लेते हैं कि हमने सदन के सामने उन हरिजनों की समस्याओं को रख दिया चाहे इन पर कुछ अमल हो सके या नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आज माननीय चौधरी साहब की सरकार रही हो, चाहे कल मेरी सरकार रही हो या पीछे संविद सरकार रही हो लेकिन इन हरिजनों की समस्याओं की तरफ यह देश का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि इनके ऊपर किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज देश में केन्द्र की सरकार के बड़े बड़े नेता हैं। अगर प्रतिरक्षा मंत्री भाषण देते हैं तो कहते हैं कि सीमा की सुरक्षा के लिये हम पांच वर्षों के बाद इतने सक्षम हो जायेंगे कि कोई भी देश हमारी सीमाओं पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे खाद्य मंत्री भाषण देते हैं तो कहते हैं कि १९८० तक हम खाद्यान्नों में आत्म निर्भर हो जायेंगे। हमारे देश के पर्यटन मंत्री, यातायात मंत्री, खनिज पदार्थ के मंत्री, उद्योग मंत्री, ये लोग हमेशा भाषण दिया करते हैं, प्रधान मंत्री भी भाषण दिया करती हैं और दिया करते हैं कि इन इन समस्याओं को हम ५ या १० साल के अन्दर निश्चित ही हल कर लेंगे। लेकिन इस देश की एक ऐसी समस्या जिसके बारे में गांधी जी और डाक्टर अम्बेदकर के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने निश्चित रूप से घोषणा की हो कि १० साल, २० साल, १०० साल या २,००० साल के बाद इस देश के अन्दर से हरिजन समस्या समाप्त हो जायगी, न कोई दम भरता है, न कोई दावा करता है।

यह ऐसी समस्या है जिसके पीछे इस देश की वास्तविक आत्मा छिपी हुई है। आज जो समाजवाद का संघर्ष चल रहा है उसकी बुनियाद यही है। हम भाषण देते हैं, योजनायें बनाते हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन किस प्रकार होता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो सदस्य इस वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम और आप इस सदन के अन्दर सदस्य होकर आ जाते हैं लेकिन हम में वह शक्ति नहीं आ पाती है कि हम अपनी मांगों को कबुलवा सकें। आज सीलिंग के नाम पर, न जाने किस-किस नाम पर सरकार को धमकियां दी जाती हैं और सरकार झुक जाती है। आज ८०-९० की संख्या में बैठे हुये सदस्य यह जोर नहीं दे सकते कि यह सरकार नहीं चल सकती अगर वह हरिजन समस्याओं को दूर नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मबीर]

करेगी। हम बन्धनों में ऐसे जकड़े हुये हैं कि हम में वह शक्ति ही नहीं आ सकती। अगर इधर से कुछ कहा जाता है तो हम कहते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य है और अगर उधर से कुछ कहा जाता है तो कहते हैं कि यह तुम्हारी कमजोरी है।

इसमें कोई वादविवाद की बात नहीं है कि इस समस्या के बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है। इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं, इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी सरकारें यह बात कहती हैं कि इस देश के अन्दर हरिजनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिये। आज लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं। चाहे वह इंडीकेट के हों, चाहे सिंडीकेट के हों, चाहे बी० के० डी० के हों, चाहे जनसंघ के हों, सभी लोग समाजवादी समाज की स्थापना करने की बात कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका समाजवाद क्या है? मेरी अपनी छोटी-सी बुद्धि ने यह अनुभव किया है कि समाजवाद के माने हैं कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको ऊपर उठाया जाय। क्या उसके लिये टार्च की रोशनी से देखेंगे या दूरवीक्षण यन्त्र से देखेंगे कि वह कौन सा अंग है जो पिछड़ा हुआ है? सभी जानते हैं कि समाज का वह पिछड़ा हुआ अंग हरिजन समाज है। लेकिन बड़े-बड़े भाषण दिये जाते हैं, योजनायें बनती हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन की दुहाई दी जाती है, आज समाजवाद के नाम पर सरकारें बन और बिगड़ रही हैं लेकिन समाजवाद है कहां? यह सब जानते हुये भी हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुये हैं। इसलिये कि जिन्होंने इस समाज को दबाया है आज उसका इलाज उन्हीं के हाथों में है। तो यह आशा करनी कि जिन्होंने दबा रखा है उनसे कोई हमदर्दी मिलेगी यह नामुमकिन बात है। केवल नारे लगते रहेंगे, सदन में घोषणायें होती रहेंगी लेकिन समाज के अन्दर उस पिछड़े हुये वर्ग की जो जंगल में पेड़ों की छांव में पड़ा हुआ है सुनने वाला कौन है?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि देश का विकास हो तो भले ही हजार जवाहर लाल नेहरू पैदा हो जायं और इंदिरा जी कितने ही प्रकार का समाजवाद लावें वह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी अन्तरात्मा की आवाज को टटोल कर उसके अनुरूप कदम नहीं उठाते। आज विचार करें कि हमने इस वर्ग के साथ क्या न्याय किया है। श्री रामसिंह ने तमाम आंकड़े पेश किये हैं। आंकड़े तो उसको दिये जायं जो जानता न हो, जिसे समझ न हो। इस सरकार को समझ है, देश को समझ है। जब विद्यावती जी हरिजन कल्याण मंत्री थीं तो उन्होंने एक प्राविधान किया था कि हरिजन कल्याण का चेयरमैन सवर्ण जाति का होना चाहिये। इस पर मुझे याद है कि उधर के पक्ष के भाई ने, गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे कहा था कि उसके लिये तो कम से कम हरिजनों को रखा जाय, इस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, रोष पैदा हुआ। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन दूध का जला मट्ठा फूंक कर पीता है। आपके अन्दर यह भावना आ गयी कि भला हरिजन चेयरमैन बने। तो अन्तरात्मा की आवाज है जो दिल से सुनाई जा रही है। हमें सोचना पड़ेगा कि इस समाज को उठाना है या नहीं।

अम्बेदकर जी ने एक योजना से एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया, उसके बारे में न जाने कितनी बार लोक सभा में और विधान सभाओं में आवाजें उठी हैं, लेकिन कार्यान्वयन कितना कर पाये हैं---वह नहीं के बराबर है। मेरा विरोध देश की तमाम सरकारों से है, चाहे केन्द्र की हों या प्रदेशों की, सभी सरकारों से यह कहना है कि यह नारेबाजी मत लगाओ समाजवाद की। हरिजनों को भाई कहना बन्द कर दो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस विभाग की ही कोई आवश्यकता नहीं है। आपने बजट का एक, दो प्रतिशत रख दिया है उनके उत्थान के लिये जबकि सारी समस्यायें ही इनकी हैं। आधी जनसंख्या इनकी है। जिनके लिये समाजवाद का नारा दिया जाता है उनके लिये ४ प्रतिशत में समस्याओं का समाधान चाहते हैं। मैं समझता हूं फिफ्टी परसेंट आफ दि टोटल बजट अगर इनके लिये रखा जायगा तो कुछ वर्षों के बाद वह इस लायक हो सकेंगे और यह कहा जा सकेगा कि हमने उनके लिये कुछ किया है।

अधिष्ठाता महोदय, उपमंत्री जी जब प्रतिवदन प्रस्तुत करन लगे तो कहन लगे कि धनाभाव के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी मंत्री रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि जो सरकारी सचिव होते हैं वह तो मंत्रि परिषद् के इशारे पर सुझाव देते है। वह जानते हैं कि सरकार की ही नीयत इस प्रकार की नहीं है वरना अरबों रुपये के बजट में यह साढ़े चार करोड़ रुपये इस समाज पर उठाये जाते ? कुटीर उद्योग के लिये ५००, मकान के लिये ७५०, आश्रम के लिये, स्कूलों के लिये कुछ अनुदान दे दिये जाते है, इससे क्या होना है ? गांधी जी ने कहा था कि मर कर जन्म लूं तो हरिजन के यहां। लेकिन अगर आप देखें तो दो विभाग हैं, हरिजन एवं समाज कल्याण। इन दोनों विभागों का मिनिस्टर एक है लेकिन विभाग अलग-अलग हैं। आज विद्यावती राठौर जी मिनिस्टर हैं लेकिन उनके नाम की तख्ती में लिखा है समाज कल्याण मंत्री। क्या जरूरत है हरिजन शब्द रखने की? मैं समझता हूं कि यह विभाग केवल तसल्ली देने के लिये है और संभवतः विद्यावती राठौर जी भी इस विभाग से संतुष्ट नहीं होंगी। यह हीनता की भावना मंत्रियों में होती है कि जिसको हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग दे दिया गया तो वह कहते हैं कि क्या डिपार्टमेंट दिया गया है। जिस डिपार्टमेंट की उपयोगिता आज देश में और प्रदेश में इतनी है उस डिपार्टमेंट के बारे में जब मंत्रियों की यह राय होगी तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। यह सोचने की बात है।

एक सदस्य---

यह जब आपकी सरकार थी, उस समय नहीं सोचा था ?

श्री धर्मवीर---

मैं १९६७ में आया। आप विधान सभा की कार्यवाहियों को उठा कर देख लें कि हरिजन समस्याओं के बारे में जो मेरी राय थी, जो मेरे उसूल थे और जो मेरी आवाज थी उसमें कहीं कमी नहीं आई। मैंने जो यहां रह कर कहा है वही वहां भी रह कर कहा है और उसको सरकार के अन्दर घुस कर कहा है। उसको मनवाने की चेष्टा की है। मैं तो कहता हूं कि हम उसके दोषी हैं, मैं तो अपने आपको इलजाम देता हूं कि हम खुद नहीं उठना चाहते हैं। इस प्रतिवेदन पर कौन सी सरकार टिक सकती है अगर हम नोटिस दे दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस बजट में प्राविजन नहीं किया गया तो सरकार गिर जायेगी। लेकिन हमें खुद अपने आपको तोलना होगा। जो हरिजन भाई हैं उनको सोचना चाहिये कि कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिये। विरोध में बैठ कर हमने देख लिया, सरकार में बैठ कर हमने देख लिया, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता अपनाना चाहिये। हमारी मंशा नहीं है कि सरकार गिराई जाय। हमारी मंशा तो यह है कि कोई भी सरकार यहां न टिके अगर वह हरिजनों की समस्याओं की ओर ध्यान न दे।

मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि कोई भी सरकार टिक नहीं सकती है। जो मंत्री बनने के लालाइत हैं, वह इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं। हम ८०, ९० की तादाद में हैं, अगर चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन हम रोयें तो किस बात के लिये, हमें दोष अपने ही को देना है, आपको नहीं देना है, कि हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह युग आ रहा है कि एक दिन हमें सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। हमारे बीच में बार-बार गांधी जी आने वाले नहीं है। अगर हमें उठना है तो हमें अपने बीच दूसरा गांधी पैदा करना है। जिनके खून और पसीने पर तुम आज हुकूमत कर रहे हो उनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। वह ज्यादा दिन तक दबाये नहीं जा सकते, उनको उठाने के लिये हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा वह बजट लाने वाली है बहुत जल्दी, इस प्रदेश का बजट इस सदन के पटल पर आने वाला है अभी हमारे बहुत से हरिजन माननीय सदस्य मंत्रिमंडल में हैं और बहुत से आने वाले हैं वह सरकार पर जोर दें कि

[श्री धर्मवीर]

वह ऐसा बजट लावें जिसमें चौधरी साहब की सरकार को भी तारीफ हो सके और ऐसा न हो कि पुराना घिसा पिटा बजट रख दिया जाय और हरिजन ग्रान्ट के समय हमारे सदस्य हरिजन समस्यायों पर कहें और फिर सदन स्थगित हो जाय। इस से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। माननीय मही लाल जी और आशा राम जी आप लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम २५ परसेन्ट हरिजनों का बजट करा दें तो हम आपके बजट का समर्थन करेंगे। आज जनतंत्र खतरे में है और अगर जनतंत्र खत्म हो गया तो हमारी आवाज भी बुलन्द नहीं हो पायेगी। इसलिये हम लोग जो चुनकर आये है हमारी जिम्मेदारी है कि हम ठोस काम करें।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)---

यह ऐसी समस्या है कि जिस पर सदन के सभी माननीय सदस्य एक राय रखते हैं और जब सभी एक राय के होत हैं और फिर भी इनका उत्थान नहीं हो पाता है तो मुझे आश्चर्य होता है। हमारे भाई ने कहा कि धनाभाव के कारण नहीं हो पाता। मैं ऐसा नहीं मानता कि धनाभाव के कारण उत्थान नहीं होता है। सब से बड़ी बात तो यह है कि हमारे साथियों में मनाभाव की कमी है। जब तक मनाभाव रहेगा चाहे कितना बड़ा बजट बनादे उससे उत्थान नहीं हो सकता है। हमारे समाज सेवा का स्वरूप बदल गया है। जब हमको आजादी नहीं मिली थी उस समय हमारे समाज में सेवाभाव था लेकिन जब आजादी हासिल हो गई तो हमारे समाज का स्वरूप जिसमें सेवाभाव था वह सर्वथा परिवर्तित हो गया चाह जनसंघ हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, पी० एस० पी० या कांग्रेस हो, वह सभी अपने-अपने ढंग से बात करने लग गये।

एक सदस्य---

वोट लेने की गरज से अपने क्षेत्र में हरिजन समस्या पर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इतने स्वार्थी हो।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील---

हरिजनों को चूतिया बनाकर अपनी जेब भर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपनी बुद्धि हीनता का काफी परिचय दे चुके हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील---

अगर मेरी बात ठीक है तो दोनों के बुद्धि नहीं है।

श्री अधीष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील---

माननीय मोती लाल जी सुन लें सोशलिस्ट पार्टी भूमि आन्दोलन करने जा रही है ऐसा अखबारों में निकाला है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जिले में देख लें लोगों के पास साढ़े चार सौ बीघे अनधिकृत जमीन है। जो जमीन है उसका इन्तखाब हमारे पास भी है, उनको जमीन तुरन्त गांव की दिलवा दी जाय।

एक सदस्य---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कहा जा रहा है कि कानपुर में साढ़े ४ सौ बीघे जमीन है सो किसी के पास वहां इतनी भूमि नहीं है।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील--

कानपुर जिले में ही यमुना पार भौलीग्राम में हमारे एक कार्यकर्ता को जमीन के लिये पीटा गया। हमारे श्री जगन्नाथ प्रसाद जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के लोगों की जमीन को ठाकुरों ने ले लिया था। वह माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले, दरख्वास्त की और उसके बाद कहने गये कि हम ऊपर दरख्वास्त मुख्य मंत्री को द आये हैं। वहां पर १०, १५ सोशलिस्ट ठाकुर पहुंचे और उसको उठा कर यमुना के किनारे ले गये, उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। इस तेज धूप में उसको नंगे पैरों चलाया गया। जब वह गिर जाता था तो उसको ठोकर मार कर फिर खड़ा कर देते थे। यही नहीं आग लगा कर फूकना भी चाहा। इस तरह से इन सोशलिस्टों ने उसके साथ बर्बर व्यवहार किया। इसके लिये मैं केवल आप को ही नहीं बल्कि जिस सरकार में मैं शामिल हूं उसको भी कहता हूं कि यह घटना उसके लिये शर्म की बात है और ऐसी चीजों का निराकरण किया जाना चाहिये। उससे यह कहा गया कि अगर जमीन की बात तुमने की तो इससे भी बुरी दशा करवाई जायेगी। उसने कहा कि हमारे बाल-बच्चे मर जायेंगे। उसको इतना मारा गया है कि आज भी वह अस्पताल में भर्ती पड़ा है, इस पर मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी है।

मैं तो कहता हूं कि पुलिस भी हमारी रक्षा करने में असमर्थ है और उसके द्वारा हमारी रक्षा नहीं हो पाती है। हमारे मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह, मुझे आशा है, कि ऐसा आदेश देंगे जिससे हमारी रक्षा हो सके। हरिजनों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी प्रगति की रिपोर्ट शिक्षक लोग नहीं देते हैं। यही नहीं, हरिजन कल्याण विभाग में जो सुपरवाइजर हैं वह भी इन हरिजन बच्चों के लिये कुछ नहीं करते हैं और कभी अगर उनको अपना फार्म भरवाने के लिये कहते हैं तो वह कहते कि क्या हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं। उत्तर प्रदेश में यदि श्री निरंजन लाल जी इतना परिश्रम नहीं करते तो आधे भी हरिजन बच्चों को वजीफा नहीं मिलता। हम तो कहते हैं कि और किसी चीज को दूर करने से काम नहीं चलेगा बल्कि अपने दिलों को साफ करो और उसकी कमी को दूर करो। हमने उस जमाने में देखा है जब कि जमींदार गावों में नहीं जाते थे और हम लोगों को बुलाने के लिये वह गुड़ैतों को भेजता था। हमारा संरक्षण पूरा होगा इसकी हम को उम्मीद नहीं है।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुय।)

परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो हरिजन भाई सर्विस में पहुंच गये हैं उनको इन्सानियत से रहने दें। वह गिलास में पानी नहीं पी सकते हैं, सामने बैठ नहीं सकते हैं। अभी हाल में कानपुर रोडवेज में हरिजन को नहीं लिया गया। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि दरख्वास्तें नहीं आयीं। (व्यवधान) पहली सरकार की बात है। यह सरकार भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पायी इस काम में। (तालियों की आवाज) पिछली सरकार ने अगर आज तक इधर ध्यान दिया होता तो आज यह रोना ही क्यों होता। जिस सरकार ने नहीं किया वह गई है। इस सरकार को रहना है तो उसे मजबूती के साथ हरिजनों की सेवा में लगना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी आर्थिक विषमता जमीन बांटने से दूर नहीं हो सकती है। जैसा माता प्रसाद जी ने कहा, जो किसान तीस चालीस बीघा जमीन रखता उसके लड़के को मास्टर क्यों बनाते हैं, पांच बीघ वाले को या भूमिहीन वाले को बनायें। तो जब तक कोई इस तरह का बंटवारा नहीं होता तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। आर्थिक स्थिति के हिसाब से सर्विस के बटवारा कीजिये। जिन्होंने अच्छी डिग्री हासिल की है, जो आई० ए० एस० हो सकते हों, उन्हें आई० ए० एस० में लें। लेकिन जो गरीब हरिजन किसान हैं, उनके लिये क्लास तीन और चार में तो जगह सुरक्षित रखे। अगर नहीं कर सकते तो हम सदन में आकर ही क्या करेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर ध्यान दें।

[श्री ज्वाला प्रसाद कुरील]

एक बात और कहूंगा, कमेटियां बहुत लम्बी-चौड़ी बना दी हैं। हमारा सौभाग्य है कि श्रीमती राठौर जी के पास यह विभाग है। जो ममता मां के अन्दर होती है, स्त्री के अन्दर होती है, वह पुरुष के अन्दर नहीं होती है। मुझे विश्वास है कि वह अपनी ममता को सार्थक करेंगी और जो कमेटियों का ढेर लगा दिया गया है इस ओर तुरन्त ध्यान देंगी। एक साहब ने तो अपने नौकरों के नाम से सब पैसा ले लिया। इस रिपोर्ट के पृष्ठ १११ में जो सुझाव दिया है उसके हिसाब से मंत्री महोदया कमेटी बनावें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो हरिजन कल्याण अधिकारी होते हैं, इनको कुछ अधिकार दिये जाने चाहिये। इनकी कोई पूछ-ताछ नहीं होती है। यदि आप इनको व्यापक अधिकार नहीं देते कि किसी स्कूल में जाकर लड़कों की स्थिति को देख सकें कि वजीफा मिला या नहीं, फार्म ठीक से भरा गया या नहीं, तो कोई लाभ नहीं। उसके लिए उनको साधन दीजिये सवारी का। यह सब नहीं करेंगे तो लड़कों को आधा वजीफा भी नहीं मिल पायेगा। टिकरा हाउस में मैंने देखा। अगर रात दिन क्लर्क और अधिकारी काम न करते तो हमारे आधे बच्चे भी वजीफा न पा सकते थे। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हम सब एकमत हैं फिर क्यों इनका उत्थान नहीं होता ? वजह यही है कि हम अपने दिलों को बदलें, उनके प्रति दया लायें और घृणा तथा ईर्ष्या को दूर करें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजन समस्या पर विचार हो रहा है। सरकार ने एक हरिजन कल्याण विभाग बना रखा है। लेकिन २२ सालों का तजुर्बा यह बतलाता है कि हरिजन कल्याण के बजाय इस विभाग से खुद का ही कल्याण होता रहा है। हरिजनों का कल्याण तो इस विभाग से अभी तक कोई हुआ है नहीं और न होने की आशा ही है। इसका कारण यह है कि अभी हमारे कानपुर के मित्र माननीय ज्वाला प्रसाद कुरील भाषण कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उनके इलाके में कोई ठाकुर साहब हैं और उन्होंने एक अछूत हरिजन पर बड़ी ज्यादती की और वह उस में हमारी सोशलिस्ट पार्टी का हाथ बता रहे थे और कह रहे थे कि वह ठाकुर साहब इस दल के हैं। इस संबंध में निवेदन करूंगा कि चाहे वह ठाकुर साहब सोशलिस्ट दल के हों या किसी भी दल के हों, यदि मुख्य मंत्री जी में जरा-सी भी स्वच्छ प्रशासन के लिये प्रेरणा है तो मैं चाहूंगा कि वह उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि वह दूसरों के लिए नसीहत रहे। लेकिन यह होगा कैसे ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि नाम है इसका हरिजन कल्याण विभाग लेकिन उसका मंत्री कौन है, श्रीमती विद्यावती राठौर। श्री ज्वाला प्रसाद शिकायत ठाकुर साहब के खिलाफ कर रहे हैं और मंत्री बना रखा है श्रीमती विद्यावती राठौर को तो कार्यवाही कैसे होगी ? इसी तरह से आप देखें कि हरिजन समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी कौन है, जो नेक्स्ट टु मिनिस्टर होता है, तो सेक्रेटरी भी कोई हरिजन नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी भी कोई हरिजन नहीं मिलेगा। इसी तरह से जिलों में भी हरिजन समाज कल्याण अधिकारी कोई हरिजन नहीं है और हमारे यहां जिले में भी एक सक्सेना साहब कई साल से डटे हैं, तो कल्याण कैसे होगा ? जो कल्याण को रोकते हैं, रौंदते और कुचलते हैं वही हमारे अफसर हैं, आका हैं। यही २२ साल से होता आ रहा है।

दूसरा कारण यह है कि बीमारी तो दोनों तरफ के लोग यहां बताते हैं कि हरिजनों का कल्याण नहीं होता लेकिन जब इलाज की बात आती है तो उनको दवा की जानकारी मिली नहीं है कि दवा क्या हो सकती है, और तब उसका इलाज क्या हो सकता है ? सिर्फ भाषण कर दिया कि छप जायगा और इलाके में कह देंगे कि हमने हरिजनों के लिए भाषण किया लेकिन सही मानों में अभी तक समस्या का इलाज किसी को नहीं मिला। अगर इलाज किसी ने ढूंढा था हरिजन कल्याण के लिये तो सिर्फ एक मात्र हिन्दुस्तान में एक नेता था और वह हुआ है डा० राम मनोहर लोहिया, जिसने हरिजन समाज कल्याण की बात बतायी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनकी राय है । आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उसे स्वीकार करें ।

श्री मोतीलाल बेहलवी--

डाक्टर लोहिया ने कहा था कि पिछड़ों के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत अमल में आना चाहिये विशेषत: हरिजनों के उत्थान के लिए । सब दल समान अवसर की बात करते हैं । समान अवसर में हरिजनों का कल्याण हो ही नहीं सकता है । भाई हर नारायण से अगर मेरी कुश्ती करा दी जाय और यह कहा जाय कि जो जीत जायगा तो उसको इनाम मिल जायगा तो मुझे तो वे एक टांग से ही पटक देंगे । अगर किसी पहलवान से मेरी दौड़ करा दी जाय और यह कहा जाय कि जो आगे निकल जायगा उसे इनाम मिलेगा तो मेरे जैसा दुर्बल, कमजोर, दुबला-पतला आदमी कभी बराबरी कर ही नहीं सकता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो हरिजनों का कल्याण दिल से चाहते हैं, वे विशेष अवसर के सिद्धांत को लागू करें, यह सिद्धांत होना चाहिये । जैसे आपने कानून बनाया कि १८ प्रतिशत नौकरियों में हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थान होंगे लेकिन आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिये कि कहां पर १८ प्रतिशत पूरा किया गया है । न इधर के पक्ष वालों द्वारा किया गया और न उधर के पक्ष वालों द्वारा पूरा किया गया है । कितने आपने हरिजनों को गजटेड बना दिया है ? आप अगर गिनना चाहें तो अंगुलियों पर ही मिलेंगे ।

अगर इसके बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं कि हरिजन अभ्यर्थी योग्य और काबिल नहीं मिलते हैं । काबिलियत और योग्यता की बात अब हमारे चौधरी चरणसिंह जी भी मानते हैं । यदि वह नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं उन्होंने माननीय मही लाल जी को मुख्य मंत्री बना दिया या मुझे गोली मारने वाले भाई आशा राम इंदु को बना दिया ? लेकिन नहीं बनाया इसलिये कि हमारा शोषण तो चौधरी साहब भी करते हैं । ये जितने मिनिस्टर्स यहां पर बैठे हुए हैं, ये सब शोषण करते हैं । अब अगर कोई हरिजन मिनिस्टर होते हैं तो वे कहते रहते हैं कि वे कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि मुख्य मंत्री तो श्री सी० बी० गुप्ता हैं, मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह हैं, मुख्य मंत्री पंत जी हैं । अभी तक यह तर्क, यही दलील दी जाती रही है कि जब यह सरकार कायम हुयी तो तमाम हरिजन विधायकों के स्वाभिमान पर ठेस पहुंची । सरकार के पदारूढ़ होने पर नारा लगाया गया कि चमार राज नहीं चलेगा । एक विधायक के भी कान पर जूं नहीं रेंगी । अगर किसी में भी स्वाभिमान होता या हरिजनों का कल्याण चाहता तो उनको इस बात की लानत-मलामत देता और तुरन्त इस्तीफा दे देता और चौधरी गिरधारी लाल को मुख्य मंत्री बनाने का मौका देता । अगर चौ० गिरधारी लाल में कांटे महसूस होते थे तो किसी अन्य हरिजन को मुख्य मंत्री बनाया होता ।

दूसरी बात यह कि चौधरी साहब कल भाषण कर रहे थे कि मस्तिष्क की जरूरत है, हृदय की नहीं । उन्होंने कहा कि अनशन करना हृदय की बात है और समस्याओं को हलकरने में मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, हृदय की नहीं । जाहिर है कि चौधरी साहब हमहरिजनों को हृदय दे नहीं सकते । मस्तिष्क से हमारा कल्याण करेंगे । मस्तिष्क हमेशा वकालत करता है । वकालत कतली आदमी की भी की जाती है । मैं यह कह रहा था कि वकालत तो सब कर लेते हैं । बीमारी सब बताते हैं । इलाज क्या है ? यदि पता है, तो इलाज करना नहीं चाहते । सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के कल्याण होने में ये रुकावटें हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है । चौधरी साहब के खेतों पर हमसे मार जूतों हल चलवाया जाता है । और जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं ये लोग भी हल चलवा लेते हैं । सतुवा दोपहरी में दिया तो दिया नहीं तो जुतवाये हुये हैं । शोषण तो हमारा सभी करते रहे हैं । अगर हमारी मिलकियत की जमीन हो जाय तो चौधरी साहब की भी चौधराहट भूल जाय और फिर हम पर हुकूमत नहीं कर सकते । जब हम कहते हैं कि जमीन का बंटवारा करो तो जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे ।

[श्री मोतीलाल देहलवी]

अगर चाहें तो कर सकते हैं । क्यों नहीं तमाम हरिजन लोग जो उस दल यानी शासक दल में शामिल हैं, चौधरी चरण सिंह को मजबूर करें कि दो जमीन हरिजनों को ।

दूसरी बीमारी है आमदनी की । श्रीमन्, आप जानते हैं हम हरिजन गांवों में ९० प्रतिशत चौकीदारी करते हैं । २२ साल के बाद हमारे हरिजन चौकीदारों को १० रुपये मिलने लगे हैं । पहले तीन रुपये महीना मिलता था । तीन से पांच हुआ और पांच से अब बेशरमी में हमारे लड़ते लड़ाते दस रुपये हो पाये । और इधर जिनसे पैसे लिये जाते हैं चुनावों के लिए जरा श्रीमन्, उनकी आमदनी पर गौर करिये । दस-दस लाख रुपये रोज की आमदनी है । अगर हरिजनों का कल्याण करना है तो हम तो २२ साल से चिल्ला रहे हैं कि आमदनी और खर्च की सीमा को बांधो यानी एक और दस का फरक बांधो । अगर सही माने में आप हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो क्या ऐसे कि कहीं दस रुपये महीना और कहीं दस लाख रुपये रोज ? कोई इंतिहा नहीं है । जमीन आसमान का फर्क है । २२ साल हो गये । अगर कल्याण करना चाहते हैं अब तो आपके हाथ में सब कुछ है । आमदनी और खर्च की सीमा को बांधो, क्यों नहीं बांधते ? तीसरी बात हम जो थोड़ी-बहुत आमदनी करते हैं गांव में या शहरों के मिलों में मजदूरी करके वह महंगाई चाट जाती है । हम बहकते रहे हैं कि २२ साल से तनख्वाह नहीं बढ़ाई लेकिन असल जरूरत चीजों के दाम बांधने की है ।

मैं एक सिद्धांत के आधार पर कारखानों में बनने वाली चीजों और हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल आने वाली चीजों के दाम ड्योढ़े के आधार पर बांधने को कहता हूं, चाहे दुगुने के आधार पर बांधिये पर कुछ तो करो न । आज हालत क्या है ? मिट्टी के तेल की एक बोतल जिसकी तैयार लागत कीमत पांच छः नये पैसे लगती है, परन्तु आज देहातों में हमारे हरिजनों को वही मिट्टी के तेल की एक बोतल कभी कभी एक २ रुपये में खरीदनी पड़ती है । श्रीमन्, जो कुछ हम कमाते हैं दूसरों की मजदूरी से, ये मंहगाई बढ़ाने वाले लोग हड़प जाते हैं और सरकार उनकी हिफाजत २२ साल से करती आ रही है । इसी तरह से हम कहते आ रहे हैं कि दो फसलों के बीज में अनाज के भाव को बांधो । हर साल हम छोटे छोटे किसानों और हरिजनों की लूट होती है । जब कभी फसल तैयार होती है, और हमारे घर में आ जाती है तब श्रीमन्, सस्ती हो जाती है । हमारा सस्ता अनाज समेट लिया जाता है और जब भंडार भर लेते हैं तो वही अनाज हम लोगों को मंहगे दामों पर खरीदना पड़ता है । फिर कैसे हम लोगों का कल्याण हो सकता है ? दूसरा कल्याण हम लोगों का यह किया गया कि २२ सालों में जो रुपया मुर्गी पालन या सुअर पालन आदि के नाम पर हरिजनों को मिलता था वह सब सफेद पोश लोगों की जेब में चला गया । चाहे गुप्ता जी की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार रही हो, मैं चाहता हूं कि एक आयोग गठित करके इसकी जांच की जाय कि पिछले २२ वर्षों में जितना रुपया हरिजनों के लिए दिया गया वह किन किन विधायकों की जेबों में गया । मैं अपने हरिजन भाइयों से निवेदन करूंगा कि सरकार को बाध्य करें कि जमीन का उचित बटवारा हो, चीजों के दाम बांधे जायं और आमदनी और खर्च की सीमा निर्धारित हो ।

मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में खोये, क्रीम और खोये की मिठाई बनाने पर पाबन्दी लगाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मुझे कुछ आवश्यक सूचनायें देनी हैं । आज नियम ५६ के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र विकल द्वारा दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में शासन द्वारा ६-५-१९७० से १४-७-७० तक के लिए खोया, क्रीम एवं खोये की मिठाई बनाने में पाबन्दी लगा देने के फलस्वरूप जन समुदाय में असंतोष का जिक्र किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष ने इस सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। माननीय मंत्री सोमवार अथवा मंगलवार को वक्तव्य दें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत यह सूचनायें प्राप्त हुई हैं—(१) श्री सूबेदारसिंह तथा श्री विजय-बहादुर की मिर्जापुर जिले में लिखित सूचना देकर, डाका डालने की घटनाओं के संबंध, (२) श्री कृष्णस्वरूप वैश्य और मोहनलाल कपूर की अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में शराब बन्दी की मांगों को लेकर जन आन्दोलन के विषय में, (३) श्री हरिवंश सहाय और देवराम की उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर चोरी डकैती तथा कत्ल की घटनाओं के विषय में। (४) श्री नित्या नन्द स्वामी की ऋषिकेश के निकट गरुड़ चट्टी पहाड़ी पर चीनी इश्तहार आदि के पाये जाने के विषय में, (५) श्री रियासत हुसेन तथा श्री रामचन्द्र विकल की ६-५-७० को आंधी और वर्षा से प्रदेश के पश्चिमी भागों में जन जीवन अस्त-व्यस्त होने के विषय में (६) श्री भाभी यादव तथा श्री श्याम लाल कनौजिया का आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के ग्राम भटोरा में सशस्त्र डाका जिसमें कई हत्यायें हुईं, कई लोग जख्मी हुये, के विषय पर। इन सभी को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है।

श्री माननीय अध्यक्ष ने ३ को वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है यह है—(१) श्री महरमसिंह तथा श्री सुरेंद्र विक्रम का फर्रुखाबाद जिले में १९६९ के बाढ़ पीड़ित लोगों का लगान स्थगित किया गया तथा छूट के कागज तैयार कराये गये थे परन्तु अब तेजी से लगान वसूल करवाने के कारण जनता में असंतोष और निराशा है। इसको माननीय अध्यक्ष ने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। दूसरा है पुलिस ने सीतापुर जिले के एक गांव से दिनांक २९-४-७० को श्री सीताराम अहीर की बहू को पकड़ा तथा सीताराम के भतीजे पर गोली चलायी और रात में पुलिस दल ने गांव में हमला करके लूटमार की। श्री कृष्णकांत अवस्थी, श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह और श्री भानुप्रताप सिंह की नियम ५१ की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है।

प्रतापगढ़ जिले में भीषण डकैतियों तथा हत्याओं के संबंध में माननीय रामदेव दुबे की सूचना को माननीय अध्यक्ष ने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो लोक महत्व का प्रश्न मैंने कार्यस्थगन के लिए दिया था, उसमें कानून का भेद दो जिलों मेरठ और बुलन्दशहर में किया गया है। जो दूध पैदा करने वाले हैं, खोया बनाते हैं या क्रीम बनाते हैं उनकी रोजी पर आघात है। इस चोज को आसानी से इस सरकार ने सहन कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको स्वीकार किया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

स्वीकृत किया है, नियम ५१ में, ऐसा आदेश केंद्रीय सरकार का, यह सरकार मानती चली जा रही है। जो जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नियम जो केवल दो जिलों की जनता के लिए ही नहीं बरता जा सकता है। माननीय मुख्य मंत्री उस जिले के रहने वाले हैं। उस समस्या से वाकिफ हैं। आप उनसे कहें और कार्यस्थगन के रूप में इसको मंजूर करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर जो निर्णय माननीय अध्यक्ष ने किया है कि वह मैंने आपके समक्ष रख दिया ।

श्री रामचन्द्र विकल—

कानून में भेद है। संविधान की अवहेलना है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपने लिख कर दिया है उससे यह बात मुझे भी नहीं झलकती।

श्री रामचन्द्र विकल—

दिल्ली के चन्द सरमायेदारों को सस्ता दूध पहुंचाने के लिए यह किया गया है और जो पैदा करने वाले लोग हैं उनकी रोजी पर यह हमला है। आप इस पर बहस का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान का जिक्र कहां किया है ?

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

नियम ५१ में अल्मोड़ा और नैनीदाल जिलों में नशाबन्दी के लिए जो जन आन्दोलन चल रहा है उसके संबंध में सूचना दी थी । उसमें महिलायें भी भाग ले रही हैं । कम से कम उस पर वक्तव्य तो करवा दें ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर में लिखित सूचना दे कर डाके पड़ रहे हैं । तीन तारीख को डाका पड़ा । कई लोगों को लिखित सूचना दी गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न कर दें ।

श्री सूबेदार प्रसाद—

बड़े लोग आतंकित हैं । गांव छोड़ कर भाग रहे हैं । कृपा कर वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर माननीय अध्यक्ष से बात कर लें । मेरी तरफ से आप अल्पसूचित प्रश्न रख सकते हैं ।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

मैंने एक सूचना दी थी आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के ग्राम भटौरा में ३–४ मई की रात में एक भीषण डकैती पड़ी जिसमें दो आदमी जान से मारे गये, गोली के शिकार हुये और १४ आदमी घायल हुये। वे १४ आदमी सदर अस्पताल, आजमगढ़ में अंतिम सांसे गिन रहे हैं । भटौरा गांव से पुलिस चौकी एक मील की दूरी पर है। तीन घंटे तक ग्रामीणों को घेर कर डकैतों ने मनमाने ढंग से लूट की लेकिन पुलिस वहां नहीं गयी । पुलिस की निष्क्रियता से इस कांड से उस क्षेत्र में व्यापक असंतोष, भय एवं आतंक का वातावरण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वक्तव्य दिलवाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

लोक महत्व का प्रश्न सर्वथा भविष्य की सम्भावनाओं से सम्बद्ध होता है। पिछली घटनाओं के बारे में कानून में अन्यथा व्यवस्था निहित की गयी है। वैसे आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कल माननीय अध्यक्ष महोदय, ने एक आश्वासन दिया था कि मक्सलपंथियों की गतिविधियों के बारे में सरकार से जो वक्तव्य चाहते हैं, जो डिटेल्स चाहते हैं, अगर वह आते, तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। और दो घंटे की बहस करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सरकार की ओर से बयान आने दीजिये। एक आध प्रश्न कर लें। अगर कोई ऐसी चीज लगेगी तो देखा जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बयान में कोई डिटेल्स नहीं दिये गये हैं और बयान तो आ चुका है, हमें मिल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके पास बयान होने से बयान नहीं हो गया। वह जो सदन में वक्तव्य देंगे उससे बयान होगा। बयान होने से पहले ही आप कोई बात कैसे कह सकते हैं?

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

किस नियम के अन्तर्गत आप सूचना देनी चाहते हैं?

श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सूचना देने का मुझे अधिकार नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिये। आप इस तरह से नहीं खड़े हो सकते। सूचना देनी हो तो पहले आज्ञा लेनी चाहिये। यह सूचना का समय नहीं है। इसी तरह माननीय महीलाल जी जो सरकारी पक्ष के हैं, मैंने भी उनको टोका था। वह भी सूचना देने के लिए खड़े हुए थे। मैंने उनको भी टोक दिया था। आप किस नियम के अन्तर्गत सूचना देना चाहते हैं?

श्री हुकुम सिंह परिहार—

सूचना देना क्या जुर्म है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। आप कृपा करके बैठें। आपके पास नियम और अधिकार इतने हैं कि उनका आप सही-सही प्रयोग करें तो आप सूचना दे सकते हैं लेकिन हर समय हर आदमी सूचना देने लगेगा तो दूसरे कामों के लिये हमारे पास समय नहीं रह जायगा।

उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथीउ/ग्रपंथियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के संबंध में नियम ५१ के ग्रन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

नक्सलपंथी, उग्रपंथी गतिविधियां पिछले दो-तीन साल से इस प्रदेश में दृष्टिगोचर हुई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इन नक्सलपंथी उग्रपंथियों का प्रमुख उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति द्वारा सत्ता प्राप्त करना और उसके लिये आग्नेयास्त्र एकत्र करना, भूमिहीनों द्वारा परती जमीन जबरदस्ती कब्जा करना आदि है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समय-समय पर प्राप्त सूचना के अनुसार गुप्त रूप से प्रदेश के कुछ जिलों में माओवादी साहित्य का प्रचार करना है। कहीं कहीं पर कुछ आपराधिक गतिविधियां भी दृष्टिगोचर हुई हैं। अधिकतर ऐसी गतिविधियां तराई क्षेत्र में, नैनीताल, खीरी, बहराइच आदि जिलों में दृष्टिगोचर हुई हैं।

२—शासन इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुये है और आपराधिक कार्यवाही की सूचना मिलने पर वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले नक्सलपंथी, उग्रपंथियों के कुछ सक्रिय कार्यकर्ता कुछ विशिष्ट अपराधों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये। शासन ने समस्त जिलाधीशों को तथा पुलिस को कड़े आदेश दिये हैं कि नक्सलपंथी, उग्रपंथी गति विधियों पर कड़ी नजर रखें और जहां कहीं भी ऐसी गतिविधियां होने का आभास हो तुरन्त ऐसी कार्यवाही करें जिससे ऐसी गतिविधियों का दमन कर दिया जाय।

३—नक्सलपंथी, उग्रपंथी गतिविधियां इस प्रदेश में इतनी व्यापक या गंभीर नहीं कही जा सकती हैं जिससे कि कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखना कठिन हो गया हो। फिर भी शासन इस बात को मानता है कि ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन या अवसर ऐसी जगहों पर अधिक मिलता है जहां पर स्थानीय जनता के लिये कोई व्यापक कठिनाई या समस्या हो। ऐसी कठिनाईयों या समस्याओं की जानकारी करना तथा उनको हल करने की दिशा में शासन हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को उनके खुफिया विभाग द्वारा यह सूचना है कि नक्सलपंथियों के नेता, श्री कानू सान्याल नैपाल में हैं और नैपाल से इस समय वह उत्तर प्रदेश में शस्त्र भेज रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे खुफिया विभाग को यह इल्म है या नहीं कि यह नेता नैपाल में हैं। लेकिन यह बात सही है कि उनमें से कुछ लोगों के पास नाजायज हथियार हैं और वह कहां से आ रहे हैं यह नहीं कहा जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि करन सिंह जी ने जो नोटिस दी उसमें उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया है कि खीरी जिले के पलिया थाने में एक घटना इस प्रकार की हुई, जिसमें नक्सलवादियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री या अध्यक्ष को जान से मारने के लिये घातक प्रहार किया और उनकी बीबी को भी भारी चोट लगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के सिलसिले में सरकार ने जो कहा है कि जहां-तहां उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या इस घटना से संबंधित लोग गिरफ्तार हुये या नहीं हुए?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह जिक्र ठीक है। २० दिन हुये, अंदेशा यही है कि यह नक्सलपंथी लोगों का काम रहा है। एक नेशनलिस्ट यूथ के कार्यकर्ता है, उन पर कुछ लोगों ने घातक हमला है। किन्तु वह तो बच गये, उनकी बीबी को चोटें लगीं हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट को मालूम है। इस सिलसिले में मेरे पास भी लोग आये थे और मिले थे। मैंने आई० जी० और डी० आई० को आदेश दे दिया है आवश्यक जांच और कार्यवाही करने के लिये। उन्हें कहां तक सफलता मिली है अब तक, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार को यह पता है कि श्री रमेन्द्रनाथ सिंह, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला नक्सलपंथियों ने किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में श्री तीरथराज, राममूर्ति को जो काफी दिनों से नक्सली रास्ते पर हैं, को नामजद किया है? यदि हां, तो क्या वह पकड़े गये या नहीं?

श्री चरण सिंह—

मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किसे-किसे नामजद किया है, लेकिन वह हमसे मिले थे अपने दो-तीन साथियों के साथ और उन्होंने कहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि सरकार इस विषय में तवज्जेह नहीं दे रही है, जब कि सरकार यह जानती है कि आसाम, केरल और बंगाल को उन्होंने अपने खूनी पंजे में जकड़ लिया है और उत्तर प्रदेश में उनका पंजा आ रहा है। तो क्या कोई स्पेशल सेल लगाकर मुख्य मंत्री ऐसी कोशिश करेंगे कि उनकी जांच करके उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाये। ताकि उत्तर प्रदेश में, कोई हिंसक वारदातें और समस्या पैदा न हो?

श्री चरण सिंह—

जहां कानून के खिलाफ कोई घटना होगी वह तो गौर की ही जायेगी। इसमें माननीय मित्र को कोई सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी क्षेत्रीय कान्फ्रेंसेज मेरठ, बहराइच, लखीमपुर और बरेली में हुई हैं, जिनमें कानू सान्याल साहब स्वयं आये थे और उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि वे सशस्त्र विद्रोह के लिये अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करें और बगावत करने के लिये तैयार रहें हर समय? और दो जनवरी को जौनपुर में "लाल-सलाम" नामक पोस्टर्स लगाये गये और उन्हें जनता के अन्दर तथा डिग्री कालेज के छात्रों के बीच वितरित किया गया कि बगावत की जाय। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

*श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि उनकी कांन्फ्रेंन्सेज हो रही हैं। उनकी हाल ही में, मेरठ में भी एक कान्फ्रेन्स हुई है। मैं इसको ज्यादे तफसील में बताना आवश्यक नहीं समझता। गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में जितना आवश्यक समझती है उतनी कार्यवाही कर रही है। मुझे आपकी तरफ से कल ही लिख कर गया है कि इस सम्बन्ध में, मैं आज बयान दूं। तो यह समय बहुत ही कम था। मैंने तो, जैसा कि कल माननीय अध्यक्ष से बात की, १८ तारीख को इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

पर बयान देने के लिये कहा था। इसलिये मैंने एक मोटा-सा बयान आपके सामने दे दिया। मुफ्फसिल तरह से मैंने आपको बयान नहीं दिया। मैं समझता हूं मुफसिल तरह से बयान देने से इस सदन को कोई सहायता नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदन को इस मामले में बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि जहां-जहां इस प्रकार के तत्व पड़े हैं वहां पर भूमि समस्या हल नहीं की गई। यहां तक कि बंगाल और बिहार में जो शेयरक्रौपर्स हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने में प्राबलेम थी वह भी २० साल से हल नहीं हुई। वहां पर १८-१८ हजार एकड़ के बड़े-बड़े फार्म हैं। वहां पर जमींदारी लागू है। तो इस वजह से वहां नक्सलपंथी आन्दोलन कर रहे हैं। हमारे यहां यू० पी० में ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां भूमि की समस्या नहीं है। तो नक्सलपंथियों का मूल कारण यह है कि वहां संतोषजनक तरीके से भूमि की समस्या का हल नहीं हुआ है। हो सकता है कि यह समस्या यहां उत्तर प्रदेश में भी हल न हुई हो। किन्तु यदि हिन्दुस्तान में कहीं इस समस्या का हल हुआ है तो वह केवल उत्तर प्रदेश ही है। इस सम्बन्ध में कोई आशंका करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समस्या है जिसे हम नक्सलपंथियों की समस्या कहते हैं,हमारे प्रदेश में केवल बहराइच, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत और नैनीताल की तराई में वे लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे १६ जिलों में इनकी एक डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है लेकिन इन चार जिलों की तरफ उनका अधिक ध्यान है। गांव समाज की जमीन पर, फारेस्ट की जमीन पर या सरकारी जमीन पर तथा जिन जमीनों पर छोटे राज्य कर्मचारियों के कनाइवेन्स से गलत आदमियों के कब्जे हैं और जिन पर सही आदमियों के कब्जे नहीं हैं, उन पर ये लोग कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम लोग इस बारे में पहले से सजग होते तो शायद यह समस्या पैदा न होती।

अभी मैंने इस संबंध में रेवेन्यू सेक्रेटरी से बातें की थीं तथा फारेस्ट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से भी बातें की थीं। अब बस्ती से लेकर बिजनौर तक के जिलाधीशों, और डिस्ट्रिक्ट आफीसर्स को बुलाकर उनसे इस संबंध में बातें करने का मेरा विचार है। उनको असली प्राब्लम जमीन की है जिसको ठीक करने की मंशा हमारे कानून की भी है कि वह सही लोगों के पास आ जाय। जहां तक पुलिस ऐक्शन की बात है, वह तो आवश्यकतानुसार होगा ही।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि नैपाल स्थित चीनी राजदूत, मार्शल तुकोबी ३१ मार्च को नैपाल आये थे और वे नैपाल में भारत की सीमा से लगे भाग में ३ दिन ठहरे जिसको 'नो-मेन्स लैंड कहा जाता है, उन्होंने नैपाल और भारत का दौरा भी किया ?

श्री चरण सिंह--

अगर माननीय सदस्य का यह मतलब है कि चीनी राजदूत नैपाल की सीमा लांघ कर हमारे यहां आये, तो ऐसी मुझे कोई इत्तला नहीं है।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी नक्सलपंथी लोगों को पकड़ने के लिये थाना हजाला और सम्पूर्णनगर में जीपों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चरण सिंह--

जीप की व्यवस्था तो गैर-नक्सलपंथियों को पकड़ने के लिये भी की जाती है।

श्री पारसनाथ सिंह---

क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट कोओर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी, श्री शिव कुमार मिश्र, जो अन्डर ग्राउन्ड काम करते हैं, नैपाल के निधिनगर और रजगवां गांव में मार्शल तुकोवी के साथ रहे और वहां के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और रातों रात हमारे प्रदेश के जंगलों में तथा मूर्तिहर और धर्मपुर के जंगलों में, जो नैपाल की सीमा से ही मिले हुए है, उन्होंने शस्त्रास्त्रों की शिक्षा लोगों को दी ?

श्री चरण सिंह---

मुझको अगर यह बात पहले मालूम होती तो मैं अवश्य ही अपने अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर देता। मुझे यह नहीं मालूम है। मैं समझता हूं माननीय मित्र को इस बारे में कुछ मालूम है। मैं उनका कृतज्ञ हूंगा अगर वे किसी समय मेरे पास आकर इस प्रकार की सूचना देंगे तो मैं संबंधित अधिकारी को बुलाकर उन से बातें करा दूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है---"फिर भी शासन इस बात को मानता है कि ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन या अवसर ऐसी जगहों पर अधिक मिलता है जहां पर स्थानीय जनता के लिये कोई व्यापक कठिनाई या समस्या हो"। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यहां उत्तर दिया उसमें भी करीब-करीब वही बात कही। मेरी चिन्ता यह है कि क्या यह सरकार उस बात को मान लेती है कि जो नक्सलवादी गतिविधियां वह जमीन के कारण से हैं जिसका कि प्रचार वे स्वयं करते हैं कि उनका आन्दोलन जनता की कुछ जरूरतों और कठिनाइयों को लेकर होता है और इस तरह से वे अपनी मांगों को न्यायिक चोला पहनाते हैं। क्या सरकार इसको स्वीकार करती है ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि एक कारण बल्कि सब से बड़ा कारण इस तरह की कार्यवाहियों के पीछे यह है कि जब तक गरीब आदमियों की बात नहीं सुनी जायगी, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश नहीं की जायगी, अगर हम डेमोक्रेसी में नानवायलेन्ट तरीके से, लेजिस्लेशन के तरीके से उनके मसलों को हल नहीं कर सकेंगे तो इस तरह की समस्यायें पैदा होंगी। इसी कारण से बंगाल और बिहार में समस्यायें पैदा हुई। मैंने ५७ में एग्रो इंडस्ट्रियल रेवोलूशन एक किताब लिखी थी। उसमें यह लिखा था कि जमींदारी अबालिशन से ३ फायदे होंगे। उन तीन फायदों में एक यह भी लिखा था कि हम हर आदमी को जमीन का मालिक बना दें चाहे एक या दो एकड़ जमीन ही उसको मिले। उससे पीजेन्ट प्रोपराइट्री कायम हो जायगी। "इट विल बी ए ग्रेटेस्ट बुलवर्क अगेन्स्ट डिसइन्टिग्रेशन ऐन्ड वायलेन्स।"

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह बात उचित है कि जहां तक कुछ कठिनाई है भूमि सम्बन्धी हैं उनको दूर किया जाय। लेकिन इन कठिनाइयों का सहारा नक्सलवादी लेते रहें क्या सरकार इसको ठीक समझती है ? मैं यह कहता हूं कि नक्सलवादी गतिविधियों का विश्व-व्यापी कम्युनिस्ट रूपी आन्दोलन उसका स्वरूप है यह सरकार स्वीकार नहीं करती ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यह मैंने कब कहा कि यह होल रीजन है। यह मुख्य कारण है। मैंने दूसरी बात यह भी कही थी कि कुछ लोग अच्छे घरों के भी हैं जिनको जमीन की समस्या नहीं है वह भी इसमें शामिल हैं। उनका इस तरह की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। तीसरी बात यह भी कही थी कि ला ऐन्ड आर्डर कायम करने के लिये

[श्री चरण सिंह]

इन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही उठा नहीं रखी जायगी लेकिन वह मसला भी हल हो। लोगों की दिक्कतें हैं लेकिन यह डिक्टेटरशिप और वायलेन्स का तरीका ठीक नहीं है। जहां तक ला एन्ड आर्डर कायम रखने का सवाल है, उसको मजबूत हाथ से कायम रखने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कारण पुरानी सरकार का गलत तरीके से जमीन का बटवारा करना है तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर गौर करते हुये कि जमीन का सही तरीके से बटवारा हो और जैसा उन्होंने निर्णय लिया है तो जिन गरीबों के पास जमीन नहीं हैं उनको दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं तो हमेशा छोटी जोतों के ही हक में रहा हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि आज अर्से से नैपाल के बार्डर पर और मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कृष्णानगर जो बरहज के पास बस्ती जिले में है, वह लोग और यह नक्सलपंथी लोग वहां पर डकैती और चोरी करते हैं, नेफेरियस एक्टीविटीज में हिस्सा लेते हैं। और इस वक्त शासन की ढिलाई की वजह से आज वहां पर इनका गढ़ बन गया है। जो पुलिस स्टेशन और चौकी वहां पर है उन लोगों को राहत पहुंचाते हैं। इसी कारण से वहां पर बाहरी डकैत नैपाल से आते हैं। पिछले वर्ष सैकड़ों आदमियों को नैपाल बार्डर से आकर मार डाला था और उसकी शिकायत प्रदेशीय सरकार को भी हो गयी थी। तो यह रूप नक्सल-पंथियों ने धारण कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

तो क्या यह आदेश करेंगे कि जो बार्डर के थाने हैं वह जागरूक रहें और विशेषरूप से दिलचस्पी लें ताकि जनसाधारण की जिन्दगी दुरुह न होकर नार्मल हो सके ?

श्री चरण सिंह—

मुझे अफसोस है कि माननीय शास्त्री जी ऐसी समस्या पर भी राजनैतिक लाभ उठाने के अपने लोभ का संवरण नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आजकल जो शासन ढीला हो गया है और साथ ही फिर बाद में कहा कि जो पिछले साल इतने कत्ल और डाके हुये थे....

श्री रामकुमार शास्त्री—

हुये नहीं, अभी तक जारी हैं।

श्री चरण सिंह—

मेरे इल्म में नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपके इल्म में नहीं है तो क्या किया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, श्री बोरा के प्रश्न को माफ करेंगे पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन निश्चित रूप से मैं रखना चाहता हूं। जब मुख्य मंत्री जी को यह एहसास है कि जनता भूख, भूमिहीनता और दुख नक्सलपंथी आन्दोलन को बढ़ावा देते हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी उस दुख को मिटाने के लिये जमीन के पुनर्वितरण का और जो सीलिंग का कानून वह लाना चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी ला कर यह कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

जो माननीय मित्र ने सवाल पूछा है वह सही पूछा है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की जो धारा १६८ है जिसमें सन् ५१ में ही हमने यह निश्चय किया था कि जो जमीन फालतू होगी दस फीसदी से ज्यादा गांव समाज के पास वह तकसीम करनी होगी, गांव समाज की भूमि प्रबन्धक कमेटी को और उसमें पहला प्रिफरेंस दिया जायगा लैंडलेस लेबर को। तो उस कानून को और यू० पी० सीलिंग ऐक्ट, अगर इस तरह से जमीन नहीं मिली और जिस तरह से वह बना था उसमें मिल भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी सूचना यह है कि जितनी भी थोड़ी बहुत जमीन मिल सकी उसका भी ठीक से बंटवारा नहीं हुआ। और जो हम आगे कानून लाने वाले हैं उससे जो जमीन मिलेगी मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह सही तरीके से तकसीम की जायगी और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हीं को देने की कोशिश की जायगी।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लोगों का दुख नक्सलपंथियों को प्रमुख रूप से बढ़ावा दे रहा है आन्दोलन करने के लिए। पर मैं समझता हूं कि सरकार का यह दृष्टिकोण सही नहीं है। हापुड़ में ११ तारीख को सैनिक ट्रेन को उलटने का प्रयास नक्सलपंथियों ने किया। क्या मुख्य मंत्री जी को इसका ज्ञान है ? और यदि है, तो क्या कोई कार्यवाही की है और क्या उन अपराधियों को वह पकड़ेंगे ?

श्री चरण सिंह—

एक तो मैं माननीय मित्रों से यह दरख्वास्त करूंगा कि हर हिंसक कार्यवाही से वह नक्सलपंथियों को सम्बद्ध न करें।

श्री मोहनलाल कपूर—

११ तारीख को सैनिक ट्रेन को उलटने का प्रयास किया।

श्री चरण सिंह—

मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है, आपके पास कोई इत्तिला हो सकती है और मुमकिन है कि इनवेस्टिगेशन के बाद वह ठीक भी निकले लेकिन मेरी इत्तला नहीं है। मैंने तो यही नहीं कहा कि इकोनामिक रीजन्स हैं, बल्कि मैंने कहा कि उसके साथ पोलिटिकल, साइकोलाजिकल, फिलास्फिकल रीजन्स भी हैं और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जहां अच्छे प्रकार से समाज चल रहा है, जहां लोगों की आर्थिक, सामाजिक शिकायतें कम हैं वहां "नक्सलपंथ" जो कुछ है– वह आसानी से रूप नहीं लेगा, जन्म नहीं लेगा।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलपंथियों की एक्टिविटीज इतनी तेज हो गयी हैं कि तराई क्षेत्र में पी० ए० सी० की तीन बटालियन मंगानी पड़ी और गुप्तचर विभाग की सहायता ली गयी, क्या यह सही है ?

श्री चरण सिंह—

उन्होंने अगर पी० ए० सी० की बटालियन मांगी हैं तो आई० जी० से मांगी होगी, मेरे पास उसकी इत्तला नहीं है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० की बटेलियन तो इस्तेमाल करनी पड़ी सन् ६९ में भी और गालिबन सन् ५७ में जबकि नक्सलपंथियों का कोई काम नहीं था, क्योंकि यहां कुछ लोगों ने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया था उनको बेदखल करने के लिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री भानुप्रताप सिंह।

एक सदस्य—

क्या मैं सदस्य नहीं हूं? क्या मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने चुन कर नहीं भेजा है जो आप मुझे बोलने का समय ही नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपको भी समय मिलेगा। माननीय भानुप्रताप सिंह।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मैं मुख्य मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उनकी राय में उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में भूमि का वितरण ज्यादा अच्छा है? और क्या भूमि वितरण की किसी नयी योजना से ऐसी कोई बड़ी मात्रा में जमीन मिलने वाली नहीं है जिससे भूमिहीनों की भूख मिट सके?

दूसरा सवाल यह है कि क्या २० वर्ष के त्रुटिपूर्ण नियोजन के फलस्वरूप जो रोजगार के रास्ते नहीं खुले, यानी रोजगार उतना नहीं मिल सकता है जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है क्या उसके कारण भी नक्सलपंथियों को प्रोत्साहन मिला है? विशेषकर पढ़े लिखे नवयुवक आज जो नक्सलपंथियों की तरफ आकर्षित हुये हैं? क्या वह इसका परिणाम नहीं है कि पिछले २० वर्षों से त्रुटिपूर्ण नियोजन इस देश में चलाया गया, उसके कारण जिस तेजी से रोजगार का द्वार खुलना चाहिये था वह नहीं खुला?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र की दोनों बातें सही हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

नक्सलबाड़ी का जब उत्तर प्रदेश में सूत्रपात हुआ मैं उसके विषय में कुछ सूचना देते हुए प्रश्न करना चाहता हूं—यह उनके उत्तर से संबंधित है। जब इनकी संविद सरकार थी सन् ६७ में तो बहराइच में नक्सलबाड़ी का बोलबाला हो रहा था और डिप्टी मिनिस्टर थे कृष्णबहादुर मिश्र, उन्होंने जांच की और उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को दी और उन्होंने भी उस रेंज में जांच करवाई और रेकार्ड आपरेशन की स्कीम चालू की जिसके कारण आज बकरी और भेड़ की तरह से लोग वहां हलाल हुए हैं। आज भी रेकार्ड खुला है, उसका बड़ा हल्ला मचा, लेकिन आज ३ वर्ष हो गये कोई हल उसका नहीं निकाला गया है। क्या यह सही है?

दूसरा यह कि जिन जिलों में बताया है कि पचासों हजार की जनसंख्या फैल चुकी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बसे हुए हैं और भूमि की समस्या बड़ी जटिल है, वहां नक्सलबाड़ी खूब तेजी पकड़ रही है। तो भूमि समस्या के संबंध में रेकार्ड आपरेशन और जांच आपने करवाई, तो उसके बाद भी जो परिणाम निकल रहा है और माओ की जय लोग बोल रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जो बुलवाते हैं कृष्णनगर कालोनी में और मीटिंग करते हैं और भारतीय करेंसी का रुपया भी जिनसे आता है उनके लिये आपके पास क्या रोकथाम है ?

तो कोई ऐसा आधार है उनके पास जिस पर उन्होंने जांच करवाई है कि ऐसे नक्सलवादियों के पास भूमि है या नहीं ? और जिनको भूमि का वितरण करना है उनके लिये कौन सी योजना बनाई है ? नक्सलपंथी पनप रहे हैं और पुलिस निकम्मी साबित हो रही है। किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दें। नक्सलपंथियों का खीरी जिले में जन्म हुआ था और वहां गंजरिया और दो अन्य गांवों में मीटिंग्स हुई थीं और माऊ साहित्य बांटे गये थे और जय बोलाई गई थी। तो इसके बारे में सरकार क्या कारवाही कर रही है ? जो जांच कराने से जमीन निकली है क्या उसका वितरण करायेंगे और कितनी जमीन बहराइच और खीरी जिले में मिली है उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय बसन्तलाल जी से कहना चाहूंगा कि वह शान्ति से मेरी बात सुनें। उनका कहना है कि क्या यह वाकया है कि संविद सरकार के जमाने में नक्सलपंथियों का मूवमेंट बहराइच में शुरू हुआ ? यह सही नहीं है। असलियत तो यह है कि १९६७ में हमारी वजह से पर्दाफाश हुआ। जमीन पर पहले से कब्जा था। जनसंघ के लोगों ने और दूसरे लोगों ने हमें यह बतलाया कि वहां गांव समाज की जमीन पर कुछ नाजायज लोगों का कब्जा है। कम्युनिस्ट का कहना था कि जनसंघ से हमदर्दी रखने वालों का कब्जा था और जनसंघ का कहना था कि जो कम्युनिस्ट से हमदर्दी रखते थे ? उनका कब्जा था। गरजे कि हमारे जमाने में वह बात खुली। बहराइच में जहां उनके मित्र और लीडर रेवेन्यू मिनिस्टर रहते थे, उनको भी इसका पता नहीं चला कि यहां लोगों का नाजायज कब्जा हजारों एकड़ पर हो रहा है। १९६७ में जब संविद सरकार बनी तो हमने रिकार्ड देखा और कागजात मांगे। उसके बाद गवर्नमेंट नहीं रहीं। हमने आफिसर मुकर्रर किया तो वह सन् १९६८ में मुकर्रर हुए। उसके बाद अगर कोई फल नहीं निकला तो हू इज रेस्पांसिबुल ? कौन जिम्मेदार है ? उसके बाद प्रेसीडेन्ट रूल आ गया।

मैं तो यह जानना चाहता हूं कि अगर दो महीने में कोई शिकायत हो तो उसको आप बतावें। जब १२ महीने तक गवर्नमेंट रही उस वक्त आपने क्या किया ? मैं इस बात से प्रभावित नहीं हूं कि उनका जिला है और वह मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां नाजायज कब्जे होंगे वहां कड़ाई से काम लिया जायगा। अगर ला में खराबी होगी तो उसको भी ठीक करने की कोशिश की जायेगी और एक्जिक्यूटिव आर्डर्स का कड़ाई से पालन किया जायगा। अगर किसी तरह की सख्त कार्यवाही हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वह समर्थन देंगे गवर्नमेंट को।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन् मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि १०, ११ तारीख को नवाबगंज क्षेत्र में परशु रामपुर में कुछ लिट्रेचर बांटे गए। वहां साहब सिंह दारोगा थे। तो क्या इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को कोई सूचना आई ? उसी रात में मुन्नी देवी को पकड़ ले गये और कहा कि इसको उपभोग जाट कर सकते हैं और कोई भुगी नहीं कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई नक्सलवादी का प्रश्न नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहां पर फसल काटी गई और पर्चे बंटे। जहां तक मुन्नी देवी का जिक्र किया गया उसको कुछ लोग मुर्जी के घर से ले गये और कई दिन के बाद शायद २४ तारीख को जुडिशिएल मैजिस्ट्रेट के यहां मुन्नी देवी ने दावा किया है कि उसे हल्द्वानी से लाया गया और उस भुर्जी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। इसका नक्सलवादियों से कोई संबंध नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार---

तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, शायद आप मुझे भूल गये मुझे सोनकर कहते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरी सूचना को सही मानकर इस बात की जांच करा लें कि इलाहाबाद जिले की तहसील चायल, मंझनपुर और सिराथू के अन्दर नक्सलपन्थी बहुत जोरों के साथ काम कर रहे हैं। इनका खास अड्डा मखऊपुर ग्राम है, जहां से यह लाल झण्डी लेकर चलते हैं और उनके पास लाल रंग की पिस्टल भी होती है। यह चर्चा कई बार श्री राम गोपाल सण्ड जी ने भी उठायी है लेकिन आज तक इलाहाबाद के अधिकारियों ने कोई काम नहीं किया है जिसके कारण वहां नक्सलपंथी बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम यह होगा कि नक्सलपंथियों के हाथ में इलाहाबाद चला जायगा और वहां की जनता दुखी होगी।

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। अगर माननीय मित्र मुझसे मुलाकात करने की कृपा करें और मुझे बतला दें, तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। दूसरे मैं इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला नक्सलपंथियों के हाथ में जाने वाला नहीं है।

श्री करन सिंह ---

लखीमपुर खीरी जिले में अभी तक जितने नक्सलपन्थी मूवमेंट में लोग गिरफ्तार हुए है और जितने फरार हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जमीन के किसी आन्दोलन से कभी कोई संबंध रहा हो। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की जांच करने की कोशिश करेंगे ? मेरी सूचना यह है कि यह जितने लोग नक्सलपन्थी आन्दोलन में हैं यह सब माओ के और चीन के दलाल हैं और इनका मकसद केवल इस देश के अन्दर सशस्त्र क्रांति करने का है और इनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये जैसा एक देशद्रोही के साथ किया जाता है। मैं मुख्य मंत्री जी से उनके कक्ष में भी मिल चुका हूं। उनकी सूचना के लिये बता दूं कि राममूर्ति नक्सलपन्थी और बिशन नाथ दोनों जमानत पर छूटे थे और उसके बाद फरार हो गये तथा उसके बाद राममूर्ति पकड़े नहीं गये। श्यामा दत्त जोशी नैपाली को गिरफ्तार किया गया और उसकी जमानत हुई और जमानत भी उन्हीं लोगों ने की जो नक्सलपन्थी आन्दोलन में जमानत पर हैं तथा उनकी जमानत स्वीकार हो गई। वहां पर कम्युनिस्ट चाहे जिस पार्टी के, वर्ग के हों वे सब नक्सलपन्थी ही हैं। अगर तुरन्त ही इस पर ध्यान दिया नहीं गया तो हालत हाथ से बाहर हो जायेगी।

मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से उनके कक्ष में भेंट की थी परन्तु मुख्य मंत्री जी ने अपनी असमर्थता, विवशता प्रकट की और कहा था कि उनको सब विदित है परन्तु यह भी कहा कि चौहान कमजोर आदमी है। और कहा कि चौहान साहब नक्सलपंथियों के खिलाफ

कुछ करना नहीं चाहते हैं और कम्युनिस्टों की राय से ही कुछ करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा था कि चलो हम दिल्ली चलें। क्या यह सच नहीं है ? मैं किसी भी प्रकार की आलोचना की दृष्टी से कोई बात कहना नहीं चाहता हूं और अगर इसको आलोचना की दृष्टि से समझा जाय तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिये तैयार हूं। मुख्य मंत्री जी के कक्ष में जाने के बाद जो बातें मेरी उनकी हुयी थीं उसके तुरन्त बाद ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भी मिला और उनसे भी निवेदन किया कि हमारी मुख्य मंत्री जी के साथ यह बातें हुयीं। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह भी कहा कि आप भी इस गंभीर मसले में हिस्सा लें और इसका निराकरण करवाएं। मैंने उनसे यह भी कहा कि आप बहुत पुराने देशभक्त हैं और मैं तो आपसे काफी पीछे आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ। आप ऐसा न करें कि आप देश के विघटन का आरम्भ अपने समय में ही देख लें और हमारे समय में उसकी अन्त्येष्टि हो।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण न देकर जो प्रश्न पूछना है उसको पूछें।

श्री करन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं केवल आलोचना की दृष्टि से ही इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं उनको यह भी आश्वासन देता हूं कि इस समस्या का निराकरण करने म उनको जिस भी अधिकार की आवश्यकता होगी वह उनको सर्वसम्मति से यह सदन देने के लिये तयार है। यह नक्सलपन्थी और माओपन्थी आज जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं अगर उन पर शीघ्र ही काबू नहीं पाया गया तो स्थिति विषम हो जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझको बात कहनी है और मुझको केवल १५ सेकेंड का ही समय दे दिया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहता कि मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी सूचना यहां पर दें जिसका कोई लाभ न हो परन्तु जो दोनों ओर बैठें सदस्यगण हैं उनकी शंकाओं का निराकरण अवश्य होना चाहिये। इस कारण इसके लिये अतिरिक्त दो घंटे का समय दिया जाना चाहिये जिसमें इसकी चर्चा हो सके और हम सभी सदस्य अपनी-अपनी बातों को कह सकें। मैं केवल दो बातें कहूंगा। एक तो भूमिहीनों की समस्या है जिसका सहारा लकर देश द्रोही लोग यहां पर भूमिहीनों को भड़का कर इस देश को चीन के हवाले करना चाहते हैं। इस सवाल पर दो घण्टे का समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय करन सिंह जी ने यह कहा कि भूमि की समस्या बिलकुल नहीं है, यह कम्युनिज्म के प्रचार की ओर कम्युनिज्म फिलास्फी से प्रेरित लोगों की समस्या है। मने

[श्री चरण सिंह]

कहा कि दोनों है। तीरथ राम, राम मूर्ति, और विश्वनाथ तिवारी जो हैं इन लोगों के पास भूमि की समस्या अपनी पर्सनल नहीं है। ये लोग माओवादी आइडियोलाजी से प्रेरित हैं। लेकिन इन लोगों को काम करने का अवसर नहीं मिलता है। और वहीं सफलता मिलती है जहां इकानामिक हार्डशिप है या और किसी किस्म की शिकायत जनता को हो। अगर जनता को ये शिकायतें न हो तो---कम्युनिस्ट पार्टी तो यहां बहुत दिनों से है---उनको मौका नहीं मिलता। सारे देश में यह शिकायत नहीं है, कहीं-कहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कम्युनिस्ट नहीं हैं या आओवादी नहीं हैं। ये एजेंट हैं चीन के, मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन इनको काम करने का अवसर ऐसी ही जगह मिलता है जहां इकानामिक हार्डशिप है।

करन सिंह जी मुझसे मिले थ। उन्होंने एक नाम ले दिया। मुमकिन है मैंने नाम लिया हो। लेकिन खास बात जो थी वह यह थी कि कानून जब यह सरकार बदलेगी तो चूंकि सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० कांकरेन्ट लिस्ट में है इसलिये जब तक भारत सरकार राजी नहीं होगी तब तक कोई सफलता उसमें मिलने वाली नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि जमानत पर छूट गए राम मूर्ति। आज का कानून यही कहता है कि जमानत पर छूट सकता है चाहे ट्रेटर हो या कुछ भी हो। फर्ज करो, हम इस तरह का बिल लाते हैं कि अगर पुलिस का यह खयाल है कि कोई माओवादी या ट्रेटर है, वायलेन्स के जरिये पालिटिकल आर्डर या सोशल आर्डर को बदलने में विश्वास करता है तो अदालत उसको जमानत पर न छोड़ सके। जब यह बिल आयगा तो करन सिंह जी तो शायद मुखालिफत नहीं करेंगे, मुमकिन है कुछ और लोग भी न करें, लेकिन उन्हीं बेन्चेज से मुखालिफत होगी और कहेंगे कि इससे इंडिवीजुएल लिबर्टी खत्म होगी। जो डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाकर उसको नष्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिये। जिस तरह जब अंग्रेजों के जमाने में सन् १९०७ में ईस्ट बंगाल में किडनैपिंग के मामले बहुत बढ़ गए तो यह तय किया गया कि मिनिमम सजा उसमें सात साल की हो। तो मैं समझता हूं कि अगर आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में तरमीम की जरूरत हुई तो यह सदन उसका समर्थन करेगा। अगर आप लोगों ने पास भी कर दिया तो भी भारत सरकार के अनुमोदन के बिना वह विधेयक कानून नहीं बन सकता। यह मैंने जिक्र किया होगा। मैं तो तीन साल से बराबर कह रहा हूं, कोई छिपी बात नहीं है। मैंने भारत सरकार से कहा कि ओपेन प्रीचिंग आफ वायलेंस को इल्लीगल करार दे दें। लेकिन आज तक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---

अब पांच बज गया....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, आप उन लोगों को भाषण करने देते हैं जो विषय को नहीं समझते और.....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

श्रीमन्, आप तो हमें बोलने ही नहीं देना चाहते, आप हमें दबाना चाहते हैं और जब हम अपनी बात कहने के लिये जोर देते हैं तो आप हमारे निलम्बन का सवाल उठा देते हैं, आप हमें मौका नहीं देते, केवल एक सवाल ही पूछना है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें अब यह आखिरी आइटम होगा, श्री रियासत हुसैन। (बहुत से सदस्य एक साथ--कुछ सुनाई नहीं दिया।) (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार बताने की या करेगी कि इन्हीं जिलों में जहां की वह नक्सलवादियों के आन्दोलन की बातें करते हैं वहीं जो करोड़ों रुपये की चोरी स्मगलिंग के द्वारा करते हैं उसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह--

माननीय असरार अहमद साहब के पास अगर कोई ऐसी सूचना है और वह बतलायेंगे तो कार्यवाही कानून के मुताबिक की जायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस तथ्य पर भी गौर करेंगे कि यह नक्लपन्थी अपने देश में इसलिये भी पनप रहे हैं कि लोगों की भावना बनती जा रही है कि शांतिमय उपायों से उनकी समस्यायों का हल नहीं हो सकता। और साथ ही साथ सरकारी हिंसा भी प्रतिहिंसा को बढ़ा रही है तो क्या मुख्य मंत्री जी थी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिनकी विफलताओं के कारण ही इस समय देश-द्रोही, जनता का प्यार पा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--

इस विषय में मैं तो अपनी राय बहुत तफसील से अर्ज कर चुका हूं कि देश में अगर ऐसी चीजें पनपती हैं तो उसका एक कारण यह भी है जैसा कि उन्होंने कहा कि शान्तिपूर्ण तरीकों से मसले हल नहीं होते, वह भी एक छोटा सा कारण है। मैं मानता हूं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि तब डेमोक्रेसी ही खतरे में आ जायेगी लेकिन मेरा खयाल यह भी है कि कुछ जिम्मेदार लोगों और कुछ पालिटिकल पार्टीज की तरफ से भी यह हवा पैदा की गई है कि हर चीज की मर्यदा को नष्ट किया जाय, डेमोक्रेटिक रास्ते न अपनाकर दूसरे रास्ते अपनाये जायं, इससे भी समाज में शान्तिमय तरीकों के खिलाफ भावना बनती है।

(व्यवधान)

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से एक सूचना देना चाहता हूं और सफाई करना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य के द्वारा यह कहा गया कि नक्सलपन्थी आन्दोलन से संबंधित कोई भी कम्युनिस्ट है, किसी भी पार्टी का उससे संबंध है तो वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ही है। इस संबंध में माननीय सदस्य के दिमाग की सफाई करना चाहता हूं कि नक्सलवादी आन्दोलन जिसके नेता, श्री मजूमदार हैं उसका हमारी मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है और जिन लोगों का उस नक्सलवादियों के दल से है वह ऐसी जमात है जो कमाने वाली है और उसमें तमाम कमाने वाले लोग हैं जिसकी कमाई आज तक माननीय सदस्य के घरों में जाती रही है, वह लोग अपनी कमाई की तलाश में घूम रहे हैं और जो चाहते हैं कि जो कुछ हम कमाते हैं वह हमारे घर में आना चाहिये और माननीय सदस्यों के घरों में नहीं जाना चाहिये। और यही कारण है कि माननीय सदस्य दिलचस्पी ले रहे हैं कि जिस कमाई का शोषण होता था वह नहीं कर पा रहे हैं। गरीब लोग भी अब समझने लगे कि उनकी कमाई अब कहां जा रही हैं। (व्यवधान)

चीनी मिलों द्वारा गन्ना न खरीदे जाने एवं गन्ने की कीमत गिर जाने के कारण प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना न खरीदे जाने एवं गन्ने की कीमत गिर जाने के कारण प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने के विषय में अपने विचार व्यक्त करूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कल सदन में माननीय प्यारे लाल जी का अनशन समाप्त कराने के लिये कुछ वायदा किया था, मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया है, आपके प्रयास से ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने आप लोगों के प्रयास से अनशन समाप्त कर दिया है, इसके लिये मैं आप लोगों को बधाई देता हूं ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, आपको, माननीय सदस्यों को और माननीय मुख्य मंत्री जी को विदित है कि हमारे देश में ८० प्रतिशत से ज्यादा आदमी ऐसे हैं, जो देहात में रहते हैं और उनका मुख्य काम कृषि है । उसी के द्वारा वे जो कुछ उत्पादन करते हैं, उससे ही अपना सारा काम चलाकर देश और प्रदेश की सेवा करते हैं । इस प्रदेश के किसानों की जो इस वक्त हालत है, मैं समझता हूं कि उसके २-३ कारण हैं । इस ओर इस सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इस सिलसिले में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । जैसा कि आप जानते हैं प्रदेश की कैश क्राप की फसल में सबसे बड़ी फसल गन्ने की है । गन्ने की खेती के अगर आप आंकड़ें देखें तो मालूम होगा कि १९६७-६८ में इस प्रदेश के अन्दर ३७ हजार ९०८ करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ । १९६८-६९ में वह बढ़ कर ५१ हजार करोड़ टन हुआ और १९६९-७० में वह बढ़कर ६१ हजार करोड़ टन के करीब पहुंच गया । इस वर्ष गन्ने की पैदावार में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन हम यह देखते हैं कि गन्ने की हालत क्या हुई है । सम्पूर्ण प्रदेश में चाहे वह पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो या दूसरा कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, अगर वहां भी गन्ने की खेती आरम्भ कर दी हो, हम देखते हैं कि गन्ने की क्या दशा हो गयी है जिसको तमाम जाड़े की मौसम में किसान गुड़ की शक्ल में या राब की शक्ल में या खंडसारी में बना कर खत्म करते हैं और उसके बाद गेहूं की फसल काट कर बैसाख, जेठ में अपना लेखा जोखा जोड़ता है ।

तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस वर्ष किसान को बहुत भारी हानि हुयी है । एक कारण तो यह है कि जब नेशनलाइजेशन का डंका पीटा गया तो फैक्ट्रियों के मालिकों ने यह समझा कि हमारे पास फैक्ट्री रहने वाली नहीं है तो इनको किसानों के गन्ने से कोई दिलचस्पी नहीं रही कि गन्ने खुले या नहीं । यह माना कि ७० फैक्ट्रियां ने नवम्बर के मास से काम करना आरम्भ कर दिया लेकिन जिस इन्सान को दिलचस्पी होती है वही मिल दिल लगाकर काम करता है और अगर वह मरे हुए दिल से करता है तो दोनों प्रकार के काम में अन्तर हो जाता है । उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों ने जब अपनी फैक्टरियां चालू कीं तो उनके कानों में नेशनालाइजेशन की हवा पहुंच चुकी थी और उन्होंने मरे हुए दिल से गन्ने का लेना शुरू किया । दूसरी तरफ उनका असर पड़ा, क्योंकि मार्केट के अन्दर चीनी के भाव ब्लैक मार्केट में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छे नहीं थे। फैक्टरी के मालिकों को फ्री मार्केट के लिये कुछ प्रतिशत जो चीनी मिलती थी उसमें भी उन्होंने देखा कि अच्छे दाम नहीं मिलने वाले हैं तो बदजनी हुई।

दूसरी तरफ गुड़ और खांडसारी का उठान दूसरे प्रदेशों को नहीं हो सका क्योंकि उत्तर प्रदेश के गुड़ की बड़ी मात्रा महाराष्ट्र को जाती थी। जहां महाराष्ट्र के अन्दर गुड़ वहां की डाइट में शामिल है इसलिये वहां के किसानों ने गन्ने की खेती में तरक्की करके अपने खर्च के लायक गुड़ पैदा कर लिया जिससे उत्तर प्रदेश का गुड़ ढीला पड़ गया। गुड़ के दाम अच्छे नहीं मिले। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की मात्रा पड़ी हुई है। किसान दूसरी फसल की हार्वेस्टिंग में लगा हुआ है। लेकिन जब वह गन्ने को देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। इसमें शक नहीं कि केन कमिश्नर के यहां मिल मालिकों को बुलाया गया और उन्होंने कह दिया कि हम १५ जुलाई तक कारखाने चलायेंगे। लेकिन श्रीमन्, सोचने की बात यह है कि १५ जून के बाद जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और किसान का दिलो-दिमाग अषाढ़ी में लग जाता है तो क्या एक महीने के वक्त को किसान अवेल कर पायेगा? क्या फायदा उठा पायेगा? फसल की वजह से या दूसरे कामों की वजह से जो सुविधा १५ जुलाई तक कारखानों की मिलेगी, वह बेकार हो जाती है।

खेद की बात यह है कि इस साल जिस तरीके से सरकार न जगह-जगह रिसीवर इसलिये बैठाये कि शायद उन फैक्टरियों का काम अच्छा हो जाय लेकिन देखने में यह आया कि उन लोगों ने वहां बैठकर अपनी राजनैतिक मंशाओं को सामने रक्खा और काम करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि बड़े-बड़े लोगों पर असर पड़ा। कुछ का गन्ना बन्द किया गया। शुरू का गन्ना लेने के लिये खास तौर से इन्तजाम किया गया। लेकिन दोनों के फायदे और नुकसान के बीच में सबसे ज्यादा वे किसान पिस गये जिसकी तीस-तीस पर्चियां थीं। वे देखते रहे कि पर्ची आयेगी तो डालेंगे। उसको पर्ची मिली नहीं, सेन्टर बन्द हो गये। बात यहां तक बढ़ी कि किसान दो रुपये क्विन्टल और तीन रुपये क्विन्टल पर ईख देकर किसान खेत इसलिये खाली कर रहे हैं कि अगर ईख का खेत खाली नहीं करते हैं तो वे आने वाली फसल से भी वंचित हो जायेंगे। इसलिये दो रुपये और तीन रुपये क्विंटल वे किसान अपने गन्ने को मजबूरन खेतों से निकाल रहे हैं और छोटे क्रशरों को दे रहे हैं। यहां तक नौबत पहुंच गई है और यह नौबत इसलिये कि लागत तो निकल आये और आने वाली धान की फसल न मारी जाय। गन्ने में आग तक लगानी शुरू कर दी है। यह बहुत दुःख की बात है।

इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि गेहूं की फसल जब किसान के खलिहानों में आई तो २६ फरवरी, १९७० को गेहूं का बड़ा बाजार, हापुड़ मंड़ी में ९५ रुपये स सौ रूपये क्विंटल था जब कि गेहूं किसान के पास नहीं था व्यापारी के पास था। लेकिन १७ अप्रैल को जब गेहूं किसानों के खलिहानों में आ गया तो एकदम दाम घटकर ७२ रु० क्विंटल पर आ गया। श्रीमन्, २८ रुपये फी क्विंटल की गिरावट गेहूं में आ गयी है। इस चीज को जनरल शाहनवाज खां ने भी स्वीकार किया है। किसान को अपनी जरूरत के लिये, ब्याह शादी के लिये, कभी कर्जा निबटाने के लिये, कभी मकान बनवाने के लिये तो कभी बैल आदि खरीदने के लिये गेहूं को अपने खलियानों में ही बेचना पड़ता है और खलियान में उसका गेहूं ६५ और ६६ रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---

आपको केवल ५ मिनट और मिलेंगे। कई माननीय सदस्य अभी बोलेंगे।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि उसकी लागत कितनी बैठती है और उसको क्या मिलता है। १९६७-६८ में अगर हम १९५७-५८ को १०० रुपये बेस मान लें तो खर्चा १९६७-६८ में २३९.४ आता था और जो उसको मिलता था वह २८६.२ रुपये था। यानी ४७ रुपये मुनाफा था। १९६८-६९ में उसका खर्चा घट कर २०९ रुपये हो गया और मिला २२१ रुपये यानी मुनाफा हुआ केवल १२ रुपये का। अब १९६९-७० में जब कि हर चीज की कीमत बढ़ गयी है, लोहे आदि की उसकी जरूरत की सब चीजों की कीमत बढ़ गयी है, उसकी लागत ३०० रुपये के करीब हो गयी। इस तरह से बजाय मुनाफे के, जब ६५ रुपये क्विन्टल गेहूं बिकेगा तो उसको हानि ही होगी। अब इन सारी चीजों का हल आखिर क्या है? जो क्रेशर उसको २,२०० रुपये का मिलता था, अब वह ३,३०० का मिलता है। किसान की जरूरत की हर चीज की कीमत डयौढ़ी और सवाई हो गयी है। नेचुरल कैलेमिटी का प्रकोप उस पर अलग रहता है। पश्चिमी जिलों से खबर आयी है कि कल ४ बजे से ६ बजे तक बराबर ओला और बारिश हुई है। खलियानों में पड़ा अनाज नष्ट हो गया, आमों की फसल चौपट हो गयी। श्रीमन्, इन सब के हल के लिये मैं ३-४ सुझाव देना चाहता हूं।

मैं यह समझता हूं कि गन्ने के मामले में पहली जून से १५ जून तक माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का सर्वे करायें कि कितने लोगों के बांड भरे गये और कितनों का गन्ना आज भी खड़ा है तथा जिनका गन्ना रह गया है उसको खरीदने तथा पिरवाने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले और वह उसका पैसा दे चाहे खुद दे चाहे मिल मालिकों से दिलावाये।

दूसरा सुझाव गुड़ के बारे में है। गुड़ आज कल बुलन्दशहर आदि की मंडियों में १६-१७ रुपये और कहीं पर १३-१४ रुपये के भाव से बिक रहा है। सरकार की जो प्राइस सपोर्ट पालिसी गेहूं के बारे में है, वही गुड़ के बारे में भी होनी चाहिये। नहीं तो जो गल्ला ६५ रुपये के भाव से किसान से खरीदा जायेगा वही बाद को ७६ और ८० रुपये के हिसाब से बिकेगा। तो उसको वह ७०-८० रुपये में बेंचेगा और बिना किसी नुकसान के वह १५-२० रुपया प्रति क्विंटल फायदा उठायेगा। अपनी सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है, किन्तु दुःख है कि आपने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में बैठकर अभी तक फैसला नहीं लिया। तो इसका कोई परमानेन्ट हल होने वाला नहीं। अन्तिम सुझाव मैं नैचुरल कलैमिटीज के बारे में देना चाहता हूं। यह ऐसी चीज है जिससे किसानों को हर साल किसी न किसी तरह नुकसान होता रहता है। इसके लिए उसका मुकाबला करने के लिए आपको क्राप इंश्योरेंस की पालिसी जल्ली से जल्दी लागू करनी चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

वर्तमान सत्र १९६९-७० में प्रदेश के चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र २५.८४ लाख एकड़ है जो व सर्वाधिक है। इसी प्रकार गन्ने की प्रति एकड़ उपज जो १८३ क्विंटल्स है तथा गन्ने की कुल पैदावार जो ४७.४० करोड़ क्विंटल्स है, भी सर्वाधिक है।

प्रदेशीय सरकार ने इस वर्ष गन्ने की बहुलता का आभास कर के चीनी मिलों द्वारा अधिकतम गन्ना पेराई करवाने के लिये प्रारम्भ से ही आवश्यक कदम उठा लिये थे। चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता सीमित है। अतः इनके द्वारा अधिकतम गन्ना पेराई करने के लिये मिलों का जल्दी चालू होना तथा सत्र में देर तक पेराई करते रहना आवश्यक है। शीघ्र पेराई चालू करने के लिये प्रदेश सरकार ने मिलों को प्रोत्साहन स्वरूप क्रय कर में छूट दी। यह छूट २५ पैसा-प्रति क्विंटल की दर से उस गन्ने के क्रय कर पर दी जो गत सत्र १९६८-६९ में क्रय किये गये। गन्ने के १०५ प्रतिशत से अधिक हो, शर्त यह थी कि मिल १५ नवम्बर, १९६९ या उससे पूर्व चालू हो जायें। प्रदेश की ४८ चीनी मिलें इस सत्र में निर्धारित तिथि तक चालू हो गयी थीं जब कि

१९६८-६९ में १५ नवम्बर, १९६८ तक कोई भी मिल नहीं चली थी। ३० नवम्बर तक गत वर्ष जब कि केवल ११ चीनी मिलें ही चली थीं, इस वर्ष, १९६९-७० में, ६६ मिलें चल गयी थीं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अधिक से अधिक गन्ना पेरवाने के लिए चीनी मिलों को केन्द्रीय इक्साइज में भी ८ रु० प्रति बोरा की छूट दी है। यह छूट केवल चीनी पर उपलब्ध होगी जो पिछले वर्ष में उत्पादित चीनी के १०५ प्रतिशत से अधिक बनाई गयी चीनी है।

गन्ने की बाहुल्यता के प्रश्न को हल करने की दिशा में प्रदेशीय सरकार ने गुड़ तथा खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस प्रदान करनेकी नीति को भी इस सत्र में उदार कर दिया जिससे इन इकाइयों में बाहुल्य गन्ने की अधिकतम खपत हो सके। इस उदार नीति के अन्तर्गत (१) सुरक्षित क्षेत्र में चीनी मिलों के ५ मील की परिधि के बाहर नई इकाइयों के लाइसेंस खुले प्रकार से दिये गये, (२) क्रसरों के आकार परिवर्तन, स्थानान्तरण, नान हाईड्रोलिक से हाईड्रोलिक एवं नान-साल्क्वटेशन से सालिक्टेशन आदि करने की अनुमति भी उदारता से दी गयी, (३) असुरक्षित क्षेत्र में लाइसेन्स देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया, (४) इकाई के चलाने, दैनिक घंटों, अवधि एवं गन्ना पेरने की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया, (५) निजी गन्ना पेरने हेतु खड़े कोल्हुओं के लाइसेन्स गुड़ एवं राब बनाने के लिये उदारतापूर्वक दिये गये तथा इसकी फीस ३०० रु० से घटा कर १०० रु० प्रति खड़ा कोल्हू रखी गयी। प्रार्थना-पत्र देने की कोई अन्तिम तिथि नहीं निर्धारित की गयी। बाद में खड़े कोल्हुओं के स्थान पर निजी गन्ना पेरने हेतु पट कोल्हुओं से भी गुड़ एवं राब बनाने की अनुमति दे दी गयी।

इस वर्ष जो लाइसेंस दिये गये उनका गत दो वर्षों से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है जिससे इस दिशा में शासन की उदार नीति का पूर्ण आभास होता है :

वर्ष	पावर क्रशर	केन्द्रापग (सेन्टीफ्यूगल)	खड़ा कोल्हू
१९६७-६८ ..	२,१५१	३,५७२	..
१९६८-६९ ..	२,३४७	३,७८८	१४४
१९६९-७० ..	४,०७७	५,४७२	३,४२४

इसके अतिरिक्त ३ अप्रैल, १९७० के बाद इन इकाइयों को गन्ने के क्रय कर से शासन ने पूर्ण छूट दे दी है।

भारत सरकार ने गुड़ की फारवर्ड ट्रेडिंग पुनः खोल दी है व गुड़ को खाने के अतिरिक्त अन्य उपयोगों में लाने के लिये, नियंत्रण हटा लिये हैं।

चीनी मिलों ने इस वर्ष ३० अप्रैल, १९७० तक लगभग १४.४५ करोड़ क्विंटल गन्ना पेर लिया है जब कि गत वर्ष सीजन के अन्त तक, जुलाई २९, १९६९, केवल १२.९६ करोड़ क्विंटल्स ही गन्ना पेरा गया था। इस वर्ष गुड़ के भाव बहुत कम रहे हैं। गुड़ के भाव संलग्न तालिका १ में दिये गये हैं जिसके कारण चीनी मिलों पर गन्ने का अतिरिक्त दबाव है,

[श्री राजमंगल पांडेय]

व बहुत बड़ी मात्रा में मिलों को पेरने हेतु गन्ना उपलब्ध है जिसकी खपत के लिए मिलों को गर्मी के महीनों में अत्यधिक देर चलाना पड़ेगा। इस वर्ष ३० अप्रैल, ७० तक प्रदेश में केवल छः चीनी मिलें ही बन्द हुई हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं जब कि गत वर्ष इस वर्ष २२ मिलें बन्द हो चुकी थीं। ये मिलें अपने क्षेत्र का समस्त गन्ना पेर कर बन्द हुई थीं। गन्ने की बाहुल्यता विशेषतया पश्चिमी तथा मध्य उत्तर प्रदेश मिल क्षेत्रों में है। उन क्षेत्रों में क्रमशः १९ व २० मिले हैं। इन ३९ मिलों में से केवल मध्य उत्तर प्रदेश की एक या दो मिलों क मई के दूसरे पखवारे में बन्द होने की संभावना है। शेष सभी मिलें जून मास में भी चालू रहेंगी इनमें से लगभग एक दर्जन मिलें जुलाई के प्रथम पखवारे या अन्त तक भी चालू रहेंगी। प्रत्येक मिल के बन्द होने की अनुमानित तिथि संलग्न तालिका २ में दी गयी है। यदि मिल की मशीनरी में कोई टूटफूट न हो और वर्षा जल्द शुरू न हो जाय तो अनुमान लगाया जा सकता है कि मिलें जुलाई के अन्त तक चल कर समस्त गन्ना पेर लेंगी।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

यह ट्रेन की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। दो घंटे की बहस है। माननीय सदस्यों को बहस के लिए समय देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

विरोधी दल ने पहले शुरू की बहस, तो उसका उत्तर मंत्री जी देंगे। उत्तर देने के बाद आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

वह तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

जिस रूल के हवाले में आप कह रहे हैं, मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। परन्तु मंत्री जी विषद् भाषण तो नहीं पढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न उपस्थित करने वाले भी करीब आध घंटे के बोले। मंत्री जी को उत्तर देने में दस मिनट हुए हैं।

श्री रियासत हुसैन---

मेरा कहना सिर्फ यह है कि लिखे हुए स्टेटमेंट का प्राविधान नहीं है कहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, पढ़ा तो नहीं जाता। उत्तर हो जाता है संक्षेप में।

श्री राजमंगल पांडेय---

चूंकि यह विषय आंकड़ों से सम्बन्धित है, कितनी मिलें चलीं, कितनी पेराई हुई, कितना गन्ना क्रश किया, इसलिए . . .

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

हमारी बात सुनी नहीं। उत्तर पहले पढ़ने लगे।

श्री बांके लाल—

यहां पर कहानी सुना रहे हैं। वहां गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है।

श्री राजमंगल पांडेय—

गन्ने की स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है व समय समय पर आवश्यकतानुसार गन्ने का व्यावर्तन किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में गन्ने की गहन बाहुल्यता है, जैसे सहारनपुर का तराई का क्षेत्र, नैनीताल, खीरी व सीतापुर जनपद। इन क्षेत्रों के निकटवर्ती मिल क्षेत्रों में भी स्वयं गन्ने की बाहुल्यता है। अब तक लगभग ६० लाख क्विंटल्स गन्ने की मात्रा का व्यावर्तन किया जा चुका है। हल्द्वानी क्षेत्र के गन्ने का व्यावर्तन आठ जिलों को किया गया है जिसमें से कुछ दूरस्थ मिलें भी हैं, जैसे न्योली, धामपुर व स्योहारा।

गर्मी के महीनों में चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता गिर जाती है। मेरठ में अभी हाल में निकटवर्ती मिलों की एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें इन मिलों ने सत्र के अन्त तक अपनी आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र के गन्ने की खपत के लिए पेराई चालू रखने का आश्वासन दिया। सीतापुर, लखीमपुर व पीलीभीत के गन्ने की स्थिति पर इस सप्ताह विचार किया गया और यह पाया गया कि हरगांव, महोली, गोली, ऐसा पीलीभीत व मझौला चीनी मिलों को भी अपने क्षेत्र का गन्ना समाप्त करने के लिए जुलाई के अन्त तक चलाना पड़ेगा। इन मिलों ने आश्वासन दिया कि वे अपने क्षेत्र का गन्ना समाप्त करके ही बन्द होंगी यदि यंत्रों की कोई टूट-फूट न हो अथवा वर्षा के कारण गन्ने की ढुलाई की कठिनाई न उपस्थित हो।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिलें पूर्ण रूप से अपनी क्षमतानुसार गन्ना क्रय करके पेर रही हैं। इस सत्र में कुल पेरे गये गन्ने की मात्रा सर्वाधिक होगी जो १९६०–६१ में स्थापित अभी तक की रेकार्ड पेराई १४.९७ करोड़ क्विंटल्स से कहीं अधिक होगी।

मिलों को समस्त गन्ना पेरने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि १५ मई, १९७० के पश्चात् समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने पर क्रय कर की पूरी छूट दी जायगी। यह छूट उनको वर्तमान २५ पैसे की छूट के स्थान पर उपलब्ध होगी। गन्ने की न्यूनतम दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दर १९६७–६८ सत्र से अब तक ७.३७ प्रति क्विंटल ९.४ प्रतिशत चीनी पेरने से सम्बद्ध है। वर्ष १९६७–६८ से ही भारत सरकार ने चीनी के आंशिक नियंत्रण की नीति अपनाई थी। वर्तमान सत्र में १९ फरवरी, १९७० से भारत सरकार ने लेवी चीनी के मूल्य को चीनी के परते तथा पेराई मौसम की अवधि के आधार पर घटा दिया जिससे इस प्रदेश की मिलों के लेवी मूल्य में १९.१७ रु० से ३.३६ रु० प्रति क्विंटल तक कमी हुई। २४ अप्रैल, ७० से भारत सरकार ने लेवी चीनी मूल्य बढ़ाया है जो मध्य क्षेत्र के लिये ६.३४ रु० व पूर्वी क्षेत्र की मिलों के लिये ४.४४ रु० प्रति क्विंटल है। लेवी चीनी मूल्य का विवरण संलग्न तालिका ३ में दिया है।

मुक्त चीनी के भाव निरन्तर गिरते जा रहे हैं। मुक्त चीनी का समय-समय पर बाजार मूल्य तालिका ३ में दिखाया गया ह। चीनी के अधिक उत्पादन के कारण चीनी की उपलब्धि में काफी वृद्धि हो गयी है जिससे आगामी महीनों में मुक्त चीनी का भाव लेवी चीनी के भाव से ही नीचे जाने की आशंका है। चूंकि इस समय मुक्त चीनी पर केन्द्रीय एक्साइज डयूटी लेवी चीनी से अधिक है, मिल को मुक्त चीनी बेंचने से लेवी चीनी की अपेक्षा कम आमदनी होती है यह बात तालिका ३ व ४ को मिला कर दखने से विदित होती है। ऐसी परिस्थिति में चीनी के आंशिक नियंत्रण से जो उम्मीद की जाती थी कि मिलों को अधिक लाभ होगा जिससे सब से अधिक गन्ना मूल्य द पायेंगे, अभी पूरी नहीं होती।

[श्री राज मंगल पांडेय]

उक्त कठिनाइयों के कारण इस सत्र में चीनी मिलों ने, रामकोला खेतान के अतिरिक्त, गन्ना मूल्य का भुगतान निर्धारित न्यूनतम दर से ही कर पाया है। रामकोला खेतान व रामकोला पंजाबी मिलें देवरिया में स्थित हैं। दोनों मिलें एक ही रेलवे स्टेशन, रामकोला, पर हैं। इन मिलों का सुरक्षित क्षेत्र सटा हुआ है। रामकोला खेतान की गन्ने की न्यूनतम दर ७.३७ रु० प्रति क्विंटल है परन्तु इसने रामकोला पंजाबी की न्यूनतम दर ७.५३ रु० पर गन्ना क्रय किया है।"

श्री अध्यक्ष—

अब पहले जिनके नाम लिस्ट में हैं वे बोलेंगे और हर एक को ७ मिनट मिलेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, गन्ना हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है। इस प्रदेश के लाखों किसान गन्ने पर निर्भर करते हैं। माननीय चरण सिंह जब इस के मुख्य मन्त्री हुये तो वक्तव्य के द्वारा किसानों को नया नारा दिया कि वह केन्द्र से सिफारिश कर रहे हैं कि गन्ने के दाम बढ़ाये जायें। किसान खुश हुआ कि संविद में चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे तो गन्ने के दाम बढ़ाये थे, अब फिर बढ़ायेंगे लेकिन चौधरी साहब असफल रहे और केन्द्र से गन्ने के दाम बढ़वा कर किसानों को नहीं दिलवा सके। इस के विपरीत यह हुआ कि जो भी गन्ना खेतों में खड़ा है जो ३५ प्रति शत से अधिक है उसे किसान जलाने के लिए मजबुर है ताकि दूसरी फसल खेतों से पैदा कर सके और लकड़ी से भी सस्ते भाव में आज किसानों को गन्ना बेचना पड़ रहा है। क्या चरण सिंह जी नहीं कर सकते थे। संगठित क्षेत्र को छोड़ कर जो प्राइवेट क्रशर्स लगे हुये हैं उनको किसान गन्ना देता है उन के ऊपर कोई मूल्य निर्धारित कर देते कि इतने से कम मूल्य पर गन्ना उन को नहीं मिलेगा। इस प्रकार का मूल्य किस प्रकार निश्चित किया जाय? तो किस प्रकार मूल्य आवश्यक वस्तुओं का होता है उसी एसेन्शियल कमोडिटी ऐक्ट के अन्तर्गत गन्ने का मूल्य भी वस्तुओं पर निश्चित किया जा सकता है, उसी प्रकार गन्ना को आवश्यक वस्तु घोषित कर और मिलों के अलावा सारे प्रदेश में जो क्रशर्स हैं उनके लिए गन्ने की सप्लाई के सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित कर दिया जाता ताकि किसान को उचित दाम मिल जाते।

मैं अपने जिले बदायूं के बारे में सरकार को बतलाना चाहता हूं कि गुरुकुल विक्रय केन्द्र जहां पर किसान फैक्टरी के लिए गन्ना देते थे २० दिन हो गये वह परचेजिंग सेन्टर बन्द कर दिया गया यह कह कर कि किसान गन्ने के तोलने वाले से लड़ते झगड़ते हैं। इस के लिए तो अदालत में चाराजोई हो सकती थी लेकिन किसानों को क्यों महरूम किया गया अपना गन्ना बेचने से। २५ दिन पूर्व गन्ना मिनिस्टर को दरख्वास्त दी गयी, वहां के किसानों के द्वारा कि उनके क्षेत्र को क्रय केन्द्र चालू कराया जाय, और सरकार के आदेश के जाने के बाद भी कि वह विक्रय केन्द्र खोला नहीं गया। नयी शूगर मिल ने सरकार के आदेश की अवहेलना की है। मैं चाहूंगा कि सरकार मिल के खिलाफ कार्यवाही करे। इस के अलावा जो संगठित क्षेत्र हैं जहां से सरकार गन्ना लेती है और जिनसे हम सट्टा करते हैं कि तुम को अमुक-अमुक क्षेत्र में गन्ना इस मिल को देना होगा। किसान यदि मिल-मालिक को अपना गन्ना नहीं देता है तो आप पेनाल्टी लेंगे। एक किसान यदि मिल-मालिक को अपना गन्ना नहीं देता है तो आप पेनाल्टी लेंगे। यह एक तरफा आपका ऐग्रीमेंट कैसा है। यदि मिल-मालिक किसान का गन्ना नहीं लेता है जो कि उस के एरिये में पड़ता है तो मिल मालिक को भी उस किसान को पेनाल्टी देनी चाहिये। नैनीताल जिले के अन्दर एक ऐसी मिल है उस का गन्ना उत्पादकों का ऐग्रीमेंट है कि उस क्षेत्र का गन्ना वह लेगी। किन्तु जब किसान गन्ना लेकर जाता है तो दो-तीन गृहकेन्द्र बन्द पड़े हैं। किसानों से गन्ना मिल ने लिया नहीं उल्टे सोसाइटी ने किसानों से २ रु० प्रति क्विंटल की पेनाल्टी लेने का आदेश जारी कर दिया है जो अनुचित एवं तानाशाही पूर्ण है। इतनी बड़ी मात्रा में किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है और यदि समय पर मिलें यह गन्ना न लें तो किसान को यह गन्ना जला

देना पड़ता है। वह किसी काम का नहीं रहता। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात का उत्तरदायित्व लें कि वह किसान का गन्ना उपयुक्त समय पर लेगी। और यदि कोई मिल उसका गन्ना उपयुक्त समय पर नहीं लेती है और लेने में असमर्थ रहती है तो सरकार को लाजिमी तौर पर उस का मुआवजा किसान को देना चाहिये क्योंकि उस ने ऐग्रीमेंट किया है उस ने किसान को पाबन्द किया है कि यदि वह गन्ना कहीं नहीं लिया जायेगा तो मिल-मालिक उस गन्ने को लेगा। १५ जुलाई की बात कही गयी है। १५ जूलाई तक किसान का गन्ना खेत में सूख जायेगा। इस का फैसला आप को करना है। इस समस्या का स्थायी हल ढूंढना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार इस सम्बन्ध में एक सर्वे करे। गन्ने के लिए क्षेत्र निश्चित करे कि किन क्षेत्रों में गन्ना उठाया जायेगा। उस क्षेत्र की जिम्मेदारी सरकार ले कि वह किसान से गन्ना अप्रैल के माह तक अवश्य ले लें। अगर नहीं लेती है तो उसका मुआवजा उस को अवश्य मिलना चाहिये। परन्तु यह सर्वे दो साल पूर्व होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज किसान के गेहूं का भाव सस्ता है। उस में ऐसा है कि यदि किसान बाजार से गेहूं खरीदता है तो गेहूं के दाम १०० और १२० रु० क्विन्टल होते हैं और जब वह अपना गेहूं बाजार में बेचता है तो उसके दाम ७० और ८० रुपये प्रति क्विंटल होते हैं। इस बात को सरकार को देखना चाहिये। किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिये। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ताकि बाजार में भाव स्थिर रहें और जब किसान को, मजदूर को और गरीब को जरूरत हो उसे गेहूं बाजार में सस्ते दामों पर मिल सके। इस के लिए सरकार को चाहिये कि जब गेहूं का भाव सस्ता हो तो सरकार बाजार भाव से गेहूं बाजार से खरीदे एक व्यापारी के नाते जिस से किसान को पैदावार का उचित मूल्य मिले। और जब गेहूं वहां हों तो उस गेहूं को बाजर में बेचे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर के सदस्य खड़े होते हैं तो आप समय नहीं देते हैं। गन्ने के बारे में इधर के सदस्य भी बोलना चाहते हैं और वे भी उस से सम्बद्ध हैं।

श्री अध्यक्ष—

जिन के नाम इस में दिये हुये हैं, मैं उन को पहले बुला रहा हूं, क्योंकि उन की ही वह सूचना है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिवेणी सहाय का शुक्रगुजार हूं कि उन के दिल में भी किसानों के बारे में दर्द है। सरकार को तो इस सम्बन्ध में कोई दर्द नहीं है किन्तु मालूम पड़ता है कि उन के दिल में है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप से बहुत ज्यादा उदार है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं समझ गया। श्रीमन्,यह सवाल पैदा कहां से हुआ ? माननीय मुख्य मन्त्री जी बी० के० डी० का परची लेकर किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने कहना शुरू किया कि गन्ने की पर्चो रखो हम तुम्हारा गन्ना १७–१८ रुपया क्विन्टल बिकवा देंगे और किसान ने सोचा कि यह तो हमारे लिए खुदा के फरिश्ते आ पहुंचे और किसानों ने पर्ची रख ली। यही कारण था कि

[श्री कल्पनाथ सिंह]

किसानों ने गन्ना भी ज्यादा बोया। जो माननीय मन्त्री जी आज जवाब दे रहे थे वे स्वयं भी मुक्तभोगी हैं। यही नहीं जब गन्ना की सप्लाई का सवाल आया तो यह सरकार तख्तनशी हुई "बिल्ली के भाग से छींका टूट गया।" और आज यह सरकार कहने लगी है कि जूलाई तक मिलें चलेंगी। मिल तो चलेंगी लेकिन गन्ने के वजन का क्या होगा? यही नहीं मिलों में रिसीवर मुकर्रर करने के नाम पर और फिर केन्द्रीय सरकार को लिखने के नाम पर जो कि नाटक हुआ था वह सब आप ने अखबारों में पढ़ा होगा। यदा कदा इस सदन में भी उस की चर्चा होती रही है।

समय कम है। मैं तो चाहता था कि इस विषय में अगर आप मुझे श्रीगणेश करने का अवसर प्रदान करते तो मैं सब पोल खोल कर रख देता और यह स्पष्ट कर देता कि यह सरकार किस प्रकार से किसानों की विरोधी सरकार है। कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार ही गन्ने का दाम तय करती है, फिर आप ने यह दावा किस प्रकार से किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने १७–१८ रुपया क्विंटल दाम मुकर्रर करा दिया था।

दूसरी ओर देखिए कि किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है और आप मिल वालों को रिआयत पर रिआयत देते चले जा रहे हैं। उसी मुंह से जरा यह भी कह दिया होता कि किसानों को यह रिआयत दी गयी है, जिसका गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है और वह हाय तोबा मचा कर चुप चाप रात को सोते समय हाय राम, हाय राम कह कर सोता है। इस प्रकार से इस सरकार ने स्पष्टरूप से किसानों को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न किया है। मालूम होता है इस सरकार को बिलकुल भी गैरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप सुझाव दीजिये।

श्री कल्पाथ सिंह—

मजा मारें वह और हम लोग उस को कहें भी नहीं कि किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है। आप देखें कि ६ मिलें बन्द हो चुकी हैं। क्यों बन्द की गयीं? माननीय राज्य मन्त्री जी, आप के जिले में भी जो मिल बन्द हुई है वह भी क्यों बिना गन्ना पेरे हुये बन्द हो गयी? सब से ज्यादा मिलें देवरिया ही में हैं कि सरकार ने उस बारे में क्या किया? गन्ने की चर्चा की, रिसीवर मुकर्रर किया, कमेटी बनायी और मामला समाप्त। ६ फैक्टरियों तो बन्द हो ही चुकी हैं। अब आगे आप देखेंगे कि एक आज हो गयी, एक कल हो गयी। इस प्रकार से यह सरकार किसानों को तबाह करने का काम कर रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह मेहरबानी कर के किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दें। मेहरबानी कर के केन्द्र और प्रदेश के बीच में आंख मिचौनी खेलना छोड़ दें और इस प्रदेश के हित में, समाज सेवियों के हित में जो धोखेबाजी की राजनीति चल रही है, उसको छोड़ दें।

सीधी सादी और सच्ची एक जबान की राजनीति चले। दो जबान का जानवर बड़ा खतरनाक होता है। मैं कहता हूं कि दो जबान वाले जानवर को सिफ एक दिन लोग नाग पंचमी के दिन दूध और चावल खिला देते हैं। बाकी दिनों जो उस की दुर्दशा होती है वह सब जानते हैं। तो वही दशा दो जबान से बात करने वालों की होगी। मैं कहता हूं कि यह सरकार दो जबान वाला जानवर बनने की कोशिश न करे। मैं कहता हूं कि आप देखें आज प्रदेश और केन्द्र के रिश्ते में गड़बड़ नहीं है। उन की मर्जी से यह सरकार यहां पर चल यही है। अगर यह बात थी तो सीधे सादे यह काम करना चाहिये था कि प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए दूसरा हल खोजते। मैं निवेदन करता हूं कि मई के महीने में ही सारे गन्ना किसानों का गन्ना तुलवाने और पेरने की व्यवस्था की जाय। मेरी दूसरी मांग यह है कि गन्ना किसानों का एक सर्वे कराया जाय कि जिस प्रकार से जनवरी और फरवरी के महीने में गन्ने का वेटेज होता है वही

वेटेज जून और मई के महीने में आये। गन्ना पिरवाने की व्यस्वथा में जो नुक्सान किसानों का हो उस की कीमत मिल मालिकों से दिलायी जाये। इसी तरह से मेरी एक मांग यह भी है कि गन्ना किसानों का आजकल जितना भी नुकसान होता है, क्योंकि वह अपनी फसल को न पेरने के कारण जलाने के लिए, सुखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनकी क्षति पूर्ति सरकारी कोश से की जानी चाहिये। सरकार उस भार को वहन करें।

मेरा एक सूझाव यह भी है कि अगर सरकार यह कहती है कि हम ने लाइसेंस देने में उदारता से काम लिया है तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आप ने गन्ना किसानों के साथ क्या सहूलियत बरती ? मेरा निवेदन है कि खांडसारी के जो यूनिट बन्द हो गये हैं उन को सरकार फिर से चलवाने की कोशिश करे ताकि गन्ना किसानों का गन्ना पेरने का इन्तजाम हो सके। सरकार ने अभी बताया कि ६ मिलें गन्ने की बन्द हो गयी हैं तो उन मिलों को तुरन्त चालू करने का प्रबन्ध किया जाय और गन्ना किसानों के गन्ने को पेरने का इन्तजाम किया जाय

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोगों ने इस चर्चा को उठाया तो इस का कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था और न है। मान्यवर, हमारा सरकार की किसी तरह से तौहीन करने का कोई विचार नहीं है लेकिन हमारा जो कुछ भी विचार है वह केवल हमारे प्रदेश के गरीब किसानों की, हमारे देश के जो कृषक हैं उनकी समस्याओं को किसी तरह से आप की नियमावली के अनुसार आप से निवेदन कर के, आप से आग्रह कर के आप के द्वारा सरकार से उपाय निकलवाये। यद्यपि हम जानते हैं कि यह सरकार बहरी है। किसी ने यहां तक कहा है कि इसकी खोपड़ी उलटी है। श्रीमन् ऐसा तो मैं नहीं कहता लेकिन मुनासिब यह है कि जो भी संसदीय परम्परा है उसके अनुसार हम अपनी बात कहें और हम को आपके द्वारा बात कहने का अवसर मिले। इस सरकार के लिए भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी जटिल समस्या की ओर तुरन्त ध्यान दे और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे अन्यथा प्रदेश के कृषकों के हितों पर, उन के जीवन स्तर पर, उन की आगामी पद्धतियों पर एक जबरदस्त प्रहार होगा। और उन के साथ अन्याय हो जायगा।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि इस समय हाउस के अन्दर मेरी निगाह में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

मान्यवर, यह जो कृषकों की समस्यायें हैं, ये कोई अस्थायी नहीं हैं बल्कि स्थायी हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह सरकार इस तरह की नीति निर्धारित करे, इस तरह का काम कर, इस तरह का कोई आयोग गठित करे कि रिपोर्ट से उन की समस्यायें हल हों। यह अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार काम करे। ताकि कृषक जो गन्ना का उत्पादक है उसका गन्ना नष्ट न हो, समय पर मिलों में सप्लाई हो और पेरा जाय और उनके साथ कोई अन्याय न हो। इस तरह की बातों के लिए सरकार उत्तर दायी होती है। सभी लोग जो यहां चुन कर आते हैं उनका कर्त्तव्य होजाता है कि इन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। यह एक स्थायी समस्या है इस प्रदेश के अन्दर, इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से जो विशेष बात कहना चाहता हूं वह यह है, कि हमारे अपने जिले के दो, तीन विधायक यहां मौजूद हैं और जहां तक मैं समझता हूं मेरी बात से वह भी सहमत होंगे, इस प्रदेश के जो गन्ना कमिश्नर हैं जब कभी उन्होंने दौरा किया तो उनके दौरे का प्रोग्राम

[श्री भानुप्रताप सिंह बरेली]

हमको कभी नहीं मिला ताकि जो किसानों की समस्यायें हैं उनको हम लोग उनके सामने रखते। यह अधिकारी इसलिए हुआ करते ह कि जब वह दौरा करें तो जिलों के जनप्रतिनिधियों और दूसरे कार्यकर्त्ता और कृषक अपनी-अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें, दुख है एसे अफसर आज तक कभी नहीं आये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि जिस तरह से समय-समय पर रेडियों के जरिये रबी और खरीफ की फसल में यह प्रचार होता है कि अब आप इस प्रकार इन फसलों की तैयारी इस प्रकार करें प्रत्येक माह में आपको अपने खेतों में क्या करना है, जून, जुलाई और सितम्बर में क्या करना चाहिये इसी तरह से गन्ने के किसानों के लिए भी कोई प्रचार होना चाहिये या पत्रिका छपनी चाहिय जिसमें इस तरह क निर्देश दिय जायं कि इस साल आपने जो गन्ना बोया है अगल साल आपको अपने रकबे में बढ़ोत्तरी न कर के इतनी कमी करनी चाहिये ताकि इसकी पेराई करने या मिल पर सप्लाई करने की विराट समस्या सामने आकर न खड़ी होजाय।

तीसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की जैसी नीति होनी चाहिये जो कृषकों के कार्य में सहयोग देन वाली हो और वह यही हो सकती है कि जो रिजर्वड एरिया है उसमें भी ज्यादा क्शर लगान के लाइसेन्स देने में ढिलाई बरती जाय। मुख्य मंत्री जी काश्तकारों के बेटे कहे जात ह वह उनके बड़े नुमायन्दे ह। मैं बड़े अदब के साथ जानना चाहता हूं कि उन्होंने आज कहा था कि दो महीने हमारी सरकार को आये हुये हैं और इन सारी समस्याओं का दोषी हमको ठहराया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि इससे पहल की समस्याओं का दोषी कौन है? मैं बगर पक्षपात के एक कृषक की हैसियात से कहना चाहता हूं कि वह काश्तकारों के बड़े हिमायती हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं और वास्तव में उनको कृषकों का नुमायन्दा मानते हैं लेकिन वह कम से कम अपनी छक्का मारने की आदत तो छोड़ दें, चाहे बाल बाउन्डरी को छुए या न छुए। वह इस तरह से बढ़ावा देते हैं किसानों को कि हम १८ रुपये, १५ रुपये या १६ रुपये क्विंटल तुम्हारा गन्ना बिकवायेंगे। यह तो उनका जवान के बल्ले से शब्दों और वाक्यों का मारा गया छक्का है। इस तरह से जो ओछा खेल वह खेलते हैं वह उचित नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)---

मैं बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय मित्र ने कहा 'ओछा खेल'। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन सी तारीख में कहा कि हम १७ या १५ रुपय दिलायेंगे, जनवरी में, फरवरी में?

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

श्रीमन्, बरेली में जब मुख्य मंत्री जी चुनाव के दौरान में गये थे तो उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि, दोस्तो, आप हमारी बी० के० डी० को जिताइये और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अगले दिन भ्रष्टाचार का सफाया। शहर क अन्दर कहा कि गल्ला सस्ता ३ किलो का बिकवायेगी और देहात के अन्दर कहा कि गुड़ और गन्ने की कीमत ज्यादा दिलवायगी। तो यह वाक्यों का छक्का है मुख्य मंत्री जी का, चाहे यह बाउन्डरी छुए या न छुए। इसके कारण पिछले वर्ष बहुत देर तक गन्नेकी बुआई चलती रही। जबकि गन्ना बोने का समय १५ फरवरी से १५ मार्च तक का है। गन्ने की बुआई पिछले वर्ष और इस वर्ष भी देर तक और काफी से ज्यादा क्षेत्रफल में की जा रही है। भ्रमित किसान समझता है कि शायद अब चौधरी मुख्य मंत्री बन गये हैं, अगले वर्ष गन्ने की कीमतें शायद ज्यादा मिलें।

मान्यवर, इस वर्ष और अगले वर्ष की भी भयावह समस्या के लिए वर्तमान मुख्य मंत्री जी को जिम्मेवार ठहराता हूं।

पहले तो सी० बी० गुप्ता की सरकार थी, अब शायद किसान की सच्चे माने में सरकार आ गई है तो हो सकता है कि अगले साल १५–२० रुपया क्विन्टल दाम किसान को मिले। इस भावना के वशीभूत होकर किसान ने इस वर्ष भी अधिक गन्ना बोया है। लेकिन जो पोजीशन आयेगी उससे आगाह करने के लिये सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे बरेली जिले में खासतौर से बरेली केन सोसाइटी है और बहेड़ी के अन्दर एक-एक काश्तकार के पास दो-दो सौ, तीन-तीन सौ बीघे गन्ना खड़ा हुआ है। मोहम्मद शकील एम० एल० ए० बरेली के मौजूद हैं, वह इसके गवाह हैं और उस रिजर्व एरिया से बहेड़ी के ४ सेंटर बरेली को दे दिये गये इससे वहां के काश्तकारों की स्थिति बहुत विकराल हो गई है। और यह एक टेलीग्राम मेरे पास आया है, आशा है वह केन कमिश्नर और सरकार को भी मिला होगा कि अभी अभी ५ हजार क्विन्टल गन्ना रिजर्व एरिया से बाहर का बरेली शुगर फैक्टरी के लिये दिया गया है जबकि अपनी क्वांटिटी से ड्योढ़ा गन्ना भी बरेली मिल में पेरा जाय तो भी उसके पास ३० जून तक पेरने के लिये गन्ना मौजूद है ऊपर से और ५ हजार क्विन्टल गन्ना बरेली केन सोसाइटी के लिये अलाट कर दिया गया। अभी-अभी संभ्भावली (Sumbhaoli) फैक्टरी आज की तारीख से बन्द होने वाली है. . .मुझे एक मिनट और दिया जाय।

चौथे, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज काश्तकारों की लूट हुई है सोसाइटी के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा जो कि एक तरह से अर्द्ध सरकारी संस्था है, उन्होंने जब गन्ना ७ रु० ५ पै० प्रति क्विन्टल बिकता है। उन कार्यकर्त्ताओं ने तो बोगस परची के जरिये से स्वयं खरीद कर फैक्टरी को ३ रुपये क्विन्टल सप्लाई किया है फैक्टरियों को और बाहर से गन्ना आता है इसको रोका जावे और बिकराल समस्या का सरकार तुरन्त हल निकालें।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)––

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई रोष का विषय नहीं है और न कोई आलोचना करने का विषय है। वास्तविक परिस्थिति गन्ना किसानों के सामने क्या है, वह मैं सरकार के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। कुछ इलाके पूर्वी अंचल में ऐसे हैं जहां पर एक–फसला इलाके थे, लेट पेडी होती रही, और कुछ वहां के रहने वालों ने और ईख से संबंध रखने वाल लोगों ने एक शुगर फैक्टरी कायम की बढ़नी बाजार में। अरसा हुआ, काफी कोशिश की गई और एक–भसला इलाके के किसानों को यह सचेत किया गया कि एक फसला से नहीं, अगर कैश क्राप तैयार करो तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। फलतः हजारों एकड़ जमीन जो फसला की थी वह दो–फसला में परिवर्तित हुई। परिणाम यह हुआ कि मीलों की दूरी के किसान गन्ने की खेती करने लगे। परिस्थिति विषेष के कारण अध्यक्ष महोदय, वह मिल उठ करके मेरठ जिले चली गई, लेकिन जो वहां के किसानों की आदत बनी हुई थी वह आज तक कायम है। हजारों एकड़ जमीन में आजतक गन्ना बोया जाता है और गन्ने की फसल को गोंडा जिले और गोरखपुर जिले को दो शुगर फैक्टरीज में दिया जाता है। एक है आनन्द नगर और दूसरी है तुलसीपुर। भारत में ही नहीं, यह नो-मैन्स लैंड की जो बढ़नी मिल थी उसमें नेपाल राज से भी गन्ना आ रहा था और वहां के किसान अभ्यस्त हो गये थे कि गन्ने की खेती करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, वह इलाका बाढ़ क्षेत्र का है और वह एक–फसला है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बाढ़ आई और ओले भी वहां पड़े। वहां के किसान साग पात खाकर और कमलडण्ड खा कर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनकी जमीन दो तीन नदियों के बीच पड़ती है। आनन्द-नगर और तुलसीपुर के किसान परेशानी की हालत में है। कोई चारा नहीं दिखाई पड़ता है। सरकार क्या उनके लिये कोई उपाय ढूंढ़ेगी? कहा जाता है कि फैक्टरी को जुलाई के महीने में चलाया जायगा। जुलाई महीना बरसात का है। गन्ना फैक्टरी में कैसे पहुंचेगा? परिणामस्वरूप स्थिति ऐसी आ गई है कि गन्ने की खपत नहीं हो रही है और किसान परेशान होकर सोचता है कि गन्ने को जला दे।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे किसान जिनकी फसल बरबाद हो गई ओले गिरने और बाढ़ के कारण और जिनके गन्ने की खपत नहीं हो रही है मुनासिब वक्त पर और किसान अपना लगान अदा नहीं कर पा रहे हैं, अब इसके अलावा उनके ऊपर जो फर्टिलाइजर का कर्जा है उसको भी अदा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी विषम परिस्थित में गन्ना से संबंधित जितने अधिकारी हैं, मंत्री महोदय हैं और कर्मचारी हैं उस इलाके में जो गरीब हैं जिनके पास एक मात्र साधन अपनी जीविकोपार्जन का गन्ना, उनके गन्ने की खपत के उपाय ढूंढें। मै नम्रता से कहना चाहता कि किसान मजबूरी की हालत में है। उनके लिये कौन सी योजना है जिससे जो गिरे हुए हैं उनको उठाया जाय। मेरा सुझाव है अगर मुमकिन हो तो लगान में माफी दी जाय, अगर मुमकिन हो तो तकावी दी जाय और जो भी उनको जिन्दा रहने के उपाय हों वे किये जाएं। अगर दो महीने तक मिल चलती रहें तो उनको राहत मिलेगी। कोई न कोई उपाय ढूंढ़ना होगा। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री बांके लाल--

अध्यक्ष महोदय, इतनी उठक बैठक के बाद बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गन्ने की बदौलत हमारे प्रदेश में किसान जिन्दा रहते हैं और उसी गन्ने के ऊपर कर्जे लड़कों की फीस, किताब, पढ़ाई, शादी व्याह सभी मुनहसर करता है। किसानों की बढ़ती हुई आवाज को उठाने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुख्य मंत्री जी चौधरी चरण सिंह अपने को किसाने का हितैषी साबित करते हैं।

श्री चरण सिंह--

मैं हितैषी नहीं साबित करता हूं।

श्री बांके लाल--

वह कहते हैं कि हम किसानों की भलाई करेंगे। और कहा गया राष्ट्रीयकरण होगा। राष्ट्रीयकरण की बात तो अलग रही यह खाने पीने का धन्धा बनाया गया और चुनाव लड़ने का साधन बनाया गया। मुख्य मंत्री जी चौधरी साहब और इन्दिरा जी राष्ट्रीयकरण करेगी? जैसे जमींदारी तोड़ी गयी जब उन्होंने सारे तालाब और पोखरे बेच डाले अगुवार पछुवार बेच डाले और पैसे बना लिये जमीन्दारी तब तोड़ी गयी। अगर राष्ट्रीकरण करना है और किसानो की मदद करना है तो एक घंटे में बैठकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट कानून बनाकर राष्ट्रीकरण कर सकती है। इस काम के लिये इसमें हिम्मत नहीं है। इंदिरा जी बिड़ला की गोद में खेल रही हैं और मुख्य मंत्री जी इंदिरा जी की गोद में खेल रहे हैं। ये पूंजीवाद के हामी हैं।

आज किसानों के हितैषी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं और रामकोला खेतान मिल पर ६ लाख रुपया बाकी है। और १३ लाख रुपया इस वक्त का बाकी है। वहां के किसानों की गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई है उनके बच्चे दाने-दाने के लिये तरस रहे हैं उनके तन पर वस्त्र नहीं हैं और विवाह-शादी पड़ी हुई है। यह मुख्य मंत्री चरण सिंह के समय में यह काम हो रहा है। जब यह वहां जायेंगे तो कहेंगे कि मैं किसानों का हितैषी हूं। यह न कहेंगे तो इनके पीछे वाले लोग कहते हैं कि १४ रुपये क्विन्टल गन्ना होगा पर्ची रखे रहो। इस तरह की हवा फैलाकर चले आये है और किसान अब तड़प रहा है। उन्होंने यह काम राज मंगल जी को सौंपा है अगर गेंदासिंह जी को सौंपे होते तो मामला कुछ आगे बढ़ता। आज गन्ना सूख रहा है और किसानो को गन्ने की कीमत नहीं मिल पा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह समस्या है।

मंगल उपाध्याय जी जरूर गन्ने की खेती करते होंगे और वह रामकोला से चुन कर आये हैं। उन्हें यह मालूम होगा। जिन मिल पर मुख्यमंत्री जी ने रिसीवर भेजे हैं उसमें किसानों को

गन्ने की कीमत नहीं मिलती है। रामकोला में रिसीवर पहुंच गया और उसने मजदूरों को तबाह कर दिया। वहां बजाय किसानों को गन्ने का दाम देने के सड़क बनाई जा रही है। मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से और उधर के माननीय सदस्यों से कि रामकोला मिल से किसानों के गन्ने की कीमत दिलाई जाय और उनके गन्ने के पैरने की व्यवस्था कराई जाय। अगर उनका गन्ना बाकी रह जाय तो उसका मुवावजा दिलाया जाय मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की समस्या इस समय करीब पूरे सूबे की ही समस्या बन गई है और इसमें करीब-करीब जितने सदस्य हैं वे सभी इंटरेस्टेड हैं। मुझे भी अपनी कांसटीट्युएन्सी के हालात आपके सामने पेश करने हैं। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहबान भी इसको सुन लें और मुनासिब कार्यवाही करें। मैंने जैसा कहा कि मेरी कांसटीट्येन्सी में भी एक यूनियन बनी हुई है उसके जरिये से यह गन्ना सप्लाई किया जाता है। जाहिर है कि ये केन यूनियन इस वास्ते बनी कि काश्तकारों को इसके जरिये कुछ आसानियां मिलेंगी मगर वाकया यह है कि इस यूनियन कि वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा करेप्शन हो सकता है वह होता है। मैं आपको बताऊंगा कि केन यूनियन का यह तरीका होता है कि केन यूनियन आफिसर पहले सट्टा करते हैं। वह काश्तकार होशियारी करता है जिसके पास १० बीघा गन्ना और वह सट्टे में २० बीघे लिखवा दे और जब सप्लाई शुरू होती है तब पहले अपने १० बीघे का गन्ना सप्लाई कर देता है और फिर सर्किल के बाहर से और गन्ना कम कीमत पर सप्लाई करता है।

इस तरह से ऐसे लोग एक तिजारत करते हैं क्योंकि बाहर से वे लोग सस्ते दाम पर गन्ना लाते हैं। उसमें सर्किल के काश्तकारों का बहुत ज्यादा नुक्सान होता है वह काश्तकार जिसके पास न तो कोई इन्फ्लूएन्स है और न कोई मदद करनेवाला नतीज यह होता है कि उसी का नुक्सान होता है। मेरी कान्सीट्यूएन्सी में बहुत से २, ४ चार बीघे के काश्तकार हैं जिनके खेतों में गन्ना लगा है लेकिन आज तक उनका गन्ना सप्लाई नहीं हो सका है। वह केन यूनियन के पास जाते हैं और कहते हैं कि पर्ची दे दो पर उनको पर्ची नहीं मिलती जिनका केन यूनियन पर प्रभाव है वे कहते हैं, लोग कहते हैं कि वज्जू मियां से जाकर पर्ची ले आओ। यह सिर्फ इस कारण कि इनसे वोट निर्वाचन में मुझे मिले थे और उन प्रभाव वालों को अपने वोट नहीं दिये थे मेरे पास कहां पर्ची है जो मैं उन्हें दूं? इसके मुताबिक मेरे काश्तकारों ने एक रिप्रेजेन्टेशन शिवराज सिंह, कृषि मंत्री के सामने पेश किया। मुझे खुशी है कि शिवराज सिंह ने जिस तरह से एक डेमोक्रेट मिनिस्टर को करना चाहिये उसी तरह से उन्होंने इस रिप्रेजेन्टेशन पर गौर किया। उन्होंने फौरन ही हुकुम जारी किया और तहकीकात हुई और इस तहकीकात में से ८०, ९० फीसदी बातें जो कही गयीं थीं सही पाई गईं। बहुत से लोगों ने सैंकड़ों कुन्टल गन्ना सप्लाई किया है, बहुत से लोगों ने उतना गन्ना न होने पर भी सैंकड़ों बीघा इसमें लिखाया है।

इस तरह से वहां पर करेप्शन की कोई इन्तहा नहीं है। एकाउन्टेन्ट को घूस देना पड़ता है, सेक्रेटरी साहब की डांट खानी पड़ती है और कभी-कभी सेक्रेटरी साहब काश्तकारों को अपने घर से भी निकाल देते हैं लेकिन मजबूरन उनके पास जाना ही पड़ता है। इस तहकीकात के बाद मुझे उम्मीद थी कि अब यह रिपोर्ट मिनिस्टर साहब के पास पहुंचेगी और फौरन ही कोई कार्यवाही होगी लेकिन बदकिस्मती मेरी कि शिवराज सिंह साहब ने केन का चार्ज दे दिया और अब दूसरे मिनिस्टर साहब आ गये हैं।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

कल मैं दूसरे मिनिस्टर साहब से भी मिला, अपनी दरख्वास्त लेकर मैं उनके पास गया और कहा, मेरे साथ कुछ काश्तकार भी थे, वहां पर केन कमिश्नर साहब भी थे। बहुत ही एखलाक के साथ उन्होंने मेरे साथ बर्त्ताव किया। मैं समझता हूं कि वे मामले को समझ गये हैं और कुछ काश्तकारों की मदद जरूर करेंगे मगर मैं उनसे कहूंगा कि अगर यह फसल गुजर गई और काश्तकार का गन्ना सूख गया और उसके बाद कोई इन्तजाम हुआ तो उससे क्या फायदा हासिल होगा। आज काश्तकार का गन्ना लगा हुआ है, सूख रहा है, उसको पर्ची नहीं मिल रही है इसका फौरन ही इन्तजाम होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से केन मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस मामले को वह फौरन देखें। और अपनी तवज्जह दें अब भी जो मशीनरी काम कर रही है वह वही है जो पहले थी और जिससे काश्तकारों की शिकायतें हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर वह वक्त निकाल कर खुद भी गौर करें। मेरी कान्स्टुएन्सी में काश्तकारों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और अभी तक सिर्फ उनसे यह वायदा किया जा रहा है कि तुम्हारे मामले को तय कर दिया जायगा। कब और किस प्रकार यह नहीं मालूम।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं वह यह कि पूरे सूबे में केन यूनियन्स का आफीशिएल सेक्रेटरी होता है। इसमें मुमकिन है कि कोई आदमी राशीत हो और वह तकलीफदेह हो मगर उन पर एक तरह का आफिशिएल कंट्रोल रहता है। हमारे केन यूनियन में एक अवैतनिक सचिव है जो अकेले पूरे सूबे में नान आफीशिएल सेक्रेटरी हैं। आखिर बड़ागांव, मझौली और बाराबंकी ने क्या खता की है कि उनके यहां एक नान-आफीशिएल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जो पर्चियां वोट के बिना पर न कि पैदावार की बिना पर जारी करता है और जिसकी वजह से बड़ा गांव के यूनियन करेप्शन के मामले में अपनी मिसाल कायम कर रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय पांडेय जी इस पर गौर करेंगे और केन यूनियन के मामले को जल्द से जल्द तय करेंगे और काश्तकारों को उनका बकाया अदा किया जायगा और उनका गन्ना भी सप्लाई में जल्दी की जायेगी। अगर यह न हुआ तो इसका असर जरूर बुरा होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, पूरी तौर से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत किदवाई साहब समझ रहे हैं कि यह वह बादल हैं जो खेती सूखने के बाद बरसते हैं।

*श्री हरनरायन—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इत्तफाक से बांकेलाल जी चले गये हैं। इस समय पूरे प्रदेश में गन्ने की बहुत बुरी दशा है। काश्तकार जिसका सारा जीवन गन्ने पर ही निर्भर है उसका गन्ना खेत में खड़ा है। काश्तार एक-एक पर्ची को तरस रहा है। जिसकी दो पर्ची है उसको केवल एक ही मिल पाई है। जिन्होंने कर्मचारियों से मिलकर अपना कर लिया है, उनका गन्ना जा चुका है, वह तीन रुपये क्विन्टल गरीब किसान का गन्ना खरीदकर मिलों को बेच रहे हैं। मैं अपने यहां केन सोसाइटी की कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां केन सोसाइटी है। उसम १० वर्ष से बेलेंस शीट नहीं बनी, ८ साल से ए० जी० एम० नहीं हुई, लाखों रुपये का गबन है। मैंने इसकी लिखित शिकायत माननीय शिवराज सिंह जी को दी जिसकी जांच के लिये असिस्टेंट केन कमिश्नर गए। मुझे विश्वास है कि वह ठीक जांच करके लाए होंगे और मुझे विश्वास है कि इस समय स्वच्छ प्रशासन में उसमें जरूर कार्यवाही होगी। हमारे सामने बैठने वाले जो सदस्य हैं वह इस समय कटाक्ष कर रहे हैं। सब कुछ उन्हीं का बोया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ बीज है । सारी बेईमानी उन्हीं की तरफ से आयी है । उन काश्तकारों को तरफ उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा । उनको लुटते हुए देखकर हंसकर टालते रहे और लुटने दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय चन्द मिलें बन्द हो रही हैं । मुख्य मंत्री जी ध्यान दें तो जहां अधिक गन्ना है उसे वहां डलवा दिया जाय ताकि यह समस्या हल हो जाय । श्रीमन, हमारे क्षेत्र में एक एम० एस० शुगर फैक्टरी है । उस पर ४६ लाख रुपया काश्तकारों का चाहिए । पेमेन्ट बन्द है और काश्तकार परेशान है । श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में सैलाब आया था जिससे ४६ गांव बिल्कुल डूब गए और फसल नष्ट हो गयी और फिर ओला वृष्टि भी हो गयी जिससे काश्तकार तबाह हो गए । अब गन्ने का ही आसरा है । लेकिन इस फैक्टरी ने ४६ लाख रुपया काश्तकारों का रोक लिया है । ६–६ दिन सेन्टर बन्द कर देते हैं । एक दिन बिना नोटिस के बन्द कर दिया । मैंने आयुक्त महोदय से शिकायत की । उन्होंने तार भेजकर उसकी व्यवस्था करायी । मान्यवर, यह कह देना नितान्त गलत है कि मुख्य मंत्री महोदय ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । उनका पूरा-पूरा ध्यान काश्तकारों की समस्याओं की तरफ है और उन्होंने बहुत सी सुविधायें पहुंचाने की कोशिश किसानों के लिये दी हैं । आप देख रहे हैं कि उन्होंने गन्ने का भाव बढ़ाने की बहुत कोशिश की. . . .

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)––

वह सुविधायें बता दें ।

श्री हर नरायन––

वह यह हैं कि उन्होंने साढ़े ३ करोड़ रुपया' ' 'वक्त थोड़ा है मैं अपनी बात कह लूं

श्री अध्यक्ष––

आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री हरनरायन––

मैं निवेदन करूंगा कि यह राजा महाराजाओं की मिल जो पीलीभीत में है उस की हालत उन की बैंक से ओवरड्राफ्ट की लिमिट तक समाप्त हो गई है और आगे उन को बैंक से रुपया मिल नहीं सकता । मेरी प्रार्थना है मुख्य मंत्री जी से वह इस मिल को तुरन्त अपने हाथ में ले कर गरीब किसान मजदूरों की तकलीफ को दूर करें । एक दूसरी और समस्या वहां यह भी है कि वहां के मजदूरों का बोनस का लाखों रुपया यह मिल मालिक नहीं दे रहे हैं, मुख्य मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें और गरीब मजदूर जिन्होंने खून पसीना बहाकर वहा काम किया है, कायदे से तो उनको वहा हिस्सेदार होना चाहिये था लेकिन उनकी ही कमाई का पैसा और मजदूरी भी उन को नहीं मिल रही है । इस तरफ मुख्य मंत्री जी विशेष ध्यान दें ।

साथ ही मिल से लगे हुये जितने ऐसे सेन्टर हैं जो गोला फेक्टरी से सम्बन्द्ध हैं उन को गोला मिल से ही सम्बद्ध रखा जाय ताकि रिजर्व क्षेत्र जो इस पीलीभीत मिल का है उसका गन्ना उठ सके । वहां सम्पूर्णानन्द नगर एक छोटा सा नगर है वहां पर लाखों टन गन्ना पड़ा है । पिछले साल गन्ने की पैदावार नहीं थी कम थी तब भी जुलाई तक गन्ना गया था जबकि बरसात में रास्ते बन्द हो जाते हैं । मेरा निवेदन है कि दोनों क्षेत्रों का गन्ना जो पड़ा है उस की ओर ध्यान दें, मुख्य मंत्री जी बहुत ही विचार कर के कार्य करने वाले हैं और किसानों की समस्याओं को समझते हैं, वह कृपया इस पर विशेष ध्यान दें । जय हिन्द ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी है जो आज हमारे साथियों ने जो गन्ने की कीमत के गिरने के सम्बन्ध में चर्चा का अवसर दिया है। इस पर मैं तो बोलने वाला नहीं था लेकिन श्री गेंदा सिंह जी मुझ दिखाई दिये तो मेरी कुछ इच्छा हुई। मैंने उनका नाम इसलिये लिया कि उधर के लोग और इधर के लोग जो २०-२२ साल से और २-३ साल पहले तक सब लोग एक ही तरफ थे, चौधरी साहब भी और हम भी और गेंदासिंह जी भी सन् ६२ से एक जगह थे। उनका नाम पर्यायवाची हो गया था, वह हमारे भाई हैं और हम उनसे कहा करते थे कि गन्ने की मिलों को नेशनेलाइज होना चाहिये और जब उस दिशा में प्रयास हुआ तो गुप्ता जी ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि ठीक है चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। लेकिन उस पर तसल्ली नहीं हुई लोगों को और यह उस दिन पहली बार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा और गवर्नर के सम्बोधन में भी है कि उनका राष्ट्रीयकरण होगा। ठीक है, प्रदेश में यह हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। दुर्भाग्य है कि इन मिलों पर हमारा कोई वश नहीं है जब कि चीनी ही हमारा सब से मुख्य उद्योग है।

सन् ६७ के बाद मध्यावधि चुनाव के वक्त से चीनी मिलों का कार्यक्रम एक सामाजिक कार्य के रूप में लिया गया और देखा गया कि गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिये, क्या उनमें कमी है, उनका वीयर एन्ड टीयर क्या है, रिकवरी कितनी होती है, महाराष्ट्र और आंध्र के मुकाबले में हमारी क्या स्थिति है। लेकिन अफसोस है कि इस पर जितना विचार होना चाहिये था वह नहीं हुआ और राजनैतिक पहलू होते हैं जो भी सरकार होती है वह अपने तरीके पर करती है। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब नेता विरोधी दल थे उस समय मांग की गयी थी और उन्होंने भी कहा था कि राष्ट्रीयकरण करो। उन्होंने यह भी कहा था कि शायद गुप्ता जी और उनकी पार्टी के लोग चन्दा वसूल करते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, उस दिन उनको याद नहीं था कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में कठिनाई होती है। इस दिन उन्हें याद आया कि यह मसला इतना आसान नहीं है कि जब हमने इस सम्बन्ध में प्रश्न किए तो उनका जवाब कुछ और ही था। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस ओर की सीट से उस ओर जाने पर समझ में आया। मैं तो कहूंगा कि इस मामले में माननीय गेंदा सिंह जी को, जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, उन्हें मंत्रि-मंडल से त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीयकरण, गेंदा सिंह और गन्ने को पर्यायवाची शब्द बना रखा था। जब मुख्य मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही, मैंने तो मिलों के टेक ओवर की बात कही थी। उस दिन एक माननीय सदस्य ने जो शायद बी० के० डी० के थे, मुख्य मंत्री पर एस्पर्शन किया कि जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती। पहले इसमें माननीय वीरेंद्र वर्मा, माननीय गेंदासिंह और माननीय पृथ्वी नाथ,एम० पी० भी थे। यहां पर कहा गया कि मुख्य मंत्री जी ने बाहर के आदमी को लगा दिया है। आज सरकार की तरफ से यहां मांग होती है कि सरकार इस कार्यक्रम को करे। श्रीमन्, गन्ने के मिलों का उद्योग हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो इस गन्ने के सरकारी संरक्षण देना चाहिए और मुख्य मंत्री जी, जिनके समर्थन पर यह सरकार चला रहे हैं, उनके बम्बई रेजोल्यूशन में उत्तर प्रदेश के बारे में था कि वहां की सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम है और वह कर सकती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वे १८ रुपये प्रति क्विन्टल के गन्ने के दाम दिलवायेंगे लेकिन अब वह ७ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है और फ्रशर्स पर तो ढाई या तीन रुपये प्रति क्विन्टल ही है। मेरी प्रार्थना है कि आज हिम्मत के साथ वे घोषणा कर दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीय-करण करने जा रही है और जो दाम १५ या १८ रुपये प्रति क्विन्टल दूसरे प्रान्तों में है उस हिसाब से किसानों का दाम दिलवाये।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से भ्रटाचार के बारे में, जो गन्ने की सप्लाई, वेमेंट और पेमेंट में होता है, कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को माननीय मुख्य मंत्री जी गौर से सुनें। शुरु-शुरू में जब गन्ने की सीजन आरम्भ हुयी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद थे और श्री लक्ष्मी कान्त नागर, गन्ना अधिकारी हैं, उनकी ओर से आदेश निकले कि जो एडीशनल गन्ना देना चाहते हैं वे २ रुपया प्रति क्विन्टल की जमानत जमा करें। पहले इस मंत्रि मंडल के बहुत से सदस्य जो उस समय सत्तारूढ़ थे, यह कहा करते थे कि चीनी की प्रदेश में बड़ी क्राइसिस है इसलिये किसानों को अधिक गन्ना पैदा करना चाहिए। तो हम लोगों ने गन्ने का सट्टा कराया एडीशनल के लिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भोजीपुरा में एक डैवलपमैन्ट यूनियन है। वहां पर एक डेली कलैंडर था। उसमें २०-२० और २५-२५ गन्ने की पर्चियों का वितरण इतनी बुरी तरह से किया गया कि जिनको दो-दो सौ और ढाई-ढाई सौ की थी, उनको साढ़े ३ साढ़े ३ सौ तक मिल गयीं। कुछ काश्तकारों की श्रीमन्, जिनकी १५० पर्चियों थी उनको ९८ ही पर्चियां मिलीं। माननीय मंत्री जी इन्साफ की नजर रखते हैं। मैं एक बार मिला था सन् १९६७ में। मैं एक केस के बारे में मिला था। मेरे बहुत से काश्तकार हैं डेली क्लैन्डर में। तो फिर बहुत से लोगों को १०० की दो सौ क्यों मिलीं और दूसरों को कम क्यों मिलीं। गदरपुर, रुद्रपुर और भोजपुर इन तीन गांवों ने बेहड़ी सेन्टर को कभी गन्ना नहीं दिया था। उनका गन्ना भी लिया जाने लगा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी गन्ने की दूकान की मिठाई खिला दी है या लाख दो लाख रुपया दान कर दिया है जिससे कि वहां चार सेन्टर दिये गये हैं। यह सब भोजीपुरा जोन को भुगतना पड़ा।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, सात मिनट कहां हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने दो मिनट मांगे थे।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, दो मिनट और दे दें। मैं एक बात और कहना चाहता था। मैं कल गैर हाजिर रहा। मैं कल गन्ना यूनियन में गया। वहां मैंने एक नई बात देखी कि पेमेन्ट मार्च तक का हो रहा है। एक पर्ची देखने को मिली। भीमसेन पुत्र शोभाराम, गांव सैयदपुर, भोजीपुरा जोन में, जिसको माननीय मुख्य मन्त्री नोट कर लें २६ तारीख को यह व्यक्ति गन्ना तौला आया इस पर्ची का नंबर ११९४५२ है। इस पर्ची को पेमेन्ट करवा लिया वहां के कैशियर और सी० डी० आई० ने उस असल काश्तकार को पर्चा नहीं मिला और यह पेमेन्ट ५-५-७० को हो गया। इसी तरह एक आदमी श्री हेमराज ने दरख्वास्त दी और यह दरख्वस्त रिसीव हुई १६ मार्च को। मैंने प्रश्न भी किया पर मेरा प्रश्न खारिज हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

इनको केवल एक पर्ची मिली । क्योंकि कामदारों को पचास रुपये नहीं दिये इसलिये पर्ची नहीं मिली । कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के घपले होते हैं इनकें यहां जब से रिसीवर एप्वाइन्ट हुए हैं ।

हमारे यहां इससे पहले ८ मार्च का पेमेन्ट १९ मार्च को हो गया था लेकिन आज श्रीमन्, यह हालत है कि मार्च ३० तक का पेमेन्ट हो रहा है । दो महीने पेमेन्ट नहीं हुआ । वहां निहालसिंह जो इंचार्ज हैं वह किसी का गन्ना तोलते हैं २५-३० क्विन्टल, क्योंकि जातिवाद आजकल पनप गया है, जाट ज्यादा हैं, जाट श्रीमन्, तीन-तीन गाड़ियों में तौलते हैं जबकि दूसरे काश्तकारों का गन्ना, जैसे कुर्मी या गूजर वगैरह हैं, दस और बारह क्विन्टल ही तौला जाता है । इसके लिये मैं रिसीवर से मिला था । मैंने शिकायत की । ये सारी चीजें हैं गन्ने के मामले में जो दुःखदायी हैं ।

मैं कहना चाहूंगा कि एच० आर० शुगर फैक्टरी और केन यूनियन, भोजीपुरा के बारे में मैंने नागर साहब को फोन किया । हमारे यहां आशाराम सिंह, सी डी० आई० तीन महीने तक खाली पड़े रहे । उन्होंने मि० अग्रवाल को अब चार्ज दे दिये हैं । जो नये आये हैं वे पन्द्रह दिन से ही आये हैं । यह वहां के लिये बहुत ही खराब चीज है । ये गन्ने के विषय में सारी परेशानियां हैं उनके विषय में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें । १५ जुलाई की जो बात कही है उसके बारे में मुझे कहना है कि १५ मई तक उन गांवों का गन्ना ले जो इन्टीरियर में हैं और १५ जुलाई के बाद गन्ना लेना है तो तराई स्टेट फार्म का लें वरना आम काश्तकार जिसकी गाड़ी नहीं निकल सकती है वह क्या करेगा । यह आदेश नागर साहब को दें । हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी विरोधियों को दुश्मन समझते हैं । मैं चाहूंगा कि इसमें वे इन्क्वायरी करायें ।

एक सदस्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधा घंटा का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । गन्ने का मसला बड़ा गम्भीर मसला है । जब माननीय चरणसिंह मुख्य मंत्री हुये तो इनसे बड़ी उम्मीद थी कि गन्ने का दाम बढ़ेगा । मुझे यदि ठीक सूचना मिली है तो मुख्य मंत्री बनने से पूर्व माननीय चरणसिंह जी ने पूर्वी जिलों में जब दौरा किया था तो इस बात की घोषणा की थी, शब्दों को तो मैं नहीं जानता, मगर उसका आशय यह था कि अगर मैं मुख्य मंत्री हो जाऊंगा तो गन्ने के दामों में सुधार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

लेकिन बाद में सारी आशा निराशा में परिवर्तित हो गयी । इस संबंध में माननीय बांकेलाल जी ने जो खयालात जाहिर किये है मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं । माननीय हरनारायण जी ने भी ठीक कहा है । मगर मैं एक, दो मौलिक प्रश्नों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

जब संविद की सरकार थी तब भी माननीय चरणसिंह मुख्य मंत्री थे तब गन्ने के दाम चढ़े थे। जब वह सरकार बनी तो प्रदेश में दो तरह के भाव थे, पूर्वी जिलों में १२.७३ रुपये प्रति क्वीन्टल, और पश्चिमी जिलों में १७.१८ रुपये प्रति क्विंटल। उसका कारण, कसया में जब माननीय मुख्य मंत्री तशरीफ ले गये थे तो यह बताया था कि पश्चिमी जिलों में क्रशर बहुत हैं, इसलिये वहां का किसान बारगेनिंग पोजीशन में है, पूर्वी जिलों का किसान बारगेनिंग पोजीशन में नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर किसान बारगेनिंग पोजीशन से ही गन्ने का दाम तय करेगा, तो फिर इस सरकार की क्या जरूरत है? सरकार का क्या काम रह जायेगा? अगर यही सिद्धान्त रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों में क्रेशरों की तादाद और बढ़ रहा है और गन्ने का दाम गिर रहा है, मुझे मालूम है कि माननीय राज मंत्री, गन्ना, का भी गन्ना ढाई रुपये के भाव से बिक रहा है, मैं उनकी बेबसी को समझता हूं, वे बेबस हैं। सरकार में आने के बाद मंत्री कितना बेबस हो जाते है यह आज उनके वक्तव्य से जाहिर हो गया।

पारसाल क्या स्थिति थी और इस वर्ष क्या है, इसमें भी एक रहस्य है। जितनी भी कारखाने से पैदा होने वाली तथा किसान की जरूरत की चीजें हैं उनके दाम बढ़े हैं, जबकि किसान की पैदावार की चीजों के दाम गिरे हैं। फर्टीलाइजर लोहा, सीमेंट, कपड़ा, किताबें, सभी के दाम बढ़े हैं। मगर गन्ने के दाम कम हुये हैं। माननीय गन्ना मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री कितनी भी दुहाई दें, मगर मुझे यकीन है कि गन्ना किसान के खेत में बचेगा। उन्होंने कहा कि गन्ना पिरवाने के लिये मिले प्रारम्भ में चलवाने की कोशिश की। मगर मिल मालिकों को घाटा होने पर आपने उनको छूट दी, क्या कभी किसान को भी छूट देने की बात आपने कही। उनको भी उनके एक्रेज के हिसाब से दाम क्या सरकार आज देने को तैयार है? कहने के लिये सरकार की नीति किसानों के पक्ष में हो सकती है, मगर वास्तव में उसकी नीति मिल मालिकों के हित की ही है। किसानों के हित की बात को सिद्धान्त में जरूर स्वीकार किया गया है, किन्तु व्यवहार में सर्वथा उसके विपरीत दिखाई पड़ता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर एक आयोग गठित होना चाहिये, गन्ने के दाम को चीनी के दाम के साथ जोड़ा जाना चाहिये। और रफी अहमद किदवई साहब ने जो फार्मूला माना था कि जितने रुपये मन चीनी उतने ही आने मन गन्ना बिकेगा, उसे पूरी तरह स्वीकार किया जाना चाहिये और उसे लाग् किया जाना चाहिए। वास्तव में यदि यह सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है और यह दावा करती है कि गन्ने के काश्तकारों को नुकसान नहीं होगा तो उसे यह घोषणा करनी चाहिए कि एक्रेज के हिसाब से १५ जनवरी को जो वजन गन्ने का रहा होगा, उस हिसाब से काश्तकार को गन्ने का मुआवजा मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री कृष्णस्वरूप—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा तक बढ़ा दिया जाए।

(मुख्य मंत्री के आपत्ति करने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब तक सब एक मत नहीं होते, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री चरणसिंह—

इस विषय पर सदन कितनी दिलचस्पी ले रहा है, वह तो इस समय सदन की उपस्थित से स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि जो दो घंटा का समय है वह काफी है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

और मैं भी परेशान हो गया हूं ।

श्री चरणसिंह—

किन्तु फिर भी यदि समय बढ़ता है, तो मैं तो यहां नहीं रह सकूंगा क्योंकि मुझे ७ बजे जाना है । मेरे राज्य मंत्री रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, साढ़े सात बजे तक होगा । इस समय हमारे सामने ६ लोग और बोलने वाले हैं, यह देखते हुए मैं प्रत्येक सदस्य को ४ मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे ।

श्री शफीक अहमद (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, गन्ने की अहमियत के बारे में और किसानों की दिक्कतों के बारे में मेरे बहुत से दोस्तों ने आपको जानकारी दिला दी । अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । मैं उस इलाके से आया हूं, जहां की खास फसल गन्ना ही है । और जिस वक्त वहां रिजर्वेशन हुआ कि फैक्टरी को गन्ना कहां-कहां दिया जाए, मैं भी उस कमेटी में था । फैक्टरी के पेरने के लिये क्षमता से ज्यादा यानी ३२–३५ लाख क्विन्टल गन्ना मेरे यहां है, किन्तु केन कमिश्नर महोदय ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने हमारी बात को न मानकर हमारे क्षेत्र के गन्ने पर हलद्वानी सेन्टर का गन्ना लाद दिया और उधर हमारे केन सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जुल्म किया है और ३ मन को १३ मन और १३ मन को ३ मन रिश्वत लेकर किया है, जैसा कि लोगों ने यहां पर जिक्र किया है । इस पर मैंने केन कमिश्नर महोदय तथा अन्य अधिकारियों को लिखित दिया और उनसे जातीय मुलाकात करके बताया कि यहां बड़ा जुल्म किया जा रहा है । वहां बाहर से गन्ना आता है और हमारे गन्ने का कोई इस्तेमाल नहीं होता है ।

किन्तु यह खुशी की बात है हमारी सरकार ने उस पर काफी गौर किया और जो बाहर का गन्ना था उसको काटा । इसके अलावा वहां के कर्मचारियों के खलाफ योजना चलाई थी । १३–१४ कर्मचारियों को मुअत्तल भी कर दिया । फिर भी हमारी दुश्वारियां दूर नहीं हुई हैं । अब जब कि गन्ने की पेराई के केवल ३०–३५ दिन बाकी रह गये हैं, क्योंकि हमार यहां वर्षा जल्दी आरम्भ होती है, और जिस रफ्तार से पेराई चल रही है, वह पूरा गन्ना नहीं पेर पायेगी और गन्ना खड़ा रह जाएगा । वहां २५ सौ क्वीन्टल रोज गन्ना न्योली फैक्ट्री को देने के लिए व्यवस्था की, लेकिन उसमें सुविधा नहीं दी । खुद रोज गन्ना ले जाकर गेट पर दें । दूसरे, एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि फसल उठ रही है, काश्तकार को बड़ी समस्या है, न्योली मिल को गन्ना ले जाने में वह असमर्थ रहा । चुनांचे हमारे लिए वह चीज कारामद नहीं हुई । अगर सरकार कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि मेरे क्षेत्र में उनके कांटे लग जायं तो मेरे यहां का गन्ना जो दूसरी मिल को जाता है, समाप्त हो सकता है । लेकिन मैं इस सिलसिले में परसों केन कमिश्नर साहब से मिला । उन्होंने जवाब दिया कि बड़ा मुश्किल है । न्योली मिल के मिल मालिक नहीं मान रहे हैं । निहायत अफसोस की बात है । न्योली मिल के मालिक नहीं मान रहे हैं । बहेड़ी मिल की क्षमता नहीं है । पीलीभीत, मझौल, बाज, काशीपुर, सब जगह गन्ने के अम्बार हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि सिवा इसके काश्तकार की मेहनत का कुछ नतीजा न निकलेगा, गन्ना खड़ा रह जायगा इसके सिवा क्या हो सकता है ?

मैं बहुत अदब से माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा । अभी वक्त है । हो सकता है कि इन मुसीबतों से हम को नजात दिला दें अगर हमारे क्षेत्र के गन्ने को किसी मिल को दे दें जैसे न्योली मिल को दे दिया है । वहां वह अपने कांटे लगवा दें तो गन्ना समाप्त हो जायगा । नहीं तो मेरे क्षेत्र का गन्ना रह जायगा और हम इस लायक नहीं रह

जायेंगे कि उनको मुंह दिखा सकें। उनसे कह सकें कि हम आपके हितैषी हैं। ऐसी सूरत में बहुत अदब से माननीय मुख्य मंत्री जी की तवज्जह दिलाऊंगा कि फौरन आजकल में कोई कोई बन्दोबस्त कर दें कि हमारे क्षेत्र का गन्ना दूसरे मिल को जाने लगे। आप हैरत करेंगे कि आज जब कि सात तारीख है मई की हमारे यहां किसानों के पास किसी के पास २० हजार क्विंटल, किसी के पास पांच हजार क्विन्टल किसी के पास एक हजार क्विन्टल गन्ना खड़ा है। बताइये, खेत काटें, या गेहूं की फसल घर लाएं, या गन्ने की छिलाई ढुलाई का इंतजाम करें। एक पहाड़ सामने आ गया है। चूंकि इस सरकार के हाथ में यह नहीं है कि वह गन्ने के दाम बढ़ा दे, हमें वही दाम मिल जांय, उससे आधे दाम भी नहीं मिल सकेंगे और हमारे खेत खाली नहीं हो सकेंगे। आपके जरिये मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र के गन्ने का किसी तरह से बन्दोबस्त कर दिया जाय।

(इस समय ६ बजकर ५१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री वासुदेवसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपायक्ष महोदय, वैसे तो गन्ने की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब है लेकिन हमारा बहराइच जिला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। वहां की मुख्य फसल गन्ना ही है। जरवल चीनी मिल एरिया में कई बार बरसात में, पांच सात सैलाब आये जिसके कारण सारी फसल नष्ट हो गयी केवल गन्ना बचा था। करीब एक वर्ष पहले का गन्ना खत्म नहीं हुआ, और दूसरे साल के गन्ने की समस्या आ गयी। जहां के किसानों का एकमात्र सहारा गन्ना ही है। उनका गन्ना न बिकने के कारण मोहर्रम और होली के त्यौहार यों ही चले गये। आज वहां गरीब नंगे फिर रहे हैं। दूसरी ओर किसान जो गन्ना पैदा करता है, वह खेतों में खड़ा सूख रहा है। उसकी बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है अगर सरकार गन्ना बिकवाने का प्रबन्ध नहीं कर सकती है, तो किसानों का जो गन्ना लगा हुआ है उसका सरकार बीमा करे, चाहे वह गन्ना बिके या सूख जाय, सरकार उसका भुगतान करे। जो वह अपने को किसानों की सरकार कहते हैं, या उनका नारा बिलकुल थोथा है। और यह किसानों की सरकार नहीं पूंजीपतियों की सरकार कही जायगी। इसलिये मैं विकास मंत्री से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जरवल रोड चीनी मिल क्षेत्र के गन्ने को लेने की व्यवस्था करें वर्ना यह समाजवाद का नारा केवल ढोंग है। भूखे नंगों का विशेष ध्यान रख कर ही सरकार को यह कदम उठाना चाहिये। इसी प्रकार बलरामपुर चीनी मिल है उसकी स्थिति भी खराब है। वहां का गन्ना भी सरकार ले।

(इस समय ६ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह समस्या प्रति वर्ष रहेगी। इसलिये विशेष रूप से मैं यह मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री तथा गन्ना मन्त्री इस बात की व्यवस्था करें कि चीनी मिलों के क्षेत्र की व्यवस्था करे जो अपने क्षत्र का गन्ना खरीदें वर्ना हजारों मन गन्ना सूख जाता है वर्ना समाजवाद जो दिल्ली से लखनऊ आयेगा वह वखनऊ से जाकर बंगाल की खाड़ी में डूब जायगा।

*श्री किशनलाल (जिला पीलीभीत)—

अध्यक्ष महोदय, पीलीभीत जिले में ६ मिलें गन्ने की हैं। गन्ने की चर्चा काफी जोरों से चली और माननीय सदस्यों ने सभी बातें सरकार के सामने रख दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में गरीबों का पहलू अलग और पूंजीपतियों का पहलू अलग बनता है। पीलीभीत जिले में जो ५, ६ मिले राजा साहब पीलीभीत, माधव प्रसाद जी की हैं उनके १५, १६ फार्म्स भी हैं। अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में उनका सब गन्ना पिर गया और उसके बाद उन्होंने नवम्बर में अपने फार्म्स में पंजाब ५६१ तथा ३०८ बेरायटी का गेहूं बो दिया और १५० क्विन्टल पर एकड़ गन्ना तथा ४०, ५० कुंइन्टल पर एकड़ का गेहूं वह काटते हैं और दूसरी ओर किसान का गन्ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री किशन लाल]

सूख रहा है और सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है यह बात सच न हो तो मैं विधान सभा की सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूं ।

किसान की ईख की हालत देखी नहीं जाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है । राजा साहब ने अपने खेतों में गेहूं काट कर मक्का बो दी और वह तीन-तीन फसलें काटने जा रहे हैं और दूसरी ओर किसानों के गन्ने की पर्ची तक नहीं कटती । इसके लिये सरकार किसनों को हर्जा दिलवाये । किसान के पास इतना पैसा तक नहीं बचता कि वह अपनी दवा-दारू तक कर सके । गर्म पुरवा हवा चलती है, गन्ना सूखने लगता है, तरह-तरह की बीमारी उसमें लग जाती हैं और नतीजा यह होता है कि गन्ने की कीमत तक किसान को नहीं मिल पाती है । तो यह किसान की गरीबी कैसे दूर होगी । एक तरफ पैदावार बढ़ाने की बात कही जाती है, दूसरी तरफ उसकी पैदा की हुई चीज को कोई खरीदने वाला नहीं है । तो इस प्रकार गरीबी किसान की कैसे दूर हो सकती है ? सरकार किसी को उनका गन्ना दिलाना नहीं चाहती ।

तो श्रीमन् इससे गरीबी कैसे दूर हो जायगी ? मान्यवर, हमारे लखनऊ के सैयद अली जहीर जब इलेक्शन लड़ने के लिये पीलीभीत गये तो यहां के राजा ने ढाई-ढाई और तीन-तीन लाख रुपये खर्च किये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज गांधी जी के नाम की यह दुहाई देते हैं किन्तु उनके सिद्धान्तों को कुचल डाला गया है । मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी बात को ध्यान से सुने । जब आपने सन् ४७ से ४८ तक गरीबी दूर नहीं कर सकी तो अब आप कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं । नेहरू जी ने गरीबी दूर नहीं कर सकी, तो इन्दिरा जी कैसे गरीबी दूर कर सकती हैं । सम्पूर्णनन्द जी गरीबी दूर नहीं कर सके, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त जी गरीबी दूर नहीं कर सके, सुचेता कृपलानी गरीबी दूर नहीं कर सकीं, गुप्ता जी गरीबी दूर नहीं कर सके तो चौधरी साहब कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं । मान्यवर, आज किसानों की क्या हालत है । मान्यवर, मैं एक छोटा सा किसान हूं । मेरे क्षेत्र में लगभग सभी किसान गन्ना बोते हैं । राज्यपाल महोदय ने अभी-अभी पीलीभीत का दौरा किया है और देखा है कि वहां तमाम गन्ना किसानों का खड़ा है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है । अध्यक्ष जी, आज जो गम्भीर समस्या प्रदेश में विकराल रूप धारण किय हुये है । उसमें लगभग हर विधायक इस समस्या से घिरा हुआ है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की गन्ने की समस्या को प्रदेश की उस सारी समस्या के साथ जोड़ता हूं और इस विषय पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चहता हूं । मान्यवर, दो दिन पूर्व मैंने जो केन कमिश्नर श्री नागर साहब हैं, से इस विषय पर बात की थी और उनसे बताया था कि गन्ने की क्या स्थिति वहां चल रही है । श्रीमन् अधिक गन्ना उत्पन्न करना अलग बात है किन्तु उसका डिस्ट्रिब्यूशन और उसकी सप्लाई करना दूसरी बात है । जिन काश्तकारों के पास गन्ने की कमी थी उनको पर्चियां अधिक मिल रही थीं और जिनके पास गन्ना अधिक था उनके पास पर्चियों का अभाव था । यह माननीय मंत्री जी शुरू से अच्छी प्रकार से जानते हैं ।

जब सरकार के पास बड़ी भारी शक्ति है तो क्या कारण है कि वहां पर भ्रष्टाचार की नीतियां चल रही हैं । इसको यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे सरकार हर प्रकार से सक्षम है । सरकार एक प्रकार से माध्यम का काम करती है । सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उन लोगों के प्रभाव में आने के कारण कुछ लोग दबाव में आ जाते हैं इसलिये वहां पर हमेशा ऐसा वातावरण बना रखा है । इससे हमेशा गरीब जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का शोषण हुआ है और अमीरों को लाभ पहुंचा है। मान्यवर, मार्च के महीने में रामपुर शुगर फैक्ट्री के अन्दर चौधरी मानसिंह साहब रिसीवर नियुक्त किये गये। आप चौधरी चरण सिंह साहब के सगे भाई हैं। जिस दिन उनको रिसीवर नयुक्त किया गया किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी। लोगों ने सोचा कि जालिम फैक्ट्री के मेनेजर से मुक्ति मिल जायगी। लेकिन उसका परिणाम विपरीत ही निकला। उसका कारण यह है कि जिस दिन रिसीवर मुकर्रिर किया गया था उस दिन १५ लाख रुपया बकाया था लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है ६०–७० लाख रुपया बकाया है। मानसिंह साहब ने बताया कि उसका कारण यह है कि सरकारी एडजस्टमेंट कुछ ठीक नहीं है। जिस सरकार का एडजस्टमेंट ठीक नहीं उसको फैक्ट्री लेने का कोई अधिकार नहीं है।

मान्यवर, रामपुर गन्ना क्षेत्र को सबसे अधिक कठिनाई इसलिये अनुभव करनी पड़ी है कि यहां के लोगों का कहना सरकार ने नहीं माना। उस क्षेत्र के मेम्बर लोग लखनऊ डेप्यूटेशन लेकर आये, केन कमिश्नर से मिले और मंत्रियों से मिले और उनसे कहा कि रामपुर के रिजर्व एरिया के अलावा और कोई एरिया उस मिल में शामिल न किया जाय अन्यथा बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जायगी। लेकिन प्राग और पंत नगर फार्म का लाखों मन गन्ना का क्षेत्र उसके साथ शामिल कर दिया गया। जिस वर्ष गन्ने का अभाव होता है इन दोनों स्थानों का गन्ना दूसरी फैक्ट्रियों में पेराया जाता है और जब अधिक गन्ना उत्पन्न होता है तब इस फैक्ट्री के साथ उनको शामिल कर दिया जाता है। हमारे क्षेत्र रुद्रपुर नैनीताल क्षेत्र के गन्ने की बड़ी गंभीर समस्या है। उसका कारण यह है कि वहां किछा में एक फैक्ट्री बरसों से उसी रूप में खड़ी है क्योंकि सरकार अक्सर कह देती है कि वह पूर्ण प्रदेश की फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है लेकिन यह सरकार उसको स्वयं खड़ा नहीं कर सकती है। अगर उस क्षेत्र में वह फैक्ट्री चल जाती है तो उस क्षेत्र की सारी समस्या खत्म हो जायगी, नहीं तो वह गंभीर समस्या बनी ही रहेगी।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पिछले सवा दो घंटे से काफी भाषण हो चुके हैं। उन भाषणों की शृंखला में मैं एक भाषण और जोड़ देना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री जी को केवल २–४ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो यह है कि जिन लोगों से बौंड भरवा दिये गये उन किसानों का गन्ना ७.३५ रुपया प्रति क्विन्टल के भाव से बिकवाने की जिम्मेदारी इस सरकार को ले लेनी चाहिये। सरकार को स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करनी चाहिये।

दूसरे, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि १५ जुलाई तक गन्ना पेरा जायगा उसके बारे में मेरा कहना यह है कि १५ जुलाई तक गन्ना खेतों में खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि १५ दिन के बाद वर्षा का सीजन शुरू हो जायगा। और उसके बाद पानी इतना भर जाता है कि खेतों से २, २ और ३, ३ मील की दूरी पर गन्ने के मिल होते हैं और उनके पास गन्ना ले जाने का कोई साधन नहीं रहता है। दूसरा कारण यह भी है कि नई फसल की बोआई जुलाई के प्रथम या दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाती है तो इसलिये खेतों को पहले खाली करना जरूरी हो जाता है। इस तरह से गन्ना बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता। इसलिये उस गन्ने को सरकार या तो जल्द से जल्द खरीद ले या फिर उसको पिरवाये। चाहे उसका गुड़ बनवाये या राब बनवाये। गुड़ और राब में भी बहुत बड़ी मात्रा में गन्ना जाता है। तो अगले वर्ष के लिये सरकार किसानों की ओआपरेटिव सोसाइटी बना कर एक लोन दे दें जिससे वह सलफुटेशन प्लान्ट खरीद लें। वह उसको कर्जे के तौर पर लेकर खरीद लेंगे। जो सरपलस गन्ना पैदा होता है उस प्लान्ट में उस गन्ने का उपयोग किया

[श्री जगदीश गांधी]

जा सकता है और वहां पर वह गन्ना जा सकता है। इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी की भी यह सरकार घोषणा करे जिससे किसानों को गन्ने के बारे में या गेहूं के जो दाम गिरते जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति की जानकारी हो सके। इस सम्बन्ध में यह सरकार अपनी प्राइस सपोर्ट पालिसी का एलान करे।

(श्री रियासत हुसैन को बोलने के लिये बुलाने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मैंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया था। मुझे इस प्रस्ताव पर आपने बोलने का समय नहीं दिया। आपका सचिवालय पक्षपात पूर्ण व्यवहार करता है। उसने मेरा नाम नहीं छापा है। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुखपाल पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

उनका नाम उसमें नहीं था।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं सदन के उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर चर्चा की। मैं मंत्री जी की सेवा में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मंत्री जी का भी यह विचार है कि यह सारे उत्तर प्रदेश का एक गम्भीर प्रश्न है। आज भी अप्रैल के आखिर तक १४॥ करोड़ क्विंटल गन्ना आप पेर चुके हैं। ६१ करोड़ गन्ना कुल पैदा किया गया है। लगभग ७ करोड़ क्विंटल गन्ना आपका बांड में है जो फैक्टरी को जाना है। बाकी का गुड़ और राब बनता है। तो यह ७ करोड़ क्विंटल गन्ना बाकी है जिसकी कीमत लगभग ५० करोड़ रुपया है जो आज भी खेतों के अन्दर खड़ा है। इसलिये इस ५० करोड़ के नुकसान को दखते हुये आप इस बात का प्रयत्न करें कि वह मिलों में चला जाय। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जब किसान अगर बांड के मुताबिक गन्ना नहीं देता है उसके ऊपर २ रुपया क्विंटल के हिसाब से जुर्माना किया जाता है। आज जब किसान का गन्ना खड़ा है तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है कि वह उनको पिरवाये। सरकार सर्वे कराकर यह देखे कि जितना भी किसानों का गन्ना आज खड़ा है उसकी कीमत दिलाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। १५ जून तक या १५ जुलाई तक सरकार उसको पेरना चाहती है। वह गन्ना खेतों में से सेन्टर तक लाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार को स्वयं वहां से लाने का प्रबन्ध करना चाहिये। किसान के पास कोई उसको लाने का इन्तजाम नहीं रहेगा। खेत से तुलाई सेन्टर तक लाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। चाहे वह किसी तरह से भी इन्तजाम करे, ट्रैक्टर के जरिये या ट्रक के जरिये से उसको लाये, लेकिन सरकार उसका इन्तजाम करे।

सरकार के लिये यह जरूरी है कि हर पंचायत सेन्टर पर अपनी प्राइस सपोर्ट पालिसी के अन्तर्गत खरीदारी करने की आवश्यकता है। गेहूं खरीदने के लिये किसी एजेन्ट रखने की जरूरत नहीं है बल्कि हर पंचायत सेन्टर पर वह अपना खरीदारी सेन्टर बनाये। यह नहीं होना चाहिये कि कोई कमीशन एजेन्ट रखे। जितनी भी परचेज हो उसी सेन्टर से होनी चाहिये। आप इसको स्वयं लागू करें। स्टेट ट्रेडिंग और क्राप इन्श्योरेंस स्कीम सारे प्रदेश में किसानों के लिये चालू किया जाय जिससे उनको बहुत लाभ होगा। किसानों की आज हालत यह है कि वह नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से पनप नहीं पाते हैं लिहाजा क्राप इंश्योरेंस स्कीम को लागू करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज हाई ईल्ड वैरायटी की तरफ किसान चल रहा है। आर–आर २१ लेटेस्ट गेहूं है। ९० दिन उसकी उम्र है। किसान चाहता है कि एक खेत में तीन फसलें पैदा करे। तो आप ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दें कि रोटेशन आफ क्राप कैसे हो। आप समस्त उत्तर प्रदेश के लिये कोई कमेटी या कमीशन बनायें जो हर अंचल में

जा कर इन सब बातों को देखें और किसानों को बतायें कि किस तरह से रोटेशन आफ क्राप हो, गन्ना किसान कितना बोये जो बरबाद न हो।

इन सुझावों को देकर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो स्वयं एक किसान हैं और समझते हैं इन मसलों को, उनका गन्ना भी काफी खड़ा है इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री राजमंगल पांडेय---

आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी रियासत हुसैन जी ने जो कुछ कहा यह सही बात है कि आजकल गन्ना इस प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि काफी गन्ना अभी खेतों में पड़ा हुआ है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि उस गन्ने को फैक्टरी तक ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है खास कर इस गरमी के महीने में। जो फैक्टरियां गन्ना ले रही थी उनकी भी क्रशिंग कैपेसिटी कम हो गयी है। लेकिन इन सारी चीजों के साथ जो मूलभूत सिद्धांत है उसके बारे में मेरे मित्र ने यह नहीं कहा कि डिमांड ऐंड सप्लाई का एक ऐसा उसूल है...

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा---

आप सुविधायें क्या देंगे किसान को ?

श्री राजमंगल पांडेय---

अभी रियासत हुसैन जी ने बताया और तसलीम भी किया कि करीब २० फी सदी एकरेज गन्ने के कल्टीवेशन का बढ़ गया है। यह भी मालूम है कि १९६०-६१ का रेकार्ड उत्पादन चीनी का था लेकिन उससे भी ज्यादा चीनी अबके हमने पैदा की है। इससे यह भी जाहिर होता है कि पहले के मुकाबले में हमारी मिलों के कार्य करने के तरीके ने तरक्की की है। यह सही है कि कुछ मिलों के जिम्मे गन्ने के दाम अभी बाकी हैं। उसके लिये हम बराबर कार्यवाही कर रहे हैं। हमने रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी किये, रिसीवर मुकर्रर किये...

श्री चेतराम गंगवार---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब बांड हो जाता है और किसान गन्ना नहीं सप्लाई कर पाता है तो उससे दो रुपये कुइंटल बतौर जुरमाना लिया जाता है। तो क्या जिन किसानों का बांडेड गन्ना अभी तक खड़ा है और मिलों ने नहीं लिया है उनको ६ रुपये कुइंटल के हिसाब से दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरे लायक दोस्त को शायद यह पता नहीं है कि किसानों का जो सट्टा होता है वह केन यूनियन्स से होता है और केन यूनियन्स को किसान गन्ना सप्लाई करता है। गवर्नमेंट उस कंट्रैक्ट को कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकती है।

श्री चेतराम गंगवार---

चूंकि मंत्री जी ने मेरी सही बात...

श्री अध्यक्ष---

आप कहने दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री जी मेरी बात को घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष---

आप उनको बोलने दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार---

मैं तो यह सच्ची बात उनसे पूछना चाहता हूं कि केन यूनियन्स उनके जिम्मे हैं और किसान अगर गन्ना नहीं सप्लाई कर पाता है तो २ रुपये कुइंटल किसान से वसूल किये जाते हैं। तो जो बांडेड गन्ना है उसको अगर नहीं लिया जाता है तो क्या ९ रुपये कुइंटल का दाम मंत्री जी किसान को दिलायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्...।

श्री अध्यक्ष---

(श्री चेतराम गंगवार से) आप कृपया बन्द कर दें।

श्री चेतराम गंगवार---

आप निकाल दीजिय, श्रीमन्। उन्होंने गलतबयानी की, शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष---

आप उनको बोलने दीजिये, कृपया बैठें।

(श्री चेतराम गंगवार के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप सदन को छोड़ दें, यदि नहीं बैठते हैं।

(श्री चेतराम गंगवार बैठ गये।)

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या सिविल कोर्ट में जाने की आज्ञा देंगे मंत्री महोदय केन यूनियन को ?

श्री राजमंगल पांडेय---

फैक्टरी पर दावा करें जो भी डैमरेज या डैमेरेजेज हों वह ले सकते हैं। केन कमिश्नर के यहां आबीट्रेशन कर सकते हैं। केन यूनियन तो रिप्रेजेंटेटिव बाडी है, उनके खुद काम करने के तरीक़े हैं, गवर्नमेंट से नहीं बनती हैं। वह दावा करके कम्पेंसेशन ले सकती हैं, वह तो कांट्रेक्ट का मामला है।

दूसरी चीज जो कही गयी रियासत हुसैन जी ने सजेस्शन दिये। हम अपनी तरफ से कह सकते है कि जो संभव उपाय सरकार के पास हैं वह सरकार करेगी, फैक्टरी की कैपेसिटी दो दिन में नहीं बढ़ायी जा सकती। गन्ना अगर उनके पास है तो हम तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही बढ़ाने के लिए कहेंगे। सरकारी अधिकारियों ने कोशिश की है कि जब तक गन्ना पेर न लिया जाय फैक्टरी बन्द न हो। बन्द वहीं हुई हैं जहां पेरा जा चुका है। जहां जोन में फक्टरी की कमी है और दूसरी फैक्टरी की ज्यादा है और सप्लाई ज्यादा है तो हमने परिवर्तन किया ह ताकि दोनों को लाभ बराबर हो और समान रूप से पेराई कर सकें। यह छींटाकशी की गयी कि मिल वालों को सुविधा दी, काश्तकारों को नहीं दी। लेकिन हमने लाइसेंस फी ३०० से १०० कर दी। जिन लोगों ने रिजर्व एरिया में ५ मील के बाहर खोला है उनको लाइसेंस नहीं दिये। फीस भी काट दी और परचेज टैक्स माफ कर दिया।

श्री पारसनाथ सिंह—

मंत्री जी समस्या का कोई निदान नहीं बता रहे हैं, अतः हम वाक-आउट करते हैं।

(जनसंघ के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

चूंकि मंत्री जी ने गलत-बयानी की है इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं।

[कांग्रेस (संगठन) के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।]

श्री राजमंगल पांडेय—

सन् १९६७–६८ में पावर क्रशर बहुत कम थे, अब वह ४,०७७ हो गये।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने कह दिया कि यथा सम्भव विचार करेंगे। इस सरकार की कोई बात निश्चित नहीं है। इसलिये हमारा यहां रहना बेकार है।

(श्री रियासत हुसैन व एक अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजमंगल पांडेय—

यह केवल राजनीतिक बातें हैं। गन्ने की समस्या केवल हमारे यहां की ही नहीं है बल्कि और प्रदेशों में भी है। पार साल गन्ने के दाम ज्यादा थे वह इसलिए कि गन्ना कम था। गुजरात राजस्थान में गुड़ की मांग ज्यादा थी। हमने छूट दी इससे गुड़ बाहर गया और उसके दाम काफी मिले। जो भी सम्भव उपाय सरकार से हो सकते हैं वह हमने किये किन्तु हम हर चीज फ्री इकोनोमी में कंट्रोल नहीं कर सकते। काश्तकार जिसके पास ६,००० एकड़ जमीन है उसने ५,००० एकड़ में गन्ना बो दिया तो उसको पेरने की जिम्मेदारी यह सरकार कैसे ले सकती है। यह वहां हो सकता है जहां डिक्टेटरशिप हो, जहां मनुष्य के जीवन की सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। किन्तु यहां तो गन्ने के दाम तभी ज्यादा मिल सकते हैं जब काश्तकार अपनी खेती को कम करेगा। इसी तरीके से रबी के बारे में कहा गया। श्रीमन्, गेहूं की कीमत के बार में भी वही डिमांड एड सप्लाई की थ्योरी लागू होती है। हमने ज्यादा पैदा किया, आज हमारे पास कन्ज्यूमिंग कैपेसिटी कम है, कन्ज्यूमर की तादाद कम है, क्रय शक्ति कम है, डिमांड कम है तो भाव निश्चय ही गिरेंगे। सरकार से जितनी कोशिश हो सकती थी उसने वह किया।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ मई, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

विभाग	क्रम-संख्या	नाम	पद
श्रम (घ) ..	१	डा० एस० सी० टंडन	मेडिकल आफीसर
कृषि (ख) ..	२	डा० रघुवीर सहाय माथुर	सीनियर रिसर्च प्रोफेसर
	३	डा० कुंवर किशन	ज्वान्ट डाइरेक्टर, ऐग्रीकल्चर (स्टेटिस्टिक्स)
उद्योग (ख) ..	४	श्री बसन्त कासी नाथ डिके	चीफ इंजीनियर, गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क।
	५	श्री जगमोहन नाथ कौल	असिस्टेंट सेल्स आफिसर
चिकित्सा (क–२)	६	डा० पी० आर० सूरी	सिविल सर्जन
	७	डा० पी० सी० गुप्ता	सिविल सर्जन
	८	डा० वी० डब्ल्यू० लायल	सिविल सर्जन
	९	डा० एम० एल० चौबे	असिस्टेंट सिविल सर्जन
	१०	डा० एल० वी० सक्सेना	असिस्टेंट सिविल सर्जन
	११	डा० गजेन्द्र विक्रम	पी० एम० एस० आफिसर
	१२	डा० एस० एस० आनन्द	पी० एम० एस० आफिसर
	१३	डा० वी० एस० गुप्ता	पी० एम० एस० आफिसर
	१४	डा० पी० रे०	पी० एम० एस० आफिसर
	१५	डा० जी० एस० नेगी	पी० एम० एस० आफिसर
	१६	डा० प्रतीम सिंह	पी० एम० एस० आफिसर
	१७	डा० एस० डी० राय	पी० एम० एस० आफिसर
	१८	डा० एम० एस० भटनागर	पी० एम० एस० आफिसर
	१९	डा० एस० एल० जोशी	पी० एम० एस० आफिसर
	२०	डा० एस० डी० श्रीवास्तव	पी० एम० एस० आफिसर
	२१	डा० एम० ए० जैदी	पी० एम० एस० आफिसर
	२२	डा० ए० एन० सैगल	पी० एम० एस० आफिसर
	२३	डा० ए० वी० मुकर्जी	पी० एम० एस० आफिसर
	२४	डा० एन० एस० रावत	पी० एम० एस० आफिसर
	२५	डा० किसन सिंह	पी० एम० एस० आफिसर
	२६	डा० शिवबोध सिंह	पी० एम० एस० आफिसर
	२७	डा० वी० एस० माथुर	पी० एम० एस० आफिसर
	२८	डा० सुखदेव प्रसाद गुप्त	पी० एम० एस० आफिसर
	२९	डा० प्रान सिंह विष्ट	पी० एम० एस० आफिसर
	३०	डा० पी० पी० सेन	पी० एम० एस० आफिसर
	३१	डा० सत्यवान भटनागर	पी० एम० एस० आफिसर
चिकित्सा (क–२)	३२	डा० (कु०) ए० डब्लू० ओक्ले	पी० एम० एस० (डब्ल्यू) सलेक्शन ग्रेड।
	३३	डा० (कु०) एच० के० कोथ	पी० एम० एस० (डब्ल्यू) सेलेक्शन ग्रेड।
	३४	डा० (श्रीमती) वी० एन० हेम्बलिन।	पी० एम० एस० आफिसर

विभाग	क्रम-संख्या	नाम	पद
पशुपालन (क) ..	३५	डा० वी० पी० पांडे	प्रोफेसर (पैरासाइटोलौजी)
	३६	श्री वी० एस० वी० राव	होस्पिटल सर्जन-कम-रेडियो लोजिस्ट।
शिक्षा (ख–१) ..	३७	श्री श्याम सुन्दर लाल तिवारी	प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर।
सहकारिता (ख) ..	३८	श्री वी० एन० राजदान	अतिरिक्त निबन्धक, सहकारिता।
	३९	डा० वी० एम० गुप्ता	उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चेचक उन्मूलन)
जन-स्वास्थ्य ..	४०	डा० ए० के० राय	जिला परिवार नियोजन अधिकारी।
	४१	डा० जगजीत सिंह	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
	४२	डा० बी० एल० भल्ला	असिस्टेंट एपीडेमिलाजिस्ट
	४३	डा० के० डी० मलिक	सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक
	४४	डा० वी० के० टोपा	उप स्वास्थ्य सेवा निदेशक
	४५	डा० जे० एम० माथुर	संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक
	४६	डा० आर० एस० श्रीवास्तव	पब्लिक एनालिस्ट टू गवनमेंट
	४७	डा० बी० एल० तिवारी	सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक
	४८	डा० के० के० माथुर ..	लखनऊ युनिवर्सिटी की प्रतिनियुक्ति पर सुपरिंटेंडेंट गांधी मेमोरियल हास्पिटल, लखनऊ।
	४९	डा० जी० एन० माथुर	जिला स्वास्थ्य अधिकारी
	५०	डा० जी० बी० एस० पन्नू	नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सहारनपुर।
	५१	डा० एच० आर० धवन	मेडिकल आफिसर फील्ड, स्टडी एण्ड डिमांन्सट्रेशन, हेल्थ एजूकेशन ब्यूरो, लखनऊ।
	५२	डा० डी० पी० भटनागर	डायटिसिनयन, प्रविंशियल हाईजीन इन्स्टीटूचूट, लखनऊ।
चिकत्सा (क–१) ..	५३	डा० के० एन० माथुर	प्रिंसिपल, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर।
	५४	डा० एच० एस० शर्मा	लेक्चर इन ई० एन० टी०, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा।
	५५	डा० ए० एन० राजदान	प्रोफेसर आफ क्लिनिकल सर्जरी, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा।
श्रम (घ) ..	५६	श्री रजीयल हसन चिश्ती, आई० ए० एस०	पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण।

विभाग	क्रम-संख्या	नाम	पद
श्रम (घ)	५७	श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद जोशी, आई० ए० एस०	पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण ।
	५८	श्री आर० सी० दूबे, एच० जे० एस०	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय ।
	५९	श्री के० पी० गुप्ता, एच० जे० एस०	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय ।
	६०	श्री आफताब अहमद, एच० जे० एस०	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय ।
	६१	श्रीमती कौशल्या शंकस	टैक्सटाइल आपरेशन एक्सपर्ट
कृषि (ख) ..	६२	डा० राधा रमण अग्रवाल	निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर ।
उद्योग (ख) ..	६३	श्री कुंज बिहारीलाल दीक्षित	सेक्योरिटी आफिसर, डल्ला सीमेन्ट फैक्टरी ।
सूचना (क)	६४	श्री जगमोहन मिश्रा	सम्पादक ।
चिकित्सा (क–२)	६५	डा० पी० वी० ग्रोवर	पी० एम० एस० आफिसर
	६६	डा० ठाकुर सिंह	पी० एम० एस० आफिसर
	६७	डा० बी० एस० बनर्जी ..	पी० एम० एस० आफिसर
	६८	डा० जी० आई० डी० उपाध्याय	पी० एम० एस० आफिसर
	६९	डा० शिव बोध सिंह	पी० एम० एस० आफिसर
	७०	डा० ए० एस० अवस्थी	पी० एम० एस० आफिसर
	७१	डा० के० सी० गर्ग	पी० एम० एस० आफिसर
	७२	डा० एस० पी० एस० विष्ट	पी० एम० एस० आफिसर
	७३	डा० हरी मोहन लाल	पी० एम० एस० आफिसर
	७४	डा० एन० एन० घोष ..	पी० एम० एस० आफिसर
	७५	डा० एस० सानियाल	पी० एम० एस० आफिसर
	७६	डा० जी० एस० गिल	पी० एम० एस० आफिसर
	७७	डा० (श्रीमती) डी० एम० अफजल	पी० एम० एस० (डब्लू)
	७८	डा० ,, बी० एन० हैम्बलिन	पी० एम० एस० (डब्लू०)
	७९	डा० (कु०) एस० एम० सिंह	पी० एम० एस० (डब्लू०)
	८०	डा० (कु०) एम० फिलिप्स	पी० एम० एस० (डब्लू०)
	८१	डा० (कु०) आई० बी० सुख	पी० एम० एस० (डब्लू०)
चिकित्सा (क–२) ..	८२	डा० (कु०) ए० एन जेम्स	पी० एम० एस० (डब्लू०)
परिवहन (क) ..	८३	श्री ए० मित्रा ..	सहायक परिवहन अधिकारी
पशुपालन (क) ..	८४	डा० एच० एन० लाल ..	चिकित्सा अधिकारी
शिक्षा (ख–१) ..	८५	श्री अमरनाथ शुक्ला	सहायक प्रोफेसर (संस्कृत) काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी ।

विभाग	क्र०-सं०	नाम	पद
		अराजपत्रित	
सिंचाई (घ) ..	१	श्री दीनदयाल सक्सेना	तार बाबू (सिंचाई विभाग)
पुलिस (क) ..	२	श्री सूरज पाल सिंह	हेड कान्स्टबिल
प्राविधिक शिक्षा ..	३	श्री विपिन बिहारी तिवारी	फोरमैन डाई हाउस
शिक्षा (ख–१) ..	४	श्री शिवशंकर सिंह	सहायक अध्यापक
	५	श्री छविनाथ लाल	सहायक अध्यापक
	६	श्री राजाराम पाठक	प्र० अ० रा० आदर्श वि०, निगोहा
	७	श्री रघुबीर सहाय	प्र० अ० रा० आदर्श वि०, हरदोई
कारागार (१) ,,	८	श्री पीताम्बर दत्त पन्त	कम्पाउन्डर
	९	श्री सन्त लाल	कम्पाउन्डर
	१०	श्री अब्दुर कादिर	कम्पाउन्डर
	११	श्री श्रीराम सक्सेना	कम्पाउन्डर
परिवहन (क) ..	१२	श्री ए० सी० बाजपेयी	सीनियर कैशियर
जनस्वास्थ्य	१३	श्रीमती सी० डी० राम	असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट
चिकित्सा (ख) ..	१४	श्रीमती पी० सिंह	महिला कम्पाउन्डर
	१५	श्रीमती ए० एच० जाफरी	महिला कम्पाउन्डर
	१६	श्रीमती रामावती	महिला कम्पाउन्डर
	१७	कुमारी मौरियम	महिला कम्पाउन्डर
	१८	श्रीमती सी० एडवर्ड	महिला कम्पाउन्डर
	१९	श्री निजामुद्दीन	फारमेसिस्ट ,,
	२०	श्री राम सिंह	फारमेसिस्ट ,,
	२१	श्री केदार नाथ	फारमेसिस्ट ,,
	२२	श्री बैजनाथ प्रसाद	फारमेसिस्ट ,,
	२३	श्री राम सरन शर्मा	फारमेसिस्ट ,,
	२४	श्री देवकी नन्दन शुक्ला	फारमेसिस्ट ,,
	२५	श्री वीचाराम	फारमेसिस्ट ,,
	२६	श्री गुलाब सिंह नेगी	फारमेसिस्ट ,,
	२७	श्री शम्भूनाथ जौ	फारमेसिस्ट ,,
	२८	श्री आई० वी० पन्त	फारमेसिस्ट ,,
चिकित्सा (ख) ..	२९	श्री बाकर हुसैन	फारमेसिस्ट ,,
	३०	श्री ब्रह्मदत्त	फारमसिस्ट ,,
	३१	श्री जी० डी० जोशी	फारमेसिस्ट ,,
	३२	श्री एस० एस० जोशी	फारमेसिस्ट ,,
	३३	श्री डी० डी० सनवाल	फारमेसिस्ट ,,

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पष्ठ २७१ पर)

(प्रश्न संख्या २२ से संबंधित)

(१) अपराध संख्या ९९ धारा ३९५/ ३९७ भा० द० वि०	अभियुक्तों के नाम व पते	अभियुक्त पकड़ा गया या फरार है
	१—यूसूफ निवासी रसोइया, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)।	पकड़ा गया
	२—बचई निवासी रसोइयां, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)	,,
	३—पुट्टू उर्फ समसुद्दीन थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)	,,
	४—हसल अली, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)	,,
	५—सीताराम निवासी सरदोसइया, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)।	,,
	६—ननकऊ निवासी सरदोसइया, थाना कन्धई जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)।	,,
	७—कल्लू पासी निवासी शिवसत थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)।	सबूत न मिलने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया।
	८—मुमताज, निवासी रसोइया, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ (नामांकित)।	,,
	९—गिलही, पुत्र कड़ेदीन पासी, निवासी ग्राम फेन्डा, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़।	पकड़ा गया
	१०—भागीरथी, पुत्र भिखई पासी, निवासी हिन्डौर, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ हाल मोहल्ला कांवली देहरादून।	फरार है
	११—बरसाती, पुत्र छुट्टा पासी, निवासी धौरा, अमेठी, सुल्तानपुर।	,,
	१२—रामचरन उर्फ चुन्नू पासी, निवासी धौरा, अमेठी, सुल्तानपुर।	,,
	१३—ननकू, पुत्र झिगुरी पासी, निवासी गौर, थाना अन्तू, प्रतापगढ़।	,,

(१) अपराध सं० ६६ धारा ३६५ / ३६७ भा० द० वि०	अभियुक्तों के नाम व पते	अभियुक्त पकड़ा गया या फरार है
	१४—बिरजू, पुत्र गंगा पासी, निवासी हन्डौर, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ हाल मोहल्ला रीठा मण्डी, देहरादून	पकड़ा गया
	१५—कल्लू उर्फ पहलवान फकीर, निवासी खौपुर अमेठी, सुल्तानपुर।	फरार है
	१६—अंगनू, पुत्र लुच्चू पासी, सा० तिवारीपुर, थाना अन्तू, प्रतापगढ़।	पकड़ा गया
	१७—दुलारे, पुत्र पत्ती पासी, सा० माधौपुर, थाना अन्तू, प्रतापगढ़	,,
	१८—महादेव अहीर, सा० रुईपुर, थाना अमेठी, सुल्तानपुर	,,
	१६—महताब भंगी असल, साकिन मुरादाबाद हाल, रेलवे कालोनी, देहरादून	फरार है
	२०—भग्गू पुत्र पुन्नू पासी, देहरादून असल सा० थोरा अमेठी सुल्तानपुर	,,
	२१—ओमा गडिरिया उर्फ ओम प्रकाश, सा० देहरादून	पकड़ा गया
	२२—दयाराम उर्फ बिन्दा उर्फ वीरेन्द्र, सा० देहरादून	,,
	२३—लवकुश लोनिया, सा० सगरा का पुरवा, थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ हाल रणवीर नगर थाना सुल्तानपुर।	(पुलिस मुठभेड़ में मारा गया)
	२४—नन्हकू पुत्र द्वारिका, सा० अंकारीपुर डडहा, थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़ ..	पकड़ा गया
	२५—जियाराम सा० अम्नी बैजल, थाना गौरीगंज सुल्तानपुर।	(एक डकैती के मौके पर जिला सुल्तानपुर में मारा गया।)
(२) अपराध सं० ६६ 'क' धारा ३६५, ३६७ भा० द० वि०	१—गिलही पासी पुत्र कड़ेदीन, नि० ग्राम फेन्डा, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ..	पकड़ा गया
	२—भागीरथी, पुत्र किखई पासी, नि० हन्डौर, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ हाल मौहल्ला कांवली, देहरादून ..	फरार है
	३—बरसाती पासी, पुत्र छुट्टा पासी, नि० धौरा, अमेठी, सुल्तानपुर ..	,,
	४—रामचरन उर्फ चून्नू, नि० धौरा, अमेठी, सुल्तानपुर	,,
	५—ननकू, पुत्र झिगुरी पासी, नि० गौरा, थाना अन्तू, प्रतापगढ़ ..	,,

(२) अपराध संख्या ९९ 'क' धारा ३९५/३९७ भा०द० वि०	अभियुक्तों के नाम व पते	अभियुक्त पकड़ा गया या फरार है
	६--बिरजू, पुत्र गंगा पासी, नि० हन्डौर थाना लालगंज, प्रतापगढ़, हाल मोहल्ला रीटा, मन्डी, देहरादून,	पकड़ा गया
	७--कल्लू उर्फ पहलवान फकीर, नि० खौपुर, अमेठी सुल्तानपुर ..	फरार है
	८--अंगनू, पुत्र लुच्चू पासी, सा० तिवारीपुर, थाना अन्तू, प्रतापगढ़ ..	पकड़ा गया
	९--दुलारे, पुत्र पत्ती पासी, सा० माधौपुर, थाना अन्तू, प्रतापगढ़ ..	,,
	१०--महादेव अहीर, सा० स्थईपुर, थाना अमेठी, सुल्तानपुर	पकड़ा गया
	११--महताब भंगी असल, साकिन मुरादाबाद, हाल रेलवे कालोनी, देहरादून।	फरार है
	१२--भग्गू, पुत्र पुन्नू पासी, देहरादून असल सा० थौरा अमेठी, सुल्तानपुर ..	,,
	१३--ओमा गडरिया उर्फ ओम प्रकश, सा० देहरादून	पकड़ा गया
	१४--दयाराम उर्फ बिन्दा उर्फ वीरेन्द्र, सा० देहरादून ..	,,
	१५--लवकुश लोनिया, सा० सगरा का पुरवा, थाना सांगीपुर, जि० प्रतापगढ़ हाल रणवीरनगर थाना अमेठी, सुल्तानपुर	(पुलिस मुठभेड़ में मारा गया)
	१६--नन्हकू, पुत्र द्वारिका, सा० अंकारीपुर डडहा, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ ..	पकड़ा गया
	१७--जियालाल, सा० अम्ने वैजाल, था० गौरीगंज, सुल्तानपुर ..	(एक डकैती में मारा गया)
(३) अपराध सं० १०० धारा ३९९/ ३९७ भा०दं० वि०	१--दिलावर हुसैन, पुत्र अबू मुहम्मद, नि० ताला, था० कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ।	पकड़ा गया
	२--इकबालुद्दीन, निवासी बहरूपुर, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ..	फरार है
	३--मुहर अली, निवासी शिवसत, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ..	,,
	४--भोला, पुत्र सूर्यदीन दूबे, नि० दूबे का पुरवा, मजरा बहलामऊ कोतवाली (जिला प्रतापगढ़) ..	पकड़ा गया

(३) अपराध संख्या १०० धारा ३९५/३९७ भा० द० वि०	अभियुक्तों के नाम व पते	अभियुक्त पकड़ा गया या फरार है
	५—लालता धोबी, पुत्र रोढ़ी, नि० ईश्वरनाथ का पुरवा, जिला प्रतापगढ़ ..	पकड़ा गया।
	६—नीमर उर्फ बरसाती, नि० इटौरी, थाना अमेठी, सुल्तानपुर। ..	,,
	७—शीतला उर्फ मुरली, पुत्र श्याम सुन्दर, नि० ईश्वरनाथ का पुरवा, कोतवाली प्रतापगढ़। ..	,,
	८—देव नारायन, पुत्र बचई, नि० ईश्वरनाथ का पुरवा, कोतवाली प्रतापगढ़। ..	फरार है
	९—जयन्ती, पुत्र राम समुझ, निवासी ईश्वरनाथ का पुरवा, कोतवाली प्रतापगढ़। ..	पकड़ा गया।
	१०—नौरंग सिंह, पुत्र गया बख्श सिंह, निवासी मुसहरी, थाना रायपुर अमेठी, सुल्तानपुर। ..	फरार है
	११—लल्लू बा०, नि० दलीपपुर हाल, समीप कार्यालय परिवार नियोजन, प्रतापगढ़। ..	फरार है
(४) अपराध सं० १०१ धारा ३९६ भा दं० वि०	१—भोला, सुत सूर्यदीन दूबे, निवासी दूबे का पुरवा, मजरा दहलामऊ कोतवाली, प्रतापगढ़। ..	पकड़ा गया
	२—लालता, पुत्र रोड़ी धोबी, निवासी ईश्वरनाथ का पुरवा, कोतवाली प्रतापगढ़। ..	,,
	३—नीमर उर्फ बरसाती, पुत्र राम इकबाल तिवारी, नि० इटौरी, थाना रायपुर अमेटी, जिला सुल्तानपुर।	पकड़ा गया
	४—शीतला प्रसाद उर्फ मुरली, पुत्र श्याम सुन्दर शुक्ल, निवासी ईश्वरनाथ का पुरवा, कोतवाली, प्रतापगढ़। ..	पकड़ा गया
	५—देव नारायण, निवासी ईश्वर नाथ का पुरवा। ..	फरार है
	६—रामदुलारे, निवासी ईश्वर नाथ का पुरवा। ..	,,
	७—जयन्ती, पुत्र राम समुझ, नि० ईश्वर नाथ का पुरवा।	पकड़ा गया
	८—राम प्रकाश निवासी ईश्वर नाथ का पुरवा। ..	फरार है
	९—राम सुन्दर कुर्मी, निवासी लोलालपुर, थाना जेठवारा, प्रतापगढ़। ..	,,
	१०—नौरंग सिंह, निवासी मुसहरी, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर। ..	,,
	११—साधू बा०, नि० कुर्मी गिरधर शाह का पुरवा, सुल्तानपुर।	,,
	१२—लल्लू बा०, निवासी दलीपुर हाल, परिवार नियोजन दफ्तर के पास कोतवाली, प्रतापगढ़। ..	फरार है।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

साल सन् १९६९ में जिला सीतापुर में हुई हत्या के मामले के संबंध में सूचना—

	थाना				मामलों की संख्या जिनमें मुल्जिम नामजद है
१	कोतवाली	..	..	..	७
२	खैराबाद	..	..	..	६
३	पिसावां	..	..	..	२
४	लहरपुर	..	..	..	५
५	हरगांव	..	..	..	४
६	महोली	..	..	..	४
७	मिश्रिख	..	..	..	४
८	कमलापुर	..	..	..	४
९	सिधौली	..	..	..	७
१०	महमूदाबाद	..	..	..	८
११	संदना	..	..	..	६
१२	बिसवां	..	..	..	६
१३	सदरपुर	..	..	..	५
१४	तालगांव	..	..	..	५
१५	थानगांव	..	..	..	१
१६	तम्बौर	..	..	..	४
			योग	..	७८

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

क्रम-सं०	मुख्य मंत्री के अतिरिक्त उन मंत्रियों के नाम तथा पद जिन्होंने अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया	प्रत्येक मंत्री के साथ अहमदाबाद अधिवेशन में गए स्टाफ की संख्या	प्रत्येक मंत्री के साथ अहमदाबाद अधिवेशन में गए स्टाफ पर हुआ व्यय	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
			रु० पै०	
	मंत्री			
१	श्री गिरधारी लाल, सार्वजनक निर्माण मंत्री	४	६१६-६५	
२	श्री मंगला प्रसाद, स्वायत्त शासन मंत्री ..	३	२६२.००	
३	श्री शान्ति प्रपत्र शर्मा, उद्योग तथा परिवहन मंत्री।	१	१४६.१०	
४	श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, वित्त मंत्री	३	६७५.००	
५	डा० रामजी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री	३	६२१.७०	
६	श्री कृष्णानन्द राय, स्वास्थ्य मंत्री ..	१	१३१.०५	
७	श्री कैलाश प्रकाश, नियोजन तथा श्रम मंत्री	३	५५१.५५	
८	श्री दाऊ दयाल खन्ना, खाद्य बंत्री ..	३	१०३२.१५	
९	श्री बंशीधर मिश्र, वन मंत्री ..	३	५८६.००	
१०	श्री मुनेश्वर दत्त उपाध्याय, राजस्व मंत्री	१	१००.३५	
११	श्री आनन्द सिंह, कृषि मंत्री ..	३	६१०.६५	
१२	श्रीमती कुदसिया बेगम, समाज कल्याण मंत्री	४	१०८८.४५	
	राज्य मंत्री			
१३	श्री शिव प्रसाद गुप्त, राज्य मंत्री, विद्युत् तथा सहकारिता।	३	६०६.२५	
१४	श्री बंशीधर पांडेय, राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास।	३	६३८.५५	
१५	श्री राम कुमार शास्त्री, राज्य मंत्री, राजस्व	३	७५५.००	
१६	श्री जे०एन० सिन्हा, राज्य मंत्री, शिक्षा	२	३३५.२०	
१७	श्री विजय कुमार त्रिपाठी, राज्य मंत्री, गृह	३	४६५.७५	
१८	श्री शिव प्रसाद सिंह, राज्य मंत्री, न्याय	३	५६३.६०	
१९	श्री कल्पनाथ सिंह, राज्य मंत्री, सिंचाई	१	१७१.३०	
२०	श्री मुमताज मोहम्मद खां, राज्य मंत्री, गन्ना विकास	३	६३३.१०	

१	२	३	४	५
			रु० पै०	
२१	श्री बृजराज सिंह, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन	३	६१४.९५	
२२	श्री धर्मवीर, राज्य मंत्री, परिवहन ..	३	७४६.६५	
२३	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्य मंत्री, गृह एवं सूचना।	३	६०२.६०	
	उप मंत्री			
२४	श्री कृष्ण सिंह, उप मंत्री, वन ..	१	१२४.०५	
२५	श्री अब्दुल सलाम शाह, उप मंत्री, खाद्य ..	२	४६८.५५	
२६	श्री बसन्त लाल शर्मा, उप मंत्री, आबकारी	१	११३.७०	
२७	श्री डूंगर सिंह विष्ट, उप मंत्री, खाद्य	२	३२१.४०	
२८	श्री निहाला सिंह, उप मंत्री, राजस्व	२	३१७.६५	
२९	श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, उप मंत्री, नियोजन	१	१०९.७०	
३०	श्री बलराम सिंह, उप मंत्री, वित्त ..	२	३७७.४५	
३१	श्रीमती इन्द्र मोहिनी, उप मंत्री, विद्युत एवं सूचना ..	१	१४१.६०	
३२	श्री प्रभाकर त्रिपाठी, उप मंत्री, श्रम ..	२	३१२.९०	
३३	श्री राम विलास पांडेय, उप मंत्री, कृषि	२	४४३.८५	
३४	श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, उप मंत्री, उद्योग		..	

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)

वर्ष १९६९ में राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन तथा सहायता के बारे में विभाग में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की महीनेवार सूची--

१	१-१-६९ से ३१-१-६९ तक	..	१६१
२	१-२-६९ से २८-२-६९ तक	..	१००
३	१-३-६९ से ३१-३-६९ तक	..	१७५
४	१-४-६९ से ३०-४-६९ तक	..	४००
५	१-५-६९ से ३१-५-६९ तक	..	४३६
६	१-६-६९ से ३०-६-६९ तक	..	४९३
७	१-७-६९ से ३१-७-६९ तक	..	६५०
८	१-८-६९ से ३१-८-६९ तक	..	७१३
९	१-९-६९ से ३०-९-६९ तक	..	८२८
१०	१-१०-६९ से ३१-१०-६९ तक	..	६२४
११	१-११-६९ से ३०-११-६९ तक	..	७२५
१२	१-१२-६९ से ३१-१२-६९ तक	..	८१६
	योग	..	६१२१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)

मनोरंजन गृह का नाम		प्रदर्शन की अवधि		मनोरंजन कर
		जनवरी, १९६७		
जी० ए० सर्कस	..	४ से १५ जनवरी, १९६७		८३०.५७
जवाहर टूअरिंग टाकीज	..	२ से १५ जनवरी, १९६७		५०२.४१
		योग	..	१,३३२.९८
		जनवरी, १९६८		
नावेल्टी टूअरिंग टाकीज	..	३ से ९ जनवरी, १९६८	..	११४.५४
जवाहर टूअरिंग टाकीज	..	१ से १४ जनवरी, १९६८	..	२०५.३४
कव्वाली प्रोग्राम	..	८ जनवरी, १९६८	..	४२.५७
		योग	..	३६२.४५
		दिसम्बर, १९६८		
न्यू चित्रा टूअरिंग टाकीज	..	१४ से ३१ दिसम्बर, १९६८		५७७.८५
प्रभा टूअरिंग टाकीज	..	१४ से ३१ दिसम्बर, १९६८		५२४.३४
महाराष्ट्र आम्बे सर्कस	..	११ से २६ दिसम्बर, १९६८		१३८.८०
		योग		१,२४०.९९
		जनवरी, १९७०		
प्रेम टूअरिंग टाकीज	..	२ से ९ जनवरी, १९७०	..	४८.८८
गुलाब बाई नौटंकी	..	१ से १० जनवरी, १९७०		१९७.१२
		योग	..	२४६.००

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

१ जनवरी से २५ जनवरी, १९७० तक कानपुर जिले में पड़ी डकैती के संबंध में सूचना।

थाना	डकैती की संख्या
अकबरपुर	.. १..
ककबन	.. १
नर्वल	.. १
शिवराजपुर	.. १
मूसानगर	.. १
रसूलाबाद	.. १
मंगलपुर	.. १
योग	.. ७

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

नकल यफ० आई० आर० नं० १४४ मुकदमा अपराध संख्या २३८ धारा ३७९ आई० पी० सी० किस्म ५ सी थाना जी० आर० पी० गोंडा साल सन् १९६९।

नकल तहरीर वादी

श्रीमान दरोगा जी, जी० आर० पी०, गोंडा,

निवेदन है कि आज मैं बलरामपुर जाने के लिये रेलवे स्टेशन, गोंडा पर आया था और थर्ड क्लास मुसाफिर खाने में बैठा था कि यह व्यक्ति जो पकड़े जाने पर अपना नाम प्रहलाद शर्मा, सन आफ रामेश्वर शर्मा, मुहल्ला रानी बाजार बड़गांव, पोस्ट० बड़गांव, जनपद गोंडा बताता है, ने मेरी जेब से एक पांच का नोट निकाल कर भागा कि मैंने चोर-चोर का शोर करते हुए इसका पीछा किया कि मेरी आवाज सुनकर जी० आर० पी० के सिपाही २–३ भी इसका पीछा किये और रेलवे क्रासिंग के चौराहे के पास पकड़ लिये और इसके दाहिने हाथ की मुट्ठी से मेरे पांच रुपये की नोट बरामद कर लिये। इस व्यक्ति को मेरी जेब से रुपया निकालते हुए और भागते हुए गवाहान नान्हे, सन आफ अयोध्या, दुर्गा शरन, सन आफ बंश बहादुर सिंह, ग्राम सिसई, थाना बलरामपुर, जनपद गोंडा ने देखा है। इस व्यक्ति ने मेरी चोरी की है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें।

प्रार्थी देवेन्द्र बहादुर सिंह, सन आफ मुरली सिंह, ग्राम सिसई, थाना बलराम पुर, गोंडा, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६९।

नोट––मैं का० मु० राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीर हिन्दी को अक्षरशः लिखा हूं।

एस० डी० (राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी),
२२–१२–६९।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

सेक्रेटरिएट मैनुएल के प्रस्तर २६—२९ के उद्धरण

Duties of Superintendents

26. Each department registers, submits and records its own correspondence and constitutes, as far as possible, a self-contained section of the office under a Superintendent. The Superintendent is responsible for the general efficiency and working of his department. He must see that the staff under him is fully employed ; that cases are punctually submitted that routine duties are carried out with thoroughness and regularity ; that his department is kept neat and tidy, and the records and papers are kept in proper order. It is one of the main duties of the Superintendent to see that the routine work of the department, such as recording making fair copies of drafts, consigning files to the Record Room, etc. do not fall into arrears. He should also see whether each member of the staff has been perfoming the work allotted to him satisfactorily and whether there are any arrears in current work in the department. Superintendents must make themselves generally acquainted with the work of other departments in the office. A complete set of the monthly printed proceedings of each department will be ciruculated to the Superintendents, and it will be their duty to read those proceedings. The distribution of work within a department is left to the discretion of the Superin tendent.

27. In all cases in which additional temporary staff is entertained for the completion of a specific piece of work a register showing the work done daily should be maintained, scrutinized and signed by the Superintendent.

28. Confidential papers which are purely departmental will be retained in the department to which they relate in a locked almirah and the Superintendent of the department will be responsible for their safe custody. A separate list of such papers will be kept in the almirah as well as by the Superintendent.

Duties of Assistant Superintendents

29. In a few cases temporary departments are placed in charge of Assistant Superintendents who, for all practical purposes perform in that department all the duties of a Superintendent. There are other Assistant Superintendents who are in charge of almost self-contained units within a department and have to work under the general supervision of the Superintendents. The Assistant Superintendent of both these classes practically perform all the duties which a Superintendent normally performs in the departments. Assistant Superintendents are also appointed in heavier departments to assist the Superintendent in the discharge of the latter's duties. They are half noters and drafters and half supervising officials. They are generally entrusted with the following work :

(1) Marking of disposed of cases. The Assistant Superintendent should see that the files are properly serialied and that in cases where further action is necessary, it is taken or if further correspondence is awaited, it is marked as an await case and a definite date is fixed for its submission at the appointed time.

(2) The check the deposit cases :

The Assistant Superintendent should see that the abstract of the subject dealt with in the file is intelligently and correctly prepared and the date of weeding correctly noted.

(3) To help the Superintendent in the preparation of and punctual submission of weekly and fortnightly statements.

(4) To supervise the work of such junior noters and drafters as may be assigned to him by the Superintendent.

(5) Such other routine work as may be entrusted to him by the Superintendent.

(6) To note and draft on important cases.

The appointment of an Assistant Superintendent does not, however, relieve the Superintendent of his ultimate responsibility for the efficient supervision of the department and for the proper enforcement of standing orders and rules of procedure.

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७६ एल० ए०—१९७०—८४५ ।